VISION IAS

INSPIRING INNOVATION

आर्थिक समीक्षा
2020-2021

www.visionias.in | 8468022022 , 9019066066

Delhi | Jaipur | Ahmedabad | Hyderabad | Pune | Lucknow | Chandigarh | Guwahati

आर्थिक समीक्षा का सारांश 2020-21

विषय सूची

खण्ड: 1

अध्याय 1: सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना (Saving Lives and Livelihoods Amidst A Once-In-A-Century Crisis) 3

अध्याय 2: क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं! (Does Growth Lead to Debt Sustainability? Yes, but not Vice-Versa!) 9

अध्याय 3: क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूलतत्वों को दर्शाती है? नहीं! (Does India's Sovereign Credit Rating Reflect its Fundamentals? No!) 15

अध्याय 4: असमानता और विकास: संघर्ष या अभिसरण (Inequality and Growth: Conflict or Convergence) 20

अध्याय 5: अंततोगत्वा हेल्थकेयर ने अहम् स्थान पा लिया! (Healthcare Takes Centre Stage, Finally!) 23

अध्याय 6: प्रक्रिया सुधार: अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना (Process Reforms: Enabling Decision-Making Under Uncertainty) 30

अध्याय 7: विनियामक फॉरबियरेंस: एक आपातकालीन औषधि, न कि मुख्य आहार! (Regulatory Forbearance: An Emergency Medicine, Not Staple Diet) 34

अध्याय 8: नवाचार: नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, खासकर निजी क्षेत्र से (Innovation: Trending Up But Needs Thrust, Especially From The Private Sector) 41

अध्याय 9: आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना (जे.ए.वाई.) और स्वास्थ्य परिणाम {Jay Ho: Ayushman Bharat's Jan Arogya Yojana (JAY) and Health Outcomes} 46

अध्याय 10: जरुरी आवश्यकताएं (The Bare Necessities) 49

खण्ड: 2

अध्याय 1: 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक वृहद दृष्टिकोण (State of The Economy 2020-21: A Macro View) 56

अध्याय 2: राजकोषीय विकास (Fiscal Developments) 68

अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र (External Sector) 75

अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Financial Intermediation) 83

अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation) 89

VISION IAS

अध्याय 6: सतत विकास और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development and Climate Change) 94

अध्याय 7: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन (Agriculture & Food Management) 103

अध्याय 8: उद्योग और आधारभूत संरचना (Industry and Infrastructure) 112

अध्याय 9: सेवा क्षेत्रक (Services Sector) 120

अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development) 125

नोट: *इस दस्तावेज़ में प्रत्येक अध्याय के अंत में एक प्रश्नोत्तरी खंड को अलग से जोड़ा गया है। इस खंड की सहायता से आप प्रत्येक अध्याय के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने में समर्थ होंगे। इनके उत्तर या दृष्टिकोण आर्थिक समीक्षा के प्रत्येक खंड के अंत में दिए गए हैं।*

खण्ड: 1

अध्याय 1: सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना (Saving Lives and Livelihoods Amidst A Once-In-A-Century Crisis)

विषय-वस्तु

कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020 में सदी में विरले ही आने वाले वैश्विक संकट को जन्म दिया है - एक अद्वितीय मंदी (recession) जिसमें 90 प्रतिशत देशों में प्रति व्यक्ति GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में संकुचन होने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए भारत की प्रतिक्रिया **मानवीय सिद्धांत** से उपजी है कि **GDP तो महामारी जनित अस्थायी सदमे से उबर जाएगी, लेकिन यदि मानवीय जीवन की क्षति हुई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता।** अपनी रणनीति को लागू करने के लिए भारत ने महामारी की शुरुआत में ही सबसे सख्त लॉकडाउन लगा दिया था। यह अध्याय इस रणनीति के लाभों को प्रदर्शित करता है।

कोविड-19: सदी में विरले ही आने वाला 'संकट'

- कोविड-19 वायरस - SARS-CoV-2 - की पहचान सर्वप्रथम **दिसंबर 2019** में **चीन** के **वुहान** शहर में हुई थी। इस वायरस ने विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। **प्रमुख देशों में वायरस के प्रसार के प्रारूप एवं प्रवृत्ति से पता चला है कि सामुदायिक संक्रमण के पश्चात् इसके मामले तेजी से बढ़ते हैं।** विभिन्न गैर-दवा हस्तक्षेपों (Non-Pharmaceutical Interventions: NPI) - जैसे कि लॉकडाउन, स्कूलों को बंद करवाना और गैर-आवश्यक व्यवसाय या यात्रा पर प्रतिबंध - को दुनिया भर के देशों द्वारा अपनाया गया था। **महामारी और संबद्ध लॉकडाउन उपायों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया, जिससे वैश्विक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार, दुनिया के सामने खड़ा संकट कई मायनों में अनूठा है।**
  - सर्वप्रथम यह, कि **स्वास्थ्य संकट से जनित वर्तमान वैश्विक मंदी** पिछली वैश्विक मंदी से विपरीत है, जो **वित्तीय संकट** {जिसके कारण महामंदी (Great Depression) 1930-32; 1982; 1991; 2009) **तेल की कीमतों में तीव्र उछाल** (1975; 1982) और **युद्ध** (1914; 1917-21; 1945-46) सहित अन्य **कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के संयोजन** द्वारा संचालित थी।
  - दूसरी बात यह है कि 150 वर्षों में एकाध बार होने वाली इस घटना के कारण वर्ष 2020 में, **विश्व के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रभाव के साथ नकारात्मक संवृद्धि (negative growth) होने का अनुमान** है। इसे **'महा लॉकडाउन'** कहा जाना उचित ही है।
  - तीसरा, कोविड संकट ने **अल्पावधि में ही सही, लेकिन जीवन और आजीविका के बीच किसी एक को चुनने का संकट** उत्पन्न किया।
- **इससे पूर्व**, कोविड-19 की ही तरह, **स्पैनिश फ्लू** अत्यधिक संक्रामक था। वर्ष 1918 के **H1N1** इन्फ्लूएंजा महामारी के दौरान 21 शहरों की रोकथाम नीतियों की तुलना करने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि **महामारी में पहले से ही लॉकडाउन को लागू करना और उनका अधिक तीव्रता से उपयोग करने से वर्ष 1919 से 1923 तक उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की दर उच्च रही। इसकी अपेक्षा लॉकडाउन का धीमी गति से सक्रिय होना या उसका कम तीव्र उपयोग करने का प्रभाव विपरीत था।**

मानवीय सिद्धांत से उपजी भारतीय प्रतिक्रिया (India's Humane Policy Response)

- भारत उन आरंभिक देशों में से एक था, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के केवल 500 मामलों की पुष्टि होने पर ही राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया था।
  - यह उस **मानवीय सिद्धांत** पर आधारित था कि **GDP वृद्धि को तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु एक बार खोया मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता है।**

- महामारी के दौरान व्यक्तियों की **मुक्त आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाने पर जनसंख्या को एक खतरनाक जोखिम का सामना** करना पड़ता, जिससे भारी संख्या में जनहानि की संभावना होती।
- हालांकि, **लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव और आर्थिक गतिविधियों को बंद करने का लोगों की 'आजीविका' पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।**

- **40-दिवसीय लॉकडाउन अवधि का उपयोग** सक्रिय निगरानी, विस्तारित परीक्षण, संपर्क ट्रेसिंग, आइसोलेशन और मामलों के प्रबंधन के लिए **आवश्यक चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार करने** एवं नागरिकों को सामाजिक दूरी व मास्क के बारे में जागरूक करने आदि के लिए किया गया था।
  - यह रणनीति **महामारी के संदर्भ में भारत की अनूठी सुभेद्यताओं के अनुरूप** भी थी, जैसे कि उच्च जनसंख्या घनत्व, बड़ी और सुभेद्य बुजुर्ग आबादी, स्वास्थ्य अवसंरचना पर अत्यधिक बोझ आदि।
- यह रणनीति **हैन्सन और सार्जेंट की नोबेल-पुरस्कार विजेता शोध** से प्रेरित थी (वर्ष 2001)। उनके शोध में **अत्यधिक अनिश्चितता होने पर सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की अनुशंसा की गई है।**
- सर्वेक्षण में **विश्लेषण किया गया है कि क्या देशों द्वारा अपनाई गई नीतिगत प्रतिक्रिया संबंधित देश में महामारी और उससे संबंधित घातक प्रभावों के प्रसार को नियंत्रित करने में प्रभावी थी।** सर्वेक्षण ने विभिन्न देशों के बीच (क्रॉस-कंट्री) विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया है कि **तीव्र लॉकडाउन** ने भारत को प्रभावी रूप से **कोविड-19 के प्रसार और घातक प्रभावों, दोनों का प्रबंधन करने में मदद** की।
  - इसका आकलन करने के लिए, प्रति-तथ्यात्मक अनुमान लगाया जाता है, अर्थात, विशुद्ध रूप से जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और जनसांख्यिकी पर आधारित स्वाभाविक मामलों की संख्या और उसके परिणामस्वरूप मृत्यु की संख्या कितनी होनी चाहिए थी।
  - भारत में, कोविड-19 **सितंबर के मध्य में अपने पहले चरम (first peak) पर पहुंच गया था**, जिसके बाद लोगो की गतिशीलता में वृद्धि के बावजूद भी प्रतिदिन नए मामलों की संख्या बहुत कम रही। जबकि इस दौरान वैश्विक स्तर पर, **कई यूरोपीय देशों और अन्युक्त राज्य अमेरिका,** को लॉकडाउन की शिथिलता और गतिशीलता में वृद्धि के साथ **दूसरी घातक लहर का सामना** करना पड़ा।
- **राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील दिए जाने के बाद, सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य में महामारी के प्रसार के अनुसार प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई।** इस प्रकार, समय के साथ राज्यों में लॉकडाउन की कठोरता भिन्न हो गई।
  - सर्वेक्षण में पाया गया कि **जून से अगस्त की अवधि के दौरान जिन राज्यों में उच्च स्तरीय सख्ती रही, वे राज्य मामलों के प्रसार और मौतों को नियंत्रित करने में सक्षम रहे।**

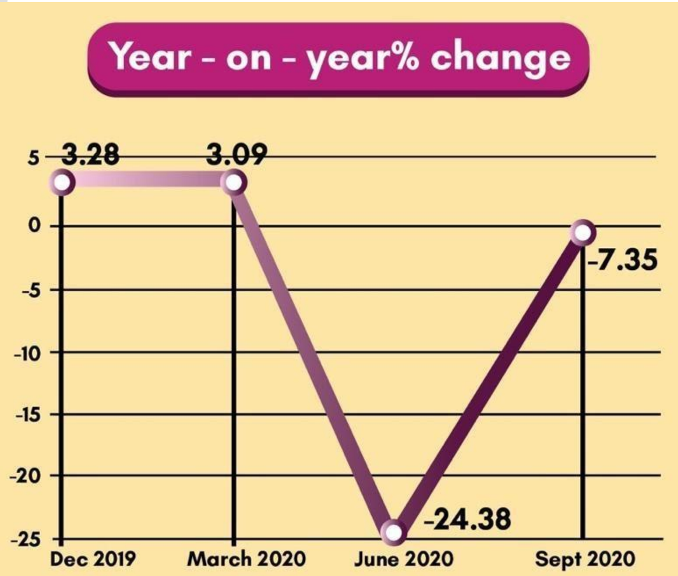

समयोचित तीव्र लॉकडाउन के कारण V-आकार का आर्थिक सुधार

- महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने **स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं -** आपूर्ति को 'फर्स्ट ऑर्डर' झटका लगा। इससे निम्नलिखित के माध्यम से मांग को भी आघात पहुँचा:
  - **श्रम बाजार में व्यवधान,** जो घरेलू आय को प्रभावित करते हैं, और
  - **पूर्व सतर्कता बरतते हुए बचत के उद्देश्य के कारण,** जो स्वास्थ्य संकट के बीच की अनिश्चितता से उपजी है।
- भारत ने कोविड-19 के प्रसार की गति पर अंकुश लगाने के लिए **मार्च के अंत से मई तक एक प्रारंभिक और कठोर लॉकडाउन लागू किया।** इससे पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में GDP में 23.9 प्रतिशत संकुचन हुआ। **अर्थव्यवस्था को जून 2020 से धीरे-धीरे अनलॉक किया गया,** और तब से **V-आकार में आर्थिक सुधार का अनुभव किया गया है।**

- भारतीय नीति निर्माताओं ने माना था कि **लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और आजीविका को बाधित करेगा।** महामारी के लिए राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया, **तदनुसार, एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण वाली रणनीति थी।**
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, **सरकार ने सुनिश्चित किया कि राजस्व प्राप्ति में तेज संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धन** उपलब्ध रहे। आर्थिक गतिविधि में आने वाली बाधा से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए प्रारंभिक दृष्टिकोण **समाज के निर्धन वर्ग और व्यापार के क्षेत्रों (विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) को राहत प्रदान करना था।**
    - सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY);** विधवाओं, पेंशन भोगियों और महिलाओं को **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मनरेगा (MGNREG) के लिए अतिरिक्त धनराशि;** और व्यवसायों के लिए **ऋण स्थगन (debt moratorium) व तरलता समर्थन (liquidity support)** जैसे उपायों को अपनाया।
- आवाजाही और स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ, **सरकार ने आत्मनिर्भर 2.0 और 3.0 के माध्यम से निवेश और उपभोग की मांग का समर्थन करने के लिए शोधित विकल्प अपनाए। प्रोत्साहन का समय अर्थव्यवस्था की अवशोषण क्षमता के अनुरूप निर्धारित था,** जो कि लॉकडाउन से प्रभावित थी।
    - प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों के औसत शेष (average balances) के रुझान से सरकार के अंश-शोधन की पुष्टि होती है।
        - **अप्रैल-जून तिमाही के दौरान इन खातों की औसत शेष में वृद्धि हुई है,** जो खाताधारकों द्वारा निवारक बचत का संकेत देता है।
        - हालांकि, जैसे ही अर्थव्यवस्था पूर्व रूप में लौटने लगी, **शेष (बैलेंस) में गिरावट देखी गई है, जो उपभोग की तुलना में व्यय में वृद्धि की ओर संकेत करता है।**
- भारतीय नीति निर्माताओं ने यह भी माना कि **लॉकडाउन से प्रेरित 'आपूर्ति' आघात ('supply' shock) अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बाधित करेगा। एक बार पुनः आरंभ होने पर सभी नियंत्रित मांगों को पूर्ण करने के लिए इस क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, किसी भी प्रकार का बेमेल व्यापक आर्थिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है।**
- इसलिए, भारत ने मध्यम-दीर्घ अवधि में आपूर्ति का विस्तार करने और उत्पादक क्षमताओं को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की है। (बॉक्स देखें)
    - भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने **महामारी के प्रारंभिक चरणों में आपूर्ति पक्ष के लिए संरचनात्मक सुधार किए हैं।** इस दूरदर्शी नीतिगत प्रतिक्रिया के द्वारा **मध्यम से दीर्घावधि में उत्पादकता में वृद्धि** होगी।
- **ये सुधार रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।**
    - **भारत के सकल मूल्य वर्धित या ग्रास वैल्यू ऐडेड (GVA) में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि और खनन क्षेत्र) का लगभग 16 प्रतिशत योगदान है,** जबकि इसमें लगभग 43 प्रतिशत कार्यबल नियोजित हैं।
    - **द्वितीयक क्षेत्र** संवर्धित आय, आय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ **औपचारिक रोजगार के लिए विस्तारित अवसर प्रदान करता है।**
- **नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के आसपास केंद्रित एक सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम** से इस मांग में तेजी आने और सुधारों के आगे बढ़ने की संभावना है।
- **एक स्थिर मुद्रा, चालू खाता की अनुकूल स्थिति, बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में उत्साहजनक संकेत** के साथ-साथ समष्टि आर्थिक स्थिरता से भारत में एक V-आकार का सुधार देखा जा रहा है।

VISION IAS

प्रमुख संरचनात्मक सुधार

क्षेत्रकों का अविनियमन और उदारीकरण (Deregulation and Liberalization of Sectors)	
कृषि	• **कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020** • **मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020** • **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)	• **MSME की नई परिभाषा** MSMEs के **आकार में वृद्धि करने और रोजगार सृजन करने में सक्षम बनाने वाली सभी कंपनियों के लगभग 99 प्रतिशत** को समाविष्ट करती है • **निर्माण और सेवा क्षेत्र की MSME के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना**
श्रमिक	• **चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन** अर्थात् मजदूरी संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 • **'एक श्रम रिटर्न, एक अनुज्ञप्ति और एक पंजीकरण'** (One labour return, one licence and one registration)
व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (BPO)	• कई आवश्यकताएं, जिसके कारण **कंपनियों को 'घर से काम' और 'कहीं से भी काम' करने की नीतियों को अपनाने से रोका गया है, उन्हें हटाया गया है।**
ऊर्जा	• **प्रशुल्क नीति सुधार:** डिस्कॉम की अक्षमता का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े, क्रॉस सब्सिडी में प्रगामी (progressive) कटौती, निश्चित समय के लिए खुली पहुंच की सुविधा आदि। • संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs)	• केवल रणनीतिक क्षेत्रों में ही पी.एस.यू. • गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में पी.एस.यू. का निजीकरण
खनिज क्षेत्र	• कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन • निजी एवं व्यापारिक खदानों के मध्य अंतर को दूर करना • खदान ब्लॉकों का पारदर्शी आबंटन • सभी राज्यों में स्टांप शुल्क में एकरूपता लाने के लिए **शुल्क अधिनियम, 1899** में संशोधन • एक सहज समग्र **अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन व्यवस्था** शुरू करना
उत्पादक क्षमता को मजबूत करना	
उद्योग	• 10 चिन्हित क्षेत्रों के लिए **उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI) योजना** • **GIS-सक्षम 'राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली'** का शुभारंभ
अंतरिक्ष	• **उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों** को बराबरी का अवसर प्रदान करना • तकनीकी-उद्यमियों को सुदूर-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए **उदार भू-स्थानिक डेटा नीति**
रक्षा	• **आयुध कारखाना बोर्ड का निगमीकरण** • स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74%** की जाएगी • **समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया**

VISION IAS

उत्पादन क्षमता को मजबूती	
शिक्षा	• शिक्षा की बहु-विध और न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए **पीएम-ई विद्या।** • मनोसामाजिक सहयोग के लिए **मनोदर्पण पहल।**
सामाजिक अवसंरचना	• **अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (Viability Gap Funding: VGF) योजना** में सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership: PPP) को वित्तीय सहायता देने की योजना को **वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है।**
कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business)	
वित्तीय बाजार	• **अनुमेय विदेशी अधिकार क्षेत्रों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों** द्वारा प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष सूची। • **कंपनियों द्वारा अधिकारों के मुद्दों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को कम करने** का प्रावधान। • वैसी निजी कंपनियाँ जो स्टॉक एक्सचेंजों पर NCDs (गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र) को सूचीबद्ध करती हैं उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
कॉरपोरेट	• कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (प्रोड्यूसर कंपनियों) के प्रावधानों को शामिल करना। • **कंपनी अधिनियम के तहत मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से संबंधित मामलों में डिफ़ॉल्ट को गैर-आपराधिक मानना।** • **राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के लिए अतिरिक्त/विशिष्ट पीठ गठित करने** की शक्ति। • छोटी कंपनियों, एकल-व्यक्ति कंपनियों, प्रोड्यूसर कंपनियों और स्टार्ट-अप के सभी चूककर्ताओं के लिए कम दंड। • इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe+) का आरंभ।
प्रशासन	• रोजगार भर्ती के लिए राष्ट्रीय मंचः राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक **राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी** का गठन • मौलिक नियम 56(j)/(I) और **केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम** के नियम 48 के माध्यम से **अप्रभावी या भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति** पर संशोधित दिशानिर्देश • **चेहरा रहित कर मूल्यांकन (फेसलेस टैक्स असेसमेंट)** और एक 12-बिंदु करदाता घोषणा पत्र • सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के माध्यम से **निवेश के लिए त्वरित मंजूरी।**

शब्दावली	
V-आकार का सुधार	• V-आकार के सुधार का आशय यह है कि **अर्थव्यवस्था संकट से पहले की अपनी आधार रेखा पर शीघ्रता से वापस आ जाती है।** पहले की तरह उसी दर से संवृद्धि जारी रहती है। • यह **सबसे आशावादी सुधार प्रारूपों में से एक** है, क्योंकि इसका आशय यह है कि **मंदी ने अर्थव्यवस्था को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया।**

अध्याय एक नजर में

- कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया मानवीय सिद्धांत से उपजी है:
  - **खोया हुआ मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता**
  - **GDP की वृद्धि महामारी के कारण लगे अस्थायी आघातों से उबर जाएगी**

- अपनी रणनीति को लागू करने के लिए, भारत ने महामारी की शुरुआत में ही **सबसे सख्त लॉकडाउन** लागू किया।
- सर्वेक्षण के क्रॉस-कंट्री विश्लेषण से पता चलता है कि **गहन लॉकडाउन ने भारत को प्रभावी रूप से कोविड-19 के प्रसार और आघातों, दोनों का प्रबंधन** करने में मदद की।
- महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों को जन्म दिया, जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है - आपूर्ति को 'फर्स्ट ऑडर' आघात लगा। इसके प्राणिमस्वरूप मांग को भी आघात लगा है - श्रम बाजार में व्यवधान के कारण, जो घरेलू आय को प्रभावित करती है, और बचत के एहतियाती मकसद के कारण, जो स्वास्थ्य संकट के बीच की अनिश्चितता से उपजी है।
- आवाजाही और स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ, **सरकार ने आत्मनिर्भर 2.0 और 3.0 के माध्यम से निवेश और उपभोग की मांग का समर्थन** करने के लिए एक अंश शोधित (calibrated) तरीके में संक्रमण किया।
- भारत ने मध्यम-दीर्घ अवधि में **आपूर्ति का विस्तार** करने और उत्पादक क्षमताओं को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिए **कई संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा** की।
- अर्थव्यवस्था को **जून, 2020 से धीरे-धीरे अनलॉक** किया गया, और तब से V-आकार के सुधार का अनुभव किया जा रहा है।

अध्याय 1

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित सरकारी संगठनों में से किसके द्वारा 'सामान्य पात्रता परीक्षा' (CET) आयोजित की जाती है?

(a) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

(b) भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(c) राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

(d) कर्मचारी चयन आयोग

Q2. भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया 'स्पाइस+' (SPICe+) ई-फॉर्म संबंधित है:

(a) कोयला खनन ब्लॉकों की नीलामी से

(b) रक्षा खरीद प्रक्रिया से

(c) कंपनी के निगमन से

(d) पर्यावरणीय स्वीकृत से

Q3. भारत में 'प्राथमिक क्षेत्रक' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में प्राथमिक क्षेत्रक सकल मूल्यवर्धन (GVA) में लगभग 16% का योगदान देता है।

2. भारत में आधे से अधिक कार्यबल प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q4. निम्नलिखित उपायों में से कौन-सा/से भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) पैकेज का/के भाग है/हैं?

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

2. विधवाओं, पेंशनभोगियों और महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करना

3. मनरेगा योजना (MGNREGS) के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना

4. व्यवसायों को ऋण अधिस्थगन और तरलता संबंधी सहायता प्रदान करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q5. वैश्विक महामारी और संबद्ध लॉकडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक व्यापक हिस्सा वस्तुत: ठप पड़ गया जिसने वैश्विक मंदी को उत्प्रेरित किया। अतीत में, वैश्विक मंदी निम्नलिखित में से कौन-से कारक/कारकों के कारण आई थी?

1. वित्तीय संकट

2. तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव

3. युद्ध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 3

(b) 1, 2, और 3

(c) केवल 2

(d) केवल 1 और 2

Q6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा 'V आकार की आर्थिक बहाली' का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है?

(a) वह आर्थिक बहाली जिसमें अर्थव्यवस्था, गिरावट के बाद, धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक पहुँचने से पहले, कुछ समय तक निम्न संवृद्धि दर के इर्द-गिर्द जूझती है।

(b) वह आर्थिक बहाली जिसमें अर्थव्यवस्था कई वर्षों के बाद भी पहले के संवृद्धि दर स्तर को पुनः प्राप्त करने में विफल रहती है।

(c) वह आर्थिक बहाली जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता अपनी संवृद्धि की उस आधार-रेखा तक वापस आ जाती है जो संकट से पहले विद्यमान थी।

(d) वह आर्थिक बहाली जिसमें अर्थव्यवस्था एक तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद शीघ्रता से उबरती है और संवृद्धि के पिछले स्तर को भी पार कर जाती है।

Q7. 'एहतियाती बचत' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोविड-19 स्वास्थ्य संकट के दौरान की अनिश्चितता ने भारतीय नागरिकों में बचत करने के एहतियाती मंतव्य को उत्पन्न किया।

2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों में औसत शेष में गिरावट खाताधारकों द्वारा एहतियाती बचत का सूचक है।

3. एहतियाती बचत अर्थव्यवस्था में मांग आघात को जन्म दे सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. कोविड-19 वैश्विक महामारी की शुरुआत होने पर भारत द्वारा सामना की गई चुनौती की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सरकार की अनुक्रिया की प्रभावकारिता का आकलन कीजिए।

Q.2. वैश्विक महामारी प्रेरित लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी की अनुक्रिया में भारत द्वारा किए गए विभिन्न सुधार संबंधी उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

VISION IAS

अध्याय 2: क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं! (Does Growth Lead to Debt Sustainability? Yes, but not Vice-Versa!)

विषय-वस्तु

राजकोषीय नीति के क्षेत्र में, 'GDP (सकल घरेलू उत्पाद) संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए **राजकोषीय व्यय (fiscal spending)'** और 'समग्र ऋण का प्रबंधन करने हेतु **राजकोषीय मितव्ययिता (fiscal austerity)'** के मध्य विरोधाभास विद्यमान है। इस विरोधाभास ने कोविड-19 का प्रकोप फैलने के साथ केंद्रीय स्थिति ग्रहण कर ली है। विश्व भर में सरकारें **राजकोषीय विस्तार (fiscal expansion)** द्वारा संवृद्धि को बढ़ावा देने और इसके साथ ही, **ऋण स्थिरता (debt sustainability)** सुनिश्चित करने के संदर्भ में दुविधा का सामना कर रही हैं। इस संदर्भ में, यह अध्याय संवृद्धि और ऋण स्थिरता के बीच संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और बाद में इस वाद-विवाद के माध्यम से भारत के ऋण प्रोफाइल और आगे की संभव राह को स्पष्ट करता है।

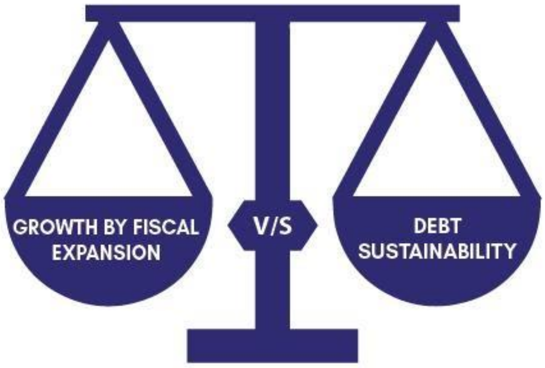

व्यवसाय चक्र और संबद्ध नीतिगत रुख (Business Cycles and Associated Policy Stances)

व्यवसाय चक्र, जिसे आर्थिक चक्र (economic cycle) या व्यापार चक्र (trade cycle) भी कहा जाता है, का आशय **GDP की दीर्घकालिक संवृद्धि प्रवृत्ति (growth trend) के साथ इसमें आने वाले उतार चढ़ाव से है।**

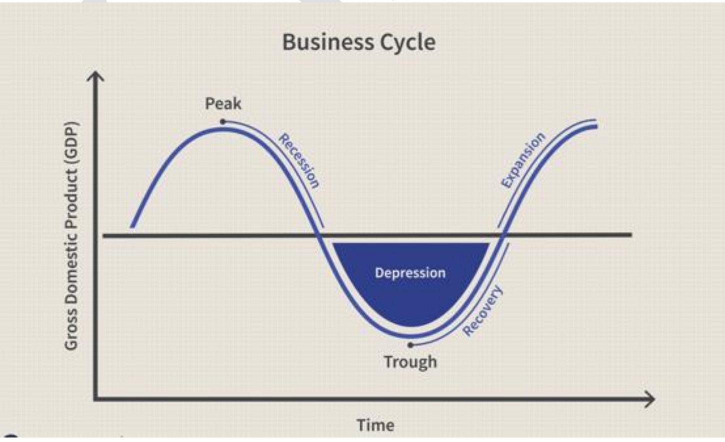

इस आर्थिक चक्र के संबंध में किसी देश की स्थिति उसकी राजकोषीय नीति के प्रमुख निर्धारक के रूप में कार्य करती है। इस सर्वेक्षण का तर्क है कि सामान्य तौर पर राजकोषीय नीति को आर्थिक चक्रों को विकृत करने वाली होने की बजाय उन्हें सुचारू बनाने के लिए प्रति-चक्रीय (counter-cyclical) होना चाहिए।

जहाँ आर्थिक चक्रों को सुचारू बनाने के लिए प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति (counter-cyclical fiscal policy) आवश्यक है, वहीं **आर्थिक संकट के दौरान यह महत्वपूर्ण बन जाती है। निम्नलिखित को प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का अनुगमन करने के प्रमुख लाभ के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:**

- **राजकोषीय गुणक (Fiscal multipliers):** इसके तहत राजकोषीय व्यय के तौर पर किए गए **एक रुपये के अतिरिक्त व्यय से** अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाले कुल प्रतिफल की गणना की जाती है। ये प्रतिफल आर्थिक विस्तार की तुलना में आर्थिक संकटों के दौरान किए गए राजकोषीय व्यय के संदर्भ में अधिक गुणक प्रभाव दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि-
  - **आर्थिक संकट परिवारों के लिए एक बाध्यकारी तरलता संबंधी तंगी सृजित करता है** अर्थात्

Figure A: Business Cycle under Various Fiscal Policy Stance

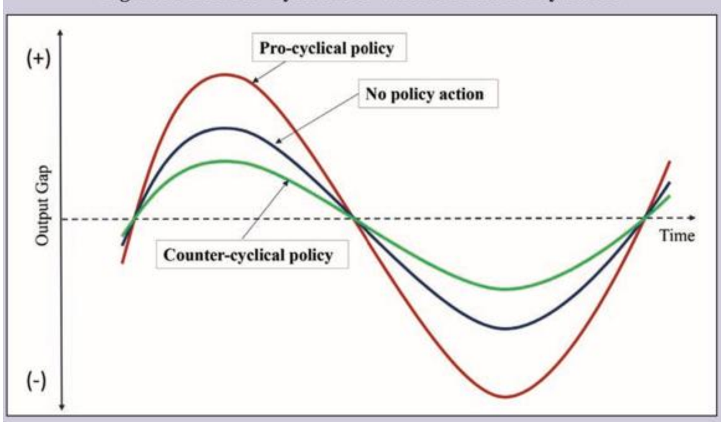

उनकी प्रयोज्य आय (disposable income) कम हो जाती है। इस संदर्भ में, सरकारी व्यय में वृद्धि परिवारों की तरलता की स्थिति सुगम बनाती है और इसके परिणामस्वरूप उपभोग के स्तर में वृद्धि होती है।

- **आर्थिक संकट के दौरान, ऋण महँगा हो जाता है,** इस प्रकार निवेश और फलस्वरूप संवृद्धि क्षीण होने लगती है। राजकोषीय विस्तार से बाजार में तरलता बढ़ती है, जिससे ऋण सस्ता हो जाता है और निवेश एवं संवृद्धि प्रोत्साहित होती है।
- मंदी की अवधि में राजकोषीय गुणकों के अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि **जबरन बचत करने के उद्देश्य से निजी बचत में वृद्धि होती है।**

Fiscal policy (FP) stance	Recession (↓ GDP)	Expansion (↑ GDP)	Outcome
Pro-cyclical	Contractionary FP ↓ Govt. Expenditure or /and ↑ Taxes	Expansionary FP ↑ Govt. Expenditure or/and ↓ Taxes	Deepens recessions and amplifies expansions, thereby increasing fluctuations in the business cycle.
Counter-cyclical	Expansionary FP ↑ Govt. Expenditure or/and ↓ Taxes	Contractionary FP ↓ Govt. Expenditure or /and ↑ Taxes	Softens the recession and moderates the expansions, thereby decreasing fluctuations in the business cycle.

- **भविष्य की उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्धित उपभोक्ता भावना:** सरकारी निवेश व्यय में सापेक्ष वृद्धि उत्पादन और उत्पादकता में भविष्य में वृद्धि के बारे में संकेत प्रदान करती है और इस प्रकार उन्नतर मापित आत्मविश्वास में परिलक्षित होती है। इसके परिणामस्वरूप उपभोग एवं उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
- **अर्थव्यवस्था की स्थिरता में विश्वास को बढ़ाता है:** प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति अपनाने वाली सरकारें सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के प्रति विश्वसनीय रूप से अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में सक्षम होती हैं। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में तर्कसंगत अभिकर्ता अर्थव्यवस्था में अधिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं होने की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार उनके निजी कार्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, जिसके प्रतिफल में मजबूत समष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomic) के मूल तत्व सक्षम होंगे।

भारत के लिए, वर्तमान परिदृश्य में, जब GDP में **54 प्रतिशत** का योगदान देने वाला **निजी उपभोग संकुचित हो रहा है** और **लगभग 29 प्रतिशत** का योगदान करने वाला **निवेश अनिश्चित है,** तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीतियों की प्रासंगिकता सर्वोपरि हो जाती है।

भारत में (R-G) अवकलन और ऋण स्थिरता {The (R-G) Differential and Debt Sustainability in India}

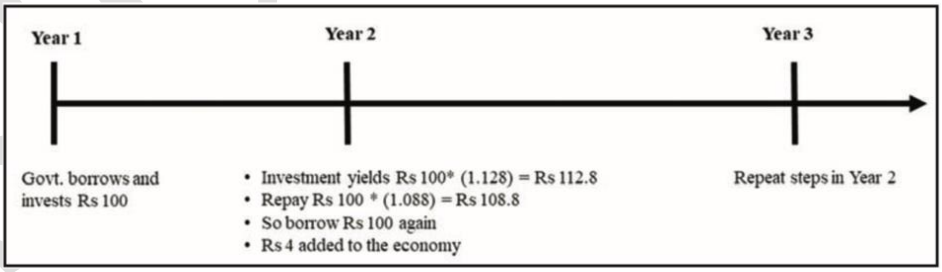

R-G अवकलन या 'ब्याज दर संवृद्धि दर अंतर' (Interest Rate Growth Differential: IGRD) अर्थव्यवस्था में **सांकेतिक ब्याज दर (R) और सांकेतिक वृद्धि दर (G) के मध्य विभेद को संदर्भित करता है।** वहीं दूसरी ओर यहां **ऋण** देश के सार्वजनिक ऋण (public debt) को संदर्भित करता है, जिसमें घरेलू के साथ-साथ विदेशी स्रोतों से लिए गए ऋण भी शामिल होते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण IRGD और ऋण स्थिरता के मध्य संबंधों के संदर्भ में **निम्नलिखित अवलोकन करता है:**

2a: During the Last 25 years, i > γ is a Norm, Except for a Short Period During the Asian Financial Crisis

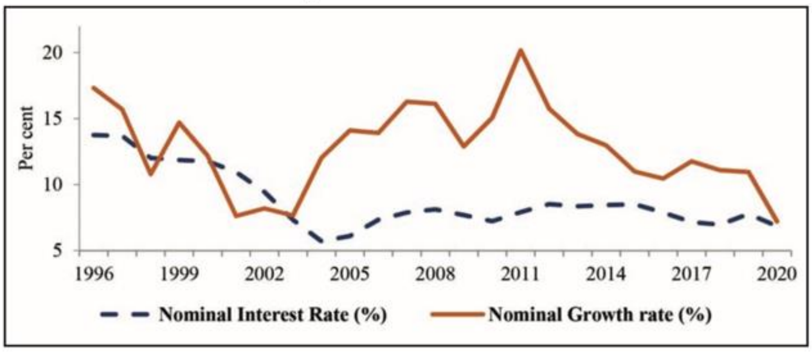

- **ऋण-GDP अनुपात (debt-to-GDP ratio)** तीन प्रमुख मापदंडों पर निर्भर करता है, नामत: **IRGD,** विगत अवधि में **ऋण-GDP अनुपात** और **प्राथमिक घाटे से GDP का अनुपात (ratio of primary deficit-to-GDP)।**

- जब तक प्राथमिक घाटा GDP का निरंतर अंश रहेगा, तब तक IRGD ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए पर्याप्त सांख्यिकी रहेगा। इसका अभिप्राय यह है कि, **जिस सुगमता से सरकार अपना ऋण से GDP का अनुपात कम कर सकती है, वह सरलता मुख्यतः IRGD पर निर्भर करती है।** IRGD जितना अधिक नकारात्मक होता है, उतना ही सरकार के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना आसान (और तीव्र) होता है (जैसा कि इस इन्फोग्राफिक के माध्यम से सचित्र वर्णन किया गया है, यह मानते हुए कि **सांकेतिक वृद्धि दर (nominal growth rate) 12.8% है, जबकि सांकेतिक ब्याज दर (nominal interest rate) 8.8%** है)।
- **भारत में एक मानक के रूप में**, विगत 25 वर्षों में, **GDP की वृद्धि दर ब्याज दरों से अधिक रही है।** इससे विगत ढाई दशकों के दौरान अधिकांश वर्षों के लिए नकारात्मक IRGD रही, जिसके कारण ऋण स्तर में गिरावट आई।
    - यह परिदृश्य राजकोषीय नीति हेतु **(i) समग्र मांग में मंदी की पूर्ती करने और (ii) इस प्रकार ऋण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वृद्धि को सक्षम करने** की संभावना का विस्तार करता है।
- **भारत में GDP की वृद्धि दर में परिवर्तनशीलता** ब्याज दरों में परिवर्तनशीलता से **अधिक है।** इसका तात्पर्य यह है कि IRGD में बदलाव, अधिकांशत: ब्याज दरों में परिवर्तन की बजाय वृद्धि दरों में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। इस प्रकार, यह उच्च संवृद्धि है, जो भारत के लिए ऋण स्थिरता की कुंजी प्रदान करती है।

अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए IRGD और ऋण स्थिरता (The IRGD And Debt Sustainability for Other Economies)

भारतीय अनुभव की भांति, अन्य देशों के संदर्भ में भी **IRGD और वृद्धिशील ऋण-GDP अनुपात (incremental debt- to-GDP ratio) के मध्य एक मजबूत सहसंबंध** दृष्टिगोचर होता है। अन्य देशों के लिए निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं-

- बहु-देशीय साक्ष्य से भी यह ज्ञात होता है कि देशों के भीतर **वृद्धि दर ब्याज दरों की तुलना में बहुत अधिक भिन्न होती है।**
- वर्ष 2003 के उपरांत से, **भारत की IRGD नकारात्मक रही है और प्रमुख आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे कम रही है।**

भारत में, संवृद्धि ऋण स्थिरता को उत्पन्न करती है, यह इसके विपरीत नहीं है (In India, Growth Leads to Debt Sustainability, Not Vice-Versa)

संवृद्धि और ऋण स्थिरता के मध्य सहसंबंध के संदर्भ में, **सर्वेक्षण ने निम्नलिखित अवलोकन किया है:**

- किसी दिए गए वर्ष की संवृद्धि दर और उत्तरवर्ती वर्ष के ऋण-GDP अनुपात की तुलना करने पर, यह अवलोकन किया गया कि बढ़ती संवृद्धि दर उत्तरवर्ती वर्ष के लिए ऋण-से-GDP के अनुपात में कमी के साथ सकारात्मक रूप से सह-संबद्ध है। इसका तात्पर्य यह है कि **संवृद्धि दर में परिवर्तन का ऋण स्थिरता पर कारणात्मक प्रभाव (causal effect) पड़ता है।**
- वहीं दूसरी ओर, किसी दिए गए वर्ष के ऋण-GDP अनुपात और उत्तरवर्ती वर्ष की संवृद्धि दर की तुलना करने पर, यह संबंध सांख्यिकीय रूप से नगण्य था। इसका तात्पर्य यह है कि **ऋण स्थिरता में परिवर्तन का संवृद्धि दर पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है।**

इसलिए, यह साक्ष्य दो चरों के मध्य कार्यकरण की दिशा को दर्शाता है अर्थात् भारत में उच्च संवृद्धि से सार्वजनिक ऋण कम होता है, परन्तु सार्वजनिक ऋण के कम होने से उच्च संवृद्धि की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है।

एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात् उच्च संवृद्धि के माध्यम से ऋण स्थिरता

- वर्ष 1997-98 से वर्ष 2002-03 की अवधि के दौरान, **वास्तविक अर्थों में संवृद्धि दर धीमी होकर औसतन 5.3 प्रतिशत रही थी।** संवृद्धि दर में गिरावट के बावजूद, सरकार द्वारा अवसंरचना हेतु व्यय पर केंद्रित एक **विस्तारवादी राजकोषीय नीति (expansionary fiscal policy)** अपनाई गई थी।
- **इन वर्षों के दौरान सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई, जिससे सामान्य सरकारी ऋण रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।** इस राजकोषीय आघात ने वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 तक आगामी छह वर्षों में संवृद्धि के लिए और वास्तविक अर्थों में औसतन 8 प्रतिशत की संवृद्धि के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया। इस अवधि में **उच्च संवृद्धि से ऋण वर्ष 2003-04 में प्राप्त GDP के 83 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर से घटकर वर्ष 2009-10 में GDP के लगभग 70 प्रतिशत पर नीचे** आ गया था।
- यह प्रकरण रेखांकित करता है कि सार्वजनिक ऋण जब उत्पादक रूप से सुव्यवस्थित होता है, तब अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि पथ तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है और इसके प्रतिलाभ में, ऋण स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कारण-कार्य संबंध की दिशा (Direction of Causality in Other Economies)

GDP की वृद्धि दर कम होने पर संवृद्धि और सार्वजनिक ऋण के मध्य ऐसा कोई कारण-कार्य संबंध प्रकट नहीं होता है। **यह परिणामों के निम्नलिखित सारांश से दृष्टिगोचर होता है:**

- **भारत और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Market Economy: EMEs) के लिए,** जिन्होंने विगत कुछ दशकों में निरंतर उच्च दरों पर अपने GDP को बढ़ाया है, **ऋण और संवृद्धि के मध्य का संबंध कारण-कार्य संबद्धता की स्पष्ट दिशा प्रदर्शित करता है।** उच्चतर संवृद्धि, ऋण-GDP का अनुपात कम करती है, परन्तु अल्प ऋण से आवश्यक रूप से उच्च संवृद्धि नहीं होती है।
- **यही परिघटना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च संवृद्धि के चरणों के दौरान दृष्टिगोचर होती है,** जिन्होंने भारत और अन्य EMEs की तुलना में GDP की निम्न वृद्धि दर पर संवृद्धि अर्जित की है।
- इसके विपरीत, उच्च और निम्न दोनों संवृद्धि प्रकरणों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ **विगत कुछ दशकों के दौरान GDP की संवृद्धि दर औसतन कम रही है, यह संबंध प्रकट नहीं होता है।**

इस विभेद को प्रकट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों की नकल करने वाली नीतियों की तुलना की जाती है, तब **राजकोषीय नीति के लिए निहितार्थ (विशेष रूप से वर्तमान संकट के दौरान) भारत हेतु स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न** हो जाते हैं।

रिकार्डियन इक्वीवेलेन्स प्रपोजल (Ricardian Equivalence Proposition: REP)

REP के अनुसार दूरदर्शी उपभोक्ता, जिन्हें पूर्ण रूप से तर्कसंगत और पूर्णतया सक्षम माना जाता है, अपना उपभोग निर्णय लेते समय सरकार के राजकोषीय विकल्पों को आत्मसात करते हैं।

सार्वजनिक व्यय के कारण निजी निवेश का बहिर्गमन (Crowding Out Due to Public Expenditure)

क्राउडिंग आउट या निजी निवेश का बहिर्गमन प्रभाव वह आर्थिक सिद्धांत है, जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि सार्वजनिक ऋण या सरकारी व्यय में वृद्धि होने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध धन या ऋण कम या यहाँ तक कि समाप्त हो जाता है।

इस सर्वेक्षण में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च वृद्धिशील ऋण से कम संवृद्धि दर का संभव संबंध **संभावित क्राउडिंग आउट और रिकार्डियन इक्वीवेलेन्स प्रपोजल (REP)** पर आधारित है।

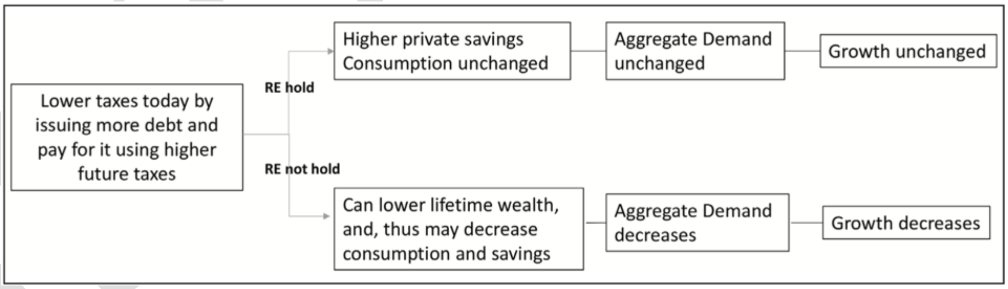

हालांकि, REP का अनुप्रयोग कई मान्यताओं पर निर्भर है, जिनमें शामिल हैं (i) प्रतिनिधी नागरिक करों का भुगतान करता है; (ii) कर गैर-विरूपणकारी हैं और एकमुश्त रूप से एकत्रित किए जाते हैं; (iii) सही पूँजी बाजार जिसमें उधारी में कोई बाधा नहीं होती है; (iv) आय का भावी प्रवाह और भावी कर देनदारियाँ निश्चित होती हैं तथा (v) प्रतिनिधी नागरिक अनंत जीवित, तार्किक और अग्रगामी होता है।

हालांकि, यह देखा गया है कि REP स्वयं द्वारा निर्मित की गई सख्त पूर्वधारणाओं के कारण अर्थव्यवस्थाओं में स्वयं को नियंत्रित भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। दोनों आर्थिक परिदृश्यों को इन्फोग्राफिक में स्पष्ट किया गया है।

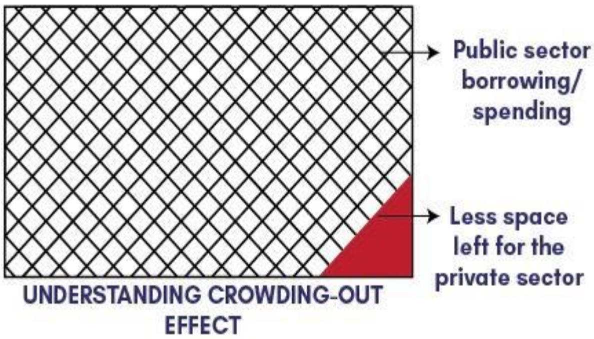

निजी निवेश का बहिर्गमन (Crowding out)

भारत में उपर्युक्त क्राउडिंग आउट की परिघटना के घटित होने संबंध में, सर्वेक्षण में **निम्नलिखित पर्यवेक्षण किए गए हैं:**

- **निजी निवेश के बहिर्गमन (क्राउडिंग आउट) की परिघटना** इस धारणा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था **में बचत की आपूर्ति अर्थात् बचत के धन का निवेश (supply of savings) नियत होती है।** इसलिए, उच्च राजकोषीय व्यय से ऋण योग्य निधियों

की मांग बढ़ सकती है और इसलिए ब्याज दरों पर उर्ध्वगामी दबाव उत्पन्न हो सकता है (अर्थात् ब्याज दरों में वृद्धि), जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है।

- परन्तु यह परिलक्षित हुआ है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में **बचत की आपूर्ति नियत नहीं होती है, बल्कि आय में वृद्धि के साथ इसमें विस्तार होता है।** ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतया अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं करती हैं और बचत की आपूर्ति मांग सृजन के माध्यम से अधिक सरकारी व्यय से बढ़ सकती है तथा जिससे रोजगार का सृजन अधिक से अधिक हो सकता है।

Figure 17: Debt-to-GDP ratio for India amongst the Rest of the world (2018)

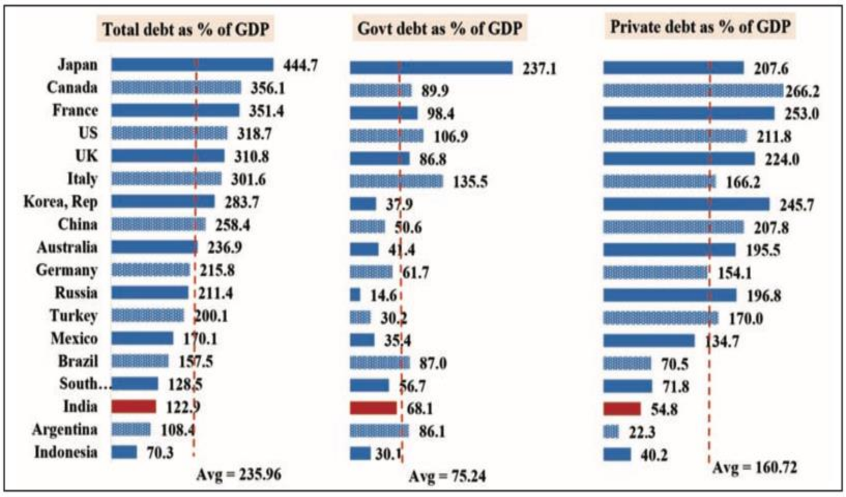

Source: IMF Debt database

- भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, **निजी क्षेत्र की बचत और निवेश करने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि निजी निवेश के बहिर्गमन की बजाय निजी निवेश को संभव बना सकती है।**
  - उदाहरण के लिए, यदि सार्वजनिक व्यय उन क्षेत्रकों की ओर निर्देशित किया जाता है जहां राजकोषीय गुणक वृहद हैं (उदाहरणार्थ- अवसंरचना के निर्माण हेतु) तो **इस प्रकार के व्यय से निजी निवेश में भी काफी वृद्धि हो सकती है।**

निजी निवेश के बहिर्गमन के विरुद्ध इन तर्कों के अनुरूप, अध्ययनों में **उदारीकरण के उपरांत के भारत में विगत तीन दशकों में सार्वजनिक निवेश के कारण निजी निवेश के बहिर्गमन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।**

भारत के ऋण की संरचना (Structure of India's Debt)

निम्नलिखित को GDP के प्रतिशत के रूप में भारत के **समग्र ऋण की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:**

- **भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP का अनुपात (public debt-to- GDP ratio)** उच्च वैश्विक ऋण स्तरों की तुलना में **काफी कम रहा है।** उदाहरण के लिए, **GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का समग्र ऋण स्तर G-20 व OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों के समूह और साथ ही ब्रिक्स (BRICS) देशों के समूह में भी सबसे कम है।**
- भारत के **सार्वजनिक ऋण और समग्र ऋण स्तर** में वर्ष 2003 के पश्चात् गिरावट आई थी और यह वर्ष 2011 के बाद से स्थिर है।

Figure 19: Composition of General Government public debt

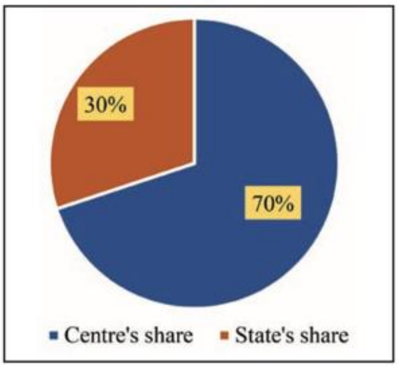

Figure 20: Composition of Central Govt. debt

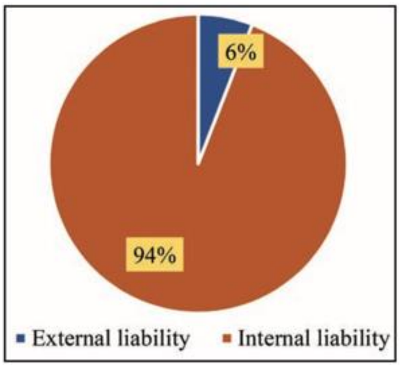

- सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में **विदेशी मुद्रा जोखिम बहुत कम है, क्योंकि बाह्य ऋण GDP का केवल 2.7 प्रतिशत है।**
- साथ ही, **फ्लोटिंग रेट (अस्थिर दर वाले) ऋण** (केंद्र सरकार का फ्लोटिंग रेट ऋण सार्वजनिक ऋण के **5 प्रतिशत** से कम है) का लघु अंश रोलओवर जोखिमों को सीमित करता है और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव से ऋण पोर्टफोलियो को सुरक्षित करता है।

परिदृश्य विश्लेषण: क्या भारत का वर्तमान ऋण टिकाऊ है? (Scenario Analysis: Is India's Current Debt Sustainable?)

अग्रगामी विश्लेषण में, सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी जहाँ मध्यम अवधि में संवृद्धि दर कम होती है, ऋण पर इसका प्रभाव निरंतर सहायक मौद्रिक नीति द्वारा मध्यम हो जाता है। इस प्रकार, यहाँ तक कि अत्यधिक खराब

स्थिति (आगामी 10 वर्षों तक 4 प्रतिशत की संवृद्धि दर के रूप में अनुमानित) में भी, **IRGD के भारत के लिए नकारात्मक रहने की संभावना है, जिससे ऋण की स्थिरता सुनिश्चित होती है।**

नीतिगत निहितार्थ (Policy Implications)

ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होगा कि राजकोषीय नीति को प्रति-चक्रीय बनाने की संभावना प्रदान की जाए।

शब्दावली	
धन प्रभाव (Wealth Effect)	धन प्रभाव व्यवहार संबंधी आर्थिक सिद्धांत है जो तर्क प्रस्तुत करता है कि **लोग अपनी परिसंपत्ति का मूल्य बढ़ने पर अधिक व्यय करते हैं**। विचार यह है कि उपभोक्ता अपने घरों या निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ने पर आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित व अपनी संपदा को लेकर आश्वस्त अनुभव करते हैं।
रोलओवर जोखिम (Rollover risk)	रोलओवर जोखिम **ऋण के पुनर्वित्तपोषण से संबद्ध जोखिम** है। रोलओवर जोखिम का सामान्यतया देशों और कंपनियों को तब सामना करना पड़ता है, जब कोई ऋण या अन्य ऋण दायित्व (जैसे- बॉण्ड) परिपक्क होने वाला होता है और उसे नए ऋण में परिवर्तित करने या रोलओवर करने की आवश्यकता होती है।

अध्याय एक नजर में
यह अध्याय स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि संवृद्धि भारतीय संदर्भ में ऋण स्थिरता को उत्पन्न करती है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह इसके विपरीत हो। इसका कारण यह है कि भारत सरकार द्वारा ऋण पर चुकाई जाने वाली ब्याज की दर मानदंड के अनुसार भारत की संवृद्धि दर से कम रही है।
इसी प्रकार का संबंध सामान्यतया अल्प संवृद्धि दर के साथ विकास करने वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करना कठिन है।
चूंकि भारत के लिए निकट भविष्य में IRGD नकारात्मक रहने की अपेक्षा है, इसलिए संवृद्धि को बढ़ावा देने वाली राजकोषीय नीति से ऋण-GDP अनुपात कम होगा न कि उच्च होगा।
सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि अधिक सक्रिय चक्रीय राजकोषीय नीति का आह्वान राजकोषीय गैर-जिम्मेदारी का आह्वान नहीं है। यह बौद्धिक बाध्यता के निराकरण का आह्वान है, जिसने राजकोषीय नीति के विरुद्ध असममित पूर्वाग्रह सृजित किया है।

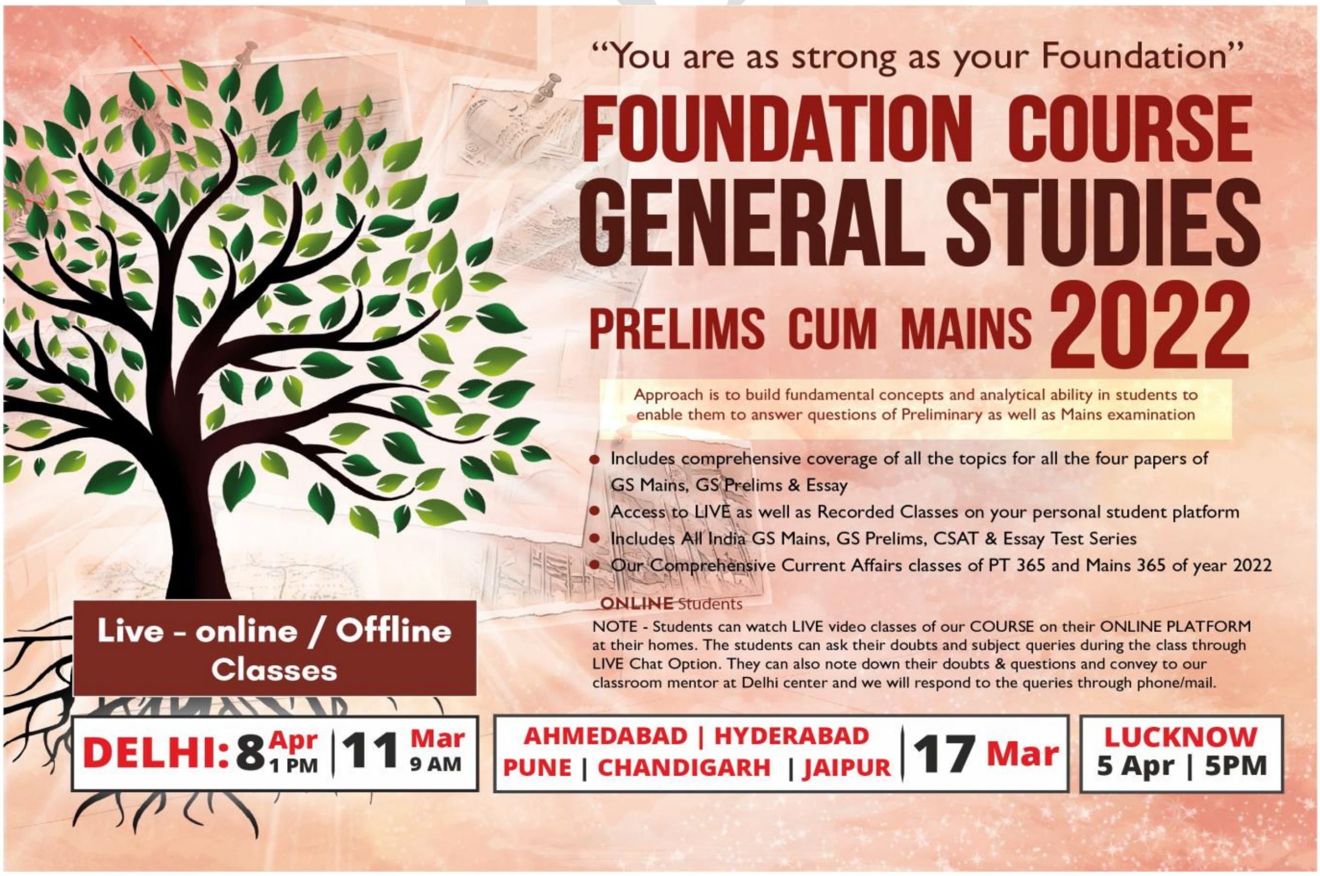

आर्थिक समीक्षा का सारांश

अध्याय 2

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. 'ब्याज दर संवृद्धि दर अंतर (IRGD)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IRGD अर्थव्यवस्था में सांकेतिक ब्याज दर और सांकेतिक वृद्धि दर के मध्य का अंतर होता है।
2. IRGD जितना अधिक सकारात्मक होगा, सरकार के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा।
3. पिछले ढाई दशकों के दौरान भारत में कभी भी नकारात्मक IRGD नहीं रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1, 2 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 1 और 3

Q2. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लिखित 'रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रपोजल (REP)' शब्दावली संबंधित है:

(a) संप्रभु सरकार की ऋण स्थिरता से
(b) उपभोक्ताओं के उपभोग संबंधी निर्णय से
(c) व्यापार चक्र की स्थिरता से
(d) आय असमानता से

Q3. सरकारों के द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनु-चक्रीय राजकोषीय नीति में, विस्तारवादी अवधि के दौरान सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करती है या करों में वृद्धि करती है।
2. प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति में, मंदी की अवधि के दौरान सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है या करों को कम करती है।
3. प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति से व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव कम होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. निजी निवेश के बहिर्गमन की परिघटना इस धारणा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में बचतों की आपूर्ति नियत होती है।
2. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आय में वृद्धि के साथ बचतों की आपूर्ति में विस्तार हो सकता है।
3. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से हमेशा निजी निवेश में कमी आती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 3
(c) केवल 1
(d) केवल 1 और 2

Q 5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'धन प्रभाव' की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है?

(a) परिवार की आय और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के साथ निजी बचतों में वृद्धि होती है।
(b) पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित संपत्ति के आर्थिक लाभ कुछ सुभेद्य वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को सीमित करते हैं।
(c) समृद्ध राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आय और संपत्ति की असमानता में भी वृद्धि होती है।
(d) उपभोक्ता अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर अधिक व्यय करते हैं।

Q6. 'राजकोषीय गुणकों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये अतिरिक्त रुपये के राजकोषीय व्यय से अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न समग्र प्रतिफल का प्रग्रहण करते हैं।
2. ये मंदी की अवधि की तुलना में आर्थिक विस्तार के दौरान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।
3. ये बाजार में तरलता की सीमा से प्रभावित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Q7. भारत की ऋण स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ब्रिक्स देशों के समूह में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के समग्र ऋण का स्तर सर्वाधिक है।
2. भारत के सार्वजनिक ऋण के स्तर में वर्ष 2003 से गिरावट आई है और यह वर्ष 2011 से स्थिर बना हुआ है।
3. भारत सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में, विदेशी ऋण की हिस्सेदारी घरेलू ऋण की तुलना में काफी अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1 'संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय व्यय' और ' समग्र ऋण का प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय मितव्ययिता' के मध्य निरंतर विरोधाभास क्यों विद्यमान है? साथ ही चर्चा कीजिए कि कैसे प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति इस संबंध में सहायता करती है।

Q.2. ब्याज दर संवृद्धि दर अंतर (IRGD) और ऋण स्थिरता के मध्य संबंध स्पष्ट करते हुए चर्चा कीजिए कि कैसे भारत में संवृद्धि, ऋण स्थिरता को जन्म देती है जबकि ऋण स्थिरता, संवृद्धि को नहीं।

अध्याय 3: क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूलतत्वों को दर्शाती है? नहीं! (Does India's Sovereign Credit Rating Reflect its Fundamentals? No!)

विषय-वस्तु

यह अध्याय **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ मौजूद पूर्वाग्रह** पर प्रकाश डालता है। यह GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की संवृद्धि दर, मुद्रास्फीति आदि जैसे अनेक मापदंडों पर विभिन्न देशों की संप्रभु रेटिंग की तुलना करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि **भारत के मूलतत्वों का व्यवस्थागत अल्प मूल्यांकन** इसकी निम्न रेटिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। यह इसके निहितार्थों की पहचान करता है और नीतिगत सुझाव देता है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं? (What are Sovereign Credit Ratings?)

- संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से यह सुनिश्चित होता है कि किसी बॉण्ड या ऋण-लिखतों को जारी करने वाला (अर्थात् निर्गमनकर्ता) अपने ऋण दायित्वों को पूर्ण करने में कितना सक्षम है। दूसरे शब्दों में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग निर्गमनकर्ताओं की ऋण दायित्वों को पूर्ण करने की क्षमता की मात्रा का निर्धारण करती है। अनुकूल होने पर, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग देशों को वैश्विक पूँजी बाजार और विदेशी निवेश तक पहुँच की सुविधा प्रदान कर सकती है। वैश्विक स्तर पर तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, यथा- **स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच।**
- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मोटे तौर पर या तो **निवेश ग्रेड** (investment grade) या **अनुमान ग्रेड** (speculative grade) के रूप में देशों की रेटिंग करती है, जिसमें बाद वाली श्रेणी **उधार पर व्यतिक्रम (डिफॉल्ट) की उच्च संभावनाओं** को दर्शाती है।
- वर्तमान में **S&P** और **मूडीज** ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को क्रमशः **BBB-** तथा **Baa3** की श्रेणी में रखा है।

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह (The Bias Against Emerging Giants in Sovereign Credit Ratings)

- संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को **निवेश ग्रेड (BBB- / Baa3)** के सबसे निचले पायदान पर कभी भी नहीं रखा गया है। हालांकि, चीन और भारत इस नियम के एकमात्र अपवाद हैं- **S&P और मूडीज द्वारा** चीन को वर्ष 2005 में क्रमश A- / A2 रेटिंग दी गई थी और अब भारत को BBB- / Baa3 रेटिंग दी गई है।
- **वर्तमान में इसी तरह की प्रवृत्ति अमेरिकी डॉलर में व्यक्त क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity: PPP) के संदर्भ में भी देखी जाती है।** वर्ष 1994 से, पहली बार PPP के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत) की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में तेजी से गिरावट आई है।

Figure 1: Sovereign Credit Rating of Fifth Largest Economy (Current US $)

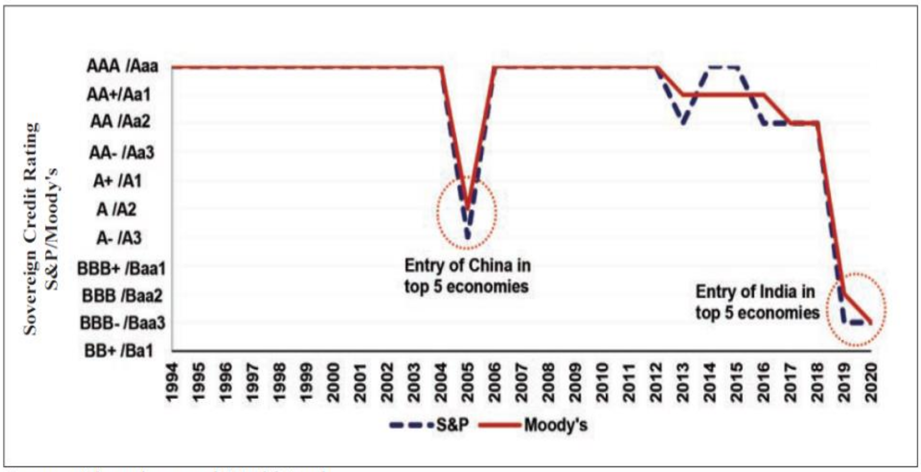

Source: Bloomberg and World Bank

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs) ऋण चुकाने की क्षमता और तत्परता में आए सुधार के बावजूद **समृद्ध देशों के सापेक्ष गरीब देशों की रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए अधिक अनिच्छुक रहती हैं।**

- **CRAs अक्सर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के दौरान "स्वदेशी पूर्वाग्रह" (Home bias) से ग्रसित पायी जाती हैं।** ऐसे देशों को उनके राजनीतिक एवं आर्थिक मूलतत्वों के आधार पर उचित से अधिक रेटिंग मिलती है। जो CRAs के मूल देश होते हैं या भाषाई और सांस्कृतिक समानता में उनके मूल देश के समान होते हैं अथवा उच्च होम-बैंक अनावृत्ति (higher home-bank exposures) वाले देश होते हैं उन्हें उचित से अधिक रेटिंग मिलती है।

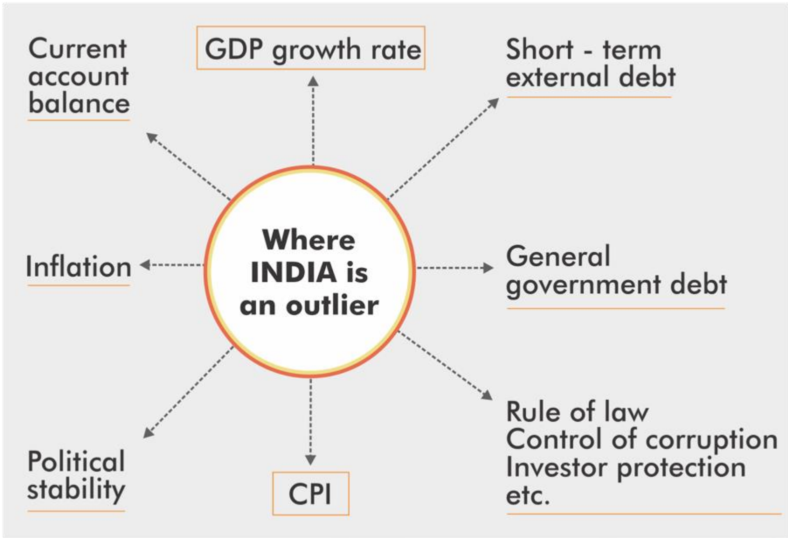

क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग इसके मूलतत्वो को प्रतिबिंबित करती है? (Does India's Sovereign Credit Rating Reflect Its Fundamentals?)

- हालांकि, सभी देशों में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग और उनकी GDP संवृद्धि दर के बीच सकारात्मक सहसंबंध देखा जाता है, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से इसका एक **नकारात्मक अपवाद** है। ज्ञातव्य है कि **GDP संवृद्धि दर के उच्च स्तर के बावजूद भारत की रेटिंग अपेक्षा से काफी नीचे की गई है।**
- साथ ही, **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI) की मुद्रास्फीति के बीच नकारात्मक सहसंबंध देखा जाता है।** हालांकि, भारत में CPI मुद्रास्फीति का जो स्तर है, उसके सापेक्ष इसकी अपेक्षा से काफी नीचे रेटिंग की गई है।
- इस प्रकार, भारत **कई मापदंडों पर स्पष्ट अपवाद है** (चित्र देखें)।
- इसके अलावा, **पूर्वाग्रही स्थिति न केवल अब बल्कि पिछले दो दशकों के दौरान भी रही है।** 1990 के दशक के अधिकांश वर्ष और 2000 के दशक के मध्य में, भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से वृद्धि के बावजूद भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग **अनुमान ग्रेड (speculative grade)** पर की गई थी।

Figure 5: Sovereign Credit Ratings and GDP Growth Annual (Per cent)

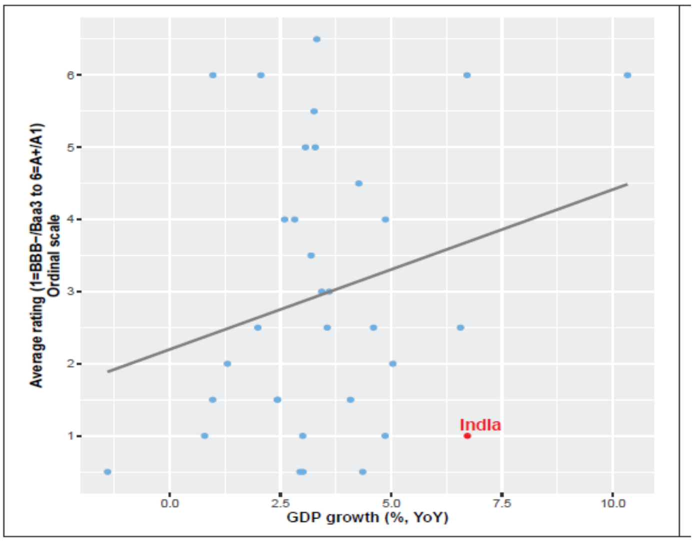

Source: Bloomberg and IMF

क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग इसकी भुगतान करने की तत्परता (Willingness) और क्षमता (Ability) को दर्शाती है?

चूंकि क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से डिफ़ॉल्ट की संभावना भी व्यक्त की जाती है। इसलिए यह **उधारकर्ता (ऋणी) की अपने दायित्वों को पूरा करने की तत्परता एवं क्षमता को प्रतिबिंबित करती है।**

- ऋणों या दायित्वों का भुगतान करने के संबंध में भारत की तत्परता, इसके **शून्य संप्रभु डिफ़ॉल्ट इतिहास** (अर्थात् इस मामले में भारत कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है) के माध्यम से निर्विवाद रूप से प्रदर्शित होती है। फिर भी, 1990 के बाद से संप्रभु डिफॉल्ट की अनावश्यक संभावना व्यक्त कर भारत की **अपेक्षा से काफी नीचे रेटिंग की गई है,** जिससे यह एक **नकारात्मक अपवाद** बन गया है।
- GDP के प्रतिशत के रूप में सितंबर 2020 में भारत का संप्रभु विदेशी ऋण (sovereign external debt) **4 प्रतिशत** था। इसके अतिरिक्त, भारत का **54 प्रतिशत** संप्रभु ऋण विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित था, जिसे बहुपक्षीय संस्थाओं और IMF से लिया गया था। अतः यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इसका भारत की क्रेडिट रेटिंग आकलन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा।

India: zero sovereign default history

Sovereign External DEBT	Proportion of GDP	Owed to Multilaterals & IMF
2020	4%	54% of such debt foreign currency denominated

- भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) जनवरी 2021 तक 584.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था, जबकि सितंबर 2020 तक **भारत का कुल विदेशी ऋण (external debt) (संप्रभु और गैर-संप्रभु) 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था अर्थात् भारत का कुल विदेशी ऋण इसके विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में कम है। इसके बावजूद, वर्ष 2000-20 की अवधि के दौरान भारत की अल्पकालिक विदेशी ऋण के इसके स्तर के लिए लगातार अपेक्षा से काफी नीचे रेटिंग की गई है।

चुनिंदा संकेतकों पर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन का प्रभाव (Effect of Sovereign Credit Rating Changes on Select Indicators)

- **रेटिंग डाउनग्रेड (दर्जा कम करना) का प्रभाव (Effect of ratings downgrade):**
    - इसका लघु, मध्यम और दीर्घकाल में **सेंसेक्स रिटर्न** (उछाल या गिरावट) और **विनिमय दर (exchange rate)** (रुपये / अमेरिकी डॉलर) के साथ किसी प्रकार का **मजबूत नकारात्मक सहसंबंध नही हैं।**
    - **सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (G-Sec yields) और स्प्रेड (कीमत-लागत अंतर)** का मध्यम अवधि में रेटिंग के डाउनग्रेड होने से कोई **नकारात्मक सह-संबद्ध नहीं हैं।**
    - हालांकि, रेटिंग डाउनग्रेड्स का दीर्घकाल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या FPI (इक्विटी और ऋण) **के साथ नकारात्मक सहसंबंध है।**
    - जब किसी देश के संप्रभु ऋण की रेटिंग को डाउनग्रेड किया जाता है, तो उक्त देश के सभी **ऋण लिखतों (debt instruments) की रेटिंग भी गिर जाती है।** ऐसे में जब वाणिज्यिक बैंकों की रेटिंग डाउनग्रेड होकर **उप-निवेश श्रेणी (sub investment grade)** में शामिल हो जाती है तो घरेलू निर्यातकों और आयातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त **लेटर ऑफ़ क्रेडिट (साख पत्र)** जारी करना महँगा हो जाता है। इससे संबंधित देश अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से अलग-थलग पड़ जाता है।
    - क्रेडिट रेटिंग अनुचक्रीयता (procyclicality अर्थात् आर्थिक चक्र के दौरान वित्तीय चर की प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव) का उभरती अर्थव्यवस्थाओं के **वित्तीय बाजार की अस्थिरता में योगदान देने का साक्ष्य है।**
    - CRAs ने पूर्वी एशियाई संकट वाले देशों की इनके बिगड़ते आर्थिक मूलतत्वों के लिए उचित से अधिक डाउनग्रेडिंग की थी। इससे इन देशों को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पूँजी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी।
- **रेटिंग अपग्रेड (दर्जा बढ़ाना) का प्रभाव (Effect of ratings upgrade):**
    - सेंसेक्स रिटर्न, विनिमय दर (रुपये/ अमेरिकी डॉलर) और FPI (इक्विटी और ऋण) के संबंध में रेटिंग अपग्रेड का **दीर्घकाल में सकारात्मक सह-संबद्ध** हैं।
    - वर्ष 1998-2018 के दौरान जिस वर्ष रेटिंग में अपग्रेड देखने को मिला उसके अगले वर्ष **FPI इक्विटी में 303 प्रतिशत** और **FPI ऋण में 578 प्रतिशत** की औसत दर से वृद्धि दर्ज हुई थी।

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के निर्धारक के रूप में समष्टि आर्थिक संकेतक (वर्ष 1998-2020 के दौरान) {Macroeconomic Indicators as Determinants of Sovereign Credit Rating Changes (During 1998-2020)}

- जिन वर्षों में भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई, उस दौरान समष्टि आर्थिक संकेतकों (यथा- GDP वृद्धि, राजकोषीय घाटा, सामान्य सरकारी ऋण, समग्र ऋण, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा) का औसत प्रदर्शन **पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर या समान था।** इन संकेतकों के औसत प्रदर्शन में **आगे और सुधार हुआ** या ये **समान** थे।
- हालांकि, **GDP वृद्धि में बदलाव और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के बीच कोई स्पष्ट प्रारूप** नहीं है।
- संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में सुधार (या अपग्रेड) पिछले वर्ष की तुलना में कम राजकोषीय घाटे वाले वर्षों में देखने को मिला।

नीतिगत सुझाव (Policy Suggestions)

- भारत की **राजकोषीय नीति** को पक्षपातपूर्ण और व्यक्ति-निष्ठ संप्रभु क्रेडिट रेटिंग द्वारा नियंत्रित होने के बजाय **वृद्धि और विकास के विचारों से निर्देशित होना चाहिए।**
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली में अंतर्निहित इस पूर्वाग्रह और व्यक्ति-निष्ठता को दूर करने के लिए **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं एक साथ आना चाहिए,** जिससे भविष्य में ऐसे संकट उत्पन्न न हो पाएं।
- **क्रेडिट रेटिंग की अनुचक्रीय (pro-cyclical) प्रकृति और अर्थव्यवस्थाओं,** विशेष रूप से कम रेटिंग की गई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं **पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव** को शीघ्रता से दूर किया जाना चाहिए।
- रेटिंग एजेंसियों को **पारदर्शिता में ठोस वृद्धि करने के लिए मजबूर** किया जाना चाहिए, जिसमें रेटिंग के 'वस्तुनिष्ठ' (objective) और 'व्यक्ति-निष्ठ' (subjective) घटकों, रेटिंग समितियों के कार्यवृत्त और वोटिंग रिकॉर्ड का एक अलग विश्लेषण प्रकाशित करना शामिल है।

शब्दावली	
अनुचक्रीय (Procyclical)	अनुचक्रीय ऐसी स्थिति है, जिसमें **मापनीय उत्पाद या सेवा (इस मामले में क्रेडिट रेटिंग) का व्यवहार और कार्य** अर्थव्यवस्था की चक्रीय स्थिति के साथ मिलकर चलता है। आर्थिक संकेतकों का अर्थव्यवस्था से निम्नलिखित में से किसी एक से संबंध हो सकता है: **अनुचक्रीय** (प्रो-साइक्लिक), **प्रति-चक्रीय** (संकेतक और अर्थव्यवस्था विपरीत दिशाओं में चलते हैं), या **चक्रीय** (संकेतक की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होती है)।

अध्याय एक नजर में
• संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रति व्यवस्थागत पूर्वाग्रह मौजूद है।
• भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग इसके मूलतत्वों को नहीं दर्शाती है।
• GDP की वृद्धि, मुद्रास्फीति जैसे कई मापदंडों में, भारत स्पष्ट रूप से नकारात्मक अपवाद है अर्थात, वर्तमान में इसकी अपेक्षा से काफी नीचे रेटिंग की गई है।
• भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग भुगतान करने की इसकी तत्परता और क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारत का **शून्य संप्रभु डिफ़ॉल्ट इतिहास** है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के कुल विदेशी ऋण (संप्रभु और गैर-संप्रभु) से अधिक है।
• क्रेडिट रेटिंग गिरने का FPI अंतर्वाह, अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों तक पहुँच, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता आदि जैसे मापदंडों पर प्रभाव पड़ता है।
• GDP वृद्धि में बदलाव और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन के बीच कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है।

- सुझाव:
  - राजकोषीय नीति संवृद्धि और विकास के विचारों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए,
  - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस पूर्वाग्रह एवं व्यक्ति-निष्ठता को दूर करने के लिए एक साथ आना चाहिए, तथा
  - रेटिंग एजेंसियों को पारदर्शिता में वृद्धि के लिए ठोस उपाय करने हेतु मजबूर किया जाना चाहिए।

अध्याय 3

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. 'संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SCR ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्गमकर्ताओं की क्षमता का परिमाण निर्धारित करने का प्रयास करता है।
2. अनुकूल SCR देशों को वैश्विक पूंजी बाजार और विदेशी निवेश तक पहुँच की सुविधा प्रदान कर सकता है।
3. यह आकलित किया गया है कि SCR के अनुमान ग्रेड पर उधारियों पर व्यतिक्रम की निम्नतर संभावना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 1 और 3

Q2. भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का संप्रभु विदेशी ऋण वर्ष 2020 में लगभग 4% था।
2. भारत का आधे से अधिक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित संप्रभु विदेशी ऋण बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया था।
3. जनवरी 2021 में, संप्रभु और गैर-संप्रभु ऋण सहित भारत का कुल विदेशी ऋण, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक हो गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

Q3. क्रेडिट रेटिंगों में परिवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR) में सुधार से उस देश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि हो सकती है।
2. इस रेटिंग में गिरावट से वाणिज्यिक बैंकों के लिए घरेलू निर्यातकों और आयातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साख-पत्र जारी करना महंगा हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q4. 'BBB-/Baa3' और 'A-/A2' पद संबंधित हैं:

(a) IP एड्रेस से

(b) निर्माण निर्गत से

(c) सामंजस्यपूर्ण उपभोक्ता मूल्य से

(d) संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ पक्षपात होता है? विशेष रूप से भारत को केंद्र में रखकर चर्चा कीजिए।

Q.2. संप्रभु क्रेडिट रेटिंग के तर्काधार को रेखांकित कीजिए। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में बदलावों के प्रभावों की चर्चा कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 4: असमानता और विकास: संघर्ष या अभिसरण (Inequality and Growth: Conflict or Convergence)

विषय-वस्तु

पूंजीवाद के वर्तमान में प्रचलित मॉडल में यह तर्क दिया जाता है कि असमानता (inequality) और संवृद्धि (growth) के मध्य संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी रहती है। यह अध्याय विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों के लिए इन संघर्षों की जांच करने एवं यह समझने का प्रयास करता है कि वे निर्धनता से किस प्रकार संबंधित हैं। इस विश्लेषण के आधार पर, यह सर्वेक्षण भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुरूप कार्रवाई का क्रम सुझाने का प्रयास करता है।

परिचय

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में यह तर्क दिया गया था कि नैतिक संपदा का सृजन (ethical wealth creation) - *भरोसे के साथ बाजार के अदृश्य हाथ को संयुक्त कर (by combining the invisible hand of markets with the hand of trust)*- भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए भावी परिदृश्य प्रदान करता है। लेकिन यह भावी परिदृश्य, संवृद्धि के साथ संभावित रूप से उभरने वाली असमानता की चिंता का समाधान नहीं करता है।

संवृद्धि, असमानता, और सामाजिक-आर्थिक परिणाम: भारत बनाम उन्नत अर्थव्यवस्था (Growth, Inequality, And Socio-Economic Outcomes: India Versus The Advanced Economies)

यह सर्वेक्षण, भारतीय राज्यों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक परिणामों के साथ संवृद्धि एवं असमानता के संबंधों का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण ने भारत और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मध्य निम्नलिखित भिन्नताओं को प्रदर्शित किया है:

- **असमानता और प्रति व्यक्ति आय (per capita incom) (जिसे एक प्रकार से संवृद्धि दर्शाने वाले संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है) दोनों में वृद्धि** का भारत में स्वास्थ्य परिणामों के सूचकांक के साथ धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में असमानता का स्वास्थ्य और सामाजिक परिणामों के सूचकांक के साथ नकारात्मक सहसंबंध होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के साथ धनात्मक सहसंबंध होता है।
    - शिक्षा, जीवन प्रत्याशा (life expectancy), शिशु मृत्यु दर (infant mortality rate) और अपराध सूचकांक जैसे संकेतकों में भी संबंधों का समान पैटर्न पाया गया है।
- भारतीय राज्यों में असमानता और प्रति व्यक्ति आय दोनों का ही मादक द्रव्यों के उपयोग के साथ दृढ़ता से कोई सहसंबंध नही पाया गया है। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में असमानता का मादक द्रव्यों के उपयोग के साथ दृढ़ता से सहसंबंध है।

हालांकि, प्रति व्यक्ति आय और असमानता के प्रभाव, भारतीय राज्यों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं दोनों में समान बने हुए हैं।

साथ ही, भारतीय राज्यों के आंतरिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि **असमानता और प्रति व्यक्ति आय का भारतीय राज्यों के सामाजिक-आर्थिक परिणामों के साथ एक समान सहसंबंध है, और असमानता के विभिन्न प्रकार एवं माप तथा अलग-अलग समयावधियों में, परिणाम समान बने रहते हैं।**

क्या उत्तम समानता इष्टतम है? (Is Perfect Equality Optimal?)

यह सर्वेक्षण तर्क प्रस्तुत करता है कि हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तम समानता वांछित नहीं हों, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्य, नवाचार और संपदा का सृजन करने के लिए व्यक्तियों के प्रोत्साहन को कम कर सकती है।

साथ ही, भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां संवृद्धि की क्षमता अधिक है और गरीबी कम करने की गुंजाइश भी महत्वपूर्ण है, वहां समग्र पाई {पाई (pie) का आशय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा सृजित मूल्य से है, सामान्यतया इसे GDP से संदर्भित किया जाता है} का विस्तार करके गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की नीति बेहतर है, क्योंकि पुनर्वितरण केवल तभी व्यवहार्य हो सकता है, जब आर्थिक पाई (economic pie) का आकार तेजी से बढ़े।

VISION IAS

असमानता या गरीबी? (Inequality or Poverty?)

असमानता का आशय परिसंपत्ति तथा आय (या उपभोग) के वितरण में अंतर या विषमता से है। दूसरी ओर, गरीबी या निर्धनता का आशय समाज के निचले तल (कम या शून्य आय वाले) पर स्थित लोगों की न्यून या शून्य संपत्ति तथा आय या उपभोग पर किए जाने वाले आवश्यकता से कम व्यय से है।

कई सिद्धांतों (जॉन राल्स के सिद्धांत सहित) और गरीबी पर किए गए प्रयोगों पर विचार करने के बाद, यह सर्वेक्षण इस मत का समर्थन करता है कि जब तक गरीबों की आय "पर्याप्त (adequate)" है, तब तक अमीरों की आय में वृद्धि से गरीबों के लाभान्वित नहीं होने की आवश्यकता को उचित माना जा सकता है। इस प्रकार परिणाम यह सुझाते हैं कि **असमानता की तुलना में (निरपेक्ष) गरीबी {(absolute) poverty} अधिक चिंता का विषय होनी चाहिए।** इस तथ्य तथा भारत के विकास के वर्तमान स्तर के संदर्भ में, **संवृद्धि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना भारत की आर्थिक रणनीति का केंद्रीय विषय होना चाहिए।**

भारत में गरीबी पर आर्थिक संवृद्धि और असमानता का सापेक्ष प्रभाव (Relative Impact of Economic Growth and Inequality on Poverty in India)

गरीबी पर आर्थिक संवृद्धि के प्रभाव तथा **गरीबी पर असमानता के प्रभाव** की तुलना करते समय, सर्वेक्षण ने यह पाया है कि - अधिक **आय** या **प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद {Per Capita Net State Domestic Product (NSDP)} वाले राज्यों में गरीबी की दर कम थी** और इसके विपरीत स्थिति में परिणाम भी विपरीत रहे। **हालांकि, असमानता और गरीबी के मध्य इस तरह का मजबूत संबंध अनुपस्थित है।**

ये निष्कर्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुरूप भी हैं। वर्ष 2000 में हुए विश्व बैंक के एक अध्ययन ने यह व्यक्त किया कि वर्ष 1970-1990 के दशक के दौरान भारत के लिए गरीबी में निरंतर गिरावट हासिल करना केवल तभी संभव हुआ, जब शुरुआती वर्षों में **GDP संवृद्धि दर 3.5 प्रतिशत से अधिक** हो गई थी। साथ ही, **माध्य उपभोग (mean consumption) में वृद्धि गरीबी में लगभग 87 प्रतिशत की संचयी गिरावट के लिए उत्तरदायी थी, जबकि पुनर्वितरण (redistribution) ने केवल 13 प्रतिशत का योगदान किया।**

शब्दावली	
गिनी गुणांक (Gini Coefficient)	गिनी गुणांक, जनसंख्या में आय के वितरण का एक माप है। यह प्रायः आर्थिक असमानता, आय वितरण या आमतौर पर कम तरीके से, जनसंख्या के बीच संपदा के वितरण को मापने के मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस गुणांक का मान 0 (या 0%) से 1 (या 100%) तक होता है, जिसमें 0 सर्वाधिक समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 सर्वाधिक असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। 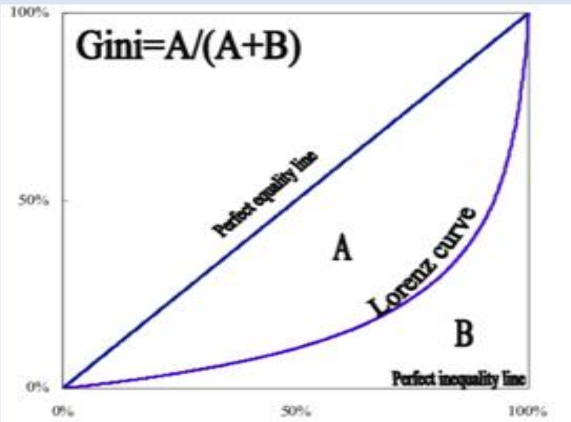

अध्याय एक नजर में
विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध की जांच करके, यह सर्वेक्षण यह उजागर करता है कि **आर्थिक संवृद्धि** - जैसा कि राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित होता है - और **असमानता,** के भारत के लिए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ एक जैसे संबंध हैं।
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभावों के संदर्भ में आर्थिक संवृद्धि और

असमानता का अभिसरण होता है।
असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर आर्थिक संवृद्धि का कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।
भारत के विकास के चरण के अनुरूप, समग्र पाई का विस्तार करके गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भारत को आर्थिक संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना अवश्य जारी रखना चाहिए।
सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पुनर्वितरणात्मक उद्देश्य (redistributive objectives) महत्वहीन हैं, बल्कि यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरण केवल तभी संभव है जब आर्थिक पाई का आकार बढ़े।

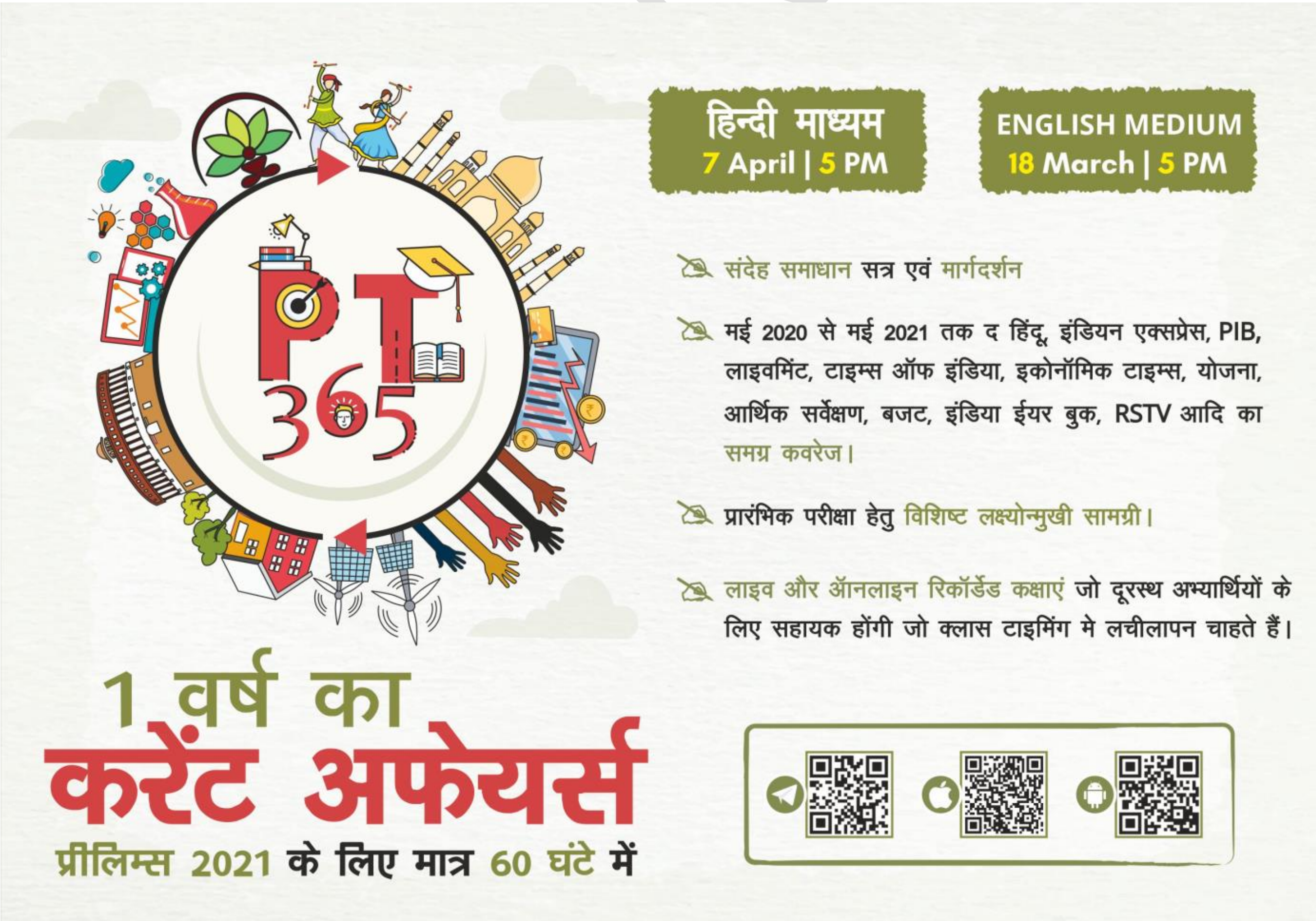

अध्याय 4

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. गिनी गुणांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आबादी में आय के वितरण का एक माप है।
2. गुणांक का 0 मान पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. असमानता और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि भारत में स्वास्थ्य परिणामों के सूचकांक के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है।
2. असमानता और प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्यों में सामाजिक-आर्थिक परिणामों के साथ समान रूप से सहसंबंधित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. असमानता परिसंपत्तियों, आय या उपभोग के वितरण में प्रकीर्णन की सीमा को संदर्भित करती है।
2. निर्धनता वितरण के सबसे निचले स्तर पर विद्यमान लोगों की परिसंपत्तियों, आय या उपभोग को संदर्भित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में 1970 से 1990 तक के दशकों के दौरान निर्धनता में निरंतर वृद्धि देखी गई।
2. भारत में, उच्चतर आय वाले राज्यों में निर्धनता की दर निम्न है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. **भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, स्पष्ट कीजिए कि आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त कार्रवाई क्या होनी चाहिए?**

Q.2. **आर्थिक संवृद्धि और असमानता के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए और निर्धनता पर इनके प्रभावों को रेखांकित कीजिए।**

Q.3. **भारतीय संदर्भ में, निरंतर आर्थिक संवृद्धि निर्धनता का उन्मूलन करने और असमानता को कम करने का सही तरीका है। चर्चा कीजिए।**

Q.4. **भारत में आर्थिक संवृद्धि के लाभों का उपभोग बहुसंख्यक आबादी की कीमत पर केवल कुछ ही लोगों द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में असमानता में वृद्धि हुई है। क्या आप सहमत हैं?**

VISION IAS

अध्याय 5: अंततोगत्वा हेल्थकेयर ने अहम् स्थान पा लिया! (Healthcare Takes Centre Stage, Finally!)

विषय-वस्तु

यह अध्याय स्वास्थ्य देखभाल (healthcare) क्षेत्रक के महत्व और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ इसके परस्पर संबंधों को दर्शाता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण, इस अध्याय में **निम्नलिखित 5 प्रमुख पहलुओं को रेखांकित करता है:**

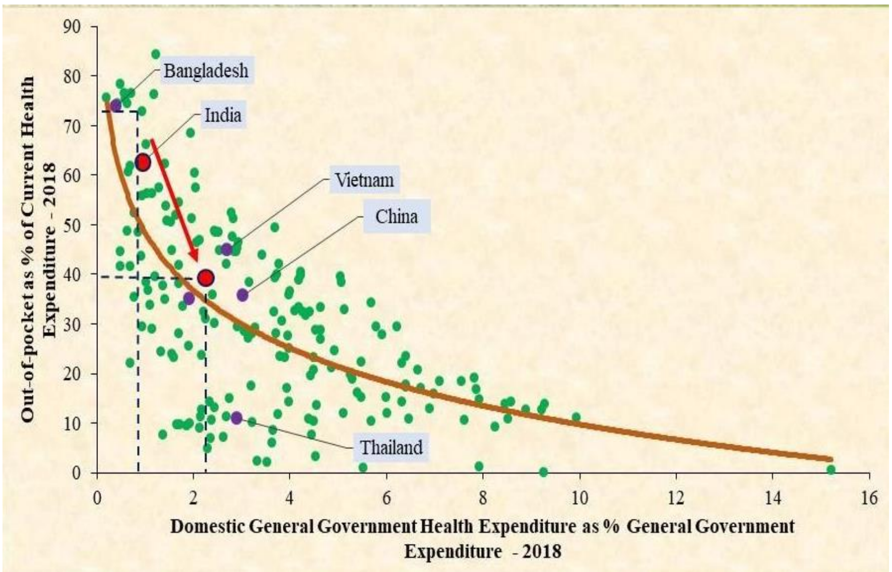

- भारत को भविष्य की महामारियों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को सुदृढ बनाना होगा।** साथ ही, **स्वास्थ्य देखभाल नीति को "सामर्थ्य पूर्वाग्रह (saliency bias)" के प्रति अनुग्रहित (beholden अर्थात् कृतज्ञ) नहीं होना चाहिए,** जहां नीति हाल की घटना को अत्यधिक महत्व देती है। यह एक सिक्स-सिग्मा ईवेंट (दुर्लभ घटना) को प्रदर्शित कर सकता है तथा यह हो सकता है भविष्य में यह घटना इस रूप में दोबारा न हो।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश करके **टेलीमेडिसिन का पूर्ण रूप से दोहन करने की आवश्यकता है।**
- आयुष्मान भारत के साथ संयुक्त कर, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) पर बल दिया जाना जारी रहना चाहिए,** क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त असमानता को कम करने में NHM ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यदि **स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1% से बढ़ाकर 2.5% - 3% तक कर दिया जाए** तो समग्र स्वास्थ्य व्यय पर क्षमता से अधिक खर्च (out of pocket expenditure) को 65 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा सकता है।
- **नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं, जो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सूचना विषमता को कम करे,** जिनके कारण बाजार में विफलताएं होती हैं और अनियमित निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक कम गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि नागरिकों को एक समानता आधारित, सस्ती और जवाबदेह स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच की आवश्यकता है। यह हाल ही में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता को रेखांकित करता है।

स्वास्थ्य-देखभाल व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का संबंध (Healthcare system and Economy relationship)

निम्न स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की उत्पादकता के साथ-साथ बीमार व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ भी डालता है, जिससे घरेलू आर्थिक संवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इन दोनों के मध्य संबंध को निम्नानुसार समझा जा सकता है:

- **स्वास्थ्य देखभाल बजट (healthcare budgets) को अधिक प्राथमिकता देने से** आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय के कारण उपजी वित्तीय कठिनाइयों के प्रति नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होता है।
- **किसी देश में जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (per-capita public health expenditure) के साथ सकारात्मक रूप से संबद्ध है।** उदाहरण के लिए, जीवन प्रत्याशा के 50 से बढ़कर 70 वर्ष (40% की वृद्धि) हो जाने से आर्थिक संवृद्धि की दर में प्रति वर्ष 1.4 प्रतिशत अंक तक की वृद्धि हो सकती है।
- **मातृ मृत्यु दर** प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ **नकारात्मक रूप से संबंधित है।**

VISION

बाजार की महत्वपूर्ण विफलताओं को देखते हुए, स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली की रूपरेखा का निर्धारण सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है

सर्वेक्षण से पता चलता है कि निम्नलिखित तीन प्रमुख अंतर्निहित और अपरिवर्तनीय विशेषताओं के कारण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, मुक्त बाजारों के बल का उपयोग करके स्वयं को व्यवस्थित नहीं करती है:

i. मांग की अनिश्चितता/ परिवर्तनशीलता (uncertainty/variability of demand);

ii. सूचना विषमता (information asymmetry); तथा

iii. अतिशयोक्तिपूर्ण प्रवृत्ति (hyperbolic tendencies)।

- **मांग की अनिश्चितता/ परिवर्तनशीलता:** अनिश्चितता इस तथ्य में निहित है कि स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता अक्सर उन कारकों द्वारा संचालित होती है, जिन्हें नियंत्रित या पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता है। यह मांग की प्रकृति के साथ भी संबद्ध है, जो विशेष रूप से आपातकालीन देखभाल के लिए मूल्य निरपेक्ष है।
- **सूचना विषमता (Information asymmetry):**
  - स्वास्थ्य सेवा बाजारों में, जानकारी के क्रेता (रोगी) कदाचित ही इन्हें क्रय करने के पहले तक **जानकारी के महत्व को जानते हैं** और कई बार तो वे इन सूचनाओं को क्रय करने के बाद भी इनके महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति डर्मेटोलॉजी (अर्थात्, त्वचा की देखभाल) जैसी स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाते हैं, तो वे आसानी से परिणाम का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकते हैं। जबकि, कुछ सेवाओं जैसे कि निवारक देखभाल और/ या मानसिक स्वास्थ्य के मामले में रोगियों को सुनिश्चित तौर पर कभी भी यह पता नहीं चल सकता है कि उनके सेवा प्रदाता ने अच्छा काम किया है या नहीं।
  - **जब खरीद से पहले किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है,** और उत्पाद की गुणवत्ता अनिश्चित होती है, तो एक असंगठित बाजार में उस उत्पाद की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर तक जा सकती है।
- **अतिशयोक्तिपूर्ण प्रवृत्ति (Hyperbolic tendencies):** लोग जोखिम भरा व्यवहार करने लगते हैं, जो उनके स्वयं के हित में नहीं होता। उदाहरण के लिए, धूम्रपान करना, अस्वास्थ्यकर भोजन ग्रहण करना, देखभाल करने में देरी आदि। ऐसा व्यक्तिगत

संचारी रोग बनाम गैर-संचारी रोग {Communicable diseases vs Non-communicable diseases (NCDs)}

- कोविड-19 महामारी के बाद, देश की स्वास्थ्य देखभाल नीति को **संचारी और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के सापेक्ष महत्व** देने हेतु निर्णय लिया जाना चाहिए।
- कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, क्योंकि यह एक संचारी रोग है, जबकि विश्व भर में 71% मौतें और **भारत में लगभग 65% मौतें गैर-संचारी रोगों (NCDs) के कारण होती हैं।**
  - वर्ष 1990 से वर्ष 2016 के बीच, **सभी मौतों में NCDs का योगदान 37% से बढ़कर 61% हो गया।**
- ऐसी विनाशकारी महामारी का सामना कर रहीं **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिकाधिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय द्वारा निर्मित अवसंरचना** भी महामारी से उत्पन्न रोग के बोझ से नहीं निपट सकी।
- बेहतर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की ओर इंगित करने वाले **प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय के संबंध में कुल मामलों और मौतों** के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा गया।
- **इसलिए, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना यह सुनिश्चित नहीं करती है कि कोई देश कोविड-19 जैसी विनाशकारी महामारी से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगा।**
- चूंकि अगला स्वास्थ्य संकट संभवतः कोविड-19 से काफी अलग हो सकता है, इसलिए **संचारी रोगों पर विशेष ध्यान देने की बजाय सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।**

Figure 4 (Panel a): Proportion of communicable and non-communicable diseases in India

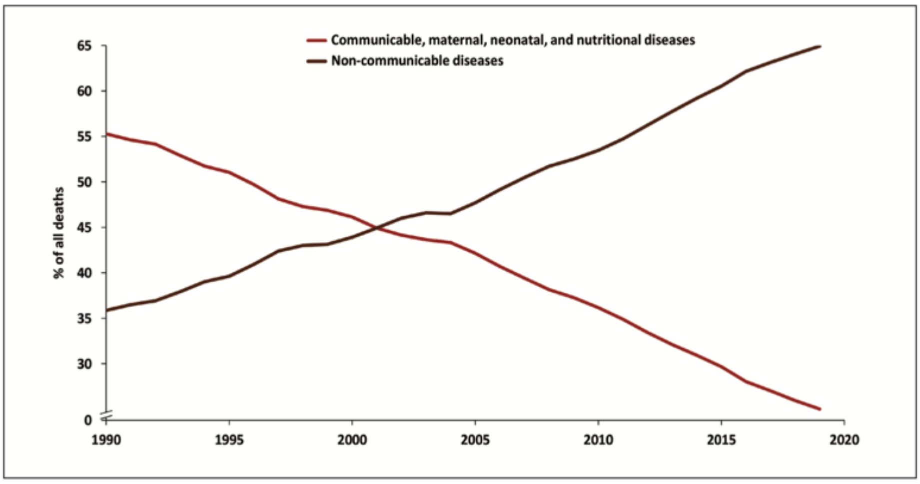

Source: Global Burden of Diseases (2019)

व्यवहार न केवल व्यक्ति के लिए अनुचित हो सकता है, बल्कि **उच्च लागत और अप्रिय परिणामों के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के लिए नकारात्मक बाह्यताएं (negative externalities) भी उत्पन्न कर सकता है।**

इसलिए, किसी भी सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रूपरेखा इन अंतर्निहित विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अधिक खंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले देशों में अग्रलिखित समस्याएं देखने को मिलती हैं- उच्च लागत, निम्न दक्षता, खराब गुणवत्ता, कमजोर निष्पादन आदि। इसलिए, स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण के अतिरिक्त **सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका, स्वास्थ्य देखभाल (हेल्थकेयर) बाजार की संरचना को सक्रिय रूप से आकार देना भी है।**

वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति

<table>
<tr><td colspan="2">किसी भी देश की स्वास्थ्य स्थिति मुख्यतः सामान्य स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध मानव संसाधन पर निर्भर करती है।
स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के बावजूद, भारत अन्य निम्न और निम्न मध्यम आय (Lower Middle Income Countries: LMIC) वाले देशों की तुलना में अब भी निचले पायदान से थोड़ा ऊपर है। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच के संदर्भ में भारत 180 देशों में 145वें स्थान पर था (ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी- 2016)। केवल उप-सहारा क्षेत्र के कुछ देशों, प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपीय देशों, नेपाल और पाकिस्तान को ही भारत से नीचे स्थान प्राप्त हुआ था।</td></tr>
<tr><td>खराब स्वास्थ्य परिणाम (Poor health outcomes)</td><td>मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio: MMR) और शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR) में सुधार के बावजूद, भारत को अभी भी इन संकेतकों में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। चीन, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया जैसे देशों ने भारत की तुलना में इन संकेतकों पर बहुत अधिक सुधार किया है।</td></tr>
<tr><td>निम्नस्तरीय पहुंच और उपयोगिता (Low access and utilisation)</td><td>भारत में अस्पताल में भर्ती होने की दर (3-4%) विश्व में सबसे कम है; मध्यम आय वाले देशों में यह औसत 8-9% और OECD देशों (OECD सांख्यिकी) में 13-17% है। अस्पताल में भर्ती की निम्न दर भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक बाधित पहुंच और उसके कम उपयोग की ओर इंगित करती है।</td></tr>
<tr><td>क्षमता से अधिक उच्च स्वास्थ्य व्यय {High Out-Of-Pocket health Expenditures (OOPE)}</td><td>• भारत में स्वास्थ्य देखभाल हेतु OOPE विश्व के उच्चतम स्तरों में एक है।

Figure 7: Comparison of Health Expenditure across different regions
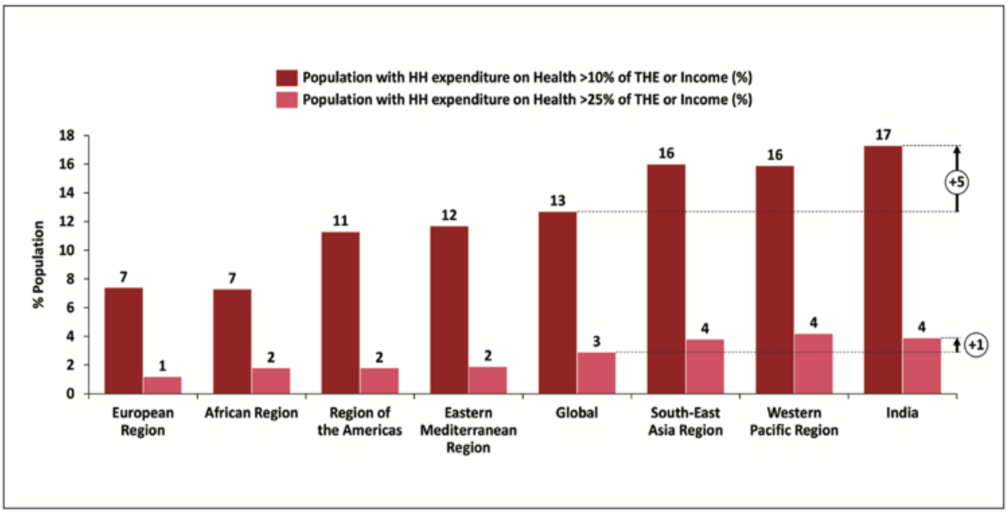
Source: World Health Statistics 2020
• हालांकि, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक सब्सिडी के वितरण से निर्धनों के पक्ष में सुधार हुआ है और यह प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
• हाल के समय में, सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से सर्वाधिक निर्धनवर्ग द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल के उपयोग का प्रतिशत वर्ष 2004 के 19.9% से बढ़कर वर्ष 2018 में 24.7% हो गया और संस्थागत</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">प्रसव के साथ-साथ प्रसवोत्तर देखभाल तक निर्धनों की पहुंच के प्रतिशत में भी लगभग समान वृद्धि हुई है।</td></tr>
<tr><td>स्वास्थ्य सेवा के लिए कम बजट का आबंटन (Low budget allocations for healthcare)</td><td colspan="2">
चूंकि भारत में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए जब स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय की बात की जाती है तो इस पर राज्यों द्वारा किया जाने वाला व्यय सर्वाधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, 2017 के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय का 66% बजट राज्यों द्वारा प्रदान किया जाता है।
अपने सरकारी बजटों (समेकित तौर पर संघ और राज्य सरकारें) में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के मामले में भारत 189 देशों में से 179वें स्थान पर है।
स्वास्थ्य देखभाल पर राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यय सभी राज्यों में अत्यधिक भिन्न है और राज्य की आय के स्तर से यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है।

जहाँ प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product: GSDP) में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल व्यय में भी वृद्धि होती है, वहीं प्रति व्यक्ति GSDP में वृद्धि के साथ GSDP के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल हेतु किया जाने वाला व्यय घट जाता है। इस प्रकार, धनी राज्य स्वास्थ्य देखभाल पर अपने GSDP का कम अनुपात खर्च कर रहे हैं।
जिन राज्यों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय अधिक होता है, उनमें आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कम होता है, जो वैश्विक स्तर पर भी सही है। इसलिए, OOPE को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर उच्च सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता है।

सार्वजनिक व्यय में 2.5-3% की वृद्धि मौजूदा 60% OOPE को घटाकर 30% तक कर सकती है। इसलिए, समृद्ध राज्यों को विशेष रूप से GDP के प्रतिशत के रूप में 2.5-3% तक स्वास्थ्य देखभाल व्यय बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कम उपलब्धता (Low human resources for health)</td><td>विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार</td><td>भारत में स्थिति</td></tr>
<tr><td>
वर्ष 2030 तक कंपोजिट SDG ट्रेसर संकेतक सूचकांक प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सकल घनत्व प्रति 10,000 जनसंख्या पर 44.5 और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य पर्याप्त कौशल-मिश्रण होना चाहिए।
कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की देखरेख में 80% जन्म के मामलों की स्थिति प्राप्त करने हेतु प्रति
</td><td>
कौशल मिश्रण {डॉक्टर/ नर्स- मिडवाइव्स (प्रसाविका) का अनुपात}) पर्याप्त स्तर से भी बहुत दूर है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सघनता और कौशल मिश्रण में राज्य-स्तरीय विविधताएं यह दर्शाती हैं कि केरल और जम्मू और कश्मीर में डॉक्टरों का उच्च घनत्व है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नर्सों और प्रसाविकाओं की एक बड़ी संख्या है, किंतु डॉक्टरों की सघनता बहुत कम है।
हालांकि, भारत में स्वास्थ्य के लिए सकल मानव संसाधन का घनत्व 23 (प्रति 10,000 जनसंख्या में) की निचली सीमा के समीप है, किंतु राज्यों में स्वास्थ्य

Figure 13: Density of doctors and Nurses/Midwives in different Indian states
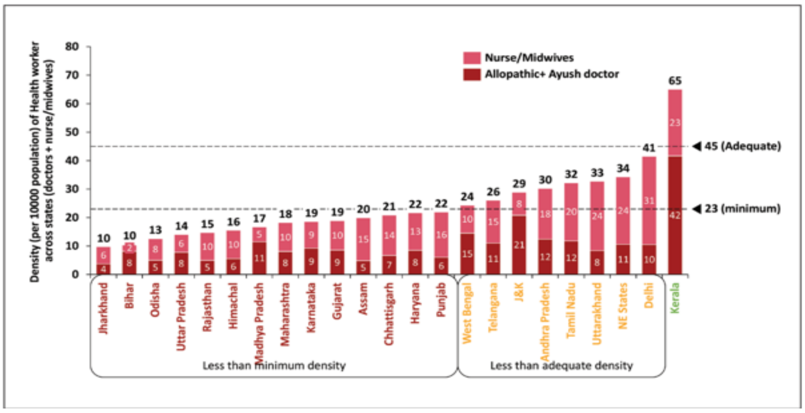

कर्मचारियों का वितरण एकतरफा है।</td></tr>
</table>

आर्थिक समीक्षा का सारांश

	10,000 जनसंख्या पर 23 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता की निचली श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है।	

किसी उद्योग में अविनियमित निजी उद्यम की उपस्थिति, बाजार की विफलता के जोखिम को बढ़ाती है

- जहां सार्वजनिक संस्थानों की हिस्सेदारी अस्पताल और बाह्य रोगी देखभाल, दोनों में बढ़ी है, वहीं **भारत में कुल स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में निजी क्षेत्र का वर्चस्व है।**
- शहरी भारत में लगभग **74% गैर-भर्ती रोगियों की देखभाल** और **65% अस्पताल में भर्ती रोगियों** की देखभाल **निजी क्षेत्र के माध्यम से** प्रदान की जाती है।
- **भारत में निजी क्षेत्र में उपचार की गुणवत्ता** सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में **बेहतर नहीं भी हो सकती है।**
- तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्र में **सूचना विषमताओं से उपजी महत्वपूर्ण बाजार विफलताएं** ऊपर वर्णित की गई हैं। इसलिए, **अविनियमित निजी उद्यम, महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।**

Figure 16: Poor care quality leads to more deaths than insufficient access to healthcare

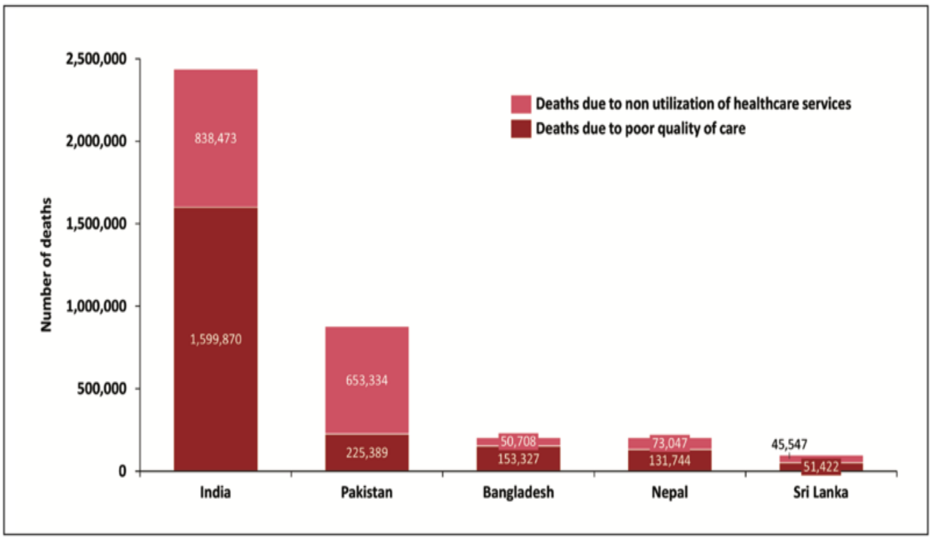

  - उदाहरण के लिए, **सार्वजनिक अस्पतालों (0.61%) की तुलना में निजी अस्पतालों (3.84%) में नवजात प्रक्रियाओं (neonatal procedures) के दौरान मृत्यु दर बहुत अधिक है।**
- असंगठित निजी उद्यम को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अल्प- इष्टतम बनाने वाली सूचना की विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए **स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण का उत्तदायित्व वहन करने वाले एक क्षेत्रीय नियामक के गठन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।**

नीतिगत सुझाव

- **केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को** सरकार के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के पूरक के लिए एक मिशन के तौर पर **टेलीमेडिसिन में निवेश करने की आवश्यकता है,** ताकि इस तरह आम जनता तक इसकी अधिक-से-अधिक पहुंच को सक्षम किया जा सके।
- आयुष्मान भारत के साथ संयुक्त कर **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए,** क्योंकि NHM ने स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **स्वास्थ्य देखभाल पर GDP के 2.5-3% तक व्यय करने से,** समग्र स्वास्थ्य देखभाल खर्च में आउट ऑफ़ पॉकेट खर्च 65% से घटकर 30% पर आ सकता है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में परिकल्पित)।
- चूंकि भारत में स्वास्थ्य देखभाल के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में **सूचना विषमता (information asymmetry) को कम करना** महत्वपूर्ण है, जो बाजार में

विफलताएं उत्पन्न करती है। इस तरह अविनियमित निजी स्वास्थ्य देखभाल की निम्न गुणवत्ता वाली सेवाएं लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए, सूचना उपयोगिताएं जो सूचना विषमता को कम करने में मदद करती हैं, समग्र कल्याण को बढ़ाने में बहुत उपयोगी हो सकती हैं।

- वर्ष 2004 में यूनाइटेड किंगडम में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (National Health Service: NHS) द्वारा शुरू की गई गुणवत्ता और परिणाम रूपरेखा (Quality and Outcomes Framework: QOF)** इस संदर्भ में एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- सूचना की विषमता को संबोधित करने से **बीमा-किस्तों को कम करने में भी मदद मिल सकती है,** बेहतर उत्पादों को प्रस्तुत किया जा सकता है और **देश में बीमा की पैठ (insurance penetration) बढ़ाने में मदद मिल सकती है।**

* **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के डेटा** को **रोगियों के संबंध में सूचना विषमता को कम करने के लिए** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की सहायता से डेटा गोपनीयता ढांचे के भीतर भी उपयोग किया जा सकता है।

टेलीमेडिसिन

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से भारत में टेलीमेडिसिन की स्वीकार्यता में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है।
- ऐसा संभवतः भारत में लॉकडाउन लागू करने तथा **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस, 2020** जारी करने के साथ हुआ।
- **ई-संजीवनी (eSanjeevani) ओ.पी.डी. (मरीज-से-डॉक्टर टेली-परामर्श प्रणाली)** ने अप्रैल 2020 में शुरू होने के बाद से लगभग एक लाख परामर्श रिकॉर्ड किए हैं। **प्रैक्टो द्वारा भी इसी तरह की वृद्धि दर्ज की गई थी,** जिसमें केवल तीन महीनों में ऑनलाइन परामर्श में 500% की वृद्धि का उल्लेख किया गया था।
- टेलीमेडिसिन परामर्श की संख्या किसी **राज्य में इंटरनेट की पहुंच के साथ दृढ़ता से संबंधित** है।
- विशेष रूप से, **इंटरनेट एक्सेस में निवेश करने से टेलीमेडिसिन का अधिक उपयोग हो सकता है,** जो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उपयोग में भौगोलिक विषमताओं को कम करने में बहुत मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

हालिया कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य संकट एक आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल गया। इसे ध्यान में रखते हुए और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सतत विकास लक्ष्य (SDG) को प्राप्त करने के प्रयास में, भारत को देश में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत की स्वास्थ्य देखभाल नीति को अपनी दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते रहना चाहिए। इसके साथ ही, भारत को महामारियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए, **स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना चाहिए।**

शब्दावली	
आउट ऑफ़ पॉकेट भुगतान	• इसे स्वास्थ्य सेवा के उपयोग के समय **लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वालों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष भुगतान** के रूप में परिभाषित किया जाता है। • इसमें **स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई भी पूर्व-भुगतान शामिल नहीं होता** है, उदाहरण के लिए- करों या विशिष्ट बीमा प्रीमियम या योगदान आदि के रूप में किया जाने वाला भुगतान।
मुक्त बाजार (Free markets)	• एक मुक्त बाजार एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली है जो सरकारी नियंत्रणों द्वारा विनियमित बाजार के विपरीत **आपूर्ति और मांग जैसे बाजार के कारकों द्वारा नियंत्रित** होती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)	• अपने दो उप-मिशनों - **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission: NRHM)** और **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission: NUHM)** - के साथ, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। • यह अपने **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता** करता है, ताकि न्यायसंगत, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके।
ई-संजीवनी (eSanjeevani)	• यह एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म व ब्राउजर-आधारित एप्लिकेशन है, जिसमें **डॉक्टर-से-डॉक्टर और रोगी-से-डॉक्टर टेली-परामर्श, दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध हैं।**

अध्याय एक नजर में
• हालिया कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के महत्व और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ इसके परस्पर संबंधों पर जोर दिया है।
• निम्न स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की उत्पादकता के साथ-साथ बीमार व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ भी डालता है, जिससे घरेलू आर्थिक संवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।
• स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य देखभाल सेवा को वित्त पोषण प्रदान करने के अलावा, सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य देखभाल बाजार की संरचना को सक्रिय रूप से आकार देना भी है।
• स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और इसकी गुणवत्ता के संदर्भ में भारत का खराब प्रदर्शन बना हुआ है।
• क्षेत्रीय नियामक, जो स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करता है, पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि देखा जा सकता है कि प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के साथ-साथ संस्थागत प्रसव तक गरीबों की पहुंच में काफी वृद्धि हुई है।
• स्वास्थ्य देखभाल पर GDP के 2.5-3% तक व्यय करने से, समग्र स्वास्थ्य देखभाल खर्च में आउट ऑफ़ पॉकेट खर्च 65% से घटकर 30% पर आ सकता है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में परिकल्पित)।
• इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश करके टेलीमेडिसिन का पूर्ण रूप से दोहन करने की आवश्यकता है।

अध्याय 5

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर स्वास्थ्य कर्मियों का अनुमानित कुल घनत्व 50 से कम है।

2. संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है।

3. वैश्विक स्तर पर भारत में स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला व्यय सबसे निम्नतम स्तर पर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1और 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

2. यह राज्यों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करने में सहायता करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. 'e-संजीवनी' है:

(a) वेब-आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान

(b) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित मौसम निगरानी ऐप

(c) स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण या वस्त्र

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q4. वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बजट में स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता में वृद्धि नागरिकों को वित्तीय कठिनाइयों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करती है।

2. किसी देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होती है।

3. मातृ मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

VISION IAS

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q5. गैर-संचारी रोगों (NCD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में सभी मौतों में से 30% से कम मौतें NCD के कारण होती हैं।

2. वर्ष 1990 और 2016 के दौरान सभी मौतों में NCD के योगदान में तीव्रता से गिरावट हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के बावजूद भारत का अन्य निम्न तथा निम्न मध्यम आय (LMIC) वाले देशों की तुलना में निम्न प्रदर्शन जारी है। इन समस्याओं का समाधान करने और भारत में स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

Q2. स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रकों में सरकार की भूमिका को कमजोर नहीं किया जाना क्योंकि ऐसे क्षेत्रक अपनी अंतर्निहित विसंगतियों के कारण बाजार की विफलता के प्रति प्रवण होते हैं। चर्चा कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 6: प्रक्रिया सुधार: अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने को सक्षम करना (Process Reforms: Enabling Decision-Making Under Uncertainty)

विषय-वस्तु

यह अध्याय भारत में अति विनियमन (over regulation) की समस्या और नीतिगत स्तर में निर्णयन प्रक्रिया पर इसके परिणामी प्रभाव का विश्लेषण करता है। विश्लेषणों के माध्यम से, इस अध्याय में पारदर्शिता के साथ नियामक तंत्र को संतुलित करने के उपाय सुझाए गए हैं, जो सरकार के लिए कुशलता पूर्ण निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं।

विनियामकीय प्रभावशीलता की समस्या (The problem of regulatory effectiveness)

- **इस सर्वेक्षण में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि भारत में विनियामकीय समस्याएं नियामक मानकों की कमी और निम्नस्तरीय अनुपालन के कारण नहीं हैं, बल्कि गुणवत्ता की कमी एवं नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के कारण हैं।**
  - वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के **'वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स'** के अनुसार- **'प्रशासनिक कार्यवाहियों में उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन'** श्रेणी में भारत की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है (वर्ष 2015 के 75वें स्थान से वर्ष 2020 में 45वां स्थान); लेकिन **'विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों में लगने वाले समय'** की श्रेणी में इसकी रैंकिंग कम है।

Figure 2: Cross country comparison of regulatory quality (as of 2019)

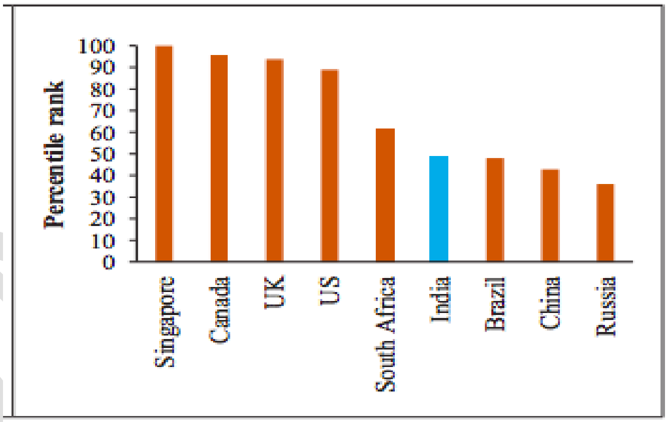

  - इसी तरह, **विश्व बैंक की व्यवसाय करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)** रिपोर्ट में उप-श्रेणियों **'व्यवसाय शुरू करना'** (Starting a business) और **'संपत्ति का पंजीकरण करवाना'** (Registering Property) में भारत की कम रैंकिंग, प्रक्रियाओं की संख्या अधिक होने के साथ ही प्रत्येक प्रक्रिया को पूरा करने में बहुत अधिक समय और लागत के कारण भी है।
- विभिन्न साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि **भारत में अर्थव्यवस्था को आवश्यकता से अधिक नियंत्रित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है।**
  - भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) द्वारा किया गया एक अध्ययन यह दर्शाता है कि **भारत में किसी कंपनी (जो किसी भी मुकदमेबाजी या विवाद में शामिल नहीं है) के स्वैच्छिक परिसमापन (voluntary liquidation)** के लिए लगने वाला समय 1,570 दिन है, जबकि सिंगापुर में यह 1 वर्ष, जर्मनी में 1-2 वर्ष और ब्रिटेन में 15 महीने है।

अधूरे नियमों की अनिवार्यता (The Inevitability of Incomplete Regulations)

- सर्वेक्षण यह तर्क देता है कि **अति विनियमन (over-regulation) की समस्या का मूल कारण** अनिश्चितता की दुनिया में अधूरे अनुबंधों और विनियमों की अनिवार्यता को मान्यता नहीं देने से उपजी है।
- जटिल नियम एवं विनियम, **पर्यवेक्षण अधिकारियों को अत्यधिक और अपारदर्शी विवेक का उपयोग करने की ओर अग्रसर करते हैं,** क्योंकि उनकी व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है।

विनियामकीय चूक की समस्या (The Problem of Regulatory Default)

विनियमों को मापदंड और चेकलिस्ट के माध्यम से आसानी से मापा जा सकता है, जबकि पर्यवेक्षण की मात्रा एवं गुणवत्ता की मात्रा बताना मुश्किल होता है। इस प्रकार नियामक और निर्णय-निर्माताओं में स्वाभाविक रूप से पर्यवेक्षण को यांत्रिक विनियमों से स्थानापन्न करने की प्रवृत्ति होती है और वे विवेकाधिकार उपलब्ध होने पर भी विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती है:

- **विनियामकीय मध्यस्थता (Regulatory Arbitrage) की वृद्धि:** समय के साथ नियमों की संख्या बढ़ते जाने से उनकी प्रभावहीनता बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, बैंक विनियमों में वृद्धि से बाजार गतिविधि "छाया बैंकों" (shadow banks) (जिन्हें 'गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ' भी कहा जाता है) की और चली गई है, जो कम विनियमित और कम पारदर्शी हैं।
- **संसाधन और समय की बर्बादी:** बहुत ज्यादा विनियम होने से, **सरकारी विभाग बाद में किसी भी पूछताछ को कम करने के लिए डिफ़ॉल्ट तौर पर आधिकारिक निर्णय का पालन करते हैं।** उदाहरण के लिए, सरकारी विभागों द्वारा उच्च न्यायालयों या अधिकरणों में प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ नियमित अपील की जाती हैं, भले ही मुकदमेबाजी की सफलता दर 27% जितनी बहुत कम है।

भारत के विनियामकीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना:** सार्वजनिक खरीद के लिए वर्ष 2016 में स्थापित **सरकारी ई मार्केटप्लेस (Government e Marketplace: GeM) पोर्टल** से पहले की तुलना में कीमतों में कम से कम 15-20 प्रतिशत की कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, यह एक खुला मंच होने के कारण, नागरिक वास्तविक समय में इसकी निगरानी कर सकते हैं।
- **जटिलता को कम करने के लिए संस्थागत व्यवस्था का युक्तिकरण:**
  - अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, कपास सलाहकार बोर्ड और जूट सलाहकार बोर्ड को बंद करना।
  - चार फिल्म मीडिया इकाइयों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में विलय करना।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC), ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunals: DRT) आदि के माध्यम से पहले से ही समाधान तंत्र प्रदान करना।**
- **निम्नलिखित के माध्यम से नियामकीय अनुपालन बोझ को कम करना:**
  - हाल ही में, पूर्ववर्ती 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में विलय किया गया है।
  - बी.पी.ओ. क्षेत्र के लिए विनियमों को उदार बनाना।

विवेक के प्रयोग की आवश्यकता (Solving for discretion)

सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि सक्रिय पर्यवेक्षण और विवेक का कोई विकल्प नहीं है और इस प्रकार, **सरल विनियमन बनाने और पर्यवेक्षक को लचीलापन एवं विवेक प्रदान करके उसे पूरक करने की आवश्यकता है।** इसके लिए, निम्नलिखित तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए:

- **घटनाओं से पहले ही जवाबदेही को मजबूत करना (Strengthening ex-ante accountability):** घटना होने के बाद ऑडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने में पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह (hindsight bias) से ग्रसित होने की संभावना होती है, इसलिए घटनाओं के घटित होने से पहले ही जवाबदेही सौंपे जाने की जरूरत है।
- **निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना (Bringing transparency in the decisionmaking process):** प्रणाली में विवेकाधिकार के प्रयोग के साथ ही निर्णय लेने में पारदर्शिता के साथ इसे संतुलित किए जाने की जरूरत है, ताकि सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को बढ़ावा दिया जा सके और कुशल बाजारों का निर्माण किया जा सके।
- **भविष्य में उभरने वाली स्थितियों के लिए पहले से ही लचीले समाधान तंत्र का निर्माण करना (Building resilient ex-post resolution mechanism):** कानूनी ढांचे में सुधार करना ताकि विवाद समाधान और अनुबंध प्रवर्तन के लिए भविष्य में उभरने वाली स्थितियों के लिए पहले से ही कार्य-कुशल क्रियाविधि उपलब्ध रहे।
  - वर्तमान में, भारत में मुकदमेबाजी की लागत **दावे मूल्य (claim value)** का लगभग 31 प्रतिशत है, जो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (2020) के अनुसार, **OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों** (21 प्रतिशत) और भूटान (0.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है।

- **जटिलता को कम करना (Reducing Complexity):** आजादी के बाद से, स्वायत्त निकायों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन निकायों की न सिर्फ लागत के नजरिए से बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल पर्यवेक्षण बनाए रखने के लिए भी लगातार छंटाई (कम) करने की आवश्यकता है। यह सरकार के **न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन** (Minimum Government and Maximum Governance) के विचार के अनुरूप है।
- **नियमों की पारदर्शिता अधिनियम को अधिनियमित करना (Enacting Transparency of Rules Act),** ताकि नियमों एवं विनियमों के बारे में नागरिकों के समक्ष आने वाली सूचनाओं की किसी भी प्रकार की विषमता को समाप्त किया जा सके।

शब्दावली	
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट	इसे वर्ष 2006 में अमेरिकी बार एसोसिएशन की एक पहल के रूप में आरंभ गया था और यह वर्ष 2009 में एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन बन गया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित आंकड़े विश्व बैंक द्वारा अपने विश्व शासन संकेतकों (World Governance Indicators) में उपयोग किए जाते हैं।
विनियामकीय गुणवत्ता सूचकांक (Regulatory Quality Index)	• यह निजी क्षेत्र के विकास की अनुमति देने तथा संवर्धन करने हेतु स्वस्थ नीतियों और विनियमों को तैयार करने एवं लागू करने की सरकार की क्षमता को जानने का प्रयास करता है। • इसका अनुमान, मानक सामान्य वितरण की इकाइयों में समग्र संकेतक पर देश का स्कोर व्यक्त करता है, अर्थात लगभग - 2.5 से लेकर 2.5 पर। • यह विश्व बैंक के विश्व शासन संकेतक (Worldwide Governance Indicators: WGI) का एक हिस्सा है।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India)	• इसे **भारत सरकार** और तीन प्रमुख उद्योग संघों, यथा- **एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)**, **भारतीय उद्योग परिसंघ** (CII) और **फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की),** के संयुक्त प्रतिनिधित्व के माध्यम से स्थापित किया गया था। • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यानन संरचना (national accreditation structure) स्थापित करना, संचालित करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान (National Quality Campaign) के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। • इसे 38 सदस्यों की परिषद द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। • भारतीय गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष उद्योग संघों द्वारा सरकार को की गयी सिफारिश के आधार पर प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)**, भारतीय गुणवत्ता परिषद का नोडल मंत्रालय है।

अध्याय एक नजर में
• भारत के विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र में समस्या **विनियामकीय मानकों की कमी एवं निम्नस्तरीय अनुपालन** की नहीं बल्कि **गुणवत्ता की कमी और नियमों के प्रभावी प्रवर्तन** की है।
• भारत में अर्थव्यवस्था को आवश्यकता से अधिक नियंत्रित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है।
• अति विनियमन जटिल नियमों और विनियमों का कारण बन जाता है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण प्रक्रिया में **अत्यधिक**

	और अपारदर्शी विवेकाधिकार एवं अनुचित विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
•	पर्यवेक्षण को यांत्रिक विनियमों से प्रतिस्थापन करने की प्रथा से नियामक मध्यस्थता में वृद्धि होती है, और महत्वपूर्ण संसाधनों की बर्बादी होती है।
•	**सरल विनियम बनाने और उन्हें पूर्व जवाबदेही, स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व समाधान तंत्रों, पारदर्शिता नियम अधिनियम जैसे उपायों से लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान कर अनुपूरित करने की आवश्यकता है।**
•	**भारत सरकार द्वारा विनियामकीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार** करने के लिए विभिन्न पहल जैसे **सार्वजनिक खरीद के लिए ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) और ऋण वसूली अधिकरण (DRT), श्रम कानूनों का संहिताकरण आदि** जैसी कई पहलें की गई हैं।

अध्याय 6

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित में से किस के द्वारा "विश्व विधि का शासन सूचकांक" जारी किया जाता है?

(a) एमनेस्टी इंटरनेशनल

(b) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

(c) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय

(d) विश्व न्याय परियोजना

Q2. भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचे की स्थापना करना एवं उनके प्रचालन करना एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता का संवर्धन करना है।
2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार को उद्योग की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
3. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय QCI के लिए नोडल मंत्रालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q3. सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित पहलों में से कौन-सी भारत के विनियामकीय पारितंत्र में सुधार करने में सहायता करती है?

1. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल को आरंभ करना।
2. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का समापन।
3. वर्तमान 29 केंद्रीय श्रम विधियों का 4 श्रम संहिताओं में विलय और संहिताकरण।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q4. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए

सूचकांक/रिपोर्ट		संगठन
1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (EoDB)	:	विश्व बैंक
2. विनियमकीय गुणवत्ता सूचकांक (RQI)	:	नीति आयोग

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में मुकदमेबाजी की लागत OECD देशों की तुलना में काफी कम है।

2. भारत में किसी कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन में लगने वाला समय 10 वर्ष से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रभावी विनियामक पारितंत्र के लिए विनियमन और विवेक के उचित मिश्रण की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि कैसे विवेक प्रदान करते समय पर्यवेक्षण को जवाबदेह रखा जा सकता है?

Q.2. भारत की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित समस्याएं, प्रक्रियाओं या विनियामकीय मानकों के अनुपालन से कम बल्कि अति-विनियमन से अधिक उत्पन्न होती हैं। चर्चा कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 7: विनियामक फॉरबियरेंस: एक आपातकालीन औषधि, न कि मुख्य आहार! (Regulatory Forbearance: An Emergency Medicine, Not Staple Diet)

विषय-वस्तु

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crisis: GFC) के पश्चात् विनियामकीय राहत की नीति (policy of regulatory forbearance) का अंगीकरण किया गया। इस नीति का संचालन वित्त वर्ष 2015 तक किया गया था। यह अध्याय बैंकों, कंपनियों और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर इस नीति के प्रभाव का अध्ययन करता है। इस विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्याय कोविड-19 संकट के बाद विनियामकीय राहत के वर्तमान दौर के बारे में महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है।

विनियामकीय राहत (Regulatory Forbearance)

- बैंकों के लिए विनियामकीय फॉरबियरेंस की नीति के अंतर्गत **पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए मानदंडों को शिथिल किया गया था, जिसके अंतर्गत** पुनर्गठित परिसंपत्तियों को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। फलस्वरूप NPAs को शासित करने वाले प्रावधानों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- फॉरबियरेंस (दूसरे शब्दों में राहत / संयम / रियायत) वस्तुतः **वित्तीय क्षेत्रक में घटित विफलताओं को अन्य क्षेत्रकों तक प्रसारित होने से प्रतिबंधित करता है,** जिससे संकट को अधिक गहरा होने से अवरुद्ध किया जा सकता है।
- वर्ष 2008-2015 की फॉरबियरेंस व्यवस्था से संबंधित घोषणाओं का समयबद्ध क्रम नीचे दिया गया है:

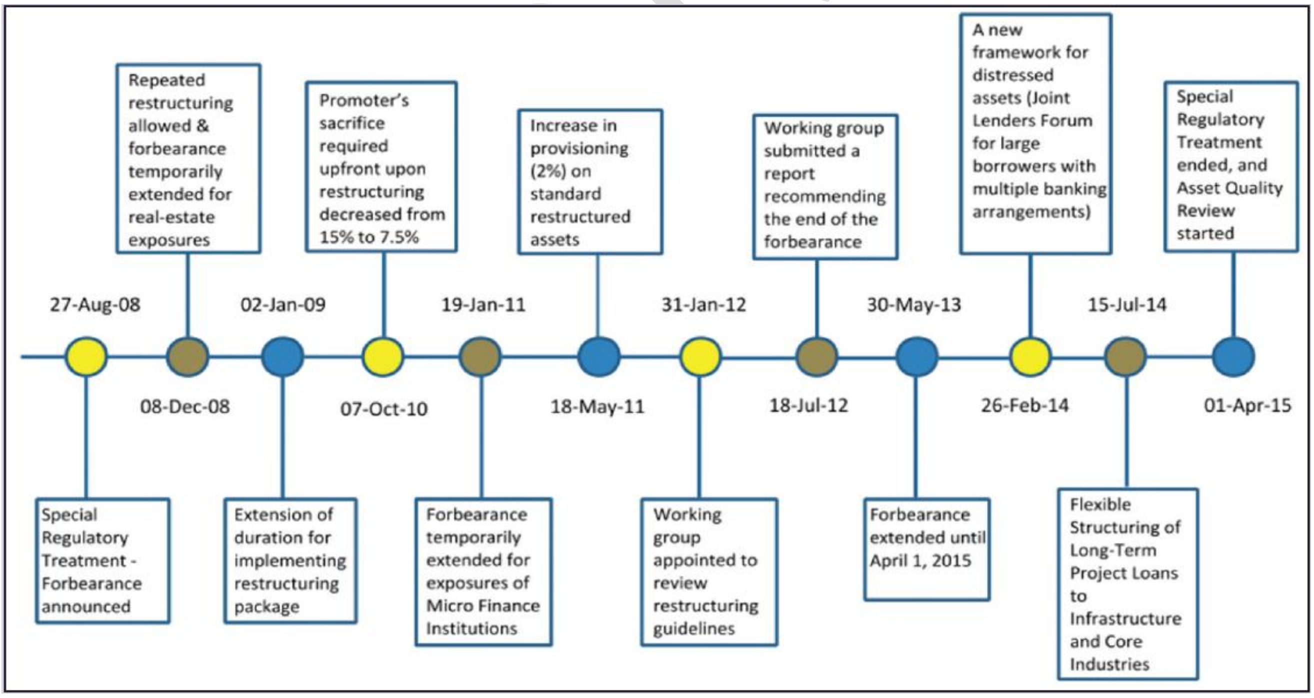

मूल दोष: सात-वर्षीय फॉरबियरेंस (The Original Sin: The Seven-Year Forbearance)

- वर्तमान बैंकिंग संकट की जड़ें वर्ष 2008 और वर्ष 2015 के मध्य में अपनाई गई दीर्घावधिक फॉरबियरेंस नीति से संबंधित है।
- वर्ष 2008 में आरंभ की गई फॉरबियरेंस नीति का लक्ष्य अल्प-कालिक आर्थिक परिणाम प्राप्त करना था, जो GDP (सकल घेरेलू उत्पाद) में वृद्धि (वित्त वर्ष 2009 में 3.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में 8.5%) तथा निर्यात, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), अधिसूचित कंपनियों के कुल राजस्व और बैंक ऋण जैसे अन्य आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार के रूप में प्रतिबिंबित हुआ था।
- वर्ष 2011 में फॉरबियरेंस को पुनः लागू करने की संस्तुति की गई थी। यद्यपि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2015 तक अन्य पांच वर्षों के लिए इसे जारी रखने का निर्णय लिया, जिसके बाद RBI ने एक **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review: AQR)** का आयोजन किया था।
- दीर्घकालिक विनियामकीय फॉरबियरेंस की नीति ने बैंकों को जोखिम भरे ऋण प्रदान करने और अपेक्षाकृत अधिक ऋणों को पुनर्संरचित करने और वास्तविक NPA की पहचान में विलंब करने की अनुमति प्रदान की।
- अशोध्य ऋणों (bad loans) की पहचान और उसके समाधान के लिए कार्रवाई करने में हुए विलंब के कारण संकट के बाद भी NPA को समाप्त करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

Figure 1: Growth rate of Real GDP

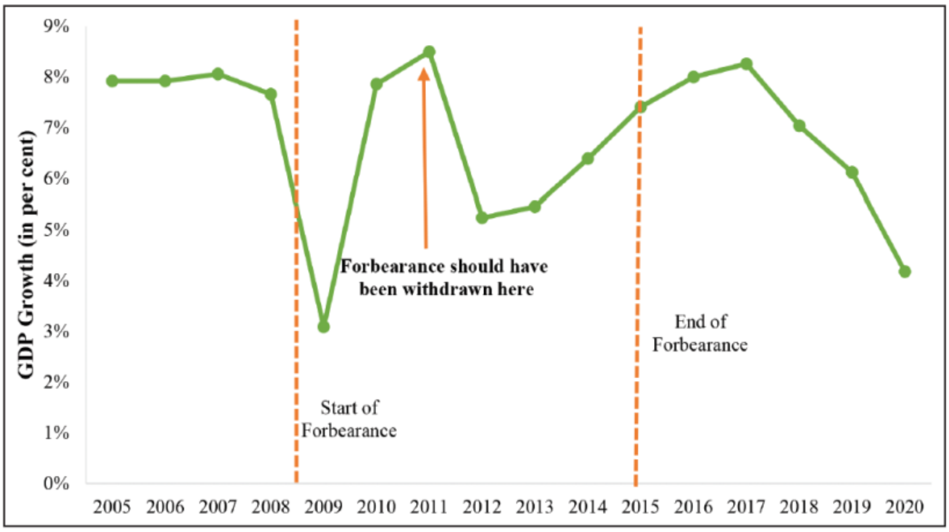

Source: NSO

विस्तारित फॉरबियरेंस की लागत बनाम बैंकिंग संकट का आरंभिक समाधान: अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य

- वे देश जो वर्ष 2009 और वर्ष 2010 के दौरान अपने NPA की चरम सीमा पर पहुंच गए थे, उन्हें **"आरंभिक समाधानकर्ता" (Early Resolvers)** कहा जाता है, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब आदि और जो देश वर्ष 2015-19 के दौरान अपने NPA की चरम सीमा पर पहुंचे उन्हें **"विलंबित समाधानकर्ता" (Late Resolvers)** कहा जाता है, जैसे- भारत, चीन, पुर्तगाल आदि।
- आरंभिक समाधानकर्ताओं की तुलना में विलंबित समाधानकर्ताओं ने अंततः NPA की बहुत उच्च चरम सीमा को प्राप्त किया तथा GDP वृद्धि पर इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

Figure 11: NPA trends for Early Resolvers vs Late Resolvers

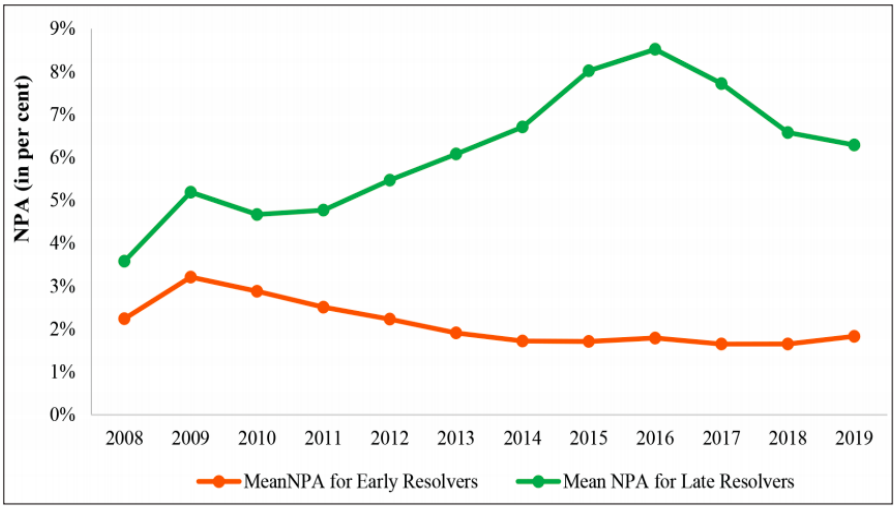

बैंकों के निष्पादन और ऋण पर फॉरबियरेंस (रियायत) का प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Impact of Forbearance on Bank Performance and Lending)

- **बैंकों का अल्प-पूंजीकरण (Undercapitalization of Bank)**: दीर्घावधिक फॉरबियरेंस नीति के परिणामस्वरूप **वास्तिवक पूंजी को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है,** क्योंकि बैंक संकटपूर्ण ऋणों का खराब (अवमानक) परिसंपत्ति के रूप में निर्धारण किए बिना और समान पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR) को बनाए रखे बिना ही नवीनीकरण/पुनर्गठन कर सकते हैं। इस प्रकार, फॉरबियरेंस अल्प-पूंजीकृत बैंकों को CAR की विनियामक उच्च सीमा को प्राप्त करने के लिए **नईं पूंजी को प्राप्त किए बिना कार्य करने** की अनुमति देता है तथा बैंकों को **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सरकार सहित शेयरधारकों के लिए** लाभांश के रूप में **"अतिरिक्त" पूंजी का पुनर्भुगतान आरंभ करने** के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिक लांभांश भुगतान और कम पूंजी आधान (infusion), उच्च पुनर्रचना (restructuring) गतिविधियों के साथ बैकों के अल्प-पूंजीकरण को बढ़ा देता है।
- **ज़ोंबी (फर्जी) कंपनियों को ऋण प्रदान करना (Lending to Zombie Firms):** विनियामकीय फॉरबीयरेंस ने अनुत्पादक, अल्प-ऋण भुगतान क्षमता और चलनिधि की अल्प-उपलब्धता वाली कंपनियों (जिन्हें **"ज़ोंबी"** कहा जाता है) को दिए जाने वाले जोखिम भरे ऋण में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति को '**फॉरबियरेंस-प्रेरित जोखिम-अंतरण**' (Forbearance induced risk-shifting) की घटना के कारण **बैंक मालिकों और प्रबंधन के विकृत प्रोत्साहन** के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **एवरग्रीनिंग ऑफ लोन या नए ऋण देते रहने की प्रवृत्ति (Evergreening of Loans):** इस आशा के साथ कि वर्तमान ऋण चुका दिए जाएंगे, बैंक ऋणों की एवरग्रीनिंग के विभिन्न रूपों में संलग्न रहे। बैंकों ने लगभग डूबने की स्थिति वाले ऋणों के उधारकर्ताओं को पुनः नए ऋण प्रदान किए। उन्होंने संकटग्रस्त समूहों के सक्षम उधारकर्ताओं (कर्जदारों) को भी पुनः ऋण प्रदान किए, जो उस ऋण को उसी समूह की दूसरी संकटग्रस्त कंपनियों में हस्तांतरित कर सकते थे। **(परोक्ष ज़ोंबी ऋण देना)। (अधिक जानकारी के लिए शब्दावली देखें)**
  - इस प्रकार, फॉरबियरेंस के परिणामस्वरूप दोषपूर्ण आधार वाली कंपनियों और अक्षम परियोजनाओं को ऋण दिए जाने के मामलों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 के बीच औद्योगिक क्षेत्रक की बढ़ी हुई ऋण वृद्धि दर, उच्च निवेश दर और पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में परिवर्तित होने से में विफल रही।
- **उधारकर्ताओं द्वारा फॉरबियरेंस का लाभ उठाने से निगमित अभिशासन (Corporate Governance) शिथिल हो गया:** फॉरबियरेंस नीति के अंतर्गत **बैंकरों के साथ** औपचारिक या अनौपचारिक संपर्कों के कारण **कंपनी प्रबंधकों की पुनर्गठित ऋण, यहां तक कि अव्यवहार्य ऋण, प्राप्त करने की क्षमता ने कंपनी के भीतर उनके प्रभाव को मजबूत कर दिया।** इस प्रकार, कंपनियों के लिए ऐसे प्रबंधकों को बाहर करना कठिन हो गया, यहां तक कि तब भी जब वे अक्षम थे और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का अभिशासन कमजोर हुआ।
  - इस प्रकार, फॉरबियरेंस व्यवस्था के अंतर्गत कमजोर परिचालन तंत्र, शक्तिशाली प्रबंधन-वर्ग के प्रभाव और पतनशील प्रशासन वाली कंपनियों के लिए ऋण आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। इसके कारण, फॉरबियरेंस से लाभ प्राप्त करने वाली उधारकर्ता कंपनियों में निम्न समस्याएं देखी गईं:
    - **बोर्ड की गुणवत्ता में गिरावट**: बोर्ड में पदासीन प्रबंधन का प्रभाव इस रूप में बढ़ गया: (i) स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति कम हो गई, (ii) एक सी.ई.ओ. के चेयरमैन बनने की प्रवृत्ति बढ़ गई, (iii) बोर्ड में एक संबद्ध निदेशक होने की संभावना अधिक हो गई, और (iv) बैंक की निगरानी कम हो गई, क्योंकि बोर्ड में बैंक द्वारा नामित निदेशकों की संख्या कम हो गई थी।
      - ✓ स्वतंत्र या गैर-संप्रवर्तक निदेशकों द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि वे ऐसी अस्वास्थ्यकर प्रथाओं में कंपनी प्रबंधन के लिप्त होने की संभावना के विरुद्ध प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रथाएं संप्रवर्तकों या प्रमोटरों को निजी रूप से लाभ पहुंचाती हैं।
    - **पूंजी का अपर्याप्त आवंटन:** कंपनियों के पास **अव्यवहार्य परियोजनाओं में गलत तरीके से आवंटित ऋण आपूर्ति** परिलक्षित हुई है तथा कंपनियों द्वारा बढ़ी हुई ऋण आपूर्ति को उत्पादक तरीके से उपयोग नहीं किया गया था।
    - **संसाधन का दुरुपयोग:** अल्पसंख्यक शेयरधारकों की कीमत पर कंपनी प्रबंधन द्वारा निजी लाभ अर्जन करने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही थी।

VISION IAS

✓ भारतीय संदर्भ में, संबंधित पार्टी लेने-देन (Related Party Transactions: RPT) का प्रयोग संभवतः कंपनी संसाधनों के स्वामित्व हरण पर छद्म-आवरण या पर्दा डालने के लिए किया गया था, क्योंकि उन कंपनियों में प्रमुख कर्मचारियों के लिए RPT को लगभग 34% बढ़ा दिया गया था, जिनके ऋण का फॉरबियरेंस व्यवस्था के दौरान नवीनीकरण किया गया था।

- **निष्पादन में गिरावट:** औसत रूप से पुनर्गठित कंपनियां घाटे-वाली कंपनियों में परिवर्तित हो गईं, क्योंकि कंपनी परिसंपत्तियों से अर्जित लाभ के रूप में आँकी गई उनकी लाभप्रदता में त्वरित गिरावट आई (138% से अधिक)। साथ ही लाभार्जन की उनकी क्षमता या लीवरेज, जिसे इक्विटी के समक्ष ऋण के अनुपात के रूप में मापा गया था, उल्लेखनीय रूप से (15.7% तक) बढ़ गयी; और ब्याज या इंटरेस्ट कवरेज में (27.2% तक) गिरावट आई।
- **डिफ़ॉल्ट या चूक में वृद्धि:** कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग में (7.7% तक की) गिरावट का सामना करना पड़ा और उन्होंने औसतन अधिक डिफ़ॉल्ट या चूक करना शुरू कर दिया। फॉरबियरेंस अवधि में चूककर्ता या डिफ़ॉल्ट होने वाली पुनर्गठित कंपनियों का अनुपात 51% तक बढ़ गया।

फॉरबियरेंस-जनित जोखिम-स्थानांतरण (Forbearance-induced risk-shifting)

- **फॉरबियरेंस की नीति, बैंकों (विशेषरूप से अल्प पूंजीकृत बैंकों) को पुनर्संरचना में शामिल संकटग्रस्त परिसंपत्तियों पर, यहां तक कि उनके अव्यवहार्य होने पर भी, जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है,** क्योंकि यह उन्हें कम NPA घोषित करने और ऋणों की प्रोविजनिंग से संबद्ध लागत से बचने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, अविश्वसनीय रूप से, कंपनी के पुनरुद्धार की स्थिति में पूंजी में कोई कमी भी नहीं होती है।
    - फॉरबियरेंस की अनुपस्थिति में, बैंकों को ऐसी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान करने की आवश्यकता होती है, जो शेयर धारकों को प्रभावित करेंगी, क्योंकि बैंक अपने निवेश पर कोई पुन:प्राप्ति या रिटर्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में वे आवश्यक पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखने के लिए पुन:पूंजीकरण हेतु विवश हो जाते हैं।
- हालांकि, यदि जोखिम विफल रहता है तो लागत को जमाकर्ताओं, बॉण्ड धारकों और/या करदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा। यह **ऋण के जोखिम को जोखिमग्रस्त कंपनियों से शेयर धारकों से लेकर जमाकर्ताओं और करदाताओं तक स्थानांतरित कर देता है।**
- सार्वजनिक बैंकों में फॉरबियरेंस विशेष रूप से दो तरीके से बैंक प्रोत्साहन को विकृत करता है:
    - फॉरबियरेंस पदस्थ प्रबंधकों को **अपनी बैलेंस शीट को ऊपरी तौर पर साफ-सुथरा दिखाने** अवसर प्रदान करता है, जो उनके कार्यकाल के दौरान अच्छे निष्पादन की ओर इंगित करता है और जिसके कारण उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ निश्चित किए जाते हैं।
    - बैंक प्रबंधन, **फॉरबियरेंस का उपयोग भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को पूर्ण रूप से छिपाने के लिए एक ढाल के रूप में** कर सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ घटनाक्रम या एक बैंक के पूर्व सी.ई.ओ. पर छल करने हेतु लगाया गया हालिया आरोप इस संभावना को पुष्ट करते हैं।

पर्याप्त पूंजीकरण के बिना बैंकों की स्थिति में सुधार (बैंक क्लीन-अप) (Bank Clean-Up Without Adequate Capitalization)

Figure 25: Inadequate identification of hidden bad assets under the AQR: Sharp rise in provisioning a year after completion of the AQR

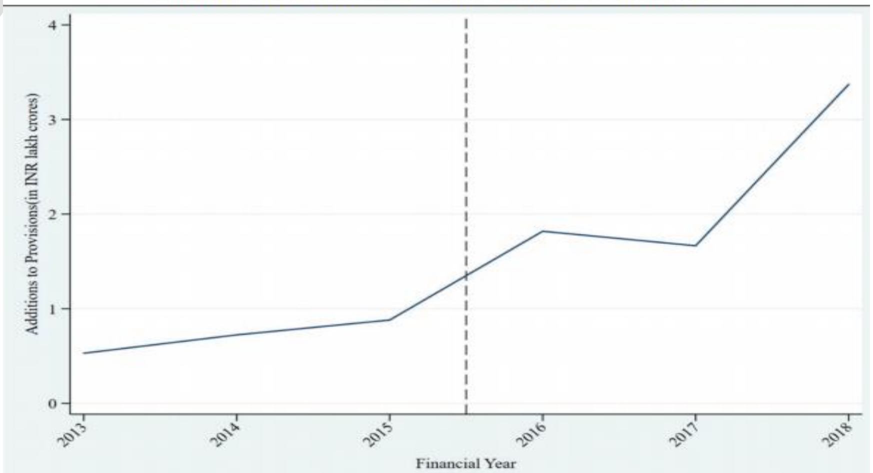

वर्ष 2015 में विनियामकीय फॉरबियरेंस की नीति को वापस लिए जाने के बाद RBI ने बैंकों के NPA की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक विस्तृत **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा** (Asset Quality Review: AQR) आयोजित करने का निर्णय लिया था। यद्यपि, AQR ने इस समस्या को और बढ़ा

दिया, क्योंकि इसने ना तो बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने को अनिवार्य किया, ना ही पूंजीगत बैकस्टॉप उपलब्ध कराया, हालांकि यह निश्चित था कि AQR के बाद बैंकों की पूंजी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

- **शेष विश्व में हुए बैंक क्लीन-अप की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर:** भारत की AQR अन्य प्रमुख देशों, जैसे- जापान, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए विशिष्ट बैंक क्लीन-अप से दो महत्वपूर्ण पक्षों में भिन्न है-
    - भारत में यह तब किया गया, जब देश आर्थिक संकट से नहीं गुजर रहा था। आर्थिक स्थिरता को देखते हुए RBI ने माना था कि एक बार बैंकों का बही-खाता साफ-सुथरा हो जाने पर बाजार बैंकों को आवश्यक पूंजी की आपूर्ति करेंगे।
    - इसके अंतर्गत ना तो बैंकों को पुन:पूंजीकरण के लिए बाध्य किया गया और ना ही एक स्पष्ट पूंजीगत समर्थन उपलब्ध कराया गया। RBI ने इस अनुमान के साथ AQR की शुरुआत की थी कि क्लीन-अप के चलते अतिरिक्त ऋण प्रोविजनिंग (loan provisioning) के कारण, बैंकों में अत्यधिक पुन:पूंजीकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी।
- **बैंकों के तुलन पत्रों (balance Sheets) का अपर्याप्त क्लीन-अप:** AQR की प्रक्रिया, जटिल एवरग्रीनिंग (पुनः ऋण व्यवस्था) को पहचानने में विफल रही और इस प्रकार यह विकृत ऋणों पर अंकुश लगाने में असमर्थ सिद्ध हुई। यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में घटित हाल की घटनाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि AQR औपचारिक पुनर्गठन के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से किए गए एवरग्रीन कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सका।
- **अपेक्षित बैंक पूंजी का कम मूल्यांकन (Under-estimation of required bank capital):** RBI ने AQR के पहले जिस राशि का अनुमान लगाया था, सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा आवश्यक वास्तविक पूंजी उससे बहुत अधिक हो गई। AQR के कारण अतिरिक्त प्रावधानों की पूर्ति के लिए निजी एवं सार्वजनिक बैंकों दोनों में पूंजी परिवर्धन (Capital additions) अत्यधिक अपर्याप्त थे और क्लीन-अप के बाद उन्हें अल्प पूंजीकृत अवस्था में छोड़ दिया गया।
- **उधार पर प्रतिकूल प्रभाव:** चूंकि क्लीन-अप के बाद बैंक पर्याप्त मात्रा में नई पूंजी जुटाने में असमर्थ थे, इसलिए उनके द्वारा उधार दिए जाने की गतिविधि में कमी आई। इसके अतिरिक्त, AQR के कारण दूसरी बार उत्पन्न हुई अल्प-पूंजीकरण की स्थिति ने अनुत्पादक ज़ोंबी (फ़र्ज़ी) उधारकर्ताओं को अधिक ऋण देने वाले प्रतिकूल प्रोत्साहनों को सृजित किया।
- **कंपनी के पूंजीगत निवेश में गिरावट:** AQR से प्रभावित बैंकों से संबद्ध कंपनियां अपनी ऋण आपूर्ति को अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त नहीं कर सकीं। इस प्रकार, ये कंपनियां वित्तीय रूप से लाचार हो गईं और इन्होंने अपना पूंजीगत व्यय कम कर दिया, जिससे चल रही परियोजनाएं ठप या अवरुद्ध हो गईं।

वर्तमान फॉरबियरेंस व्यवस्था के निहितार्थ (Implications for the Current Forbearance Regime)

कोविड-19 द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत समेत विश्व भर के वित्तीय विनियामकों ने आपातकालीन उपाय के रूप में विनियामकीय फॉरबियरेंस को नीति को (पुनः) अपनाया है। यह अध्याय विनियामकीय फॉरबियरेंस की वर्तमान व्यवस्था के लिए निम्नलिखित प्रमुख सीखें प्रदान करता है:

- **अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली का संकेत प्राप्त होते ही सर्वप्रथम विनियामकीय फॉरबियरेंस को बंद कर देना चाहिए:** नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली की एक उच्चतम सीमा को निर्धारित करना चाहिए, जिसके बाद इस तरह के उपायों को वापस लिया जाएगा। इस उच्चतम सीमा के बारे में बैंकों को पहले ही सूचित कर दिया जाना चाहिए।
- एक स्वस्थ ऋण-संस्कृति को सुनिश्चित करने के लिए **ज़ोंबी ऋण पर फॉरबियरेंस के साथ-साथ कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए।**
- **फॉरबियरेंस को वापस लेने के तुरंत बाद** एक AQR की प्रक्रिया **अवश्य आयोजित की जानी चाहिए** और उसमें उन सभी रचनात्मक उपायों को शामिल करना चाहिए, ताकि बैंक अपने ऋण को एवरग्रीन करने में बच सकें।
- **क्लीन-अप की प्रक्रिया अनिवार्य पुन:पूंजीकरण के साथ की जानी चाहिए**, जो AQR के बाद पूंजीगत आवश्यकताओं के एक गहन मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए।
- फॉरबियरेंस के वर्तमान चरण के बाद एवरग्रीनिंग और ज़ोंबी ऋण देने जैसी विकृत ऋण प्रथाओं से बचने के लिए **बैंक प्रशासन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए।**
    - एवरग्रीनिंग का मामला प्रकट होने पर विनियामक, बैंक लेखा-परीक्षक पर जुर्माना लगा सकता है तथा अधिक निष्ठापूर्वक वित्तीय निगरानी करने के लिए वह लेखा-परीक्षक को प्रोत्साहन भी दे सकता है।
- **व्यापक जांच के उपरांत स्पष्ट रूप से प्रकट हुए पक्षपात की जांच अवश्य होनी चाहिए** तथा प्रतिकूल परिणामों को गलत निर्णय या दुर्भावनापूर्ण प्रयोजन से जोड़ने की त्रुटि नहीं करनी चाहिए।
- **ऋणों की वसूली के लिए विधिक अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।** दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के कार्यान्वयन के लिए न्यायिक अवसंरचना – जिसमें ऋण वसूली अधिकरण (Debt recovery tribunals), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) और अपील अधिकरण सम्मिलित हैं, को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

शब्दावली	
ज़ोंबी कंपनी/ फर्म/ समूह	• ज़ोंबी या फर्जी कंपनी को विशेष रूप से ब्याज या इंटरेस्ट कवरेज अनुपात का उपयोग करते हुए तथा कुल ब्याज व्यय के पश्चात् कंपनी को हुए लाभ के अनुपात से पहचाना जाता है। एक से कम इंटरेस्ट कवरेज अनुपात वाली कंपनियां या फर्म जो अपनी आय से ब्याज बाध्यताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होतीं, उन्हें ज़ोंबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। • एक कारोबारी समूह को ज़ोंबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि पूरे समूह का ब्याज या इंटरेस्ट कवरेज अनुपात एक से कम हो।
ऋण की एवरग्रीनिंग	• ऋण की एवरग्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पुराने ऋण की पुनर्भुगतान तिथि के करीब चूक या डिफ़ॉल्ट के कगार पहुंच चुकी एक कंपनी या उधारकर्ता को नया ऋण दिया जाता है ताकि वह पुराने ऋण का पुनर्भुगतान कर सके। • इस तरह के लेन-देन का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बैंकों को इनका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पुनर्संरचना में इन्हें प्रकट करना आवश्यक होता है। • दूसरे शब्दों में एवरग्रीन लोन (सदाबहार ऋण या सतत ऋण) एक ऐसा ऋण है जहाँ ऋण की अवधि के दौरान, या निर्दिष्ट अवधि के दौरान मूलधन के पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। एक सदाबहार ऋण में, उधारकर्ता को ऋण की अवधि दौरान केवल ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ○ उदाहरण के लिए, एक बैंक किसी अन्य बैंक के ऋण का भुगतान करने के लिए किसी कंपनी को पैसा उधार दे सकता है। इस तरह, दूसरा बैंक उक्त खाते को अशोध्य (bad) घोषित करने से बचा सकता है और अपनी NPA को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा बैंक, इस समान सुविधा को एक ऐसी कंपनी के लिए विस्तृत कर सकता है, जो पहले बैंक का ऋण नहीं चुका पाई है।

अध्याय एक नजर में
वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, फॉरबियरेंस ने उधारकर्ताओं को इस संकट के कारण उत्पन्न अस्थायी कठिनाई को दूर करने और इस महामारी की रोकथाम में सहायता की है।
हालांकि, फॉरबीयरेंस, जिसे 2011 में बंद किया जाना था, सात वर्षों तक जारी रहा, जबकि GDP, निर्यात, आई.आई.पी. और ऋण वृद्धि सभी में महत्वपूर्ण पुन:प्राप्ति हो चुकी थी।
इसके कारण बैंक, फर्म और अर्थव्यवस्था के लिए अनपेक्षित और क्षतिकारक परिणाम प्राप्त हुए: • **बैंकों और उधार देने की प्रथाओं पर प्रभाव: अल्प पूंजीकरण, ज़ोंबी कंपनियों को ऋण में वृद्धि, ऋणों की एवरग्रीनिंग।** • **फर्मों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: फॉरबियरेंस से लाभ प्राप्त करने वाली उधारकर्ता कंपनियों के निगमित अभिशासन का शिथिल होना, कंपनियों के बोर्ड की गुणवत्ता में गिरावट, पूंजी का अपर्याप्त आवंटन, संसाधनों का दुरुपयोग, आर्थिक निष्पादन में गिरावट तथा चूक या डिफ़ॉल्ट के मामलों में वृद्धि।**
वर्ष 2015 में विनियामकीय फॉरबियरेंस को वापस लिए जाने के बाद बैंकों के NPA की वास्तविक स्थिति जानने के लिए RBI ने एक विस्तृत परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) को आयोजित करने का निर्णय लिया।
हालांकि, AQR ने इस समस्या को और बढ़ा दिया, क्योंकि यह ना तो बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने को अनिवार्य बनाता है और ना ही पूंजीगत आधार उपलब्ध कराता है, जबकि यह निश्चित था कि AQR के बाद बैंकों की पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस प्रकार, AQR की प्रक्रिया बैंक तुलन पत्रों के अपर्याप्त क्लीन-अप का कारण बन गई, क्योंकि यह जटिल एवरग्रीनिंग; आवश्यक

बैंक पूंजी के अल्प-आकलन; अच्छे उधारकर्ताओं को ऋण देने में कमी जबकि ज़ोंबी उधारकर्ताओं को ऋण देने में वृद्धि; और कंपनी के पूंजीगत निवेश में कमी को पहचनाने में असफल रही।

नियामक फॉरबियरेंस की वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त प्रमुख सीख:

- अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली का संकेत प्राप्त होते ही इसे बंद किया जाना चाहिए।
- जोंबी ऋण पर फॉरबियरेंस के साथ-साथ प्रतिबंध भी होना चाहिए।
- फॉरबियरेंस की समाप्ति के तुरंत बाद एक AQR प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए।
- क्लीन-अप प्रक्रिया अनिवार्य पुनर्पूंजीकरण के साथ होनी चाहिए।
- विकृत ऋण प्रथाओं से बचने के लिए बैंक प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि की जानी चाहिए।
- ऋणों की वसूली के लिए विधिक ढांचे को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 7

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. 'विनियामक फॉरबीयरेंस की नीति' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल (LPG) के नाम से जाना जाता है, के बाद इस नीति को अंगीकृत किया गया था।

2. GDP की रिकवरी और निर्यात में सुधार के बाद वर्ष 2011 में यह नीति वापस ले ली गई।

3. भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विनियामक फॉरबीयरेंस की नीति को अंगीकृत किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q.2. वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लंबे समय से चली आ रही विनियामक फॉरबीयरेंस की नीति ने कैसे बैंक प्रदर्शन और उनके ऋण देने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित किया है?

1. बैंकों का इष्टतम पूंजीकरण करके।

2. अनुत्पादक और कम शोधनक्षमता वाली कंपनियों को ऋण देना कम करके।

3. सस्ती ऋण व्यवस्था को आरंभ करके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q3. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लिखित 'ज़ोंबी फर्म' शब्दावली संदर्भित करती है-

(a) ऐसी फर्म को जिसके लाभ का अनुपात उसके कुल ब्याज व्यय पर लगे कर के पश्चात् एक से कम हो।

(b) ऐसी फर्म को जिसका कोई सक्रिय व्यावसायिक परिचालन नहीं हो या जिसके आधिपत्य में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां नहीं होती हैं।

(c) ऐसी फर्म को जिसके लाभ का अनुपात उसके कुल ब्याज व्यय पर लगे कर के पश्चात् एक से अधिक हो।

(d) ऐसी बैंकिंग फर्मों को जिनका जोखिम भारित परिसंपत्तियों से पूँजी का अनुपात 8% से कम होता है।

4. कैसे विनियामक फॉरबीयरेंस (रियायत) की नीति ऋण लेने वाली फर्मों को प्रभावित कर सकती है?

1. निम्नस्तरीय परिचालन मैट्रिक्स वाले कॉर्पोरेटों को ऋण आपूर्ति में वृद्धि करके।

2. ऋण संबंधी अदायगी में चूक के कारण फर्मों की क्रेडिट रेटिंग में कमी करके।

3. पदाधिकारी प्रबंधन के प्रभाव में वृद्धि करके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

5. **निम्नलिखित में से किसका परिणाम 'विनियामक फॉरबीयरेंस (रियायत) की नीति' के कार्यान्वयन के दौरान 'रियायत-प्रेरित जोखिम-स्थानांतरण' हो सकता है?**

1. अव्यवहार्य होने पर भी दबावग्रस्त आस्तियों का पुनर्गठन।
2. अच्छा कार्य निष्पादन दिखाने के लिए बैंकों के तुलन पत्र को दुरुस्त करना।
3. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को छिपाने के लिए रियायतों का एक आवरण के रूप में उपयोग करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लंबे समय से चली आ रही फॉरबीयरेंस (रियायती) नीतियों ने हालिया बैंकिंग संकट उत्पन्न कर दिया है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों का उल्लेख भी कीजिए।

Q2. वर्ष 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) ने बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। टिप्पणी कीजिए।

अध्याय 8: नवाचार: नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, खासकर निजी क्षेत्र से (Innovation: Trending Up But Needs Thrust, Especially From The Private Sector)

विषय-वस्तु

इस अध्याय में **'वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII) में भारत की रैंकिंग में हुए सुधार'** पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही नवाचार में सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों को भी रेखांकित किया गया है। भारत और विश्व की 10 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना, अनुसंधान और विकास (R&D) पर होने वाले सकल व्यय में सरकार और व्यवसाय क्षेत्रकों के योगदानों के आधार पर की गई है। नवाचार पारितंत्र को और बेहतर बनाने के लिए अध्याय में सुझाव दिए गए हैं। इसके अनुसार, अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए और 'जुगाड़ नवाचार (Jugaad innovation)' के भरोसे नहीं रहना चाहिए।

नवाचार महत्वपूर्ण क्यों है?

- आरंभ में, सोलो मॉडल (1956) में कहा गया है कि **प्रति श्रमिक उत्पादन मुख्य रूप से बचत, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है।**
- हालांकि, विकास के नए सिद्धांत में **तकनीकी प्रगति को प्रमुखता दी गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि इसके कई निर्धारक घटक भी हो सकते हैं।** इनमें मानव पूंजी; लाभ-उन्मुख शोधकर्ताओं द्वारा नए विचारों की खोज; अवसंरचना; एवं मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।
- अनुसंधान से यह पता चला है कि **लघु उद्यम द्वारा की गई अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों ने** नई तकनीक के माध्यम से **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ पहुंचाया है।**
- **अनुसंधान और विकास पर निवेश में 10%** वृद्धि करने से **उत्पादकता में 1.1% से 1.4% तक की वृद्धि होती है।**
- **पिछले नवाचार प्रदर्शन (Past Innovation Performance) और वर्तमान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita) के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है।** हालिया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन, पिछले नवाचार प्रदर्शन की तुलना में, अपेक्षा से कम रहा है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)

- GII का उद्देश्य किसी **अर्थव्यवस्था को उसके नवाचार प्रदर्शन के मूल्यांकन में सहायता करना है।**
- GII का प्रकाशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- **GII में दो उप-सूचकांक हैं:** नवाचार आगत उप-सूचकांक (Innovation Input Sub-Index) और नवाचार निर्गत उप-सूचकांक (Innovation Output Sub-Index)। इन दोनों सूचकांकों में GII के सात स्तंभ शामिल हैं।
- **नवाचार आगत उप-सूचकांक में पांच स्तंभ हैं:** संस्थान; मानव पूंजी और अनुसंधान; अवसंरचना; बाजार परिष्कार; व्यापार परिष्कार।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

- **नवाचार निर्गत उप-सूचकांक के दो स्तंभ हैं:** ज्ञान और तकनीकी उत्पाद (निर्गत) एवं रचनात्मक उत्पाद।

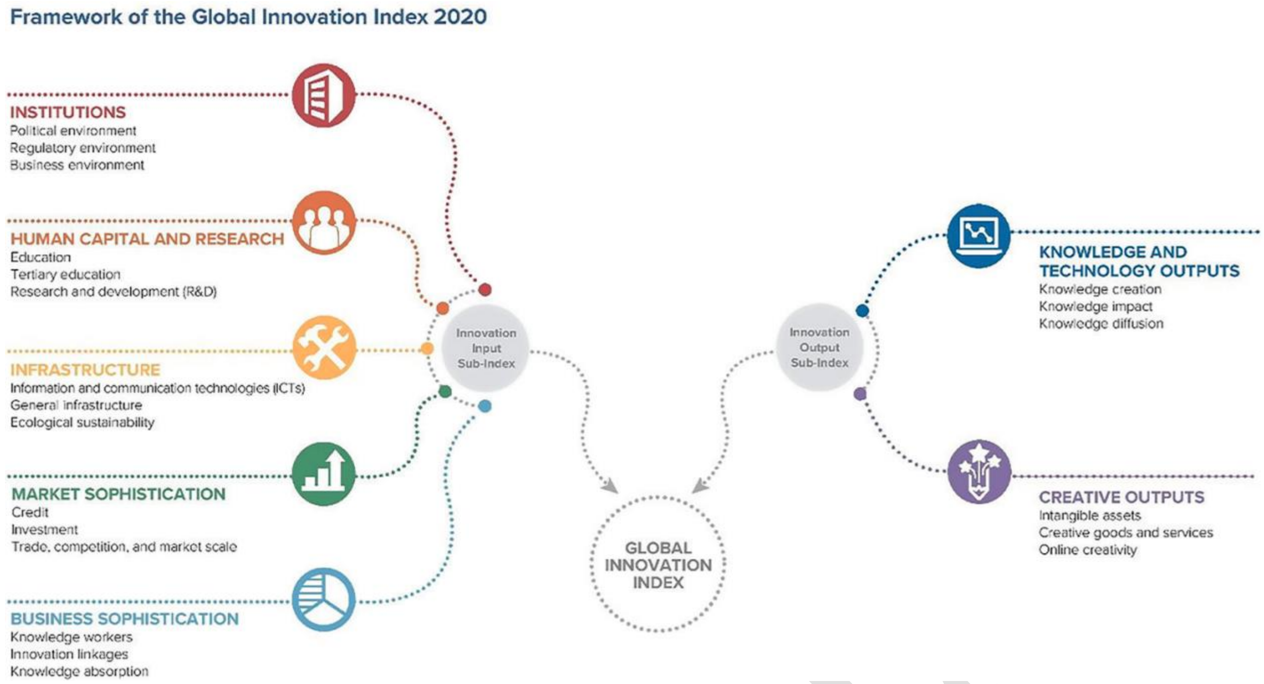

नवाचार में भारत का प्रदर्शन कैसा है?

- GII का आरंभ वर्ष 2007 में हुआ था। उस समय से अब तक यह पहला मौका है, जब **भारत को शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने** इस सूचकांक के संदर्भ में **अपने स्थान (रैंकिंग) में सुधार किया है।** वर्ष 2015 में भारत का इस सूचकांक में स्थान 81 था जो वर्ष 2020 में 48 हो गया है।
- **मध्य और दक्षिण एशिया में** भारत का **प्रथम स्थान है** और विश्व की निम्न-मध्य आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत का तीसरा स्थान है।

Figure 4: India's performance on pillars of the Global Innovation Index 2020 (rank)

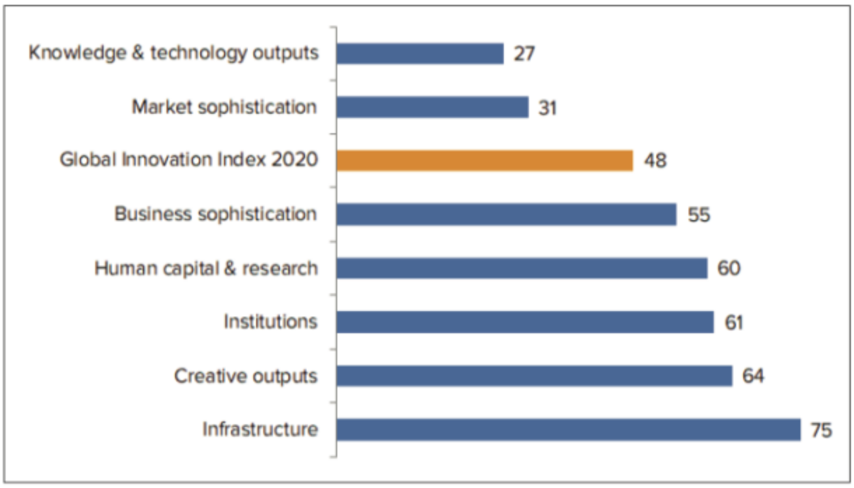

Source: GII 2020 Report

- **नवाचार निर्गत (innovation outputs) और नवाचार आगत (innovation inputs)** के मामले में, शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का **9वां स्थान है जबकि ब्राजील का 10वां स्थान है।**
- विकास के स्तर के मामले में, **GII के अधिकतर स्तंभों और उप-स्तंभों में** भारत का सकारात्मक प्रदर्शन है। इस सकारात्मक प्रदर्शन की स्थिति का श्रेय यहां की जनसंख्या को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि नवाचार प्रदर्शन एवं जनसंख्या के मध्य सहसंबंध का कोई स्पष्ट पैटर्न प्रदर्शित नहीं होता है।
  - हालांकि, **GDP की तुलना में भारत का नकारात्मक प्रदर्शन है** अर्थात् नवाचार के मामले में अपनी GDP

Performance of Top 10 Economies on GII

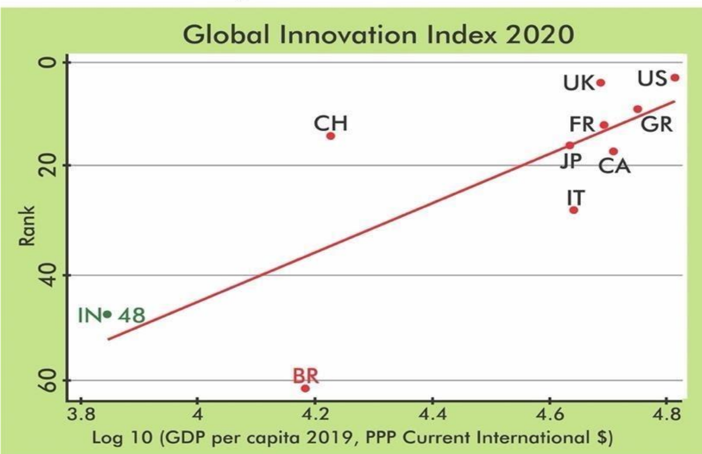

Source: The World Bank and GII database

के आकार की तुलना में भारत का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं है।

- **सुधार की संभावना:**
  - **प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उप-स्तंभ** (मानव पूंजी और अनुसंधान श्रेणी के तहत) के मामले में भारत का **प्रदर्शन उम्मीद से कम है।** इसका मुख्य कारण, माध्यमिक शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में भारत का निम्नस्तरीय प्रदर्शन है।
  - **ज्ञान संबंधी क्षेत्रों के श्रमिकों (knowledge workers) के उप-स्तंभ** (व्यापार परिष्कार के तहत) के मामले में भारत **का प्रदर्शन निम्नस्तरीय है।** इसके लिए नियोजित महिलाओं की संख्या में उच्चतर/उन्नत डिग्री वाली महिलाओं की निम्नतर संख्या को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

भारत में अनुसंधान और विकास पर व्यय

- हालांकि, भारत में **अनुसंधान और विकास पर GDP के अपेक्षित व्यय (GERD)** का स्तर भारत के विकास के स्तर के अनुरूप है, लेकिन इसमें सुधार की अत्यधिक संभावना है।
  - अन्य शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि- संयुक्त राज्यअमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस का अपेक्षित GERD इन देशों के विकास के स्तर से उच्चतर है।
- वैश्विक स्तर पर, **विकास के स्तर और GDP के प्रतिशत के रूप में GERD एवं कुल GERD में व्यापार क्षेत्रक की भागीदारी के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है,** जबकि **GERD में सरकारी क्षेत्रक की भागीदारी का विकास स्तर के संबंध में नकारात्मक सहसंबंध है।**
  - भारत के मामले में **GERD, भारतीय GDP का 0.65% है।** यह शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं (GDP का 1.5-3%) की तुलना में **बहुत निम्नतर है।** इसका मुख्य कारण व्यापार क्षेत्रक द्वारा उनके अनुपात के सापेक्ष निम्नतर योगदान है।
  - इसके अलावा **भारत में, सरकार द्वारा GERD में 56% का योगदान दिया जाता है,** जबकि यह अनुपात शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक देश की तुलना में अब भी 20% कम है।
  - प्रत्येक शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार क्षेत्रक का GERD में योगदान (औसतन 68%) की तुलना में, **भारत में व्यापार क्षेत्रक का GERD में योगदान (लगभग 37%) बहुत कम है।**
- कुल R&D कर्मियों एवं शोधकर्ताओं के मामले में, शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का योगदान सर्वाधिक है। **भारत का योगदान कुल R&D कर्मियों के मामले में 36% और शोधकर्ताओं के मामले में 23% है,** जबकि शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं का औसत योगदान 9% है।
- भारत के व्यापार क्षेत्रक का कुल R&D कर्मियों (30%) और अनुसंधान (34%) में योगदान शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं (औसतन 50% से ज्यादा) के मध्य नीचे से दूसरा अर्थात् नौवां स्थान है।

भारत में R&D गतिविधियां

- **आउटसोर्सिंग के उपलब्ध अवसरों, अत्यधिक कुशल श्रमिक बल, कम लागत वाले श्रम और R&D गतिविधियों** के कारण R&D के लिए भारत काफी आकर्षक गंतव्य है।
  - इसके कारण USA की कंपनियां, खासकर IT उद्योग की कंपनियां भारत में R&D को आउटसोर्स कर रही हैं। उदाहरण के लिए, IBM, Intel, और GE जैसी कंपनियां भारत में अत्याधुनिक R&D संचालित कर रही हैं।
- **भारत में आर्थिक संवृद्धि और आय के बढ़ते स्तर के कारण भारतीय बाजार आकर्षक गंतव्य बन गया है।** इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर R&D गतिविधियां (विशेषकर ऑटोमोटिव बाजार में) बढ़ रही हैं।
- इसके अलावा, अन्य शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में **कर प्रोत्साहन (Tax incentives) की उदार संरचना के कारण** देश में **R&D गतिविधियों को** बढ़ावा मिलता है।

पेटेंट और ट्रेडमार्क के मामले में भारत का प्रदर्शन

- भारत में दायर होने वाले कुल पेटेंट की संख्या में वर्ष 1999 के बाद से तीव्र वृद्धि हुई है। **अनिवासी भारतीयों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में वृद्धि** इसका मुख्य कारण **है।**
  - भारत, ब्राजील और कनाडा के विपरीत, अन्य शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में अनिवासियों की तुलना में निवासियों द्वारा दायर पेटेंट के आवेदनों की संख्या अत्यधिक है।

- **भारत में दायर कुल पेटेंट में निवासी भारतीयों का योगदान केवल 36% है,** जबकि शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में निवासियों का योगदान 62% है।
- भारत में **ट्रेडमार्क के लिए दायर आवेदनों की स्थिति** पेटेंट की स्थिति से विपरीत है। वर्ष 1999 के बाद से दायर ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण **निवासियों द्वारा दायर ट्रेडमार्क आवेदनों में हुई वृद्धि है।**

अनिवासी भारतीय एवं नवाचार (Non-Resident Indians and Innovation)

- वर्ष 2009 में यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में सूचीबद्ध लगभग 6% **अमेरिकी आविष्कारकों के नाम और उपनाम भारतीय मूल के थे।**
- **भारत से कुशल कार्यबल और छात्रों का वृहद-स्तर पर प्रवासन वास्तव में भारत की नवाचार संबंधी आकांक्षाओं के लिए कोई बुरी खबर नहीं है।**
- यह **भविष्य में उच्चतर-कुशल कार्यबल की भारत वापसी के रूप में भी परिणत हो सकता है।**
- हालांकि, इसके लिए भारत में **अनुकूल परिवेश का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। यह भारत के रोजगार-बाजार और उच्च-तकनीकी अनुसंधान अवसरों में उच्चतर-कुशल कार्यबल की भारत वापसी को सुगम करेगा।**

क्या भारतीय नवाचार वित्तपोषण की उपलब्धता से प्रभावित है?

- भारत और ब्राजील की रैंक समग्र वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में अपने **इक्विटी के साथ-साथ ऋण बाजार के विकास के स्तर** के संदर्भ में अपेक्षा से निम्नतर है। यह शीर्ष दस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार निर्गत एवं नवाचार आगत के संदर्भ में काफी नीचे है।
- इस बात को देखते हुए कि इनमें से अधिकतर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में अधिक नवोन्मेषी हैं और इनके इक्विटी बाजार के विकास से उच्च-तकनीकी नवाचार को बहुत बढ़ावा मिला है। इससे यह इंगित होता है कि भारत में भी नवाचार में उच्च-तकनीक का अत्यधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

नीतिगत निहितार्थ

- भारत कुशलतापूर्वक नवाचार आगतों (innovation inputs) में होने वाले निवेश को उच्चतर स्तर के नवाचार निर्गतों/उत्पादों (innovation outputs) में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसका अर्थ यह हुआ कि **भारत अन्य कई देशों की तुलना में नवाचार में होने वाले निवेश से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।**
    - इसके लिए **GERD के स्तर में वृद्धि करना** आवश्यकता है, जो **वर्तमान में GDP का 0.7% है।** इसे कम से कम अन्य शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं के GERD के औसत स्तर, जो लगभग 2% से अधिक है, के बराबर करना चाहिए।
    - इसके लिए देश में **R&D कर्मियों और शोधकर्ताओं की संख्या** में व्यापक वृद्धि करने की आवश्यकता है। **विशेषकर निजी क्षेत्रक में।**
    - भारत के **व्यापार क्षेत्रक को अपने GERD में अत्यधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है।** इस क्षेत्रक द्वारा GERD में वृद्धि भारत की वैश्विक स्तर पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (GDP के संदर्भ में वर्तमानअमेरिकी डॉलर के तहत) के अनुरूप करनी चाहिए।
    - भारत को **संस्थान और व्यापार परिष्कार (Business Sophistication) पर अपना प्रदर्शन सुधारने** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन आयामों में उच्चतर प्रदर्शन से नवाचार निर्गत/उत्पाद का प्रदर्शन भी निरंतर उच्चतर होता है।

शब्दावली	
सोलो विकास मॉडल (Solow Growth Model)	• सोलो का विकास मॉडल, आर्थिक संवृद्धि का बहिर्जात मॉडल है। इसमें, जनसंख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप समय के साथ किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।
अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (GERD)	• इसे किसी देश में सभी निवासी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय और सरकारी प्रयोगशालाओं, आदि द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय (चालू एवं पूंजीगत) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

	○ इसमें, अनुसंधान और विकास के लिए विदेशी वित्तपोषण को शामिल किया जाता है, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था से बाहर होने वाले अनुसंधान और विकास के लिए घरेलू वित्तपोषण को शामिल नहीं किया जाता है।

अध्याय एक नजर में
• भारत पहली बार GII में शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। इसके अलावा, मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और निम्न-मध्य आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• लेकिन अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का प्रदर्शन निम्नतम रहा है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं: ○ निम्नतम GERD योगदान। ○ कुल GERD में सरकारी क्षेत्रक द्वारा अपने अनुपात की तुलना में अधिक योगदान किया जाता है। ○ GERD में व्यापार क्षेत्रक का निम्नतम योगदान। ○ कुल R&D कर्मियों एवं शोधकर्ताओं के योगदान के मामले में भी व्यापार क्षेत्रक काफी पीछे है।
• भारत में दायर कुल पेटेंट की संख्या में वर्ष 1999 के बाद से तीव्र वृद्धि हुई है। पेटेंट में वृद्धि का मुख्य कारण अनिवासी भारतीयों द्वारा दायर आवेदन हैं जबकि ट्रेडमार्क में ये वृद्धि निवासी भारतीयों द्वारा दायर आवेदनों के कारण हुई है।
• भारत के व्यापार क्षेत्रक को R&D संबंधी निवेश में अत्यधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में नवाचार के लिए उदार कर प्रोत्साहन संरचना है एवं इक्विटी बाजार तक पहुंच बेहतर है।
• भारत को संस्थानों एवं व्यापार परिष्कार संबंधी नवाचार आगतों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भारत नवाचार निर्गतों/उत्पादों में उच्चतर सुधार की अपेक्षा कर सकता है।

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

अध्याय 8

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है?

(a) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

(b) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

(c) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

(d) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)

Q2. 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. **वैश्विक नवाचार सूचकांक आरंभ होने के बाद से वर्ष 2020 में पहली बार भारत शीर्ष 50 नवाचारी देशों की सूची में शामिल हुआ है।**
2. **वर्तमान में, भारत शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार निर्गतों और नवाचार आगतों के मामले में सबसे निचले स्थान पर है।**
3. **मध्य और दक्षिण एशिया में भारत प्रथम स्थान पर है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1और 3

(d) केवल 2 और 3

Q3. भारत में अनुसंधान और विकास व्यय के संदर्भ में:

1. **भारत का अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (GERD), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3% है।**
2. **भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (GERD) का आधे से अधिक योगदान सरकार द्वारा दिया जाता है।**
3. **भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (GERD) में व्यवसाय क्षेत्रक का योगदान, सरकार की तुलना में कम है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q4. **निम्नलिखित कारकों में से कौन-सा/से अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए भारत को आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए उत्तरदायी है/हैं।**

1. कुशल और कम लागत वाला श्रम

2. वृद्धिशील आय का स्तर

3. उदार कर प्रोत्साहन संरचना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q5. **भारत में अनुसंधान और विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. भारतीय सरकारी क्षेत्रक का कुल अनुसंधान और विकास कर्मियों में 50% से कम योगदान है।

2. वर्ष 1999 के बाद से भारत में दायर किए गए पेटेंट की कुल संख्या में तेजी से कमी आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. **चर्चा कीजिए कि भारत में किस स्तर तक नवाचार में निवेश, निर्गत के रूप में परिवर्तित होता है। उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए आपके अनुसार नीतिगत अनिवार्यताएं क्या होनी चाहिए?**

Q2. **नवाचार के अनुदिश भारत के प्रदर्शन रेखांकित करते हुए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।**

VISION IAS

अध्याय 9: आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना (जे.ए.वाई.) और स्वास्थ्य परिणाम {Jay Ho: Ayushman Bharat's Jan Arogya Yojana (JAY) and Health Outcomes}

विषय-वस्तु

इस अध्याय में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परिणामों पर मजबूत सकारात्मक प्रभावों को दर्शाया गया है। यह योजना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ वर्ष 2018 में किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा/सेवा सुलभ कराना/प्रदान करना है।

इस अध्याय में, स्वास्थ्य परिणामों पर PM-JAY के प्रभावों के मूल्यांकन के उद्देश्य से विश्लेषण किया गया है। इसके लिए, PM-JAY लागू करने वाले राज्यों की तुलना इसे लागू न करने वाले राज्यों के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण (difference-in-difference analysis) करके की गई है।

सार्वजनिक वस्तुएं (Public goods)

- सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो अप्रतिस्पर्धी (non-rival) और अवर्ज्य (non-excludable) हों। इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने में बाजार प्राय: नाकाम रहता है।
- सार्वजनिक वस्तुएं **बाजार द्वारा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।** इन वस्तुओं की आपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।
- **इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान/प्रबंध करना और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार के मुख्य कार्यों में से एक है।**
- **किसी लोकतंत्र में** सरकारें **'सदृश्य समस्या (horizon problem)'** से पीड़ित या प्रभावित हो सकती हैं। सदृश्य समस्या, वह समस्या है जहां समय-सीमा, जिस पर सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ मतदाताओं को पहुंचते हैं, चुनावी चक्रों से अधिक अवधि की हो सकती है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY)

चूंकि **स्वास्थ्य सुविधा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है,** इसलिए प्रत्येक सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) को मंजूरी दी थी। इस योजना को **देश के सर्वाधिक वंचित वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए ऐतिहासिक कदम के रूप में आरंभ किया गया है।**

- इस योजना के तहत, **प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।** यह फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा है अर्थात् इसका प्रयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।
- यह योजना देश में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से **माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार** सुविधा का लाभ प्रदान करती है।

PM-JAY: अब तक की स्थिति और प्रगति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी PM-JAY की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसके कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- इस योजना को 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने लागू किया है।
- 13.48 करोड़ ई-कार्ड जारी किए गए हैं।
- 7,490 करोड़ रुपये से ज्यादा का इलाज किया गया है। (अस्पताल में भर्ती होने के 1.55 करोड़ मामले सामने आए हैं)।
- 24,215 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
- 1.5 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं।

PM-JAY और COVID-19

- PM-JAY का उपयोग **बार-बार होने वाले और कम खर्च वाले स्वास्थ्य उपचार के लिए** उल्लेखनीय रूप से **बड़े पैमाने पर हो रहा है,** जैसे कि डायलिसिस में। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी इसमें कोई रुकावट नहीं आई।
- इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, जो आधे से ज्यादा दावे किए गए हैं, वे सामान्य चिकित्सा से जुड़े थे। सामान्य चिकित्सा, यह वह प्रमुख नैदानिक विशेषता होती है जिसमें सर्जरी को छोड़कर बाकी सभी चिकित्सा सुविधाएं शामिल होती हैं। **लॉकडाउन के दौरान इसमें थोड़ी गिरावट आने के बाद इस क्षेत्र में V-आकार की रिकवरी हुई है** और दिसंबर 2020 में कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गया है।

- इसके तहत, **अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक** का खर्च प्रदान किया जाता है। इसमें आयु और लिंग या परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है। इस योजना का पूरे देश में कहीं भी लाभ लिया जा सकता है।
- इसके लाभार्थियों में 10.74 करोड़ निर्धन और वंचित परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोग शामिल हैं, **जो भारतीय जनसंख्या के वंचित वर्ग का लगभग 40 प्रतिशत हैं।**
- इस योजना में परिवारों को क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 (SECC 2011) से वंचित एवं व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया है।
- AB-PM-JAY का **उद्देश्य 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना भी है,** ताकि देश के सभी लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और इसके स्वास्थ्य परिणाम

इस अध्याय में प्रदत्त साक्ष्य से पता चलता है कि कार्यक्रम के शुरू होने के कम समय में ही PM-JAY का **स्वास्थ्य सुविधा परिणामों पर मजबूत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।** इस विश्लेषण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS 2015-16) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS 2019-20) के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांकों/संकेतकों को मापा गया है। इस विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:

स्वास्थ्य सूचकांक/संकेतक	**वे सभी राज्य जिन्होंने PM-JAY को अपनाया बनाम जिन्होंने नहीं अपनाया**
स्वास्थ्य बीमा	जिन राज्यों ने PM-JAY को कार्यान्वित किया, वहां स्वास्थ्य बीमा कराने वाले परिवारों के अनुपात में 54 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि **जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया वहां 10 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।**
शिशु मृत्यु दर (IMR), 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर (U5MR), नवजात शिशु मृत्यु दर (NNMR)	• PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में शिशु मृत्यु दर (IMR) में 20% गिरावट आई, जबकि PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों में 12 प्रतिशत गिरावट आई। • **PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में U5MR में 19 प्रतिशत गिरावट आई,** जबकि PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों में 14% गिरावट आई। • PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में NNMR में 22 प्रतिशत गिरावट आई, जबकि PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों में 16 प्रतिशत गिरावट आई।
परिवार नियोजन का तरीका	**PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में परिवार नियोजन** के किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने वाले **लोगों के अनुपात में 15% की बढ़ोतरी हुई,** जबकि अन्य राज्यों में केवल 7 प्रतिशत (आधे से कम) बढ़ोतरी हुई।
मातृ (प्रसूति) एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं	• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर PM-JAY का प्रभाव चिंताजनक है, **भिन्न-भिन्न सूचकों के अनुसार लाभ की सीमा भी अलग-अलग है।** • **PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में उन प्रसूताओं के अनुपात में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिन्हें टीका लगाकर सुरक्षित किया गया था ताकि उनका नवजात शिशु टिटनेस का शिकार न हो।** PM-JAY कार्यान्वित न करने वाले राज्यों में इस अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ। • इसके विपरीत, PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में उन महिलाओं के अनुपात में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिन्होंने स्वयं का पंजीकरण कराया था और मातृ एवं शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड प्राप्त किया था। PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों में इस अनुपात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

VISION IAS

समग्र प्रभाव	• **PM-JAY के माध्यम से स्वास्थ्य के संबंध में व्यापक पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न हो सकती है,** स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकती हैं और मातृ एवं शिशु की देखभाल से जुड़े परिणामों में सुधार हो सकता है। • **PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों की तुलना में** PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों के स्वास्थ्य परिणामों में **सुधार आया है।** • **PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों की तुलना में** PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में **स्वास्थ्य बीमा की व्यापक समझ में वृद्धि, शिशु एवं बाल मृत्यु दरों में गिरावट, परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता तथा उपयोगिता में वृद्धि** और HIV/AIDS के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न हुई है। • **सर्वेक्षण से पता चलता है कि PM-JAY ने स्वास्थ्य परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।**

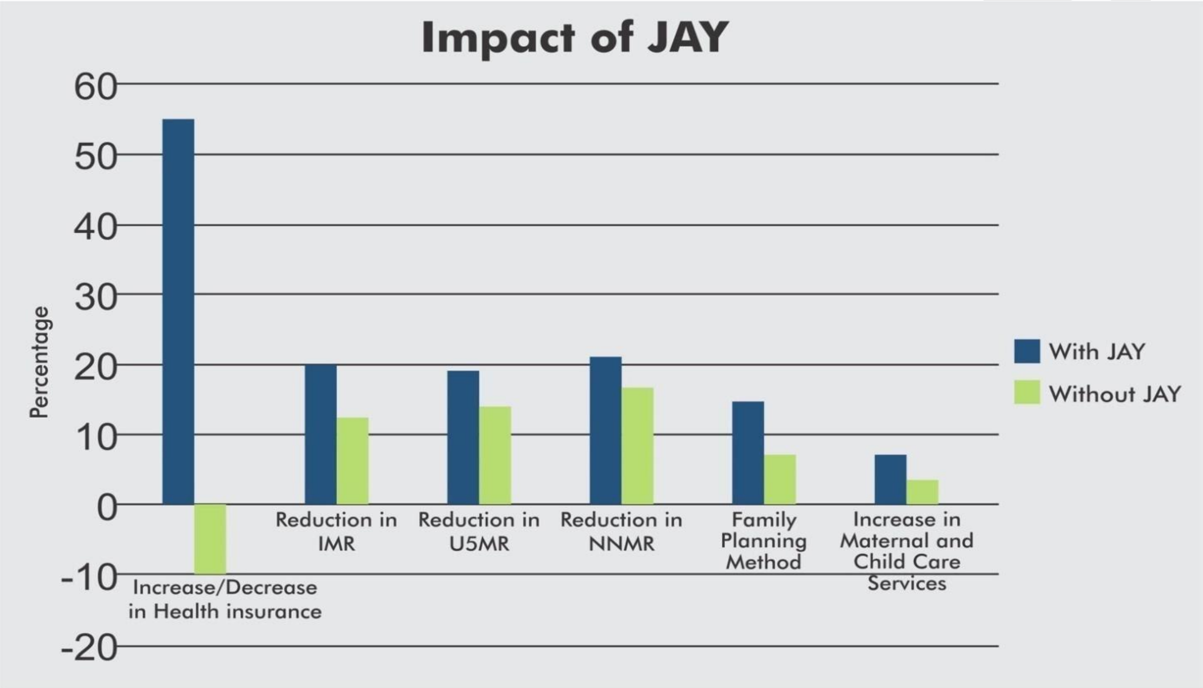

अध्याय एक नज़र में
• इस अध्याय में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) का स्वास्थ्य परिणामों पर मजबूत सकारात्मक प्रभाव दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम को आरंभ हुए बहुत कम समय हुआ है, उसके बावजूद इसके ये परिणाम प्राप्त हुए हैं।
• सर्वेक्षण में राज्यों की दो श्रेणियों में PM-JAY के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। वे दो प्रकार हैं:- PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्य और PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्य ○ विश्लेषण दर्शाता है कि PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों की तुलना में PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमा की व्यापक समझ में वृद्धि, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट और HIV/AIDS के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न हुई है।
• PM-JAY से स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़ा है। PM-JAY से स्वास्थ्य के प्रति व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकती हैं और मातृ एवं शिशु की देखभाल से संबंधित परिणामों में सुधार हो सकता है।
• PM-JAY कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों की तुलना में PM-JAY कार्यान्वित करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य परिणाम में सुधार आया है।
• सर्वेक्षण से पता चलता है कि PM-JAY ने स्वास्थ्य परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

अध्याय 9

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. 'सार्वजनिक वस्तुओं' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सार्वजनिक वस्तुएं गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-बहिष्कृत होती हैं।

2. सार्वजनिक वस्तुओं की पर्याप्त रूप से आपूर्ति केवल बाजार द्वारा ही प्रदान एवं सुनिश्चित की जा सकती है।

3. स्वास्थ्य देखभाल को महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) के संदर्भ में *सही नहीं* है?

(a) इस योजना में परिवार के आकार और आयु संबंधी की कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है।

(b) इस एक नॉन-पोर्टेबल योजना है और लाभार्थी केवल अपने मूल निवास स्थान वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में ही पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

(c) इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवारों को सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के अपवंचन मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया है।

(d) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए परिवारों को सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर शामिल किया गया है।

Q3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) के कार्यान्वयन की स्थिति पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केवल 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया गया है।

2. इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग लाभार्थियों को 35 करोड़ से अधिक ई-कार्ड जारी किए गए हैं।

3. वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 3

VISION IAS

Q4. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) लागू करने और लागू नहीं करने वाले राज्यों के विश्लेषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जिन राज्यों ने PM-JAY को लागू किया उन राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में वृद्धि हुई है जबकि इसे लागू नहीं करने वाले राज्यों में इस संबंध में गिरावट हुई है।
2. जिन राज्यों में PM-JAY को लागू किया उन राज्यों में शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी हुई है, जबकि इसे लागू नहीं करने वाले राज्यों में इस संबंध में वृद्धि हुई है।
3. जिन राज्यों ने PM-JAY को लागू किया और लागू नहीं किया दोनों में ही परिवार नियोजन हेतु किसी भी विधि का उपयोग करने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q5. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB- PM-JAY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना पारिवारिक फ्लोटर के आधार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक की स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करती है।
2. यह योजना केवल पैनलबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से ही माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में रोगियों को भर्ती होने की सुविधा प्रदान करती है।
3. इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण आबादी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1और 3

(c) केवल 2

(d) केवल 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर PM-JAY के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Q2. स्वास्थ्य देखभाल महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु है वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में, राष्ट्र के स्वास्थ्य परिणामों पर स्वास्थ्य बीमा के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 10: जरुरी आवश्यकताएं (The Bare Necessities)

विषय-वस्तु

आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसी "बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच एक सभ्य जीवन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यह अध्याय **ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (Bare Necessities Index: BNI) का निर्माण करके "बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच प्रदान करने में हुई प्रगति का परीक्षण करता है।** BNI का प्रयोग करते हुए, यह अध्याय **स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच प्रदान करने में हुई प्रगति को सारांशित करता है।**

परिचय

- बुनियादी आवश्यकताओं में आवास, जल, स्वच्छता, विद्युत और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन शामिल हैं, क्योंकि ये संयुक्त रूप से एक परिवार के सभी सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं।
  - **इन आवश्यकताओं तक पहुंच से एक परिवार का समय बचता है,** जिसका उपयोग वे शिक्षा और अधिगम जैसी उत्पादक गतिविधियों में कर सकते हैं।
    - यह पाया गया है कि **पानी ढोने की गतिविधि लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। साथ ही,** स्कूलों में शौचालय बन जाने से किशोरावस्था वाली लड़कियों के नामांकन अत्यधिक वृद्धि होती है।
    - इसके अतिरिक्त, देश में **प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत और शिक्षा सूचकांक में उच्च स्कोर के मध्य गहन संबंध है।**
  - स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित स्वच्छता और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच का **शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के साथ भी सीधा संबंध होता है।**
    - **खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच से बाल स्वास्थ्य में सुधार होता है।** अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने आई है कि जिन घरों में खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन का प्रयोग अधिक अनुपात में किया जाता है, उनमें शिशु मृत्यु दर उच्च होती है।
    - **वास्तव में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए पाइप्ड (पाइप द्वारा) जल और स्वच्छता तक पहुंच महत्वपूर्ण है।** जल स्रोत से दूरी और जल लाने में व्यय समय पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इससे रोगों से संबंधित जोखिम भी बढ़ जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 से यह प्रदर्शित होता है कि **स्वच्छ भारत मिशन के परिणामस्वरूप पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसार (दस्त) और मलेरिया के मामलों में कमी आई है।** साथ ही मृत जन्मे बच्चों और 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजातों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है।
- **"बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच में सुधार की दिशा में सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास** किए गए हैं।

बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सरकार की योजनाएं

योजना	उद्देश्य	लक्ष्य और उपलब्धियां
स्वच्छ भारत मिशन (SBM) - शहरी और ग्रामीण	• SBM-ग्रामीण का उद्देश्य **2 अक्टूबर, 2019 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करके भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) करना** था। • SBM-शहरी का उद्देश्य **100% खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा हासिल करना और देश में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्राप्त** करना है।	• SBM के तहत, ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। • कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों में प्राप्त किये गए लाभों को बनाए रखने के लिए, वर्ष **2020-21 से 2024-25 तक SBM(G) के चरण II को लागू किया जा रहा है। यह वित्तपोषण के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं,** जैसे कि- मनरेगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड, स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान **के बीच अभिसरण** के माध्यम से **ODF स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) पर केंद्रित है।**

		• **वर्ष 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, पूर्व निर्धारित** लक्ष्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, SBM-U के तहत 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। • अब तक, 4,327 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को ODF घोषित किया गया है। • मिशन अब अपने **ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल के माध्यम से समग्र स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्तमान में कुल 1,319 शहर ODF+ और 489 शहर ODF++ प्रमाणित हैं।** • **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में, 100 प्रतिशत वार्डों में घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने का लक्ष्य पूरा किया गया है।** • इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन उत्पन्न 1,40,588 टन (TPD) कचरे में से, 68% (अर्थात्, 95,676 TPD) संसाधित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास या०ेजना (PMAY)	• PMAY का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना है।	• **PMAY (शहरी) के तहत, 18 जनवरी, 2021 तक 109.2 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है,** जिनमें से जून, 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से 41.3 लाख आवास PMAY (शहरी) के तहत लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं। • PMAY (ग्रामीण) के तहत निर्माण के लिए आवासों की लक्षित संख्या- 2.95 करोड़ को दो चरणों में विभाजित किया गया है, जो कि चरण I (2016-17 से 2018-19) में 1.00 करोड़ और चरण II (2019-20 से 2021-22) में 1.95 करोड़ है। ○ वर्ष 2014-15 से अब तक, लगभग 1.94 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें से 1.22 करोड़ आवास PMAY- ग्रामीण की संशोधित योजना के तहत और 0.72 करोड़ पूर्व की इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP), अब जल जीवन मिशन (JJM)	• NRDWP का उद्देश्य संधारणीय आधार पर **प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जल** उपलब्ध कराना था। • JJM का लक्ष्य वर्ष **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील नल जल कनेक्शन** (Functional Tap Water	• अगस्त 2019 में योजना के आरंभ के समय, लगभग 3.23 करोड़ (17%) परिवारों को नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध थी। • मिशन शुरू होने के बाद से, 16 जनवरी 2021 तक, लगभग 3.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को **FTWC प्रदान किया गया है।**

	Connection: FTWC) **प्रदान करना और** नल जल के कनेक्शन की कार्यात्मकता सुनिश्चित करके **दीर्घकालिक आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd) 55 लीटर के आपूर्ति स्तर पर पीने योग्य पाइप द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।**	
सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य	• सरकार ने अक्टूबर, 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य **देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों में** और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक निर्धन परिवारों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करके **मार्च, 2019 तक सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था।**	• **31.03.2019 तक छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremists: LWE) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 परिवारों को छोड़कर सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सभी परिवारों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी है।** • 7 राज्यों ने बताया कि **31.09.2019 से पहले 19.09 लाख ऐसे गैर-विद्युतीकृत परिवारों की पहचान की गई थी, जो पहले इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है।** ○ राज्यों को इन परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)	• PMUY को **जमा-मुक्त 8 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ** मई, 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **निर्धन परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना है।** • यह कनेक्शन निर्धन परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर प्रदान किया जाता है। लाभार्थी के पास 14.2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम सिलेंडर के साथ कनेक्शन प्राप्त करने का विकल्प होता है। • लाभार्थी के पास मौजूदा 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर को **5 किलोग्राम सिलेंडर के साथ बदलने का भी विकल्प है।**	• PMUY के तहत, **31 मार्च, 2020 की निर्धारित लक्ष्य तिथि से 7 महीने पहले ही सितंबर, 2019 में 8 करोड़ नए LPG कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।**

- "बुनियादी आवश्यकताओं" के वितरण में प्रगति को मापने के लिए, **सर्वेक्षण ने एक समग्र सूचकांक विकसित किया है जिसे बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक (BNI) कहा जाता है।**
- BNI **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO)** के डेटा का उपयोग करके **आर्थिक विकास के लिए "बुनियादी आवश्यकताओं" के दृष्टिकोण के परिणाम निर्धारित** करने का एक प्रयास है।
  - वर्ष 2012-2018 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु समग्र सूचकांक मुख्य रूप से **भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा (Hygiene) और आवास स्थिति पर दो NSO राउंड अर्थात्, 69वें (वर्ष 2012) और 76वें (वर्ष 2018) के डेटा का प्रयोग करके बनाये गए हैं।**
- BNI **ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों तक "बुनियादी आवश्यकताओं" की पहुंच** को मापता है। इन आवश्यकताओं को **पांच आयामों पर 26 तुलनात्मक संकेतकों का प्रयोग करके मापा जाता है।**

बुनियादी आवश्यकता सूचकांक

आयाम	विश्लेषण के लिए प्रयोग किए गए संकेतक	स्थिति
जल	• यह **पेयजल के मुख्य स्रोत, जल के स्रोत से दूरी, उस तक पहुंच की प्रकृति और जल निष्कर्षण की विधि का मापन करता है।**	• **वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में अधिकांश राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधार हुआ है,** (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और शहरी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)। • पेयजल सुगम्यता सूचकांक (drinking water accessibility index) में, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य शीर्ष पर हैं, जबकि ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश सबसे नीचे हैं। • शहरी क्षेत्रों में ऐसी विषमताओं के कम होने के बावजूद, वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में **क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।** • वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में **सभी समूहों में, पेयजल तक पहुंच में साम्यता (Equity) में वृद्धि हुई है।**
स्वच्छता	• यह **निजी उपयोग के लिए शौचालय तक पहुंच, शौचालय के प्रकार, अर्थात्, सीवर सिस्टम, सेप्टिक टैंक, ट्विन लीच पिट, सिंगल पिट** आदि का मापन करती है।	• **राज्यों के लिए स्वच्छता तक पहुंच यह दर्शाती है** कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी राज्यों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकांश राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में स्वच्छता तक पहुंच में सुधार हुआ है। • **स्वच्छता तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं में गिरावट आई है,** क्योंकि वर्ष 2012 में स्वच्छता तक कम पहुंच वाले राज्यों ने काफी सुधार किया है। ○ हालांकि, स्वच्छता तक पहुंच में राज्यों के मध्य अत्यधिक अंतर विद्यमान है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में निम्नतम आय वर्ग के मध्य **सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच के स्तर में वृद्धि हुई है।**
आवास	• यह **न केवल आवास की संरचना** (पक्का या कच्चा के संदर्भ में), बल्कि आवास इकाई के प्रकार (स्वतंत्र या फ्लैट) और संरचना की स्थिति (अच्छा है या नहीं) के आधार पर **भी आवास की गुणवत्ता को मापता है।**	• कुछ राज्यों में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर **सभी राज्यों में आवास तक पहुंच में सुधार हुआ है।** • **अंतरराज्यीय असमानताओं में गिरावट**

VISION IAS

		आई है, क्योंकि वर्ष 2012 में निम्न स्तर वाले राज्यों ने समानता को प्राप्त किया है। राज्यों के मध्य समानता के स्तरों में अंतराल अधिक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। • **उच्चतम आय वर्ग की तुलना में निम्नतम आय वर्ग के लिए आवास तक पहुंच में सुधार अत्यधिक रहा है,** जिससे वर्ष 2012 की अपेक्षा वर्ष 2018 में आवास तक पहुंच में साम्यता में वृद्धि हुई है।
सूक्ष्म पर्यावरण सूचकांक	• **यह उन परिवारों का प्रतिशत मापता है, जिनके स्वयं के आवास हैं और उनमें जल निकासी** (कच्चे जल निकासी के अतिरिक्त अन्य जल निकासी की पहुंच और जल निकासी की गुणवत्ता के संदर्भ में) की व्यवस्था है, जो मक्खियों/मच्छरों (गंभीर के अतिरिक्त अन्य) की समस्याओं से रहित हैं और जहां मक्खियों/मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय निकायों/राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।	• सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष **2018 में सूक्ष्म पर्यावरण में सुधार हुआ है (ग्रामीण इलाकों में असम और शहरी क्षेत्रों में ओडिशा और असम को छोड़कर)।** • वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में **शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानताओं में तेजी से गिरावट आई है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।** • ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में **शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म पर्यावरण बेहतर है** और ग्रामीण-शहरी अंतराल अधिक है। • वर्ष 2018 में **सूक्ष्म पर्यावरण की पहुंच में सुधार हुआ है,** विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्नतम आय वर्ग में।
अन्य सुविधाओं का सूचकांक	• इसमें **रसोई घर की उपलब्धता, रसोई में नल जल की उपलब्धता, घर में वायु का अच्छा संचार, शौचालय तक पहुंच, संलग्न शौचालय, बिजली का उपयोग, बिजली के अस्थायी तारों के बजाय स्थायी वायरिंग का प्रयोग** और खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के प्रकार (LPG या अन्य) शामिल हैं।	• वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में सभी राज्यों में ग्रामीण के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में भी एक परिवार की **अन्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है, शहरी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर।** • इन सुविधाओं के संदर्भ में अंतरराज्यीय असमानताओं में भी गिरावट आई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। • **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं तक पहुंच में साम्यता में सुधार** हुआ है। • **राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, विभिन्न आय समूहों के बीच, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आय समूहों के बीच** अभी भी व्यापक अंतराल विद्यमान है।

VISION IAS

वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित व्यापक निष्कर्ष

- **सभी राज्यों में “बुनियादी आवश्यकताओं” तक पहुंच में सुधार हुआ है।**
  - वर्ष 2018 में **बुनियादी आवश्यकताओं की सबसे अधिक पहुंच केरल,** पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों में रही, जबकि **ओडिशा, झारखंड,** पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में यह **सबसे कम** रही।
  - **ग्रामीण भारत में, वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं की सबसे अधिक पहुंच पंजाब,** केरल, सिक्किम, गोवा और दिल्ली में दर्ज की गई, जबकि **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,** बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में **सबसे कम** पहुंच दर्ज की गई।
  - **शहरी भारत में, वर्ष 2018 में किसी भी राज्य में BNI का 'निम्न स्तर' प्रदर्शित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त** वर्ष 2012 की तुलना में सुधार दर्शाने वाले राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर शामिल हैं।
- वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष **2018 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में "बुनियादी आवश्यकताओं" की पहुंच में अंतरराज्यीय असमानताओं में गिरावट दर्ज की गई है।**
- **संपूर्ण भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे धनी परिवारों की तुलना में सबसे निर्धन परिवारों की** "बुनियादी आवश्यकताओं" तक **पहुंच में अत्यधिक सुधार** हुआ है।
- हालांकि, जहां बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वहीं **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, विभिन्न आय समूहों के बीच और राज्यों के बीच भी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में असमानताएं विद्यमान हैं।**
  - **वर्ष 2030 तक निर्धनता को कम करने, पेयजल, स्वच्छता और आवास तक पहुंच में सुधार लाने संबंधित SDGs को प्राप्त करने** में भारत को सक्षम बनाने हेतु जल जीवन मिशन, SBM-G, PMAY-G जैसी सरकारी योजनाएं **इन अंतरालों को दूर करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकती हैं।**
  - **केंद्र-राज्य और स्थानीय स्तरों पर योजना कार्यान्वयन में प्रभावी अभिसारिता** होनी चाहिए।
  - **जरूरतमंद आबादी का प्रभावी लक्ष्यीकरण** किया जाना चाहिए, चाहे वे शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर राज्यों में अधिवासित हों।
  - बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में प्रगति का आकलन करने के लिए सभी/ लक्षित जिलों के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त संकेतक और कार्यप्रणाली का उपयोग कर **वृहद् वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण डेटा के आधार पर BNI निर्मित किया जा सकता है।**

Figure 1: Improvement in the Bare Necessities Across India (Rural + Urban) from 2012 to 2018

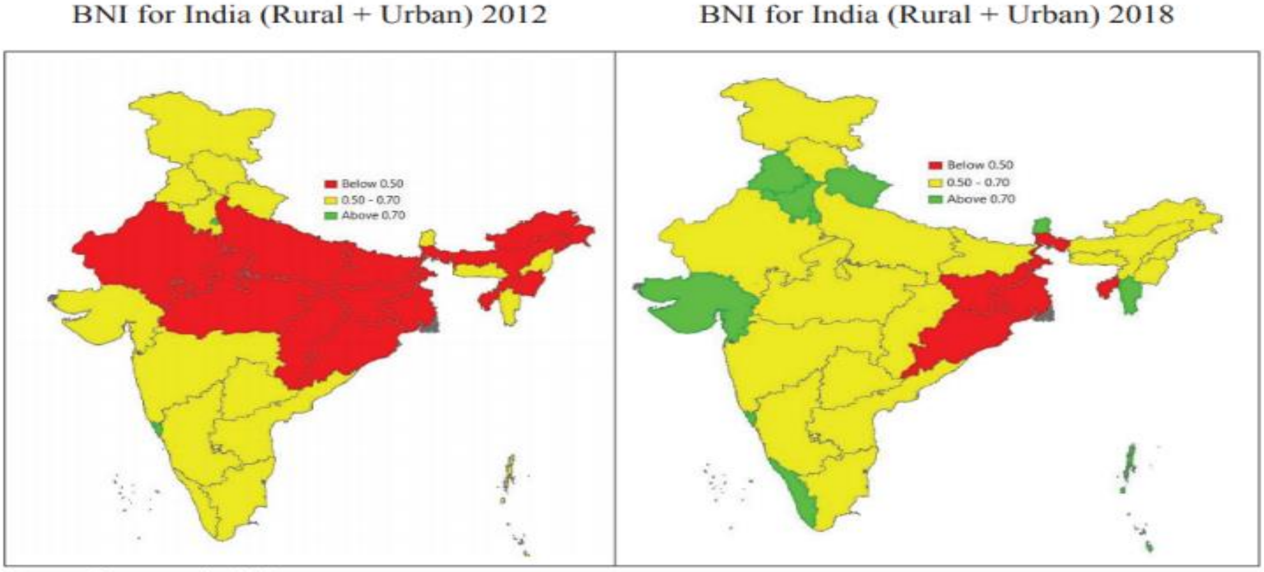

Source: Survey calculations.

आर्थिक समीक्षा का सारांश

- **मानचित्र में रंगों का अंतर** परिवारों तक **बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच में क्षेत्रीय विषमता को दर्शाता है।**
  - नक्शे में उपयोग किए गए तीन रंग - **हरा, पीला और लाल - परिवारों तक बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच प्रदान करने के राज्यों के स्तर को दर्शाते हैं।**
    - हरा (0.70 से ऊपर) 'उच्च' स्तर को दर्शाता है और इसलिए सर्वाधिक वांछनीय है। इसके बाद पीला (0.50 से 0.70), 'मध्यम' स्तर को दर्शाता है। इसके विपरीत, लाल (0.50 से नीचे) पहुंच के अत्यधिक 'निम्न' स्तर का संकेत देता है।
- राज्य स्तर पर डेटा को नियोजित करके सभी **राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए BNI निर्मित किया गया है।** चूंकि वर्ष 2011 में तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था, इसलिए इस राज्य के लिए वर्ष 2011 का डेटा उपलब्ध नहीं है; हालांकि, मानचित्र वर्ष 2011 में **संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य,** के लिए सूचकांक का मान दर्शाते हैं।

शब्दावली	
"बुनियदी आवश्यकताओं" का दृष्टिकोण	• आर्थिक विकास के लिए "बुनियादी आवश्यकताओं" का दृष्टिकोण **बुनियादी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा** पर केंद्रित है, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल और स्वच्छता जो खराब स्वास्थ्य और अल्पपोषण को रोकने के लिए आवश्यक हैं। • अमर्त्य सेन द्वारा निर्धनता को कुछ न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं या योग्यताओं को प्राप्त करने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया है।

आर्थिक समीक्षा का सारांश

अध्याय एक नजर में

- **यह अध्याय ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (BNI) का निर्माण करके "बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच प्रदान करने में हुई प्रगति का परीक्षण करता है।**
  - **बुनियादी आवश्यकताओं में आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन शामिल हैं, क्योंकि ये सभी संयुक्त रूप से एक परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।**
- **"बुनियादी आवश्यकताओं" की पहुंच में सुधार लाने के लिए क्रमिक सरकारों ने लगातार प्रयास किए हैं और कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण और शहरी; प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY); जल जीवन मिशन (JJM); सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य; प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)।**
- **BNI ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों तक "बुनियादी आवश्यकताओं" की पहुंच को मापता है। इन आवश्यकताओं को पांच आयामों - जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं - पर 26 तुलनात्मक संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है।**
  - **BNI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO) के डेटा का उपयोग करके आर्थिक विकास के लिए "बुनियादी आवश्यकताओं" के दृष्टिकोण के परिणाम निर्धारित करने का एक प्रयास है।**
- **वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष** 2018 में "बुनियादी आवश्यकताओं" से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष:
  - **सभी राज्यों में "बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच में सुधार हुआ है।**
  - **वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में** "बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच से संबंधित अंतरराज्यीय असमानताओं में गिरावट दर्ज हुई है।
  - संपूर्ण भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे धनी परिवारों की तुलना में सबसे निर्धन परिवारों की **"बुनियादी आवश्यकताओं" तक पहुंच में** अत्यधिक सुधार हुआ है।

अध्याय 10

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सी सरकारी योजना/योजनाएं लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच में सुधार से संबद्ध है/हैं?

1. स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
3. जल जीवन मिशन (JJM)
4. सहज बिजली हर घर योजना
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1और 3
(b) केवल 1, 2, और 3
(c) केवल 2, 3 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q2. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत संपूर्ण ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
2. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) का दूसरा चरण केवल खुले में शौच मुक्त (ODF) संबंधी संधारणीयता पर केंद्रित है।
3. प्रतिदिन उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से 90 प्रतिशत को परिष्कृत या उपचारित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Q3. बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (BNI) 2018 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आर्थिक विकास के लिए जरूरी आवश्यकता दृष्टिकोण के परिणाम को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों का उपयोग करता है।
2. जरूरी आवश्यकताओं तक पहुँच में, संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे धनी परिवारों की तुलना में सबसे निर्धन परिवारों के लिए अनुपातहीन रूप से अधिक सुधार हुआ है।
3. बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच में, संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में अंतरराज्यीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q4. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को खाना पकाने हेतु नि:शुल्क स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है।**
2. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन निर्धन परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर दिया जाता है।**
3. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ नए LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य वर्ष 2020 से पहले ही वर्ष 2019 में प्राप्त कर लिया गया है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Q5. **सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना है।**
2. **प्रत्येक राज्य ने वर्ष 2019 में सौभाग्य पोर्टल पर सभी परिवारों के विद्युतीकरण की घोषणा की है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. **सभी राज्यों में और भारत में आय समूहों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच में भिन्नता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने संबंधी आवश्यकता उभरी है। चर्चा कीजिए।**

Q2. **आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में रेखांकित जरूरी आवश्यकता सूचकांक की समीक्षा कीजिए और इसका महत्व बताइए।**

Q3. **बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक के घटकों पर चर्चा कीजिए। क्या यह आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने का व्यवहार्य माप है?**

Q4. **स्वच्छता सूचकांक, आवास सूचकांक, और सूक्ष्म-पर्यावरण सूचकांक के विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए।**

ANSWER KEY

Chapter 1

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
c	c	a	d	b	c	c

Chapter 2

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
a	b	a	d	d	b	b

Chapter 3

Q1	Q2	Q3	Q4
a	c	c	d

Chapter 4

Q1	Q2	Q3	Q4
a	c	c	d

Chapter 5

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
a	c	a	d	d

Chapter 6

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
d	d	d	d	d

Chapter 7

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
c	c	a	d	d

Chapter 8

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
a	c	b	d	a

Chapter 9

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	b	a	b	b

Chapter 10

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
d	a	a	b	d

खण्ड: 2

अध्याय 1: 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति: एक वृहद दृष्टिकोण (State of The Economy 2020-21: A Macro View)

परिचय

वर्ष 2020, कोविड-19 (कोरोना महामारी) के रूप में सदियों में एक बार घटित होने वाली **'अप्रत्याशित घटना' (Black Swan Event)** का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। यह वर्ष 2019 के अंत में शुरू हुआ था तथा कुछ ही महीनों में प्रत्येक महाद्वीप इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गया। हालांकि, अब तक इसका प्रकोप जारी है। इस प्रकार, वर्ष 2020 का राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक घटकों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न हितधारकों के निष्पादन पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के संदर्भ में आकलन किया जाएगा।

महामारी का प्रसार (Spread of The Pandemic)

वैश्विक प्रसार (Global Spread)

- **समग्र प्रसार:** चीन स्थित वुहान में इसके शुरूआती प्रसार के बाद से, कोविड-19 ने अंटार्कटिका (दिसंबर 2020 में) और 220 से अधिक देशों सहित सभी महाद्वीपों को संक्रमित किया है। इस महामारी के कारण 10 करोड़ से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 21 लाख से अधिक मौतें हुई हैं।
- **वैश्विक वितरण:** यद्यपि, महामारी ने सभी प्रमुख देशों को प्रभावित किया है, तथापि भारत और ब्राजील जैसे उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Market and Developing Economies: EMDEs) की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Advanced Economies: AE) वाले देश औसत रूप से अधिक प्रभावित हुए हैं।
- **चरण:** इस महामारी का प्रसार अनेक चरणों में हुआ है, अर्थात्, पूर्व रोकथाम की अवधि के बाद भी बड़ी संख्या में संक्रमित मामलों का प्रसार होता रहा है।
  - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीसरा चरण सबसे घातक साबित हुआ है, जिसमें दूसरे चरण से 5.3 गुना अधिक मौतें हुई हैं।
  - भारत सितंबर 2020 तक, इसके प्रथम चरण से प्रभावित हो गया था। हालांकि, उसके बाद देश प्रभावी रूप से प्रसार के प्रबंधन में समर्थ रहा तथा अब तक दूसरे चरण से स्वयं को संरक्षित करने में सफल रहा है।

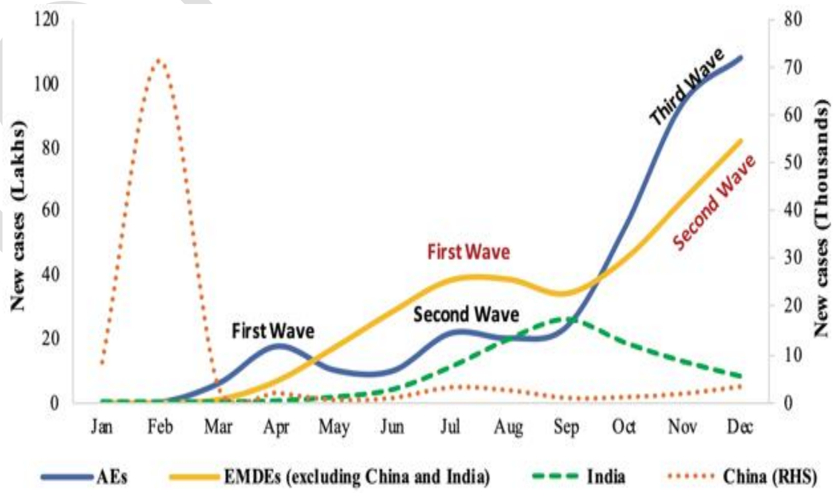

भारत में महामारी का प्रसार (Spread of the Pandemic in India):

- **कुल मामले:** भारत में संक्रमित लोगों की सर्वाधिक संख्या सितंबर 2020 में थी। भारत में पुष्टि किए गए मामलों ने 1.06 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि विश्व के कुल संक्रमित मामलों का लगभग 11 प्रतिशत है। 31 दिसंबर 2020 तक भारत में कुल मृत्यु की संख्या लगभग 1.48 लाख थी।
- **संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट:** जनवरी 2021 में नए मामले घटकर प्रतिदिन 16,000 से भी कम हो गए। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर नए मामलों में भारत की हिस्सेदारी सितंबर 2020 के 31 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 4 प्रतिशत हो गई थी।

- **भारत में वितरण/प्रसार:**
  - महामारी का प्रारंभिक प्रसार मुख्य रूप से देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों तक सीमित रहा था, इसके बाद देश के दक्षिणी क्षेत्र में संक्रमित मामलों में तीव्र वृद्धि हुई थी।
  - प्रति व्यक्ति के संदर्भ में, 31 दिसंबर, 2020 तक दक्षिणी क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम 1,226 संक्रमित मामलों (maximum caseload) की अभिपुष्टि की गई थी; पूर्वी क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर संक्रमित लोगों की संख्या न्यूनतम 342 रही थी।
  - कुल मृत्युओं में से 50 प्रतिशत से अधिक देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हुई हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में अपेक्षाकृत कम संख्या में मौतें हुई हैं।

कोविड परीक्षण में तेजी लाना (Ramping Up Testing)

प्रभावी परीक्षण को महामारी के प्रसार को सीमित करने के लिए एक ठोस रणनीति के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि इसकी मदद से संक्रमित मामलों का पता लगाने और संभावित मामलों की पहचान एवं उपचार को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है।

- **वैश्विक परीक्षण:** यह देखा गया है कि यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, जर्मनी, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और पेरू जैसे देशों को और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि इन देशों में प्रति लाख जनसंख्या पर मामले अन्य देशों के संबंध में उच्चतर हैं।
- **भारत में परीक्षण:** "टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत में लगभग 18.5 करोड़ संचयी (cumulative) कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

नीतिगत दुविधा: कोविड-19 के संदर्भ में

जीवन बनाम आजीविका: महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए, प्रसार के प्रभाव को कम करने तथा 'महामारी विज्ञान वक्र में वृद्धिशील आरेख को कम करने' ('flattening the epidemiological curve') हेतु तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता थी। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में शामिल वैश्विक और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण शून्य आर्थिक गतिविधियों, उपभोग गिरावट और निवेश के लगभग पूर्ण निलंबन के साथ-साथ प्रतिबंधित श्रम आपूर्ति एवं उत्पादन जैसी स्थितियों के सृजन को बढ़ावा मिला, जिससे नीति निर्माताओं के समक्ष 'जीवन' या 'आजीविका' में से एक को चुनने की दुविधा उत्पन्न हुई है।

Figure 10: Trade-off between Flattening COVID-19 Infection Curve and Steepening of Recession Curve

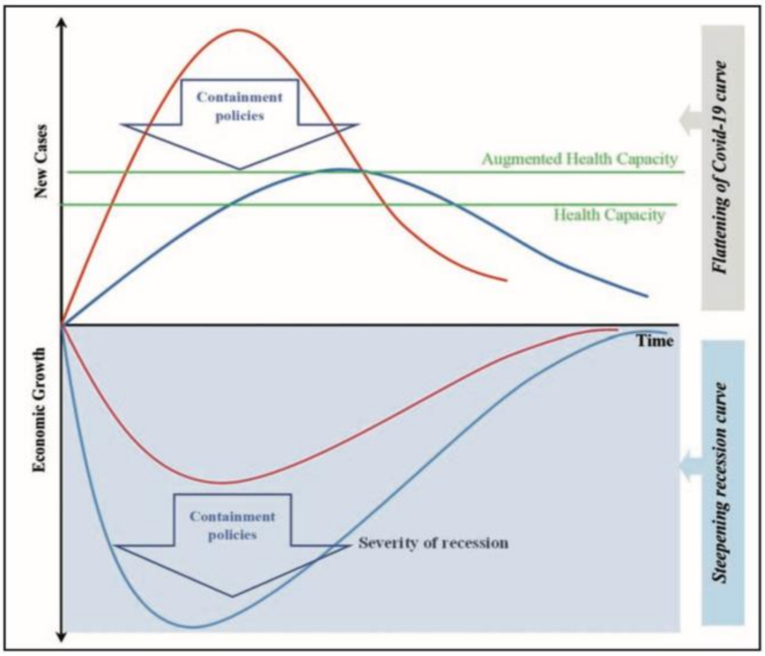

मांग-पक्ष और आपूर्ति पक्ष संबंधी आघात (Demand-side and Supply-side Shocks):

- **मांग आघात (Demand Shock):** बढ़ी हुई अनिश्चितता, कम आत्मविश्वास, आय में कमी, कमजोर संवृद्धि की संभावना, संक्रमण की आशंका, सभी संपर्क-संवेदनशील गतिविधियों को बंद करने के कारण व्यय संबंधी विकल्पों का बाधित होना और एहतियाती बचत की ओर केन्द्रित होना, व्यवसायों के मध्य जोखिम का बढ़ना और खपत एवं निवेश में गिरावट के चलते अभूतपूर्व 'मांग आघात' का सामना करना पड़ा है।
- **आपूर्ति आघात (Supply Shock):** आर्थिक गतिविधियों को बंद करने तथा श्रमिकों की प्रतिबंधित आवाजाही के कारण उत्पन्न हुए आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान ने आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया है।

ये प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्तीय संबंधों के कारण और अधिक गहरे हो गए हैं, जिससे वैश्विक गतिविधि में गिरावट हुई है और वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है। इस संदर्भ में, **'महामारी विज्ञान के वक्र में वृद्धिशील आरेख को कम करने'** के साथ-साथ **'मंदी संबंधित वक्र में वृद्धिशील आरेख को कम करना (flattening of the recession curve)'** और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत में कोविड-19 का क्षेत्रीय प्रभाव: सर्वव्यापी, फिर भी अनियमित (Sectoral Impact of Covid-19 In India: Ubiquitous, Yet Irregular)

महामारी के क्षेत्रीय प्रभाव को सकल मूल्य वर्धित और रोजगार के जुड़वां संकेतकों द्वारा मापा जा सकता है।

- **सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA):** सकल मूल्य वर्धित से संबंधित आघात (GVA shock) का विश्लेषण **गैर-आवश्यक** और **आवश्यक गतिविधियों** के संदर्भ में किया जा सकता है:
    - **गैर-आवश्यक गतिविधियों,** जैसे कि पर्यटन क्षेत्रक को अर्थव्यवस्था में उनके संबंधित GVA योगदान के सापेक्ष सीधे आनुपातिक रूप से एक संयुक्त क्षति का सामना करना पड़ा है।
    - **आवश्यक गतिविधियाँ,** मुख्यतः गैर-आवश्यक क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव से उत्पन्न होने वाले एक बड़े आघात से प्रभावित रही हैं। उदाहरण के लिए, आवश्यक उत्पादों की आवाजाही शुरू में रसद सेवाओं पर प्रभाव के कारण बाधित थी।
- **रोजगार:** संपर्क संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, होटल, परिवहन आदि में रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ अनौपचारिक श्रमिकों पर विषमता पूर्ण प्रभाव देखा गया है। परिणामस्वरूप, निर्माण और खनन जैसे क्षेत्रकों पर आश्रित रहने वाले अनौपचारिक श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन (Disruption of Global Economy by The Pandemic)

आधिकारिक गतिविधियों और निजी निर्णयों दोनों के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। महामारी के बाद की आर्थिक संभावनाओं और नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने निवेश को प्रभावित किया है; शिक्षा में व्यवधानों ने मानव पूंजी संचय की गति को कम कर दिया है; वैश्विक मूल्य श्रृंखला की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसे निम्नलिखित संकेतकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के अनुसार, वैश्विक उत्पादन में एक शताब्दी के दौरान सबसे तीव्र संकुचन होने की संभावना है, जिसके वर्ष 2020 की अवधि में **3.5 - 4.3 प्रतिशत** तक सीमित रहने की उम्मीद है।

Figure 19: Government Debt as % of GDP

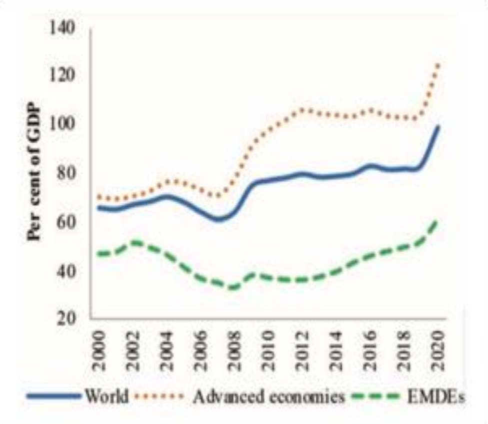

Figure 20: Major Economies - Total Debt as per cent of GDP

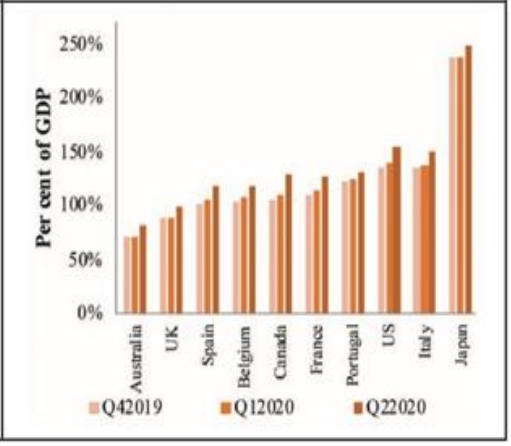

- वर्ष 2020 और 2021 में वैश्विक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) की संचयी क्षति लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उछाल के एक सूचक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला **वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक** (Global

Figure B3: Volume of E-Way Bill by Distance Category

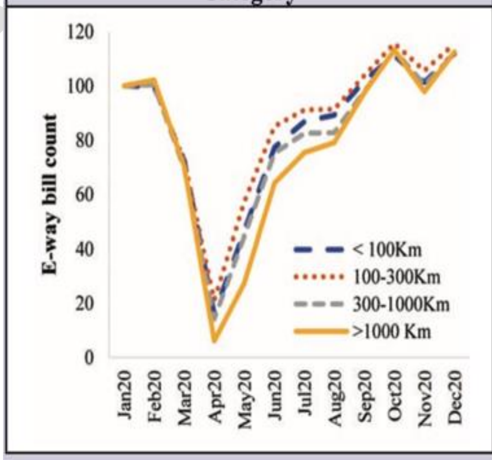

Figure B4: All India- Value of Goods Traded (INR Per Person)

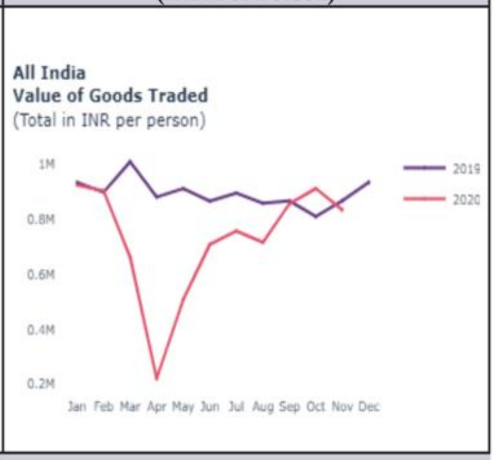

Source: GSTN

composite Purchasing Managers Index: PMI) जुलाई, 2020 से पहले पांच महीनों के लिए संकुचित रहा था।

- वैश्विक व्यापार के वर्ष 2020 में 9.2 प्रतिशत तक संकुचित होने की संभावना है।
- महामारी ने दीर्घ अवधि से चले आ रहे वैश्विक ऋण संचय प्रभाव से संबंधित जोखिमों को बढ़ा दिया है। ऋण का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वित्तीय बाजार तनाव की चपेट में आ गया है।

Figure 44: Share of Components of GVA

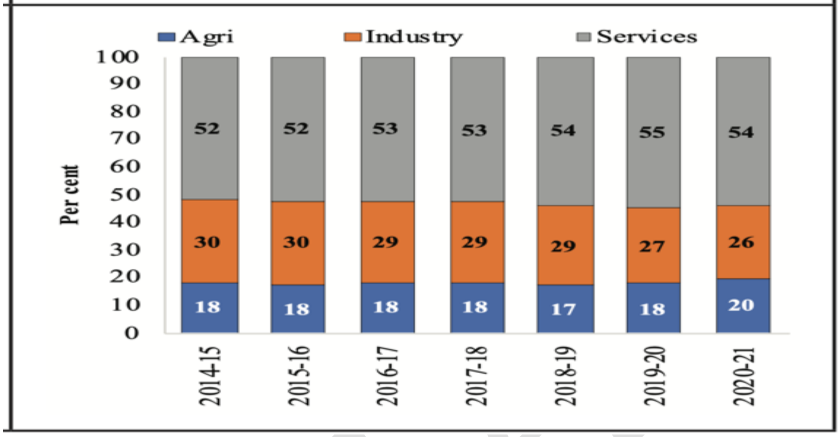

केंद्रीय बैंकों ने अभूतपूर्व तीव्र हस्तक्षेप के माध्यम से निरंतर नीतिगत समर्थन द्वारा स्थिति परिवर्तन की दिशा में एक उम्मीद प्रदान की है। वर्ष 2020 के मध्य से, कमोडिटी की कीमतों (जैसे कि- सोना, तेल इत्यादि) और वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई है, जो मांग में सुधार को दर्शाता है।

आगे बढ़ते हुए, एक प्रभावी टीकाकरण अभियान, उपभोक्ता और व्यवसाय के विश्वास की बहाली के साथ-साथ निरंतर मौद्रिक एवं राजकोषीय समर्थन से वर्ष 2021 में वैश्विक उत्पादन 4.5 से 5.5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

V आकार के सुदृढ़ प्रेक्षपवक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था (INDIAN ECONOMY ON THE PATH OF A RESILIENT V-SHAPED TRAJECTORY)

मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान लगाए गए कठोर लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (Q1) में 23.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही (Q2) में 7.5 प्रतिशत का तीव्र संकुचन (contraction) देखा गया था।

तब से, कई उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों (जैसे- ई-वे बिल) ने V-आकार की रिकवरी का प्रदर्शन किया। ई-वे बिल, रेल भाड़ा, GST संग्रह और विद्युत की खपत जैसे संकेतक न केवल महामारी से पूर्व के स्तर तक पहुंच गए हैं, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों से भी आगे निकल गए हैं।

- **ई-वे बिल (E-way bills)** राजस्व संग्रह, आपूर्ति श्रृंखला सुधार और रसद वृद्धि के एक सुदृढ़ अग्रणी संकेतक हैं। {इसे व्यापारिक गतिविधियों (trade numbers) और ई-वे बिल की तुलना कर समझा जा सकता है}। यह इसे आर्थिक सुधार के प्रतिरूप का अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त घटक के रूप में चिन्हित करता है।

क्षेत्रक प्रवृत्तियां (Sectoral Trends)

- **कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector):** वित्त वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही (Q1) और दूसरी तिमाही (Q2) दोनों में इस क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह इंगित करता है कि रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसलों की बुवाई से संबंधित कृषि गतिविधियां कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन से काफी हद तक अप्रभावित रही हैं।
  - इस संदर्भ में, खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2020-21 फसल वर्ष के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2019-20 में प्राप्त रिकॉर्ड उत्पादन से 1.5 प्रतिशत अधिक है।

Figure 24: Growth in Core Index

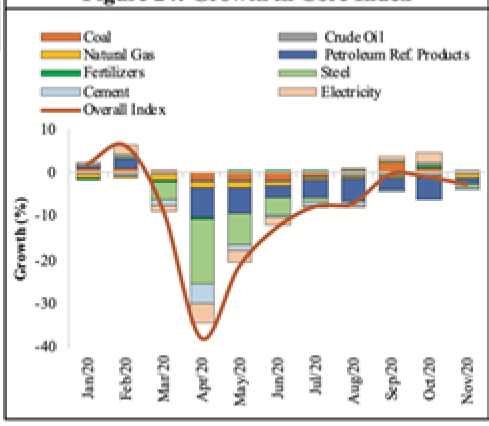

Figure 25: Growth in IIP

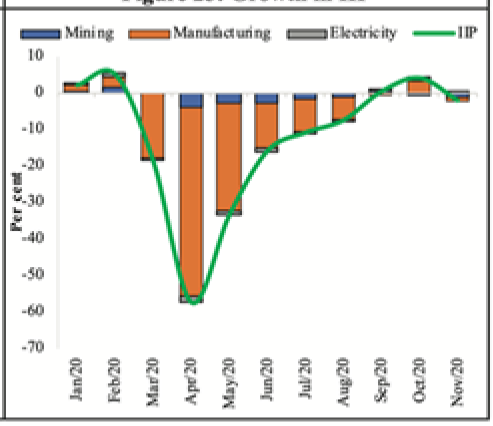

- कृषि क्षेत्रक की सुदृढ़ वृद्धि का एक कारण लचीला ग्रामीण मांग भी है। विगत वर्षों में कौशल विकास, उद्यमशीलता और स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा बुनियादी ढांचे में सरकार के प्रयास को इसका श्रेय दिया जा सकता है।
- पीएम किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए लागत से 50 प्रतिशत अधिक सूत्र का अंगीकरण, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, किसान उत्पादक संगठनों और eNAM इत्यादि जैसी कृषि पहलों ने कृषि क्षेत्र की संवृद्धि में भी योगदान दिया है।

- **औद्योगिक क्षेत्रक (Industrial Sector):** वर्ष के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वृद्धि वस्तुतः औद्योगिक उत्पादन में V-आकार रिकवरी को दर्शाते हैं। दिसंबर 2020 के लिए PMI विनिर्माण विस्तार रेटिंग और अधिक रिकवरी को परिलक्षित करता है। इस रिकवरी के बावजूद, औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष के दौरान 9.6 प्रतिशत तक संकुचन होने का अनुमान है।
- **सेवा क्षेत्रक (Services Sector):** भारतीय सेवा क्षेत्रक, दिसंबर में तीसरे महीने के लिए पी.एम.आई. सेवा उत्पादन और नए कारोबार के बढ़ने के साथ महामारी जनित गिरावट से अपनी रिकवरी को बनाए रखने में समर्थ रहा है। हालांकि, इस क्षेत्र में वर्ष 2020 के दौरान 8.8 प्रतिशत की गिरावट (संकुचन) होने का अनुमान है।

अन्य आर्थिक मापदण्ड (Other economic parameters):

- **मुद्रास्फीति (Inflation):** वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (Q1) के बाद से लगातार छह महीनों तक बढ़त के बाद, हेडलाइन मुद्रास्फीति, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मानक के अनुरूप (4 +/- 2 प्रतिशत) घटकर धीरे-धीरे दिसंबर तक 4.6 प्रतिशत तक पहुँच गई।
- **बैंक ऋण (Bank Credit):** यद्यपि समग्र बैंक ऋण वृद्धि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण धीरे-धीरे अपने निचले स्तर अर्थात् अप्रैल से बढ़कर 1 जनवरी को क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है, तथापि यह पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में सुस्त रहा है।

Figure 28: Inflation

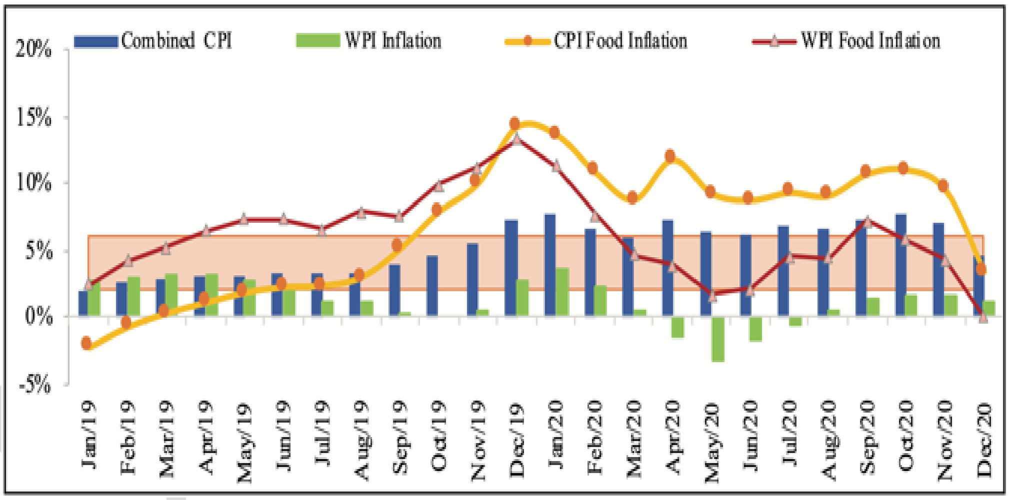

- **गैर-बैंकिंग वित्तपोषण (Non-banking financing):** म्यूचुअल फंडों के प्रबंधन के तहत संपत्ति (Assets Under Management: AUM) में अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 17.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन फंडों को वर्ष के शुरुआत में अत्यधिक ऋणमुक्ति दबाव (aggressive redemption pressures) और तरलता की कमी का सामना करना पड़ा है, लेकिन म्यूचुअल फंडों के लिए RBI की विशेष तरलता योजना के माध्यम से इनमें सुधार हुआ है।
- **राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance):** राजकोषीय लेखांकन वस्तुतः सरकारी राजस्व और उच्च व्यय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित रहा है, क्योंकि अनलॉक चरण के दौरान सरकार के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
  - **राजस्व (Revenue):** अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, केंद्र सरकार की कुल गैर-ऋण प्राप्तियों (total non-debt receipts) में 4.7 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, पिछले तीन महीनों में सकल GST संग्रह (केंद्र एवं राज्यों) ने लगातार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।
  - **व्यय (Expenditure):** संघ सरकार के कुल व्यय में अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में 24.1 प्रतिशत और राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

- **समग्र उधारी (Overall borrowing):** यद्यपि संघ सरकार का उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि में जुटाई गई राशि से 65 प्रतिशत अधिक रहा है, तथापि राज्य सरकारों की उधारी में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- **सरकारी बॉण्ड्स (Government Bonds):** भारत के 10-वर्षीय बेंचमार्क वाले सरकारी बॉण्ड्स पर प्रतिफल (G-Sec Yield) वर्ष 2019-20 के बाद से औसतन कम रहा है, जो समग्र सरकारी आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में विश्वास को दर्शाता है।
  - सरकार और RBI ने तरलता समर्थन उपायों, तरीकों और साधनों की सीमा में वृद्धि, और कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF) से निकासी को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी है तथा बॉण्ड बाजारों को सरकारी उधारों के बढ़ते दबाव को अवशोषित करने में सक्षम बनाया है और उनकी उत्प्लावकता (buoyancy) में वृद्धि की है।
- **बाह्य क्षेत्रक (External Sector):** भारत ने चालू खाते में पिछले वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत का अधिशेष दर्ज किया है। हालांकि, भारत का व्यापारिक निर्यात 21.1 प्रतिशत तक कम हो गया है, जबकि यह संकुचन आयात के संदर्भ में अधिक प्रतिकूल (38.8 प्रतिशत) रहा है। हालांकि कुल अधिशेष की स्थिति रही थी।
  - हालांकि, निर्यात में धीरे-धीरे सुधार आया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही (Q3) में संकुचन की दर 5.0 प्रतिशत तक कम हो गई है, लेकिन वैश्विक कोविड-19 दृष्टिकोण और विश्व भर में टीकाकरण के सफल प्रवर्तन पर आगे की वृद्धि निर्भर करेगी।
- **विदेशी निवेश (Foreign Investment):** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI):** उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और तेजी से रिकवरी की संभावनाओं के बीच वैश्विक परिसंपत्ति बदलावों के मध्य FDI की भूमिका रही है।
  - **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment):** अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान, इक्विटी में 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह देखा गया था, जो पिछले वर्ष के मूल्य से पांच गुना अधिक था। हालांकि, वर्ष 2020 में इक्विटी विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investor: FII) प्रवाह प्राप्त करने वाला तथा उभरते बाजारों वाला एकमात्र देश भारत था।
    - इन अंतर्प्रवाहों के परिणामस्वरूप, सेंसेक्स और निफ्टी ने भारत के बाजार-पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात को सुदृढ़ किया है, तथा यह अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत को पार कर गया था।
- **मुद्रा स्थिति (Currency Position):** जून 2020 तक सुदृढ़ पूंजी प्रवाह के साथ-साथ डॉलर के कमजोर होने से भारतीय रुपये को मजबूती प्राप्त हुई। हालाँकि, विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के विवेकपूर्ण हस्तक्षेप के कारण अधिमूल्यन (appreciation) की यह प्रक्रिया सीमित रही।
- **विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):** स्वर्ण के भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (foreign currency assets) में संयुक्त वृद्धि के साथ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर तक पहुँच गया था। ज्ञातव्य है कि यह 18 महीने से अधिक समय तक आयात को संतुलित कर सकता है।
- **बाह्य ऋण (External Debt):** इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बाह्य ऋण, जिसमें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बाह्य ऋण शामिल हैं, सितंबर 2020 के अंत तक बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया था।
  - हालांकि, वर्तमान अल्प प्राप्तियों, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान) को दर्शाते हुए, मार्च 2020 में 6.5 प्रतिशत की तुलना में इसमें सितंबर 2020 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

GVA, श्रम बाजार और राजकोषीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव: एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य (COVID-19's Impact on GVA, Labour Markets and Fiscal Position: A Geographical Perspective)

कोविड-19 स्वास्थ्य अघात का भौगोलिक प्रसार पहले से मौजूद आर्थिक कमजोरियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस भंगुरता की व्याख्या तीन मोर्चों पर की जा सकती है:

- **GVA में सापेक्षिक क्षेत्रक हिस्सेदारी (Relative sectoral shares in GVA):** महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहां उत्पादन का बड़ा प्रतिशत संपर्क-संवेदनशील क्षेत्रों पर आधारित है, असमान रूप से प्रभावित रहे हैं।
- **श्रम बाजार (Labour market):** श्रम आघात ने विभिन्न राज्यों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित किया है। उदाहरण के

लिए, केरल और तमिलनाडु के विनिर्माण क्षेत्रक को आघात का सामना करना पड़ा है, साथ ही गुजरात को विनिर्माण क्षेत्र में श्रम की कमी का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश को अनौपचारिक श्रमिक क्षेत्र आधारित आघातों का सामना करना पड़ा है।

- **राजकोषीय स्थिति (Fiscal position):** दिल्ली जैसे अनुकूल राजकोषीय स्थिति वाले राज्य, स्वास्थ्य संबंधी लागत से निपटने (राज्य व्यय के आधार पर) में सफल रहे हैं।

कोविड-19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया (Policy Response To COVID-19)

वैश्विक (Global):

- **निवारक उपाय (Preventive measures):** सार्वजनिक सूचना अभियानों के साथ सामाजिक दुरी, व्यापक परीक्षण, और संक्रमित के संपर्क में आये व्यक्तियों की ट्रेसिंग (पता लगाने) जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।
- **राजकोषीय सहायता (Fiscal Support):** वैश्विक स्तर पर 11.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत के करीब, अभूतपूर्व वित्तीय प्रतिक्रिया के माध्यम से सुभेद्य घरों (परिवारों) और फर्मों के संचालन को बनाए रखने के क्रम में सहायता प्रदान की गई है।
    - इन उपायों में, अस्थायी कर कटौती, नकदी और तरह-तरह के स्थानान्तरण, बेरोजगारी लाभ, मजदूरी सब्सिडी, और तरलता समर्थन शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी निवेश शामिल हैं।
- **मौद्रिक नीति समर्थन (Monetary policy support):** संपूर्ण विश्व में कई केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रमों {कई उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE's) में पहली बार} के रूप में, अपरंपरागत मौद्रिक नीति हस्तक्षेपों में संलग्न रहे हैं, तथा पुनर्वित्तयन सुविधाओं, परिसंपत्ति प्रावधान की आवश्यकताओं में छूट और उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऋण प्रावधान का समर्थन करते रहे हैं।

भारत की सामरिक बहु-प्रचारित नीतिगत प्रतिक्रिया (India's Strategic Multi-Pronged Policy Response):

भारत ने रोकथाम उपायों के तहत एक चार-स्तरीय निवारक और सक्रिय रणनीति को अपनाया है, जिसमें शामिल हैं: (i) रोकथाम के उपाय (ii) लॉकडाउन के दौरान आवश्यक समन्वयित वित्तीय सहायता और अनलॉक चरण के दौरान मांग बढ़त हेतु राजकोषीय समर्थन (iii) वित्तीय उपाय और (iv) कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए संरचनात्मक सुधार।

इसके अलावा, कोविड-19 मामलों के उचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की एक त्रिस्तरीय व्यवस्था को भी स्थापित किया गया था, यथा- (i) अल्प या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए आइसोलेशन बेड के साथ समर्पित कोविड केयर सेंटर; (ii) मंद प्रभाव वाले मामलों के लिए ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड के साथ समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) और (iii) गंभीर मामलों के लिए ICU बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल (DCH)।

कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए नीतिगत पैकेज:

उपाय	स्वरूप	नीतिगत उपकरण
रोकथाम के उपाय	• रोकथाम और घेराबंदी करने की नीति; • संक्रमण की रोकथाम।	• स्कूल बंद करना; • 21 दिनों के लिए पूरा राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन; • यात्रा पर प्रतिबंध / रोक; • सार्वजनिक स्थानों को बंद करना / सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करना; • गैर-आवश्यक आर्थिक गतिविधियों की कटौती; • रेड जोन (हॉट स्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों के जोखिम का आकलन; • सामाजिक दूरी मानदंड; • मास्क का अनिवार्य उपयोग।
राजकोषीय नीति के उपाय	• स्वास्थ्य;	• आपातकालीन स्वास्थ्य कोष (150 अरब रुपये);

VISION IAS

	• कल्याण; • कर उपाय; • मांग प्रोत्साहन; • निवेश वृद्धि।	• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा; • मनरेगा (MGNREGS) के तहत दैनिक वेतन में वृद्धि; • ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान- ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका निर्माण; • कर और योगदान नीति में परिवर्तन; • राज्यों को सहायता, ऋण को सुधारों से जोड़ना; **आत्म निर्भर भारत पैकेज-1** • MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS); • MSMEs हेतु निधियों के माध्यम से तनावग्रस्त MSME और इक्विटी इन्फ्यूशन के लिए गौण ऋण (Subordinate Debt); • गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC's) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI's) की सहायता के लिए आंशिक गारंटी योजना का विस्तार; • पथ विक्रेताओं के लिए विशेष ऋण सुविधा; • डिस्कॉम्स (DISCOMs) के लिए तरलता अंतर्प्रवेशन; • NBFC/आवास वित्त बैंक (HFC)/सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) के लिए विशेष तरलता योजना; • मुद्रा (MUDRA) शिशु ऋण के लिए ब्याज सहायता; • हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना -MIG; • नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी; • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट; • कृषि अवसंरचना कोष का निर्माण, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष; • हर्बल कृषि को बढ़ावा देना; • मधुमक्खी पालन संबंधी पहल; • सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना। **आत्म निर्भर भारत पैकेज 2** • पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना; • LTC वाउचर योजना; • त्यौहार अग्रिम। **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3** • आत्म निर्भर विनिर्माण को बढ़ावा देने - उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन; • ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए; • कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास; • आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना; • औद्योगिक अवसंरचना, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण; • कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी; • सभी के लिए आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U); • एन.आई.आई.एफ. (राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष) डेट पी.एफ. (NIIF Debt PF) में इन्फ्रास्ट्रक्चर-इक्विटी इन्फ्यूजन को प्रोत्साहन; • परियोजना निर्यात के लिए प्रोत्साहन- एक्जिम बैंक हेतु सहायता।

VISION IAS

मौद्रिक उपाय	• नीतिगत दरें; • तरलता; • संपत्ति खरीद; • ऋण अधिस्थगन।	• रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 आधार अंकों से कम करना; • खुला बाजार संचालन (Open Market Operation: OMO) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का अंतरप्रवेश; • लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operation: TLTRO)-तीन वर्षों तक; • बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात (CRR) संबंधी अनिवार्यता में कमी; • बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया जाना; • कार्यशील पूंजी समर्थन- सावधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आस्थगन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील; • अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances: WMA) उधार सीमा और सी.एस.एफ. निकासी नियमों में छूट; • तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में ढील; • आस्थगन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील; • स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (Voluntary Retention Route: VRR) के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को आस्थगित करना।
संरचनात्मक सुधार	• कृषि; • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs); • श्रम; • बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO); • विद्युत; • सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण; • खनिज क्षेत्र; • उद्योग; • अंतरिक्ष; • रक्षा।	**कृषि** • किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; • मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020; • आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020; **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)** • नई MSME परिभाषा के तहत, MSMEs के आकार को बढाने और रोजगार सृजित करने वाली सभी कंपनियों के लगभग 99 प्रतिशत को कवर किया गया है। • विनिर्माण और सेवा आधारित MSMEs के बीच कृत्रिम पृथकत्व/अंतराल को दूर करना। **श्रम** • चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन, अर्थात्- वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; • 'एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण'। **बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** • दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (OSP) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई अर्हताएं, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम

VISION

		एनीवेयर' नीतियों को अपनाने से रोक रखा था। **विद्युत** • **टैरिफ नीति सुधार:** डिस्कॉम (DISCOM) की अक्षमताओं का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच के लिए समयबद्ध अनुमति आदि। • संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण • केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSU's • गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण **खनिज क्षेत्र** • कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन; • एक सहज समग्र **अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रणाली (exploration-cum-mining-cum-production regime)** की शुरुआत। **उद्योग** • उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना। **अंतरिक्ष** • उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान की जाने वाली समान परिस्थितियाँ। • तकनीकी-उद्यमियों को सुदूर-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति। **रक्षा** • आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण। • स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी।

V-आकार के अर्थव्यवस्था की पुनर्प्राप्ति (V-Shaped Economic Recovery)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वर्ष 2019-20 के 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है। वर्ष 1960-61 के बाद से यह भारत की GDP में चौथा संकुचन है। वर्ष 1965-66 और वर्ष 1971-72 में युद्ध और सूखे के कारण संकुचन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जबकि वर्ष 1979-80 का वर्ष गंभीर सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से संबद्ध रहा है। इन सभी वर्षों में एक सामान्य कारक कृषि उत्पादन में गिरावट थी (वर्तमान संकुचन के विपरीत)।

Figure 39: Trend in India's Real GDP Growth

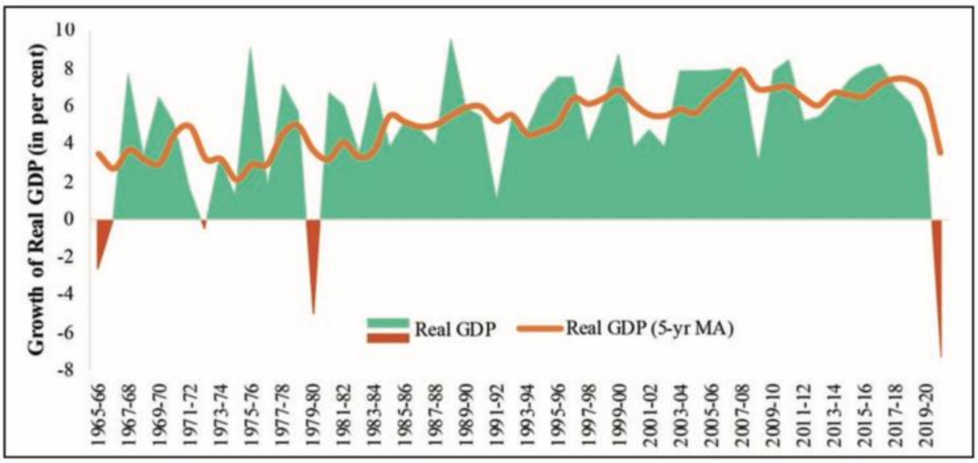

Source: NSO

सरकारी उपभोग और निवल निर्यात ने सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन को कम कर दिया है जबकि सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF) और निजी उपभोग ने वर्ष 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के संकुचन स्तर में वृद्धि की है।

किंतु V-आकार के आर्थिक सुधार का सुझाव देते हुए निम्नलिखित अनुमान लगाए गए हैं:

- पहली छमाही में 3.9 प्रतिशत संकुचन की तुलना में दूसरी छमाही में सरकार के उपभोग में 17 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि होने की संभावना है।
- पहली छमाही में 18.9 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में निजी खपत में भी 0.6 प्रतिशत के अल्प संकुचन के साथ उल्लेखनीय रूप से सुधार होने की संभावना है।
- **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation: GFCF),** वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में 29 प्रतिशत की तेज गिरावट की तुलना में दूसरी छमाही में 0.8 प्रतिशत के अल्प संकुचन के साथ सुधार होने की संभावना है।
- वर्ष 2020-21 के दोनों छमाहियों में **कृषि क्षेत्र** की वृद्धि, स्थिर (3.4 प्रतिशत) बने रहने की उम्मीद है।
- **उद्योग क्षेत्र में** पहली छमाही में 20.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में दूसरी छमाही में 1.1 प्रतिशत की धनारात्मक वृद्धि के साथ सुदृढ़ सुधार हुआ है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में पहली छमाही में 19.4 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में दूसरी छमाही में तीव्र गति से सुधार करते हुए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- समग्र सेवाओं में से एक तिहाई हिस्सदारी वाली **व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं** में पहली छमाही में संकुचन (31.5 प्रतिशत के) की तुलना में दूसरी छमाही में 12.0 प्रतिशत तक के संकुचन होने की संभावना है।

Figure 47: Projections of Real GDP for 2021-22

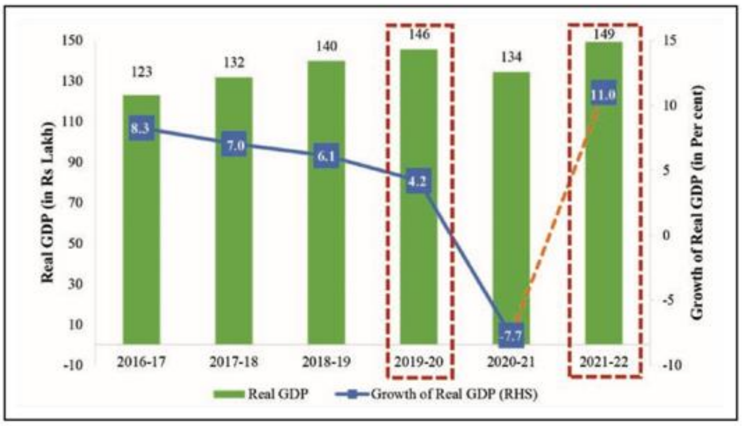

Source: NSO and Survey Calculations

कुल मिलाकर, वर्ष 2021-22 में, कम आधार प्रभाव और अर्थव्यवस्था की निहित शक्तियों के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में त्वरित रिकवरी (10-12 प्रतिशत वृद्धि) होने की संभावना है।

आउटलुक

वर्ष 2020-21 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत महामारी-चालित संकुचन के बाद, भारत की वास्तविक GDP वर्ष 2021-22 में 11.0 प्रतिशत और सांकेतिक GDP 15.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह वर्ष 2019-20 के पूर्ण स्तर पर 2.4 प्रतिशत की वास्तविक GDP में वृद्धि को परिलक्षित करेगा। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी स्तर तक पहुंचने में दो वर्ष लगेंगे।

शब्दावली	
वाणिज्यिक प्रपत्र (Commercial Paper)	वाणिज्यिक पत्र, निगमों द्वारा जारी किए गए **गैर-प्रतिभूतिकृत, अल्पकालिक ऋण साधन के रूप में** आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक साधन है। इसका उपयोग **पेरोल के वित्तपोषण, देय खातों और वस्तु-सूचियों (इनवेंटरी) और अन्य अल्पकालिक देनदारियों** की पूर्ति के लिए किया जाता है।
फ़्लैश अनुमान (Flash Estimates)	एक फ्लैश अनुमान वस्तुतः एक प्रारंभिक अनुमान है जो सबसे हालिया संदर्भ अवधि में **ब्याज की आर्थिक चर राशि** को संदर्भित करता है। इसकी गणना **आमतौर पर एक सांख्यिकीय या अर्थमितीय प्रतिरूप के आधार** पर की जाती है।
समेकित ऋण शोधन निधि (Consolidated Sinking Fund)	भारत में समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना वर्ष 1999-2000 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई थी ताकि **राज्यों को अपना ऋण आसानी से चुकाने में सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान में 23 राज्यों ने समेकित ऋण शोधन निधियों की** स्थापना की है। राज्य सरकारों का यह कोष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

कोर उद्योगों का सूचकांक (Index of Core Industries)	कोर उद्योगों का सूचकांक चयनित आठ कोर उद्योगों में सामूहिक और उत्पादन के व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इन आठ कोर उद्योगों में क्रमशः **कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट** और **विद्युत** शामिल हैं।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production)	इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) एक सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के **विभिन्न उद्योग समूहों में, निर्धारित अवधि के दौरान वृद्धि दर को प्रदर्शित** करता है। IIP इंडेक्स की गणना और प्रकाशन मासिक आधार पर **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा किया जाता है।**

अध्याय एक नज़र में
वैश्विक आर्थिक संकट के बाद, सबसे कठिन आर्थिक चुनौती का सामना करते हुए भारत और अन्य देश वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहे हैं।
वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में 4.4 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान है, यह सदी की सबसे तीव्र संकुचन वाली अवधि रही है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) की तुलना में, जीवन और आर्थिक उत्पादन के मामले में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं {Advanced Economies (AE)} अत्यधिक रूप से प्रभावित रहे हैं।
एक इलाज या वैक्सीन के बिना, इस व्यापक संकट से निपटने की दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को महत्वपूर्ण बना दिया। जबकि नीति निर्माताओं को "जीवन बनाम आजीविका" की एक दुविधा का सामना करना पड़ा है, अर्थात्, रोग वक्र में वृद्धिशील आरेख को कम करने से मंदी की अवस्था में गिरावट आ सकती है।
कोविड-19 ने वर्ष 2020 की शुरुआत में तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपातकालीन रोक लगाई है। वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में (-) 7.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, हालांकि इसमें पहली छमाही (H1) में 15.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट तथा दूसरी छमाही में मामूली 0.1 फीसदी की गिरावट हो सकती है।
कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सर्वाधिक रूप से प्रभावित रहे हैं। जुलाई की शुरूआत से अर्थव्यवस्था, एक सुनम्य वी-आकार रिकवरी की ओर उन्मुख है, जैसा कि यह GDP रिकवरी और उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, GST संग्रह, स्टील की खपत, आदि में निरंतर पुनरुत्थान द्वारा परलक्षित हुआ है।
भारत की चार-स्तंभीय रणनीति के हिस्से के रूप में, उभरती हुई आर्थिक स्थिति के अनुरूप शोधित राजकोषीय और मौद्रिक सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें लॉकडाउन की अवधि के दौरान कमजोर को सहायता प्रदान करना और अनलॉक के दौरान खपत और निवेश को बढ़ाना शामिल है। कृषि, खनन, श्रम, आदि में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार अर्थव्यवस्था को संभावित विकास पथ पर वापस लाने हेतु समवर्ती रूप से किए गए थे, जो सुपर-हिस्टैरिसीस प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। वित्त वर्ष 2022 के लिए 11 प्रतिशत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि, स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वाधिक है।
एक सामान्य टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में वापसी को बढ़ावा मिला है, सेवा क्षेत्र, उपभोग और निवेश में एक मजबूत सुधार की उम्मीद फिर से जागृत हुई है।

अध्याय 1

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q.1. निम्नलिखित में से कौन-से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मांग आघात (Demand Shock) उत्पन्न कर सकते हैं?

1. संक्रमण का डर

2. कमजोर संवृद्धि की संभावनाएं

3. व्यवसायों के बीच जोखिम अरूचि

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऋण से सकल घरेलू उत्पाद का उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था को वित्तीय बाजार के तनावों के प्रति सुभेद्य बना देता है।

2. उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उच्च सरकारी ऋण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. निम्नलिखित क्षेत्रकों को भारत में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में उनके संबंधित योगदान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. सेवा

2. कृषि

3. उद्योग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) 1 - 2 - 3

(b) 2 - 3 - 1

(c) 2 - 1 - 3

(d) 3 - 2 – 1

VISION IAS

Q4. निम्नलिखित में से किनसे एक अर्थव्यवस्था के बंधपत्र बाजारों (bond markets) में अधिक उछाल आने की संभावना है?

1. अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा में वृद्धि
2. समेकित ऋण शोधन निधि से शिथिल निकासी
3. केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले तरलता समर्थन उपाय

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q5. कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक उपायों में से कौन-सा/से अपनाया गया है/अपनाए गए हैं?

1. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम (MSME) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
2. रेपो रेट को कम करना
3. सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. वैश्विक महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने आरंभ में जुड़वां आर्थिक आघात का खतरा उत्पन्न किया, हालांकि, हाल के विभिन्न मापदंडों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में V-आकार की आर्थिक रिकवरी का सुझाव दिया है। स्पष्ट कीजिए।

Q.2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के क्षेत्रकीय प्रभाव की विवेचना कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 2: राजकोषीय विकास (Fiscal Developments)

परिचय

यह अध्याय महामारी के प्रकोप से पूर्व और पश्चात भारत में राजकोषीय विकास की समीक्षा करता है। यह चालू वित्त वर्ष में महामारी से निपटने हेतु राजकोषीय प्रदर्शन और नीतिगत प्रतिक्रिया की परिचर्चा के साथ आरंभ होता है। इसके उपरांत वर्ष 2020-21 में कर प्रशासन में प्रस्तुत किए गए प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया गया है। अध्याय केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार के वित्त में मध्यम से लेकर दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है और वर्ष 2021-22 के दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है।

कोविड महामारी से निपटने हेतु राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया

- कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति के उपागम (जिसमें एकबारगी मांग प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी) के विपरीत, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
  - **लॉकडाउन का प्रारंभिक चरण:** इस चरण में घोषित विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज, मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों और लघु व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के उपायों पर केंद्रित रहे हैं। इसमें निर्धनों और कमजोर वर्ग के लिए प्रत्यक्ष खाद्य आपूर्ति, आजीविका कार्यक्रम, प्रत्याभूति और नकदी/चलनिधि बढ़ाने वाले उपाय शामिल थे।
  - **लॉकडाउन और प्रतिबंधों में सीमित राहत का चरण:** उपभोग की मांग को पुन: बढ़ाने के लिए मांग पक्ष को प्रोत्साहन दिया गया था।
  - **लॉकडाउन को पूर्णतः हटाने का चरण:** उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के रूप में प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाउन के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की सुनम्य रिकवरी को सुनिश्चित करने हेतु **भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपये (राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15%) के कुल प्रोत्साहन की घोषणा** की थी। इसमें कुछ प्रोत्साहन (सकल घरेलू उत्पाद का **9%**) **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।
- विगत कुछ माह में अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण, **मासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया** है। उल्लेखनीय है कि यह दिसंबर 2020 में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचकर गया था।

कर प्रशासन में सुधार (Reforms In Tax Administration)

- सरकार ने अधिक कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने तथा करदाताओं एवं कर प्रशासन के मध्य भौतिक इंटरफ़ेस को समाप्त करने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में **'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' (Transparent taxation-Honoring the Honest)** प्लेटफार्म की शुरुआत की है। प्लेटफार्म की मुख्य विशेषताएं हैं:
  - प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना तथा
  - राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में करदाताओं की पहचान करना।
- प्लेटफ़ॉर्म कर प्रशासन मुख्यतः सुधारों के 3 स्तंभों पर आधारित है, जैसे कि फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर।
  - **फेसलेस असेसमेंट योजना 2020**
    - इसके अंतर्गत आयकर टीमों के मामलों का स्वचालित यादृच्छिक आवंटन और आयकर अधिकारियों एवं करदाता के मध्य आमने-सामने (फेस टू फेस) संपर्क को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे मूल्यांकन के कुशल, गैर-विवेकाधीन, निष्पक्ष एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ावा प्राप्त होगा।
    - इस योजना के तहत विभाग और करदाता के बीच संपर्क के एकमात्र बिंदु के रूप में दिल्ली में एक **नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NFAC)** की स्थापना की गई है। इसकी अध्यक्षता **प्रधान आयकर आयुक्त** द्वारा की जाती है।
    - मूल्यांकन की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने व सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों को संबद्ध कार्यक्षेत्रों में मूल्यांकन की अधिकारिता प्रदान की गई है।

VISION IAS

- फेसलेस अपील योजना 2020
  - इस योजना के तहत, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, संवेदनशील और खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन अधिनियम से संबंधित अपीलों को छोड़कर **सभी आयकर अपीलों को एक फेसलेस तंत्र के अनुरूप फेसलेस रीति से निस्तारित किया जाएगा।**
  - यह योजना केंद्रीय स्तर पर ई-अपील कार्यवाही के संचालन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में एक **नेशनल फसलेस अपील सेंटर {National Faceless Appeal Centre (NFApC)}** की स्थापना करती है।
  - NFAPC के तहत ई-अपील की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए **क्षेत्रीय फेसलेस अपील सेंटर्स {Regional Faceless Appeal Centers: RFACs)** स्थापित किए गए हैं।
- **करदाता चार्टर:**
  - **टैक्सपेयर्स बिल ऑफ़ राइट्स की अवधारणा को प्रथम बार वर्ष 1988 में अमेरिका में प्रस्तुत** किया गया था। इसमें टैक्स कोड में मौजूदा अधिकारों को दस स्पष्ट रूप से परिभाषित मौलिक अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है। यह सभी प्रकार के करदाताओं हेतु लागू किया गया है।
  - भारत के **करदाता चार्टर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिबद्धताओं और करदाताओं के दायित्व शामिल** हैं। यह करदाता के लिए निष्पक्ष, विनम्र और उचित उपचार के महत्व पर बल देता है।
  - करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के अतिरिक्त, करदाताओं के दृष्टिकोण से मुद्दों को उठाने हेतु एक समर्पित संस्थान (या **स्वतंत्र लोकप्रहरी**) की उपस्थिति, प्रणाली में करदाताओं के विश्वास को विकसित करने में मदद करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि करदाता अपने अधिकारों को समझें और उनके साथ उचित व्यवहार हो। हालांकि, भारत के परिप्रेक्ष्य में **ऐसा कोई संस्थान, अब तक प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका है और इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया था।**

करदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक स्वतंत्र लोकप्रहरी की आवश्यकता: (Case of an Independent Ombudsman in India – to ensure enforcement of taxpayers' rights)

- भारत में, आयकर लोकप्रहरी संस्था (institution of Income Tax Ombudsman) को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था तथा अप्रत्यक्ष कर लोकप्रहरी (Indirect Tax Ombudsman) वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया था।
  - चूंकि लोकपाल की कार्यप्रणाली को आयकर लोकप्रहरी दिशा-निर्देश 2010 और अप्रत्यक्ष कर लोकप्रहरी दिशा-निर्देश 2011 द्वारा नियंत्रित किया गया था, हालांकि विभिन्न कार्यों के साथ इसे सशक्त बनाने वाले किसी भी कानून को अब तक अधिनियमित नहीं किया गया था। साथ ही, लोकप्रहरी संस्था अप्रभावी थी, क्योंकि लोकप्रहरी के निर्णय प्रकृति में परामर्शी थे।
  - इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकप्रहरी संस्थाओं को, फरवरी 2019 में समाप्त कर दिया गया था।
  - वर्तमान **कर शिकायत निवारण प्रणाली (tax grievance redressal system) के अंतर्गत** विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में शिकायत प्रकोष्ठ, आयकर सेवा केंद्र (ASKs), ई-निवारण पोर्टल तथा केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Central Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS) शामिल हैं।
    - **ई-निवारण पोर्टल-** यह इनकम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन में शिकायत निपटान हेतु एक पृथक और समर्पित विंडो है।
- **स्वतंत्र कर लोकप्रहरी के साथ वैश्विक अनुभव**
  - वैश्विक अनुभव पर दृष्टिपात करने के उपरांत ज्ञात होता है कि एक स्वतंत्र कर लोकप्रहरी वाले देशों (जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) ने करदाताओं व कर अधिकारियों के मध्य बेहतर विश्वास के माध्यम से कर प्रशासन स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही, उच्चतर औसत सकल घरेलू उत्पाद (GDP)-कर अनुपात प्रदर्शित हुआ है और टैक्स फाइल करने में कम समय (OECD 2017) व्यतीत हुआ है।
- **भारत में शिकायत निवारण की प्रणालियों को सुदृढ़** करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने तथा करदाता अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि निवारण संगठन के पास पर्याप्त अधिकार हों और वह कर विभाग से स्वतंत्र हो। इस प्रकार की संस्था कर प्रशासन प्रणाली में जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करके 'ईमानदार का सम्मान' (Honoring the Honest) प्लेटफॉर्म को अधिक सफल बनाएगी।

केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति (Central Government Finances)

घाटे (Deficits):

Composition of taxes in Gross Tax Revenue in 2020-21 BE

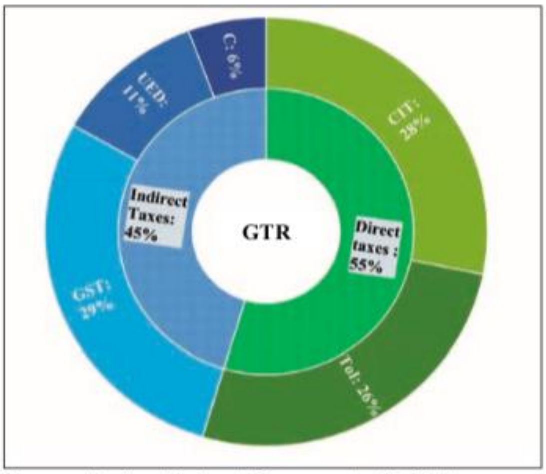

Source: Union Budget Documents & CGA
GTR: Gross Tax Revenue, CIT: Corporation Tax, ToI: Taxes on Income other than Corporation Tax (includes STT), C: Customs, UED: Union Excise Duties, GST: Goods and Services Tax

- वर्ष 2019-20 के लिए **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल घेरेलू उत्पाद (GDP) के 4.6 प्रतिशत** पर पहुंच गया है। ज्ञातव्य है कि यह वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे की तुलना में **1.2 प्रतिशत** अधिक है।
- वर्ष 2019-20 में **प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)** भी बढ़कर GDP का **2.4 प्रतिशत** हो गया है (वर्ष 2018-19 की तुलना में 1% अधिक)।
- **प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) GDP के 1.6%** (2018-19 की तुलना में 1.2% अधिक) तक बढ़ गया है।
- **मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति {Medium Term Fiscal Policy (MTFP)}** वक्तव्य में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के **GDP के 3.5%** पर पहुंचने की संभावना प्रकट की गई है।

प्राप्तियां (Receipts):

- **गैर-ऋण प्राप्तियां (Non-debt receipts)**
  - **कर-राजस्व (Tax-Revenue)**
    - **सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue:GTR):** बजट 2020-21 में GTR 24.23 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 10.8 प्रतिशत, जिसे कर-GDP अनुपात के रूप में भी जाना जाता है) होने का अनुमान है।
    - प्रत्यक्ष कर, जिसमें मुख्य रूप से निगम और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, जिनकी GTR में लगभग 55 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
    - विगत वर्षों में सुधार की प्रवृत्तियों की तुलना में वर्ष 2019-20 में निगम और व्यक्तिगत आयकर से प्राप्तियां कम हुई हैं। यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में संतुलन और निगम कर दर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण है।
  - **गैर-कर राजस्व (Non-Tax revenue):** बजट 2020-21 में गैर-कर राजस्व के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत) जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैर कर राजस्व के लगभग **40 प्रतिशत** हिस्से को लाभांश और लाभ से प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है।
  - **गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (Non-debt Capital receipts):**
    - गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो कि 2020-21 बजट अनुमान में GDP का 1 प्रतिशत है।
    - गैर-ऋण प्राप्तियों के कुल पूल में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 3.9 प्रतिशत हो गया है, इस कमी का कारण मुख्य रूप से विनिवेश आय रहा है।
    - सरकार ने 2020-21 बजट अनुमान में **विनिवेश आय के आधार पर 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की गई है।**
- **ऋण प्राप्ति (Debt receipts)**
  - वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल बाजार ऋणों के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपये के बजट आकलन से संशोधित कर 12.5 करोड़ कर दिया गया है।

VISION IAS

व्यय (Expenditure):

- बजट 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय अनुमानित है, **जिसमें शामिल हैं:**
    - 26.3 लाख करोड़ रुपये (GDP का 11.7 प्रतिशत) का **राजस्व व्यय** और
    - 4.12 लाख करोड़ रुपये का **पूंजीगत व्यय** (GDP का 1.7 प्रतिशत)।
- GDP के प्रतिशत के रूप में, वर्ष **2020-21 बजट अनुमान में कुल व्यय की प्रत्याशित संवृद्धि, GDP के 0.3 प्रतिशत** के निकट रहने की संभावना है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में GDP के 0.15 प्रतिशत के समतुल्य है।

Figure 13: Trends in components of Total Expenditure

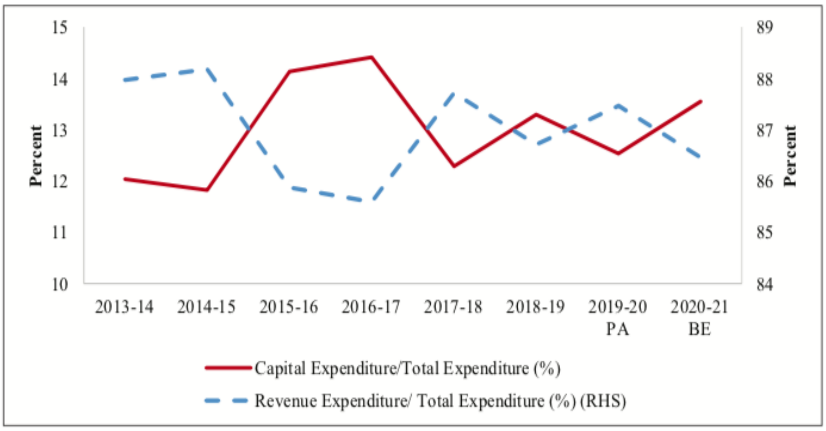

- बजटीय व्यय के अतिरिक्त, सरकार ने **वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन {Extra Budgetary Resources (EBR)} जुटाए** हैं। बजट अनुमान वर्ष 2020-21 में 49,500 करोड़ रुपये तक EBR को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का **0.22 प्रतिशत** है।

राज्यों को हस्तांतरण (Transfer to States):

केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (FC-XV) द्वारा की गई अनुशंसाओं को लागू किया है। उदाहरण के लिए, अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को हस्तांतरण के लिए 1.99 लाख करोड़ रूपए की अनुदान की अनुशंसा की है, जो हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा, स्थानीय निकायों को अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान {चौदहवें वित्त आयोग (FC-XIV)) की अनुशंसा से 50% अधिक} से संबंधित हैं।

- वर्ष 2020-21 में **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में आवंटित `90,000 करोड़ रूपए** के कोष में से, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 32.5 प्रतिशत और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए शेष की अनुशंसा की गई है।
- FC-XIV द्वारा की गई अनुदानों की संस्तुति के विपरीत, वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के मामले में स्थानीय निकायों के अनुदान को **पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्र के साथ-साथ मंडल/तहसील और जिला / जिला पंचायतों को भी** अनुदान **आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के तहत उनतालीस छावनी बोर्डों के लिए** भी आवंटित किया गया है।
- पहली बार, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों / शहरी समूहों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वित्त आयोग अनुदान भी आवंटित किए गए हैं।

केंद्र सरकार के ऋण (Central Government Debt):

- मार्च 2020 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां **97.05 लाख करोड़ रुपये** थी।
- इनमें से, **88.67 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण** थे और शेष 10 प्रतिशत सार्वजनिक खाते की देनदारियों के लिए थे। इनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा एवं अन्य खाते शामिल थे।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के तुरंत पश्चात** ऋण-GDP अनुपात (Debt-GDP

Figure 14: Trend in Centre's Debt-GDP ratio

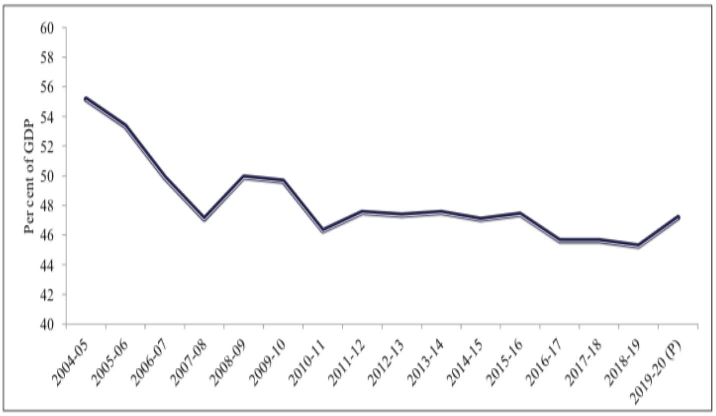

Ratio) में **तेजी से गिरावट आई थी।** हालांकि, विगत दशक के दौरान यह एक स्तर पर ही बनी रही थी।

राज्य के वित्त की स्थिति (State Finances)

- कोविड-19 के प्रकोप से पूर्व राज्यों का **सकल राजकोषीय घाटा** उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का **2.4 प्रतिशत** था, जबकि **लॉकडाउन के पश्चात् यह बढ़कर 4.6 प्रतिशत** पर पहुंच गया है।
- राज्यों के वित्त की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में विगत 3 वर्षों के लिए राज्यों में **बजट अनुमान (BE) के सापेक्ष वास्तविक पूंजीगत व्यय में गिरावट को प्रकट** किया गया है। पूंजीगत व्यय के उच्च राजकोषीय गुणक प्रभाव को देखते हुए आर्थिक विकास की गति और गुणवत्ता के लिए इसके प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
- कोविड-19 महामारी के बीच तेजी से आर्थिक सुधार की दिशा में **राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई उपाए किए** गए हैं।

केंद्र द्वारा कोविड-19 के समय में राज्यों का समर्थन करने के लिए किए गए उपाय

- **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उधार लेने की सीमा में वृद्धि की गई:** पैकेज के तहत, राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के **2 प्रतिशत** तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी, जिसमें से **1% सशर्त थी,** अर्थात राज्यों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में कुछ सुधार करने आवश्यक हैं:
  - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन;
  - व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार;
  - शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार; तथा
  - विद्युत् क्षेत्र में सुधार।
- **GST राजस्व में नुकसान के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** GST राजस्व के नुकसान के क्रम में राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष विंडो के तहत ऋण विकल्प के माध्यम से GST कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु उधार लेने का विकल्प उपलब्ध करवाया था। साथ ही, बाजार ऋण के माध्यम से भी क्षति की प्रतिपूर्ति का विकल्प प्रदान किया गया था।
  - सभी 28 राज्यों और विधायिका युक्त 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित ऋण समर्थित ऋण (बैक-टू-बैक) उधार विकल्प का लाभ उठाने का निर्णय लिया है।
  - 1.1 लाख करोड़ की विशेष विंडो का परिचालन किया गया है और भारत सरकार ने राज्यों की ओर से `54,000 करोड़ की राशि उधार ली है।
- **पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना:** राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है, जो कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- **राज्य आपदा राहत कोष (State Disaster Relief Fund: SDFR):** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान SDRF व्यय करने की राज्यों की सीमा को **50%** तक बढ़ा दिया गया है, ताकि कोविड-19 की रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देने के लिए क्वारंटाइन, नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग के उपायों को अपनाया जा सके तथा कोविड-19 से निपटने हेतु आवश्यक उपकरणों / प्रयोगशालाओं की खरीद को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्य सरकारी वित्त (General Government Finances)

- सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) का **ऋण-GDP अनुपात (Debt-to-GDP ratio) विगत कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।**
- वैश्विक महामारी के प्रकोप के तहत, सामान्य सरकार द्वारा राजस्व में कमी और अधिक व्यय आवश्यकताओं के कारण वित्त **वर्ष 2020-21 में वित्तीय घाटा दर्ज करने की अपेक्षा है।**

आउटलुक

- समग्र मांग में सुधार को बनाए रखने के लिए, सरकार को एक विस्तारक राजकोषीय प्रवृत्ति को अपनाए रखना पड़ सकता है।
- वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रमुख सुधारों के साथ-साथ व्यय समर्थन का सुविचारित दृष्टिकोण मध्यम अवधि के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। संवृद्धि की पुनर्प्राप्ति मध्यम अवधि में आय के संग्रह को सरल बनाएगी और इस प्रकार एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को बनाए रखने में सहायता करेगी।

VISION IAS

शब्दावली	
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	यह उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां) यह सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता के मूल्यांकन हेतु एक महत्वपूर्ण चर है।
प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)	राजकोषीय घाटा - (minus) ब्याज भुगतान को प्राथमिक घाटे के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ब्याज को छोड़कर, सरकार की उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है।
राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	यह कुल राजस्व व्यय की कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकता को दर्शाता है। यह सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है। यह दर्शाता है कि सरकारी विभागों के सामान्य कार्य संचालन के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व नहीं है।
प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	यह राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु प्रदत्त अनुदानों के मध्य का अंतर है। यह पूंजीगत प्राप्तियों के उस अंश को प्रकट करता है, जिसका सरकार के व्यय हेतु उपयोग किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार केंद्रीय बजट 2011-12 में किया गया था।
गैर-ऋण प्राप्तियां (Non-debt receipts)	इसके तहत कर और गैर-कर राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश रसीदें शामिल हैं।
ऋण प्राप्ति (Debt receipts)	इसके अंतर्गत बाजार उधारियां और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य है।
गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)	इसके तहत मुख्य रूप से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भारत सरकार को हस्तांतरित अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त होने वाले लाभांश व लाभ, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त प्राप्तियां तथा बाह्य अनुदान शामिल हैं।
अतिरिक्त बजटीय संसाधन (Extra Budgetary Resources)	वे वित्तीय देनदारियां जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संग्रहित की जाती हैं, जिनके लिए संपूर्ण मूलधन और ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के बजट से की जाती है।
केंद्र सरकार ऋण (Central Government Debt)	केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में भारत की संचित निधि पर भारित ऋण शामिल हैं, जिसे तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ लोक लेखे से संबद्ध देयताएं भी शामिल होती हैं। इन देनदारियों में मौजूदा विनिमय दर पर बाह्य ऋण (वित्तीय वर्ष के अंत तक) शामिल हैं, परन्तु राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से राज्यों की उधारी की सीमा तक NSSF की देनदारियों के भाग को बाहर किया गया है। NSSF से इतर सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश को सम्मिलित किया गया है, जो केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे को कम नहीं करते हैं।
कर-GDP अनुपात (Tax-to-GDP ratio)	यह अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष एक राष्ट्र के कर राजस्व से संबंधित एक माप है। इस अनुपात का उपयोग अन्य मैट्रिक्स के साथ यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी देश की सरकार कराधान के माध्यम से अपने आर्थिक संसाधनों को कितनी उत्तम रीति से निर्देशित करती है।

ऋण-जी.डी.पी. अनुपात (Debt-to-GDP ratio)	• यह किसी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात होता है। यदि कोई देश अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है, तो वह चूककर्ता कहलाता है। इससे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस अनुपात के अधिक होने पर देश के अपना ऋण चुकाने की संभावना अत्यल्प हो जाती है, चूककर्ता होने का जोखिम बढ़ जाता है। ○ विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यदि किसी देश का ऋण-GDP अनुपात एक विस्तारित समयावधि के लिए 77% से अधिक हो जाता है, तो यह आर्थिक संवृद्धि को मंद कर सकता है।

अध्याय एक नजर में
कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था के सुगम सुधार को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने कई देशों द्वारा अपनाए गए फ्रंट-लोडेड (प्रक्रिया के प्रारंभ में ही व्यय हेतु) प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत परिस्थितियों के लिए एक अनुकूलतम दृष्टिकोण को अपनाया है।
कर प्रशासन में सुधारों ने पारदर्शी प्रक्रिया, जवाबदेही तथा महत्वपूर्ण रूप से करदाता का कर प्राधिकरण से अच्छे अनुभव को निर्धारित किया है। इसके परिणामस्वरूप कर अनुपालन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा GDP का **4.6 प्रतिशत** था (वर्ष 2018-19 के राजकोषीय घाटे की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक)।
FRBM अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के तुरंत पश्चात ऋण-GDP अनुपात में लगातार गिरावट आई और विगत दशक के दौरान यह स्थिर रहा है।
GDP के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2020-21 बजट अनुमान (बीई) में कुल व्यय की प्रत्याशित वृद्धि GDP की **0.3 प्रतिशत** रही है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में GDP के 0.15 प्रतिशत के बराबर है।
वर्ष 2020-21 के दौरान, महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार ने राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं।
वैश्विक महामारी के प्रकोप के तहत, सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) द्वारा राजस्व में कमी और अधिक व्यय आवश्यकताओं के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में वित्तीय घाटा दर्ज करने की अपेक्षा है। हालांकि, दीर्घावधि की स्थिरता सरकारी ऋण की ब्याज लागत के सापेक्ष विकास को पुनर्बहाल करने पर निर्भर करती है।

अध्याय 2

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. फेसलेस मूल्यांकन योजना 2020 (Faceless Assessment Scheme 2020) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों का स्वचालित यादृच्छिक आवंटन करना है।
2. यह कर प्राधिकारियों और करदाता के मध्य संपर्क के एकमात्र बिंदु के रूप में राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (National Faceless Assessment Centre : NFAC) स्थापित करता है।
3. कर निर्धारण के विरुद्ध अपील केवल राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) में दायर की जा सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. करदाता चार्टर (Taxpayers' Charter) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें कर प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबद्धताएं और करदाताओं के दायित्व सम्मिलित हैं।
2. चार्टर से संबंधित शिकायतों का निवारण कर लोकपाल द्वारा किया जाता है।
3. भारत करदाता चार्टर की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2 और 3

Q3. विगत पाँच वर्षों में केंद्र सरकार के व्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पूँजीगत व्यय के विपरीत, राजस्व व्यय (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) में निरंतर वृद्धि हुई है।
2. राजस्व व्यय पूँजीगत व्यय से अधिक रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

VISION IAS

Q4. केंद्र सरकार के ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार का अधिकांश ऋण शामिल है।
2. FRBM अधिनियम, 2003 के अधिनियमित होने के पश्चात् ऋण- GDP अनुपात में निरंतर गिरावट आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. भारत में कर प्रशासन के संदर्भ में, सरकार द्वारा किए गए हालिया सुधारों को रेखांकित करते हुए, इस संदर्भ में कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

Q.2. सरकार की राजकोषीय नीति अनुक्रिया कोविड-19 महामारी के विभिन्न चरणों के अनुकूल थी। वर्णन कीजिए। साथ ही, इस महामारी की अवधि में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 3: वैदेशिक क्षेत्र (External Sector)

परिचय

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने महामंदी (Great Depression) के बाद से वर्ष 2020 में सबसे गंभीर वैश्विक मंदी को जन्म दिया है। हालांकि, आरंभ में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (global value chains) की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रकों को नकारात्मक रूप से को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, जिंसों की कीमतों में गिरावट, विदेशी वित्त-पोषण की निम्नस्तरीय स्थिति तथा चालू खाता संतुलन और मुद्राओं के लिए अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (Global Economic Environment)

- वैश्विक महामारी के फैलने से आर्थिक गतिविधियों का निलंबन, आपूर्ति-शृंखला में व्यवधान, यात्रा संबंधी प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय जिंसों (कमोडिटी) की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हुई है। तदनुसार, WTO ने अपने पूर्वानुमानों को संशोधित किया है, जिसके अनुसार **वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापारिक माल (पण्यों) के व्यापार की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई है।** इसके बाद वर्ष 2021 के आरंभ में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

Figure 1:Trends in Growth of World Output and Trade Volume

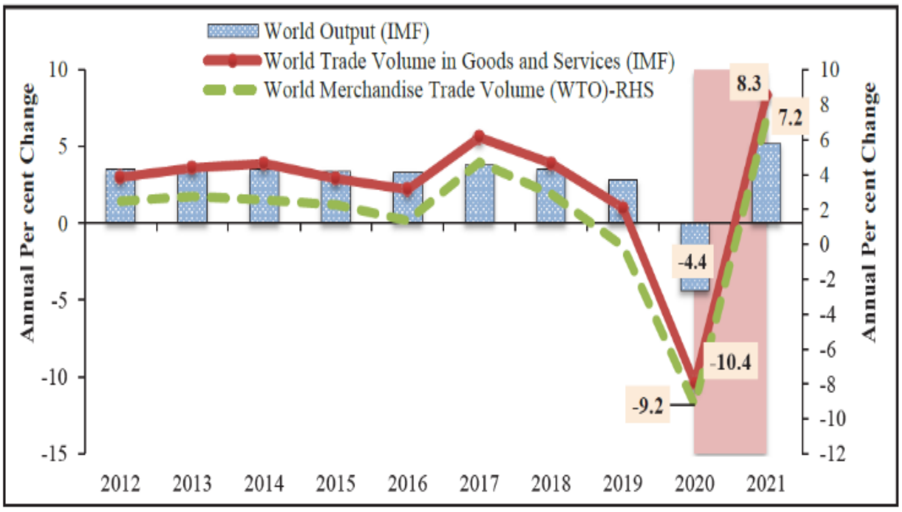

- **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में GDP (सकल घरेलू उत्पाद) के साथ-साथ व्यापार की मात्रा का संकुचन,** उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Markets and Developing Economies: EMDEs) की तुलना में **अधिक गंभीर होने का अनुमान है।**
- **व्यापार के संपूर्ण क्षेत्रों पर वैश्विक महामारी के प्रभाव में काफी भिन्नता है।** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात और आयात में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि EMDEs में निर्यात और आयात के संबंध में कम संकुचन देखा गया।
- **विभिन्न प्रकार के माल (Goods) में व्यापार पर वैश्विक महामारी के प्रभाव में काफी भिन्नता है।** जहाँ कृषि उत्पादों के व्यापार में वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में वैश्विक औसत से कम गिरावट हुई, वहीं ईंधन और खनन उत्पादों के संबंध में यह गिरावट तीव्र रही, क्योंकि इन उत्पादों के मूल्य में भी तीव्रता से गिरावट हुई।

6: Top 10 Export Commodities in April-November 2020 and April-November 20
[By Share in Per cent]

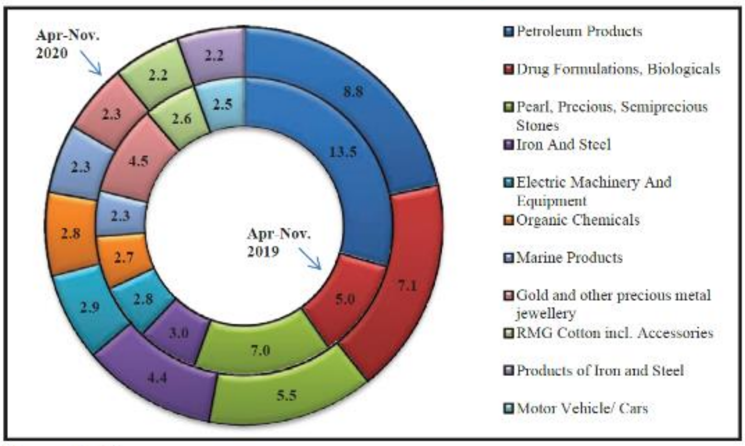

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, **अभूतपूर्व और समय रहते की गई नीतिगत अनुक्रियाओं के कारण निकटवर्ती वैश्विक वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम अभी के लिए नियंत्रण में है।** हालांकि, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्रक में **सुभेद्यताओं में वृद्धि हुई**

है, क्योंकि कंपनियों ने नकदी की कमी का सामना करने के लिए अधिक मात्रा में ऋण लिया है। साथ ही, संप्रभु क्षेत्रक (या सरकार) द्वारा अर्थव्यवस्था का समर्थन करने से राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि हुई है।

- इसके अलावा, वर्ष 2021 में विदेशी ऋण की व्यापक मात्रा संबंधी देयता के कारण संभावित ऋण अदायगी में चूक हो सकती है।

भारत के भुगतान संतुलन से संबद्ध घटनाक्रम {Developments in India's Balance of Payments (BOP)}

व्यापारिक माल (पण्य) का व्यापार (Merchandise Trade)

- वित्त-वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनुरूप **भारत के निर्यात और आयात में भी संकुचन परिलक्षित हुआ है। निर्यात में हुई गिरावट की तुलना में आयात में हुई गिरावट अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा (trade deficit) हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके अलावा, भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून, 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष (trade surplus) दर्ज किया।**
- इसी अवधि के दौरान, भारत का सर्वाधिक अनुकूल **व्यापार संतुलन (trade balance)** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रहा तथा इसके बाद बांग्लादेश और नेपाल का स्थान है। साथ ही इसी अवधि के दौरान भारत का सबसे अधिक **व्यापार घाटा** चीन के साथ रहा तथा इसके बाद इराक और सऊदी अरब का स्थान है।

व्यापारिक माल (पण्य) का निर्यात (Merchandise Exports)

- अप्रैल-नवंबर 2020 में **संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार था।** जबकि इस संबंध में चीन दूसरा स्थान बनाए हुए है।
- अप्रैल-दिसंबर, 2020-21 के दौरान 200.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात हुआ। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान (-)15.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (Petroleum, Oil and Lubricants: POL) के निर्यात में गिरावट, जो कुल निर्यात का लगभग 10-15 प्रतिशत है, ने इस गिरावट में निर्णायक योगदान दिया।
- **गैर-POL निर्यातों में जैसे कृषि एवं संबद्ध उत्पादों, औषधियों और अयस्कों एवं खनिजों में महत्वपूर्ण विस्तार दर्ज किया गया।**
- **औषधि-निर्माण, जैविक उत्पादों** के निर्यात में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है जिससे यह शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं में **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात किया गया माल (कमोडिटी) बन गया है।**

भारत के वैश्विक स्तर पर विश्व की फार्मेसी (औषधि-निर्माणकर्ता) बनने की संभावना (Potential to be the "pharmacy of the world")

- भारतीय औषध (फार्मास्युटिकल) उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषध उद्योग है। मात्रा (volume) के मामले में चीन और इटली के बाद भारत का स्थान आता है तथा मूल्य (value) के मामले में भारत 14वां सबसे बड़ा देश है।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर औषध-संबंधी निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दस वर्षों में, वर्ष 2010 के 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 2.6 प्रतिशत कर दिया।
- वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर औषध-संबंधी निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।
- वर्ष 2023 तक वैश्विक औषध बाजार 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो जाएगा। भारतीय औषध उद्योग का वर्तमान आकार 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और वर्ष 2030 तक 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारत की क्षमताएं (India's strengths)

- प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति और कुशल कार्यबल की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाया है।
- भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सर्वाधिक संख्या में **US-FDA (संयुक्त राज्य अमेरिका-खाद्य एवं औषधि प्रशासन)** की शर्तों का अनुपालन करने वाले औषध संयंत्र (सक्रिय औषध सामग्रियों सहित 262 से अधिक) हैं।
- US-FDA के अनुसार, भारतीय औषध कंपनियों ने पिछले नौ महीनों में सभी एब्रीवेटेड नए औषध आवेदनों (ANDSs) में से लगभग 45 प्रतिशत अनुमोदनों को प्राप्त किया है। इस प्रकार के अनुमोदन आने वाले वर्षों में भारत के औषधि संबंधी निर्यात में वृद्धि करने में सहायता करेंगें।

VISION IAS

भारत की सीमाएं

- सक्रिय औषध सामग्रियां (Active Pharmaceutical Ingredients: APsI) और प्रमुख आरंभिक सामग्रियों (Key Starting Materials: KSMs) के स्रोत के लिए चीन पर भारतीय औषध उद्योग की अत्यधिक निर्भरता।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और जेनरिक औषधियों पर भारतीय औषध-संबंधी निर्यात की असंगत निर्भरता।

भारत को "विश्व की फार्मेसी" (pharmacy of the world) के रूप में उभरने में सहायता करने हेतु निम्नलिखित घटकों सहित एक कुशल रूप से परिभाषित रणनीति की आवश्यकता है:

- **बाजारों के साथ-साथ उत्पाद श्रेणियों के संबंध में आधार को व्यापक करना:** उदाहरणस्वरूप- नए उत्पाद श्रेणियों में जैसे बायोसिमिलर, जीन थेरेपी और विशेषीकृत औषधियां तथा जापान, चीन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आदि जैसे बड़े और पारंपरिक रूप से कमजोर बाजारों में निर्यात को बढ़ाना।
- वर्तमान विनियामकीय तंत्र का पुनर्गठन और विभिन्न राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (NIPERs) में क्षमता का उन्नयन तथा निर्माण करना।
- जेनेरिक से नोवेल केमिकल एंटिटीज (NCEs) हेतु मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अधिक व्यय करना।

पण्य निर्यात (Merchandise Imports)

- अप्रैल-दिसंबर, 2020-21 के दौरान **POL आयात में गिरावट आई है। यह गिरावट कुल पण्य आयातों के लगभग एक-चौथाई हिस्से के बराबर है।** इसके परिणामस्वरूप कुल आयात संबंधी वृद्धि में भी गिरावट हुई है।
- भारत द्वारा आयातित माल में स्वर्ण और चांदी के आयात का हिस्सा 7-9 प्रतिशत बना रहा, जिसमें तीव्र वृद्धि देखी गई। बुलियन में निवेश करना सुरक्षित विकल्प होता है, इसलिए इसकी मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी (बुलियन) की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई।
- अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान **अपरिष्कृत पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आयात होने वाली वस्तु बनी हुई है।** इस अवधि के दौरान आयात में इसकी हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है।
- अप्रैल-नवंबर, 2020 में भारत के लिए आयातित माल के सबसे बड़े स्रोत के रूप में चीन का स्थान बना हुआ है। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 17.7 प्रतिशत है।

Top 10 Import Commodities in April-November 2020 and April-November 2019 [By Share in Per cent]

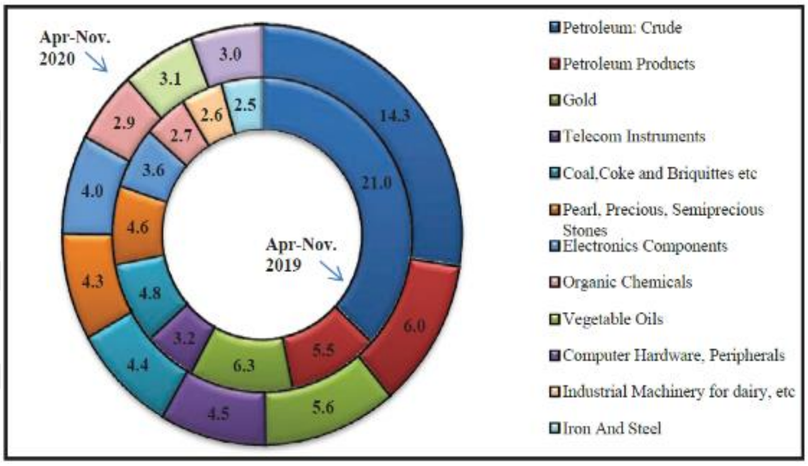

अदृश्य मदें (Invisibles)

- अप्रैल-सितंबर, 2020 में सेवाओं के निवल निर्यात से प्राप्तियां (Net services receipts) एक वर्ष पूर्व इसी अवधि के 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 41.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहीं। **सेवा क्षेत्रक में लचीलापन** मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं द्वारा संचालित था, जो कुल सेवाओं के निर्यात का 49 प्रतिशत था।
- **निवल निजी हस्तांतरण प्राप्तियां (Net private transfer receipts),** जिसमें मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित किया गया विप्रेषण शामिल है। ये वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कुल 35.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहीं, जिसमें पिछले वर्ष इसी अवधि की प्राप्तियों की तुलना में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारत के लिए विप्रेषण वर्ष 2020 में लगभग 8.9 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 (World Migration Report 2020) के अनुसार, **विदेशों में रहने वाले प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या (17.5 मिलियन) भारतीयों की है।** वर्ष 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण के साथ भारत शीर्ष प्राप्तकर्ता था।

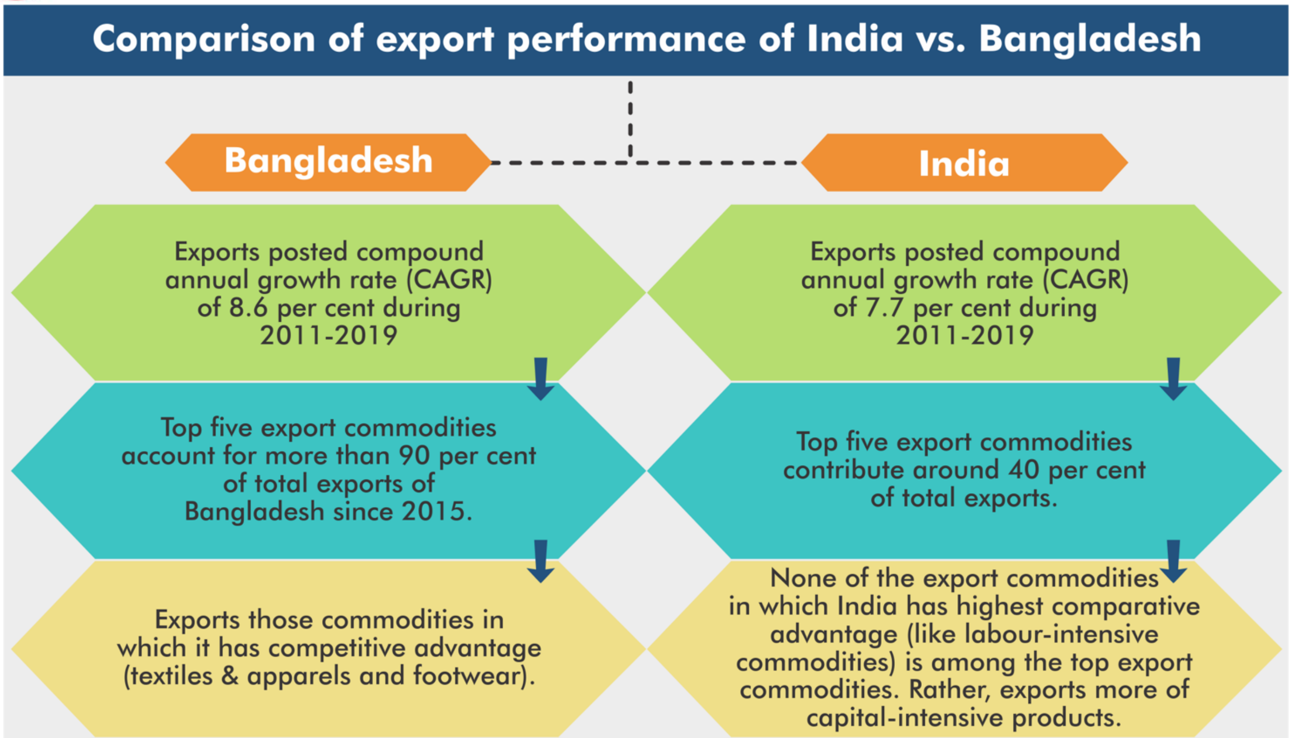

भुगतान संतुलन का चालू खाता (Current Account of BOP)

- भारत का **चालू खाता घाटा (Current Account Deficit: CAD) विगत 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत के औसत स्तर पर बना रहा है।**
- इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ और **वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान चालू खाता संतुलन के संबंध में अधिशेष (GDP का 0.1 प्रतिशत) की स्थिति दर्ज की गई।** यह निम्नतर व्यापार घाटे और निवल अदृश्य प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ। **वित्त वर्ष 2006-07 की चौथी तिमाही के बाद (13 वर्षों के अंतराल में), 2019-20 की चौथी तिमाही में चालू खाते के संबंध में अधिशेष दर्ज किया गया।**
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में, 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आयात से प्राप्त रुझानों को देखते हुए, **यह अपेक्षित है कि 17 वर्ष की अवधि के बाद भारत वार्षिक चालू खाता अधिशेष की स्थिति, जो GDP के कम से कम 2 प्रतिशत के बराबर है, का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।**

भुगतान संतुलन का पूंजीगत/वित्तीय खाता (Capital/Financial account of BOP)

- अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान **निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक (27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दर्ज किया गया।** यह विदेशी निवेशकों के संदर्भ में निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है।
  - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने सबसे अधिक FDI इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया।
  - FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में **सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश बना हुआ है,** जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस वर्ष दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI),** विशेष रूप से इक्विटी अंतर्वाह, में **सुदृढ़ बदलाव देखा गया।** अप्रैल-दिसंबर, 2020 के दौरान निवल FPI अंतर्वाह 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - यह प्रचुर **वैश्विक तरलता के समर्थन से, बेहतर कॉर्पोरेट आय से और कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के कारण आर्थिक सुधार की संभावनाओं का पुनरुद्धार करने से हुआ था।** साथ ही मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) ग्लोबल स्टैंडर्ड सूचकांकों में भारतीय शेयरों के परिमार्जन से भी विदेशी पूंजी के अंतर्वाह को आकर्षित करने में सहायता मिली।
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, **बैंकिंग पूंजी बहिर्वाह और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs) के संदर्भ में निवल बहिर्वाह में वृद्धि हुई।**

विदेशी ऋण (External Debt)

- सितंबर 2020 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण **556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** दर्ज किया गया।
    - विदेशी ऋण के सबसे बड़े घटक में **बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs)** का स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद NRI जमाएं और ट्रेड क्रेडिट अर्थात् व्यापार हेतु लिया गया ऋण (आयात-वित्तपोषण) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।
- विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserve) में वृद्धि के परिणामस्वरूप **कुल और अल्पकालिक ऋण (मूल और बचत) के सापेक्ष विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में सुधार हुआ है।**
- **सरकारी ऋण मार्च 2020 के अंत तक** 100.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **103.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।**
- **विदेशी ऋण के कुल स्टॉक में अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) के हिस्से में भी सुधार हुआ है।** यह संभावित ऋण संबंधी सुभेद्यता का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापक है।

भारत का विदेशी ऋण: स्टॉक-टेकिंग और आगे की राह (India's External Debt: Stock-Taking and the Way Forward)

- **विश्व का कुल विदेशी ऋण** जून 2020 के अंत में **89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँच गया था। विश्व का सबसे बड़ा ऋणग्रस्त देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस संबंध में वैश्विक स्तर पर भारत 23वें स्थान पर है।**
- **भारत का अल्पकालिक ऋण का हिस्सा 18.9 प्रतिशत है** जोकि 24.2 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में कम है। साथ ही, इसका आकार किसी भी शीर्ष 20 ऋणी देशों की तुलना में कम है।
- जून 2020 के अंत तक **सकल विदेशी ऋण के संबंध में भारत के सरकारी क्षेत्रक** की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत थी, जो कि वैश्विक औसत हिस्सेदारी (29.7 प्रतिशत) से कम है।
- **विदेशी ऋण और संवृद्धि के मध्य संबंध तथा "लाफ़र वक्र" (Laffer Curve):** इसके अनुसार, विदेशी ऋण का निवेश और संवृद्धि पर एक निश्चित सीमा स्तर (इष्टतम स्तर) तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन इस स्तर से परे इसका प्रभाव प्रतिकूल हो जाता है। इसके अलावा, कुशल नीतियों और सुदृढ़ संस्थानों वाले देशों में यह सीमा उच्चतर होती है।
- **भारत का विदेशी ऋण-GDP अनुपात (debt to GDP ratio) विगत वर्षों की तुलना में इष्टतम स्तर से काफी नीचे रहा है।** यह मार्च 1992 के अंत तक 38.7 प्रतिशत के स्तर पर था जो घटकर सितंबर 2020 के अंत में 21.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। चीन को छोड़कर, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात भारत की तुलना में उच्चतर है।
- हालांकि, **हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है और अब यह इष्टतम स्तर के आस-पास रहा है।**

भारतीय रुपये की विनिमय दर (Indian Rupee Exchange Rate)

- **भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध RBI की नीति बाजार से संबंधित शक्तियों अनुसार निर्धारित होती है।** इसके तहत RBI, किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर या बैंड के संदर्भ के बिना, बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल विनिमय दर से संबंधित अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के माध्यम से हस्तक्षेप करता है।
- **भारतीय रुपये के अप्रैल, 2020 में 76.86 (एक अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष) के अपने निम्नतम स्तर तक मूल्यह्रास के बाद,** घरेलू इक्विटी बाजार में FPI के अंतर्वाह में वृद्धि और **अमेरिकी डॉलर** के कमजोर पड़ने से भारतीय रुपये में सुधार हुआ है।
- वैश्विक महामारी के प्रकोप के बाद के महीनों में भारत ने अभूतपूर्व FPI बहिर्वाह का अनुभव किया और बाद में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यापक प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप भारत जैसे उभरते बाजारों में पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि हुई। दोनों मामलों में, रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने में RBI काफी हद तक सफल रहा है।

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves)

- **भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी, 2021 तक लगभग 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।** यह भारत की 18 महीने के आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है।
- सितंबर 2020 के अंत तक **विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में** चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड और रूस के बाद **भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश बन गया है।**
- **विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि** मुख्य रूप से चालू खाते के अधिशेष के कारण हुई है। चालू खाते के अधिशेष की यह स्थिति, निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के बजाय आयात में संकुचन के कारण हुई है। यह अधिशेष वित्त वर्ष 2021-22 में निवेश संबंधी व्यय के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

बाह्य वाणिजियक उधारियां और संबंधित नीति में क्रमिक सुगमता (ECBs- Gradual Easing of Policy)

- सितंबर 2020 के अंत में **ECBs के तौर पर कुल बकाया राशि 163.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** थी।
- अधिकांश (91.2 प्रतिशत) ECBs वाणिज्यिक ऋण और प्रतिभूति उधारों के रूप में थीं। दूसरे शब्दों में, ECBs में सर्वाधिक हिस्सेदारी (91.2 प्रतिशत) वाणिज्यिक ऋणों एवं प्रतिभूति उधारों (securitized borrowings) की है। ये ऋण मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (77.2 प्रतिशत) में लिए गए थे। इस प्रकार का ऋण मुख्य रूप से गैर-वित्तीय निगमों (74.5 प्रतिशत) द्वारा लिया गया था।
- **भारतीय संदर्भ में ECBs के चालक (Drivers of ECBs in the Indian context):**
    - **देश-विशिष्ट कारक:** इसके तहत घरेलू वास्तविक आर्थिक गतिविधि, विनिमय दर, ब्याज दर और मुद्रास्फीति, घरेलू कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की स्थिति, पूंजी खाते के संदर्भ में खुलेपन की स्थिति और विनियामकीय ढांचा शामिल हैं।
    - **वैश्विक वित्तीय स्थितियां,** जिनमें ब्याज की दरें, वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति शामिल हैं। उपर्युक्त को खिंचाव (Pull) कारकों के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

Figure B3.1: Stock of ECBs: Instrument-wise

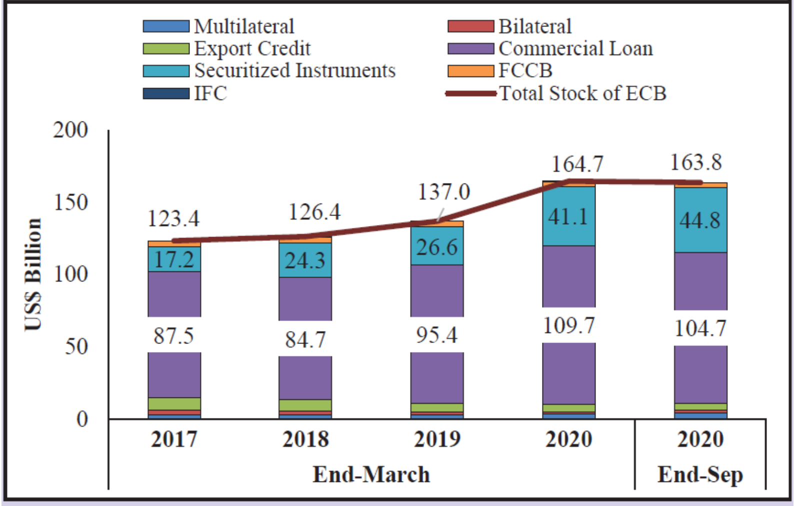

- अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी को देखते हुए व्यापक निवेश संबंधी आवश्यकताओं के रूप में, भारत ने **पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:**
    - उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के आधार को व्यापक करते हुए, सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए समान अवसर का सृजन करते हुए और मध्यस्थता के दायरे को हटाकर एक नई और सरल ECBs नीति को मार्च 2019 में अस्तित्व में लाया गया।
    - भारत में वित्तीय बाजारों का विकास, बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं को उनके ब्याज और मुद्रा संबंधी जोखिम को कम करने में सक्षम बनाता है।
    - व्यक्तिगत कॉर्पोरेट-उधारकर्ता की सुभेद्यता के कारण अन्य हितधारकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली संभावित प्रणालीगत स्थिरता संबंधी जोखिम को कम करने के लिए, बैंकों के ऊपर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण स्थापित किए गए हैं, जैसे- असुरक्षित विदेशी मुद्रा देयता वाली फ़र्मों को दिए गए ऋण के लिए वृद्धिशील प्रोविजनिंग और पूंजीगत आवश्यकताएं।
    - व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से **ECBs के अंतिम उपयोग को नियंत्रित करने वाले विनियमों का प्रगतिशील युक्तिकरण और उदारीकरण किया गया है।**
    - **पुनः वित्तपोषण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मूल उधार की बकाया परिपक्वता को कम नहीं किया जाता है** और नई बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) संबंधी समग्र लागत, मौजूदा ECB की सभी लागतों से कम होती है। इसके अलावा केवल उच्च रेटेड कॉर्पोरेट्स (AAA) और महारत्न/नवरत्न श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को मौजूदा ECBs के पुनः वित्तपोषण में भाग लेने की अनुमति है।

सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई पहलें

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 को एक वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था, ताकि वर्तमान योजनाएं सतत रूप से जारी रहें।

- **व्यापार की सुविधा:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) में हुए व्यापार सुविधा समझौते (Trade Facilitation Agreement: TFA) के परिणामस्वरूप **राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (National Committee on Trade Facilitation: NCTF)** का गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि WTO के तहत TFA वर्ष 2017 में लागू हुआ था। व्यापार के समक्ष विद्यमान बाधाओं को दूर करने वाली विशिष्ट गतिविधियों से युक्त **राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (National Trade Facilitation Action Plan)** को वर्ष 2017-2020 के लिए तैयार किया गया था।

- साथ ही, कोविड-19 के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक संबंधी छूट के उपाय किए गए। इसमें 24x7 क्लीयरेंस, समर्पित एकल खिड़की समाधान, आयात का ब्यौरा प्रदान करने में विलंब पर भी माफी, देर से दाखिल शुल्क संबंधी छूट, बॉण्ड की बजाय वचन पत्र आदि शामिल हैं।

- **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP) योजना:** इस योजना के तहत **केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्क और करों** {जैसे कि परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (VAT), जिसके लिए किसी अन्य वर्तमान प्रणाली के अधीन न तो छूट दी जाती है अथवा न ही धन की वापसी की जाती है} से संबंधित राशि को **निर्यातकों की सीमा-शुल्क के बही खाते में वापस कर दिया जाएगा।** इस ऋण का उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने या अन्य आयातकों को हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है।
  - यह WTO के नियमों का अनुपालन करने वाली योजना है, क्योंकि इससे पहले पण्य निर्यात संबंधी भारतीय योजना को WTO पैनल द्वारा "निषिद्ध सब्सिडी (prohibited subsidy)" के रूप में देखा गया था।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production-Linked Incentive (PLI) Scheme}:** यह योजना 1.46 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य दस-पहचाने गए चैंपियन क्षेत्रकों के तहत आने वाली घरेलू इकाइयों में विनिर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- **व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक (संभार-तंत्र) (Trade Related Logistics):**
  - "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स" के सीमा-पार व्यापार संबंधी मानदंडों में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सुधार करने से भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 के 146 से बेहतर होकर वर्ष 2020 में 68 हो गई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत वर्ष 2014 में 160 देशों में भारत का स्थान 54 था जो कि वर्ष 2018 में 44 हो गया।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति** (National Logistics Policy) अपने कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य आधुनिक, कुशल और लचीला लॉजिस्टिक क्षेत्रक विकसित करना है।
  - **लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता में सुधार से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं:** इसके तहत GST, वहन क्षमता को बेहतर बनाए जाने के लिए भारी वाहनों के लिए एक्सल लोड मानदंडों में संशोधन, ई-संचित के माध्यम से पेपरलेस EXIM (आयात-निर्यात) व्यापार, 'तुरंत सीमा-शुल्क (Turant Customs)' द्वारा फेसलेस मूल्यांकन, प्रमुख बंदरगाहों पर स्कैनर की स्थापना, सभी EXIM कंटेनरों की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) द्वारा टैगिंग, अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (FASTag) आदि शामिल हैं।
  - **अवसंरचना संबंधी पहलें:** इसके तहत भारतमाला परियोजना, सागरमाला, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क, समर्पित माल-वाहक गलियारा, निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना आदि शामिल हैं।
  - **डिजिटल/तकनीकी पहलें:**
    - **लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड परफॉरमेंस मॉनिटरिंग टूल (LPPT):** यह विभिन्न लॉजिस्टिक संबंधी अवसंरचना, जैसे- पत्तन, विमानपत्तन आदि के परिचालन संबंधी प्रदर्शन और परिसंपत्तियों के उपयोग की वास्तविक समय आधारित निगरानी सक्षम बनाता है।
    - **इंडिया लॉजिस्टिक प्लेटफ़ॉर्म (iLOG)** को लॉजिस्टिक संबंधी सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे- वाहन (नेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम), पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, भारतीय रेलवे का फ्रेट ऑपरेशन इनफार्मेशन सिस्टम (FOIS) आदि को एकीकृत करने हेतु विकसित किया जा रहा है।
  - **लॉजिस्टिक क्षेत्रक में 12 मिलियन कार्यबल कार्यरत हैं।** विभिन्न कौशल विकास पहलों के तहत समुचित कौशल प्रदान करने के लिए, स्कूल स्तर पर लॉजिस्टिक और आपूर्ति शृंखला पर पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है।

भारत का WTO के साथ संबंध (India's Engagement With WTO)

- WTO संबंधी सुधारों पर चल रही चर्चाओं में **भारतीय प्रस्ताव के व्यापक घटकों में शामिल हैं:** बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य मूल्यों का संरक्षण करना; विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध का समाधान करना; विकास संबंधी चिंताओं से जुड़े सुरक्षोपाय; पारदर्शिता एवं अधिसूचना आदि।

- **विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स परिषद् (TRIPS Council) की बैठक के दौरान** भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से **"कोविड-19 के निवारण, नियंत्रण और उपचार के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट" का प्रस्ताव रखा है।** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बौद्धिक संपदा अधिकार चिकित्सा संबंधी उत्पादों, टीकों आदि तक वहनीय पहुंच में अवरोध उत्पन्न न करें।
- भारत ने **अर्टिस (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों हेतु व्यापार में उपचार के लिए आवेदन) (Application for Remedies in Trade for Indian industry and other Stakeholders: ARTIS)** नामक एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है। इसे विभिन्न व्यापार संबंधी उपचारों, जैसे- एंटी-डंपिंग ड्यूटी, सुरक्षोपाय शुल्क और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत करने हेतु आरंभ किया है।
- **WTO में भारत से संबंधित मुद्दे:**
    - खाद्य सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का मुद्दा।
    - ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क संबंधी मुद्दा और विकासशील देशों के लिए उनकी डिजिटल उन्नति हेतु नीतिगत अधिकारिता के संरक्षण संबंधी भारत का रुख।

आगे की राह

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने विभिन्न देशों के संदर्भ में वैदेशिक क्षेत्रक को अलग-अलग तरह से प्रभावित किया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात और आयात के संदर्भ में व्यापक संकुचन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में ढील से भारत के पण्य व्यापार में सुधार हुआ, जिसे पूंजी के अंतर्वाह तथा विदेशी मुद्रा भंडार के आकार में हुए अभूतपूर्व सुधार से भी समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार में हुई अभूतपूर्व वृद्धि अविलंबनीय घरेलू निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को भी सक्षम बनाती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक विनिर्माण मूल्य शृंखलाओं का विघटन हुआ है, ऐसी स्थिति में भारत इस शृंखला में प्रमुख भमिका निभा सकता है।

शब्दावली		
लाफर वक्र (Laffer Curve)	• **लाफ़र वक्र, कर की दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के मध्य संबंध को दर्शाता है।** इसके अनुसार यदि कर की दरों को एक निश्चित स्तर से अधिक बढ़ाया जाता है, तो वास्तव में कर राजस्व के संग्रहण में गिरावट हो सकती है क्योंकि कर की उच्चतर दरें लोगों को कर का भुगतान करने हेतु हतोत्साहित करती हैं।	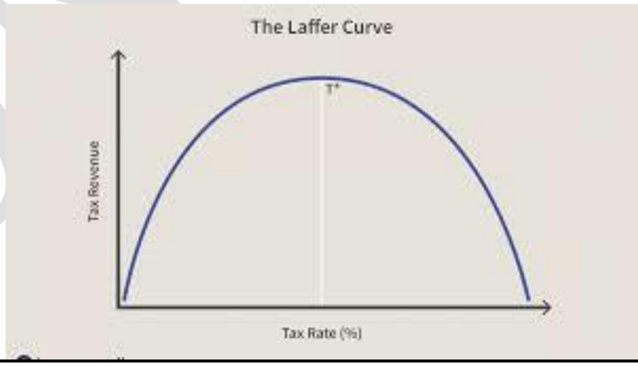

अध्याय एक नजर में

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट आई है। कमोडिटी की कीमतें और विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग निहितार्थ के साथ बाहरी वित्त-पोषण की स्थिति में कमी आई है।
- भारत के औषधि और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार हुआ। विशेष रूप से भारत का औषध संबंधी निर्यात भारत को विश्व की फार्मेसी (pharmacy of the world) के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है।
- कुल मिलाकर, 17 वर्षों के अंतराल के बाद भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में अधिशेष की स्थिति देखने को मिली है।
- जनवरी, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के हस्तक्षेप ने वित्तीय स्थिरता और व्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित किया तथा साथ ही RBI रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलें, जैसे- PLI योजना, RoDTEP, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा डिजिटल पहलें सामान्य रूप से विदेशी क्षेत्रक को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से निर्यात में अत्यधिक सहायक होंगी।

अध्याय 3

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. रूपये के विनिमय दर प्रबंधन की भारत की नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. **केवल अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु हस्तक्षेप के साथ, विनिमय दर को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है।**
2. **मौद्रिक नीति समिति के मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड की तरह, रूपये के विनिमय प्रबंधन हेतु एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य बैंड विद्यमान है।**
3. **भारतीय बाजार से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्गमन भारतीय रूपये को कमजोर करता है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 3

Q2. निम्नलिखित में से कौन-से भुगतान संतुलन (Balance of Payments) में अदृश्य रूप से सम्मिलित हैं?

1. **विप्रेषण**
2. **सॉफ्टवेयर निर्यात**
3. **पेट्रोलियम आयात**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q3. हाल ही में भारत सरकार ने ARTIS पोर्टल का शुभारंभ किया

(a) विद्वानों और छात्रों द्वारा उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एकल मंच का निर्माण करने के लिए।

(b) गैर-सरकारी संगठनों और प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के मध्य इंटरफेस प्रदान करने के लिए।

(c) कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा प्रभावित फेरीवालों (गली-विक्रेताओं) को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए।

(d) विभिन्न व्यापार उपायों के संबंध में घरेलू उत्पादकों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए।

VISION IAS

Q4. 'प्रमुख प्रारंभिक सामग्री' शब्दावली का उपयोग किया जाता है

(a) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के संदर्भ में

(b) औषध उद्योग के संदर्भ में

(c) कृषि प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में

(d) ऑटोमोबाइल क्षेत्रक के संदर्भ में

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. भारत में "विश्व की फार्मेसी" बनने की अपार क्षमताएं हैं। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इस क्षमता को साकार करने की रणनीति प्रस्तुत कीजिए।

Q.2. भारत से होने वाले निर्यात की वर्तमान स्थिति का विवरण दीजिए। साथ ही, हाल के वर्षों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों को भी रेखांकित कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 4: मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता (Monetary Management and Financial Intermediation)

परिचय

इस अध्याय में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति के दौरान देश में हुए मौद्रिक विकास के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है। इस अध्याय में बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), पेंशन एवं बीमा क्षेत्रकों में हुए विकास की व्याख्या की गई है। इसके साथ ही मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी वर्णन किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

- **रेपो दर और रिवर्स रेपो दर (Repo and Reverse Repo Rates):** मार्च 2020 से रेपो दर को 115 आधार अंकों (bps) की कमी के साथ 4.0 प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर को 90 आधार अंकों की कमी के साथ 4.0 प्रतिशत पर लाया गया है।
  - **यह कमी बैंकों के लिए निधि को रिज़र्व बैंक के पास निष्क्रिय रूप से जमा कराने को अनाकर्षक बनाने** और इस निधि का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने तथा इस प्रकार तरलता में वृद्धि करने के लिए की गई थी।
- **मौद्रिक समष्टियां (Monetary Aggregates):** वर्ष 2020-21 के दौरान, अर्थव्यवस्था में उच्च तरलता के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में मौद्रिक समष्टियों में अधिक वृद्धि देखी गई।
  - **आरक्षित मुद्रा (Reserve money: M0):** कोविड-19 महामारी के बाद की अवधि के दौरान संचलन में मुद्रा (Currency in Circulation: CIC) में आई तेजी के कारण M0 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **व्यापक मुद्रा (Broad Money / M3):** इसमें 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  - **मुद्रा गुणक (Money multiplier) (इसे M3/M0 के अनुपात में मापा जाता है):** ज्ञातव्य है कि मुद्रा गुणक में 1980 के दशक से वर्ष 2016-17 तक प्राय: वृद्धि दर्ज की गई थी। हालांकि, इसके बाद से इसमें कमी दर्ज की जा रही है। इससे ज्ञात होता है कि मुद्रा की आपूर्ति ने केवल आंशिक रूप से ही आरक्षित मुद्रा की वृद्धि में योगदान दिया है। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रसार बाधित है।
- **वृद्धि पूर्वानुमान (Growth Forecast):** RBI ने वर्ष 2020-21 के लिए संवृद्धि दर के अनुमान को (-) 9.5 प्रतिशत से संशोधित कर (-) 7.5 प्रतिशत व्यक्त किया है।

तरलता की स्थितियां एवं इसका प्रबंधन (Liquidity Conditions and Its Management)

- **वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक प्रणालीगत तरलता या नकदी (systemic liquidity) निरंतर अधिशेष बनी हुई है।** इसके मुख्य संचालक रहे हैं- संचलन में मुद्रा (CIC), सरकार का नकद शेष, विदेशी मुद्रा से संबंधित रिज़र्व बैंक की कार्यवाही आदि।
- अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा कई परम्परागत एवं गैर-परम्परागत उपाय किए गए। इन उपायों में शामिल हैं:
  - **खुले बाज़ार परिचालन (Open Market Operations: OMO)** के माध्यम से प्रतिभूतियों आदि का क्रय कर 2.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी की व्यवस्था करना।
  - वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष मामले के रूप में **राज्य विकास ऋणों (State Development Loans)** में **OMOs** को भी शामिल किया गया।
  - **लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operations: TLTROs):** इसके माध्यम से तीन वर्ष की अवधि वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, वाणिज्यिक पत्रों एवं गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश हेतु 1.13 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश की व्यवस्था की गयी है।
  - बैंकों की **CRR** (नकद आरक्षित अनुपात) आवश्यकता को NDTL (नेट डिमांड एंड टाइम लायबलिटीज) के सापेक्ष 4 प्रतिशत से कम कर **3 प्रतिशत** किया गया है।
  - **सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility: MSF)** के अंतर्गत बैंकों द्वारा एक दिवसीय ऋण प्राप्त करने की सीमा में वृद्धि करना।

VISION IAS

- 50,000 करोड़ रुपये के **म्यूच्यूअल फण्ड हेतु विशेष नकदी सुविधा प्रदान करना,** और
- **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों,** यथा- नबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), सिडबी (SIDBI) एवं एक्सिम बैंक (EXIM Bank) के लिए **75,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा** प्रदान करना।

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित घटनाक्रम

- आरंभ में, देशभर में लॉकडाउन के दौरान व्यापार की कम मात्रा, बाज़ार के परिचालन घंटों में कमी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) द्वारा बिक्री दबाव के साथ अमेरिकी ट्रेज़री पर प्रतिफल के अधिक होने आदि के कारण 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी देखी गई।
- इसके बाद, कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के द्वारा दरों में परिवर्तन न करने एवं CPI को निम्न रखने के प्रभाव के चलते इन पर प्रतिफल में कमी आई।

बैंकिंग क्षेत्रक

- **सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (Gross Non-Performing Advances: GNPA)** अनुपात (अर्थात् सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में GNPA) एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के **दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात** में गिरावट आई।
- SCBs के **पुनर्गठित मानक अग्रिम (Restructured Standard Advances: RSA)** अनुपात में वृद्धि हुई।
- SCBs के **जोखिम भारित परिसंपत्ति से पूंजी अनुपात (Capital to Risk-weighted Asset Ratio: CRAR)** में 14.7 प्रतिशत से 15.8 की वृद्धि हुई।
- SCBs के **निवल लाभ (कर भुगतान के बाद लाभ) में वृद्धि** हुई।

बैंकिंग क्षेत्रक से संबंधित विनियामकीय उपाय

- **वाणिज्यिक बैंक:**
  - एंकर बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया एवं इंडियन बैंक के साथ अन्य **10 PSBs (सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों) का विलय।**
  - **परिसंपत्ति वर्गीकरण के दर्जे में कमी किए बिना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के मौजूदा ऋणों (डिफॉल्ट किन्तु स्टैण्डर्ड ऋणों का) का पुनर्गठन।**
  - **लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क:** संबंधित प्रतिपक्षों के समूह (connected counterparties) के लिए बैंक के लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क में वृद्धि की गई। इसे बैंक के ग्राह्य पूंजी आधार (capital base) के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
  - बैंकों द्वारा अनुमोदित निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष से 15 महीने किया गया है।
  - **मौद्रिक नीति परिसंचरण (Monetary policy transmission):** बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों तथा MSMEs को दिए गए फ्लोटिंग रेट वाले ऋण को बाह्य बेंचमार्क्स, जैसे- रेपो दर, ट्रेजरी बिल दर और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (FBIL) द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क दर से लिंक करें।
- **सहकारी बैंक (Co-operative Banks):**
  - **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (priority sector lending) संबंधी लक्ष्य में संशोधन कर,** इसे 40 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
  - MSMEs के लिए ब्याज अनुदान योजना (interest subvention scheme) के अंतर्गत **योग्य ऋणदाता संस्था के रूप में सहकारी बैंकों का समावेशन।**
  - **500 करोड़ रुपये और इससे अधिक की संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया गया है।**
  - **एकल एवं समूह उधारकर्ताओं के ऋणों और बड़े ऋणों के लिए सीमा निर्धारित की गयी है।**
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत **UCBs के लिए रिटर्न जमा करने की समय सीमा में वृद्धि।**
  - **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन:** बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से UCBs

के विनियामकीय अभिशासन में परिवर्तन किए गए हैं। इसके अंतर्गत उपबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक को UCBs के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है,
- UCBs को सक्षम बनाया गया है कि वे इक्विटी / अधिमानी (preference) / विशेष शेयर एवं डिबेंचर / बॉण्ड्स जैसी प्रतिभूतियों को (रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी शर्तों के अधीन) जारी कर अपनी पूंजी में वृद्धि करें।
- रिज़र्व बैंक को UCB के निदेशक मंडल को पदच्युत करने का अधिकार दिया गया है।

मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission)

- RBI के नीतिगत रेपो दर में आए परिवर्तनों का बैंकों ने तो लाभ उठाया लेकिन वे इसे अपने ग्राहकों तक पहुँचाने (अर्थात् ऋण पर ब्याज दर में कमी) में उत्सुक नहीं दिखे, परंतु **दर संरचना और सावधि संरचना** के संचरण में सुधार हुआ है।
    - **दर संरचना (Rate structure):**
        - नीतिगत रेपो दर में आए परिवर्तनों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने **जमा (डिपॉजिट्स) और उधार दरों में संचरित (transmission)** कर इसमें सुधार प्रदर्शित किया है। हालांकि, यह नीतिगत दर में कमी, अत्यधिक नकदी अधिशेष और ऋणों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने के संयुक्त प्रभाव को भी दर्शाता है।
        - रुपये में लिए जाने वाले नए ऋणों पर **भारित औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate: WALR)** में 94 आधार अंकों की गिरावट आई है। यह कमी मुख्यतः नीतिगत रेपो दर में 115 आधार अंकों की कमी और तरलता अधिशेष की स्थितियों के फलस्वरूप आई है।
        - **सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्रक बैंक:** इन दोनों प्रकार के बैंकों में से, निजी क्षेत्र के बैंकों ने नए ऋणों के संबंध में अधिक संचरण प्रदर्शित किया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अशोधित/बकाया ऋणों के संदर्भ में अधिक संचरण दर्शाया है।

भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति (Status of Digital payments in India)

- इस वित्तीय वर्ष में सभी श्रेणियों में **डिजिटल भुगतानों की मात्रा (वॉल्यूम) और मूल्य (वैल्यू) में वृद्धि** देखी गई।
- देशभर में हो रहे डिजिटल भुगतान के विस्तारित रूप के अध्ययन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समग्र **डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)** का निर्माण किया है।
- **RBI-DPI में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं,** जो विभिन्न अवधियों के दौरान देश में हुए डिजिटल भुगतानों के विस्तार एवं व्यापकता को मापने में सक्षम है। ये मानदंड हैं-
    - भुगतान सक्षमकर्ता (Payment Enablers) (भारांश 25%);
    - भुगतान अवसंरचना – मांग पक्ष कारक (भारांश 10%);
    - भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति पक्ष कारक (भारांश 15%);
    - भुगतान निष्पादन (Payment Performance) (भारांश 45%); और
    - उपभोक्ता केंद्रीयता (Consumer Centricity) (भारांश 5%)
- **मार्च 2018** को आधार अवधि मानकर RBI ने DPI का निर्माण किया है। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI क्रमश: 153.47 और 207.84 है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि विगत वर्ष इसमें अधिक वृद्धि हुई है।
- **विगत 2 वर्षों के दौरान इस सूचकांक में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।**

    - **ऋण वृद्धि (Credit Growth):**
        - **ऋण वृद्धि फरवरी 2019 के 14.8 प्रतिशत से कम होकर अक्टूबर 2020 में 5.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई।**
        - हालांकि, वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में **ऋण वृद्धि में संतुलन बना रहा।**
    - **सावधि संरचना (Term structure):**
        - नीतिगत दरों में कमी और अधिशेष तरलता ने **अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों ही ब्याज दरों को कम करने में सहायता की है।** हालांकि, दीर्घकालिक ब्याज दरों पर प्रभाव बहुत कम रहा।
        - **एक वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में** 157 आधार अंकों की कमी आई, जबकि 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में केवल 24 आधार अंकों की गिरावट हुई। इस वर्ष के दौरान दो प्रतिफलों के मध्य अंतर अधिक व्यापक हुआ है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Companies: NBFC) क्षेत्रक

- कुछ बड़ी NBFCs में ऋण की विभिन्न स्थितियों और धन प्राप्त करने संबंधी चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में **NBFCs की संवृद्धि में कमी देखी गई।**
- **NBFCs की क्रेडिट ग्रोथ में निरंतर कमी जारी है।** NBFCs की कुल परिसंपत्तियों में वर्ष 2018-19 के 24.86 प्रतिशत की तुलना वर्ष 2019-20 के दौरान 16.01 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।
- हालांकि, **NBFCs की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सामान्य रूप से कमी आई है, परंतु निवल NPA अनुपात में मामूली सुधार हुआ है।**
- **बैंकों ने अपने ऋण विस्तार के माध्यम से NBFCs को अपना सहयोग देना जारी रखा है,** और 9.2 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया, जो समग्र बैंक ऋण वृद्धि से अधिक था। इस क्षेत्र को महामारी के दौरान तरलता प्राप्त करने के लिए **रिज़र्व बैंक** द्वारा घोषित उपायों से भी लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (TLTRO) भी शामिल थे।
- सुरक्षित एवं असुरक्षित उधार और सार्वजनिक जमा के रूप में **NBFCs की बाह्य देयताओं में** 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पूंजी बाज़ार से संबंधित घटनाक्रम (Developments in Capital Markets)

- **प्राथमिक बाज़ार (इक्विटी) {Primary Markets (Equity)}:** सार्वजनिक निर्गम (public issue) एवं राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाने में कमी आई है।
- **प्राथमिक बाज़ार (ऋण) {Primary Markets (Debt)}:** ऋण के प्राइवेट प्लेसमेंट माध्यम से जुटाई गई धनराशि में वृद्धि हुई है, जबकि सार्वजनिक ऋण निर्गम (public debt issues) के माध्यम से धन जुटाने में कमी दर्ज की गई।
- **म्यूचुअल फंड से संबंधित गतिविधियां:** वर्ष 2020-21 के दौरान म्यूचुअल फंड उद्योग में 2.76 लाख करोड़ रुपये का निवल अंतर्वाह हुआ।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश (Investment by Foreign Portfolio Investors)

- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय पूंजी बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के माध्यम से **2.1 लाख करोड़ रुपये का निवल अंतर्वाह** हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में दौरान निवल अंतर्वाह 0.81 लाख करोड़ रुपये था।

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक में परिवर्तन (Movement of Indian Benchmark Indices)

- भारतीय बेंचमार्क सूचकांक अर्थात् निफ्टी 50 और S&P BSE सूचकांक क्रमश: 14,644.7 और 49,792.1 के **रिकॉर्ड ऊंचाई** पर पहुंच गए थे।
- कोविड-19 महामारी के आलोक में सेबी (SEBI) द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए गए:
    - RBI द्वारा घोषित अधिस्थगन (moratorium) अवधि के दौरान, भुगतान में हुए विलंब को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिफ़ॉल्ट (चुक) नहीं माना जाएगा।
    - प्रेस विज्ञप्तियों एवं प्रकटीकरण हेतु समय सीमा में विस्तार।
    - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग को डिफ़ॉल्ट से नॉन-इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए 90 दिनों के उपचार अवधि (curing period) से बचने का विकल्प दिया गया था।
    - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के विषय में दस्तावेजों के प्रसंस्करण में अस्थायी छूट।

बीमा क्षेत्र

- **बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन दो संकेतकों, यथा- बीमा पैंठ (इंश्योरेंस पेनेट्रेशन) और बीमा घनत्व (इंश्योरेंस डेंसिटी) का प्रयोग करके किया जाता है।**
    - **बीमा पैंठ (Insurance penetration)** की गणना **बीमा प्रीमियम के GDP के प्रतिशत** के रूप में की जाती है और **बीमा घनत्व (Insurance Density)** की गणना **बीमा प्रीमियम के जनसंख्या के साथ अनुपात** के रूप में की जाती है।
- भारत में, **बीमा पैंठ में निरंतर वृद्धि हुई है।** वर्ष 2001 में यह 2.71 प्रतिशत था, **जो वर्ष 2019 में बढ़कर 3.76 प्रतिशत हो गया।** (इसके विपरीत वर्ष 2019 में बीमा पैंठ मलेशिया, थाईलैंड और चीन में क्रमश: 4.72, 4.99 और 4.30 प्रतिशत रहा)।
- भारत में बीमा घनत्व **वर्ष 2019 में लगभग 78 अमेरिकी डॉलर** हो गया, जो **वर्ष 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर** था। (इसके विपरीत, वर्ष 2019 में मलेशिया, थाईलैंड और चीन में यह उच्चतम स्तर पर क्रमश: 536 अमेरिकी डॉलर, 389 अमेरिकी डॉलर और 430 अमेरिकी डॉलर था)।

- कोविड-19 के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण विनियामक उपाय भी किए गए, जो इस प्रकार हैं-
  - **KYC प्रक्रिया का सरलीकरण।**
  - **अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए।** कोविड-19 बीमारी हेतु कवरेज देने के लिए कोरोना रक्षक पॉलिसी (मानक-लाभ-आधारित पॉलिसी) और **कोरोना कवच पॉलिसी** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

पेंशन क्षेत्र

- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कुल अंशदान में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code)

- **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP)** के कार्यान्वयन के बाद **लगभग 23 प्रतिशत मामलों को सुलझाया या बंद कर दिया गया था।**
- जिन 1,420 मामलों के लिए CIRP प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनके संबंध में परिसमापन (liquidation) की दर समाधान (resolution) की तुलना में लगभग 3.6 गुना था।
- कोविड-19 महामारी को देखते हुए, दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया। इस प्रकार, धारा 7, 9 और 10 के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणियों पर CIRP शुरू करने पर रोक लगा दी गई।
- विनिर्माण क्षेत्रक, रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र CIRP शुरू करने वाले शीर्ष तीन क्षेत्र हैं।
- RBI के आकड़ों के अनुसार, दावों के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए IBC के कारण फंसे हुए धन का 45.5 प्रतिशत वसूलने में सक्षम रहे। यह अन्य तरीकों और कानूनों के तहत की जाने वाली वसूली की तुलना में सबसे अधिक है।
- **संहिता द्वारा व्यवहार संबंधी परिवर्तन:** समाधान प्रक्रिया के अपरिहार्य परिणाम कंपनी के प्रबंधन एवं प्रवर्तकों को न्यूनतम दक्षता स्तर से कम पर संचालन करने से रोकते हैं। इसके साथ ही यह ऋणकर्ताओं को यथा शीघ्र ऋणदाताओं के साथ तेज़ी से चूक निपटान हेतु प्रोत्साहित करता है।

शब्दावली	
दीर्घकालिक रेपो परिचालन एवं लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन {Long Term Repo Operations and Targeted Long Term Repo Operations (LTRO & TLTRO)}	LTRO एक ऐसा उपकरण है, जिसके तहत बैंक {संपार्श्विक (collateral) के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को समान या लंबी अवधि तक जमा कर} रेपो दर पर एक से तीन वर्ष की अवधि हेतु केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। • इसे **लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (TLTRO)** कहा जाता है, क्योंकि इस स्थिति में, केंद्रीय बैंक चाहता है कि बैंक विशेष रूप से निवेश-ग्रेड वाले कॉर्पोरेट ऋण में निवेश करने हेतु इस विकल्प के तहत निधियों का उपयोग करें। • LTRO बैंकों को RBI के माध्यम से सस्ती पूंजी तक पहुँच प्रदान करता है। इस प्रकार, बैंक और अधिक उधार देने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु अग्रसर होते हैं।
सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC)	RBI के द्वारा इसकी स्थापना ऋणदाताओं के लिए ऋण संबंधी आंकड़ें (क्रेडिट डाटा) संगृहीत करने, उनके संचयन एवं प्रसार के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत, बैंकों को 5 करोड़ और उससे अधिक के समस्त **निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण** लेने वाले व्यक्तियों से संबंधित ऋणों की जानकारी CRILC को देनी आवश्यक है।
भारित औसत उधार दर {Weighted average lending rate (WALR)}	**भारित औसत ब्याज दर** एक औसत दर है, जिसे कुल ऋण में प्रत्येक ऋण के योगदान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। भारित औसत में **ऋण की शेष राशि** को **प्रत्येक ऋण की ब्याज दर** से गुणा किया जाता है और **कुल ऋण शेष** द्वारा इस राशि को विभाजित किया जाता है।

अध्याय एक नज़र में

- मौद्रिक नीति वर्ष 2020 में उदार बनी रही। रेपो तथा रिवर्स रेपो दरों में क्रमश: 115 आधार अंकों तथा 90 आधार अंकों की कमी की गई।
- वित्त-वर्ष 2020-21 में प्रणालीगत तरलता अधिशेष बनी रही। RBI ने अर्थव्यवस्था में तरलता/नकदी व्यवस्था के प्रबंधन हेतु खुले बाज़ार परिचालन (Open Market Operations: OMO), दीर्घकालिक रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि जैसे विभिन्न परंपरागत और गैर-परंपरागत उपाय किए।
- आरक्षित मुद्रा (M0) और व्यापक मुद्रा (M3) में क्रमश: 15.2 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि, मुद्रा गुणक में कमी दर्ज की गई।
- आरंभिक गिरावट के बाद 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में संतुलन आया है।
- बैंकिंग क्षेत्र में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (GNPA) अनुपात एवं दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में गिरावट आई है। जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के पुनर्गठित मानक अग्रिम, CRAR और निवल लाभ (कर भुगतान के बाद लाभ) में वृद्धि हुई है।
- नीतिगत रेपो दर में आए परिवर्तन का संचरण क्रेडिट (ऋण) की मात्रा पर कम रहा, जबकि दर संरचना और सावधि संरचना पर इसमें सुधार देखने को मिला है।
- NBFCs की क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट जारी रही।
- भारत में **बीमा पैंठ** और **बीमा घनत्व** अन्य एशियाई देशों, जैसे- मलेशिया, थाईलैंड और चीन की तुलना में अत्यधिक कम है।
- जनवरी 2021 में निफ्टी 50 और S&P BSE सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई (क्रमश: 14,644.7 और 49,792.12 के स्तर) पर पहुंचकर बंद हुए।
- IBC के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वसूली दर 45 प्रतिशत से अधिक रही है।

अध्याय 4

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयों से बाजार में तरलता बढ़ती है?

1. सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

2. बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कमी

3. रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सूचकांक NITI आयोग द्वारा तैयार किया गया है।

2. यह सूचकांक आधार अवधि के रूप में मार्च 2016 के साथ तैयार किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-से परिवर्तन लाए गए थे?

1. SEBI के पूर्व-अनुमोदन के अधीन सहकारी बैंक जनता से ऋण पूँजी जुटा सकते हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान ले सकता है।

3. रिजर्व बैंक को UCB के प्रबंधन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q4. बीमा की पैठ (Insurance Penetration) शब्दावली से आप क्या समझते हैं?

(a) यह कुल जनसंख्या में बीमित लोगों की संख्या के अनुपात को संदर्भित करता है।

(b) यह जनसंख्या से बीमा प्रीमियम के अनुपात को संदर्भित करता है।

(c) इसकी गणना बीमा प्रीमियम से बीमित आबादी की कुल संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।

(d) यह सकल घरेलू उत्पाद से बीमा प्रीमियम के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. 'केंद्रीय बैंक द्वारा कई प्रोत्साहनों और अंकुशों के बावजूद, भारत में मौद्रिक नीति प्रसार संतोषजनक नहीं रहा है।' विवेचना कीजिए।

Q.2. मूल्य अधिकतमीकरण करने वाले निष्पादनों (value maximizing outcomes) की दिशा में संकटग्रस्त कंपनियों को विकल्प प्रदान करने और परोक्ष दबाव डालने में सक्षम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

Q.3. कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार और RBI द्वारा उठाए गए कदमों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Q.4. भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा, दर संरचना और अवधि संरचना पर नीतिगत रेपो दर परिवर्तन के हालिया संचरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 5: कीमतें और मुद्रास्फीति (Prices and Inflation)

परिचय

- वर्ष 2013-14 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (Consumer Price Index-Combined: CPI-C) मुद्रास्फीति मध्यम रही है। हालांकि, वर्ष 2020 में मुद्रास्फीति की गतिशीलता में काफी परिवर्तन हुआ है।
- कुल मिलाकर, **हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति** कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि के दौरान और परिणामस्वरूप आपूर्ति पक्ष व्यवधानों की निरंतरता के कारण उच्च बनी रही।
    - एक ओर, **निम्न आर्थिक गतिविधि के कारण मांग निरुत्साहित हुई।**
    - दूसरी ओर, **आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।**
- मुद्रास्फीति में वृद्धि **अधिकांशतः खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित थी,** जो वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़कर 9.1% हो गई है।

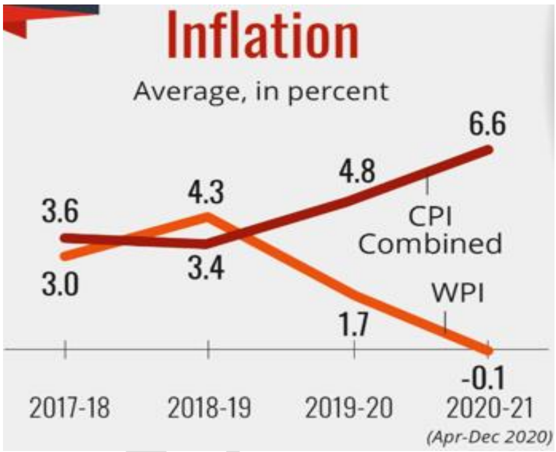

मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां (Current trends in Inflation)

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति** में वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक अधोमुखी गिरावट हुई। यद्यपि **वर्ष 2019 के पश्चात् इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई थी,** लेकिन वर्तमान में मुद्रास्फीति स्पष्ट रूप से संतुलित (मध्यम) दिखाई देती है।
    - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) के विभिन्न समूहों के भीतर, **चालू वर्ष में मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि से प्रेरित थी,** जो वर्ष 2018-19 में 0.1% से बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 9.1% हो गई। इसका एक प्रमुख कारण सब्ज़ियों की कीमतों में आई वृद्धि है।
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति** वर्ष 2018-19 के 4.3% से **घटकर** वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में माइनस (-) 0.1% हो गई। चालू वर्ष में WPI मुद्रास्फीति में गिरावट **मुख्य रूप से ईंधन और विद्युत के कारण हुई है।**
    - वर्ष के दौरान कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में निरंतर अस्थिरता के कारण प्रमुख ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

Figure 2: Trends in CPI-C Headline, Core and Food inflation

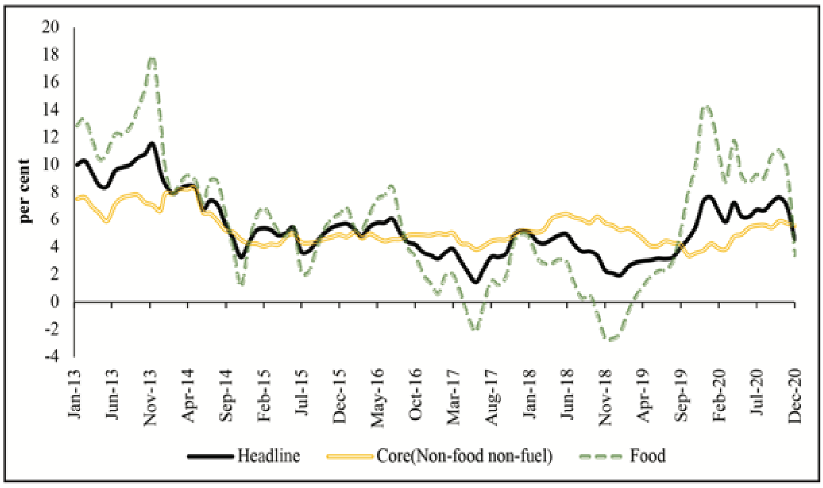

Source: NSO.

- **CPI मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में उच्च था, वर्ष 2020 में इसमें गिरावट देखी गई है।**
    - चालू वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के गैर-खाद्य घटकों में मुद्रास्फीति उच्च रही है।

मुद्रास्फीति के कारक: खाद्य मुद्रास्फीति का असाधारण प्रभाव (Drivers of Inflation: The Prodigious impact of Food Inflation)

- वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, **CPI-C मुद्रास्फीति का प्रमुख कारक खाद्य और पेय पदार्थ समूह था।**

- इस अवधि के दौरान **विविध समूह** मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index: CFPI) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति, अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक ऋणात्मक रही है। हालांकि, वर्ष 2019 की दूसरी छमाही के पश्चात् इसमें तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी, जिसका मुख्य कारण सब्ज़ियों की कीमतों में वृद्धि होना रहा है। लेकिन, हाल के महीनों में कीमतों में गिरावट आई है।
  - CFPI में खाद्य उप-समूहों का योगदान दर्शाता है कि चालू वर्ष में **खाद्य मुद्रास्फीति में, 'सब्जियों', 'मांस व मछली', 'तेल व वसा' और 'दाल' का प्रमुख योगदान था।**

Figure 6: Component-wise rural and urban inflation in 2020-21 (Apr-Dec)

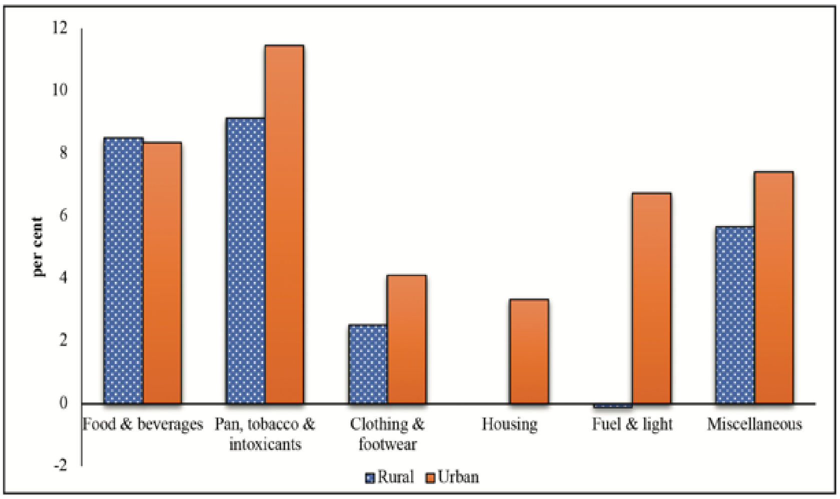

Source: NSO

- उल्टा प्रवासन (reverse migration) की वजह से श्रमिकों की कम उपलब्धता, कारखानों में सामाजिक दूरी (Social Distancing) तथा उत्पादन और वितरण नेटवर्क में अन्य लेनदेन संबंधी लागतों के कारण **कोविड-19 से प्रेरित प्रतिबंधों के पश्चात् भी थोक मूल्यों में वृद्धि देखी गई है।**
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अप्रैल से नवंबर के दौरान तीव्र वृद्धि होने से पूर्व, **निरामिष भोजी (शाकाहारी) और आमिषभोजी (मांसाहारी) दोनों थालियों की कीमतों में** जनवरी से मार्च 2020 में काफी गिरावट आई। जिनकी कीमतें पुनः दिसंबर 2020 में सुगम हुईं।

राज्यों में मुद्रास्फीति (Inflation in States)

- **चालू वर्ष में अधिकांश राज्यों में CPI-C मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है,** हालांकि, क्षेत्रीय भिन्नता निरंतर बनी हुई है।
  - 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, चालू वर्ष में कुल मुद्रास्फीति औसत से कम रही है। साथ ही, दिल्ली में सबसे कम मुद्रास्फीति रही है, जिसके पश्चात् दादरा और नगर हवेली का स्थान आता है।
- मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, **अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू वर्ष में ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में उच्च शहरी मुद्रास्फीति देखी गई है।**
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के साथ-साथ पूर्वी राज्यों के** ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति देखी गई है।

Figure 10: Contribution of groups to overall CPI-C inflation in 2019-20 (Apr-Dec) and 2020-21 (Apr-Dec) in per cent

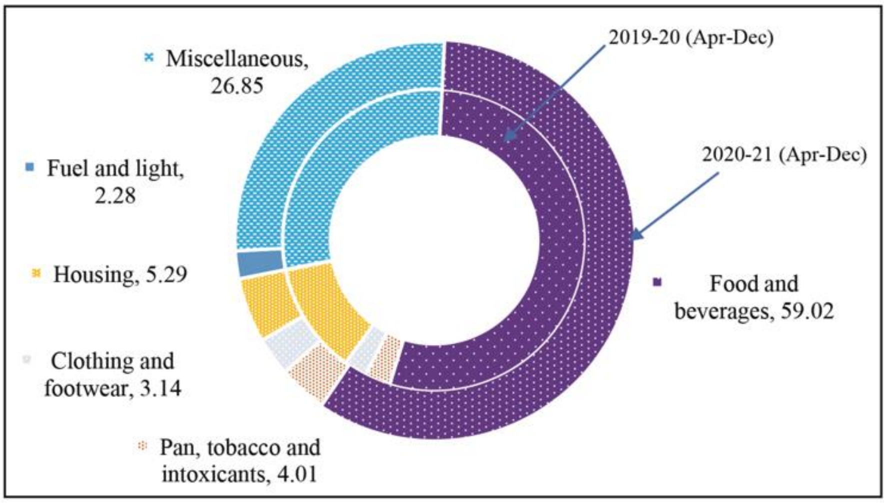

Source: NSO

वैश्विक पण्य-वस्तु की कीमतें (Global Commodity Prices)

- वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप, **कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति अनुकूल बनी रही।**
- **कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव** कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण **ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा है।**

- महामारी प्रेरित प्रतिबंधों की अवधि के दौरान **कृषि पण्यों की कीमतें लगभग स्थिर रहीं।**
- कोविड-19 से प्रेरित आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए **निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में स्वर्ण में निवेश किया, जिससे स्वर्ण की कीमतों में तीव्र उछाल आया।**

औषधियों के मूल्यों का नियमन (Regulation of Drug Prices)

- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority: NPPA)** दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। इस प्राधिकरण ने **कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई है** और देश भर में जीवन रक्षक आवश्यक औषधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।
  - NPPA ने औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए **औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013** और **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम** के तहत जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया।
- महामारी की अवधि के दौरान, विदेशी सरकारों द्वारा अनुरोध के आधार पर **औषधियों/वस्तुओं विशेष रूप से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) और पेरासिटामॉल जैसी औषधि के निर्यात के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।**

मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में हेडलाइन मुद्रास्फीति या कोर मुद्रास्फीति (Headline inflation or core inflation as target for monetary policy)

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति** किसी अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल मुद्रास्फीति को संदर्भित करती है, जिसके आंकड़ों के तहत खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुओं के समूह की मुद्रास्फीति को भी शामिल किया जाता है। यह **कोर मुद्रास्फीति,** जो मुद्रास्फीति की गणना करते समय खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं करती है, से पृथक है।
- कोर मुद्रास्फीति को कई लोगों द्वारा मौद्रिक नीति प्रयोजनों के उद्देश्य से मुद्रास्फीति के आकलन हेतु एक बेहतर उपाय/विकल्प के रूप में देखा गया है।
  - इसका कारण यह है कि **खाद्य और ईंधन मूल्य आघात, परिवर्तनशील होने के साथ-साथ मुख्य रूप से आपूर्ति से प्रेरित होते हैं** और इसलिए यह एक मौद्रिक घटना नहीं है।
- जबकि पूर्ण बाजारों के तहत, कठोर कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करने का विकल्प सबसे अच्छी नीति है, किंतु अपूर्ण बाजारों के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण, कोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के सापेक्ष कल्याणकारी सुधार को सुनिश्चित करता है।
- हालांकि, खाद्य पदार्थों की मूल्य स्थिरता में व्यापक बदलाव को देखते हुए, कोर मुद्रास्फीति के अतिरिक्त खाद्य मुद्रास्फीति के स्थिर घटकों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय (Measures to Control Inflation)

सरकार ने इन पण्य-वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा इन्हें उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं।

- खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए **प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, प्याज के भण्डारण की सीमा लागू करना, दालों के आयात पर प्रतिबंध में ढील देना आदि** जैसे कदम उठाए गए हैं।
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF) योजना** दालों की कीमतों को स्थिर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है, और इसने सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है।
- **दालों के बफर स्टॉक के निर्माण ने** दालों की कीमतों को कम करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, बफर स्टॉक से दालों का उपयोग PDS वितरण के लिए और साथ ही मध्याह्न भोजन योजना एवं ICDS योजना में भी किया गया था।
- सरकार ने निर्णय लिया है कि **MSP पर खरीद मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS) के तहत की जाएगी** और यदि **मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund: PSF)** के तहत खरीद की आवश्यकता नहीं है तो उपयुक्त बफर के निर्माण की आवश्यकता PSS स्टॉक से पूरी की जाएगी।
- **भारत में दालों (अरहर और अन्य दालों) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए** भारत सरकार ने **मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।**

अन्य संभावित उपाय

- उर्ध्वगामी मूल्य गतिशीलता को कम करने के लिए **अल्पकालिक उपायों के अतिरिक्त, मध्यम से दीर्घकालिक उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है,** जैसे कि उत्पादन केंद्रों पर विकेंद्रीकृत कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं।

- भंडारित प्याज (ऑपरेशन ग्रीन्स पोर्टल) में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अच्छी किस्म की खाद, उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग, समय पर सिंचाई और फसलोत्तर प्रौद्योगिकी आवश्यक है।
- प्याज की बफर स्टॉक नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- अपव्यय को कम करने, कुशल प्रबंधन और समय पर उसके रिलीज़ (निर्गमन) को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आगे बढ़ते हुए, जैसे-जैसे खाद्य मुद्रास्फीति में और गिरावट आएगी, समग्र मुद्रास्फीति में भी और कमी होने की संभावना है। दूसरी ओर, मांग की स्थिति में सुधार से निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति में सुधार के साथ WPI मुद्रास्फीति के धनात्मक क्षेत्र में रहने की संभावना है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 {Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}

- हाल ही में, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है।
  - यह संशोधन प्रावधान करता है कि खाद्य पदार्थों, जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेल और तेल शामिल हैं, का **विनियमन केवल असाधारण परिस्थितियों में, यथा- युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा आदि में ही किया जा सकेगा।**
  - हालांकि, इस संशोधन ने आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को सीमित करने या जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं किया है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने तथा उनका समतामूलक वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस, परमिट, कीमतों पर नियंत्रण आदि द्वारा विनियमन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं में शामिल हैं:**
  - औषधि;
  - उर्वरक;
  - खाद्य पदार्थ, जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी सम्मिलित हैं;
  - पूर्णतया कपास से बने अट्टी सूत;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद;
  - कच्चा पटसन (जूट) और पटसन टेक्सटाइल;
  - खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियों के बीज;
  - पशु चारे के बीज, और पटसन के बीज;

यह संशोधन एक दूरदर्शी कदम है, जो किसानों की आय और संवृद्धि की संभावनाओं को मूल रूप से परिवर्तित कर देगा तथा संपूर्ण कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

शब्दावली	
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक {Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW)}	• यह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी एक मूल्य सूचकांक है, जो कुछ चयनित उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्ग परिवारों के लिए जीवन यापन की लागत पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को मापता है। CPI-IW के आधार वर्ष को इसके पूर्ववर्ती वर्ष 2001 से संशोधित करते हुए वर्ष 2016 को इसके आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। • CPI-IW की नई शृंखला विद्यमान सात क्षेत्रों अर्थात् **कारखानों, खदानों, बागानों, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रमों, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रतिष्ठानों तथा पत्तन एवं जहाज गोदामों** के औद्योगिक श्रमिकों को शामिल करती है।
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) रेजीडेक्स (RESIDE)	• आवास मूल्य सूचकांक (Housing Price Indices: HPIs) एक भौगोलिक सीमा के भीतर पर्यवेक्षित आवासीय संपत्ति की कीमतों की गतिशीलता की एक व्यापक माप है।

{National Housing Bank (NHB) RESIDEX}	• राष्ट्रीय आवास बैंक रेजीडेक्स (NHB RESIDEX) त्रैमासिक अद्यतन के साथ 50 शहरों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दो आवास मूल्य सूचकांकों अर्थात् **HPI@ मूल्यांकन आधारित मूल्य (Assessment Prices)** और **HPI@ बाजार मूल्य (Market Prices)** का अभिग्रहण करता है।

अध्याय एक नजर में
• हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति, कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान और परिणामस्वरूप आपूर्ति पक्ष व्यवधानों की निरंतरता के कारण उच्च बनी रही।
• वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति औसतन 6.6% थी तथा दिसंबर 2020 में 4.6% थी, जो मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि (मुख्यतः सब्ज़ियों की कीमतों में वृद्धि) से प्रेरित थी।
• वर्ष 2020-21 के दौरान, खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में विपरीत दिशाओं में गतिशीलता देखी गई है। जबकि CPI-C मुद्रास्फीति में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई है, WPI मुद्रास्फीति अनुकूल बनी रही।
• विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति पक्ष आघातों ने मुद्रास्फीति में समग्र वृद्धि में योगदान देने वाले खाद्य पदार्थों के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को भी प्रभावित किया है।
• CPI मुद्रास्फीति में ग्रामीण-शहरी अंतर, जो वर्ष 2019 में उच्च था, वर्ष 2020 में इसमें गिरावट देखी गई है।
• आपूर्ति में वृद्धि करने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप ने संभवतः महामारी के प्रभाव को कम किया है।

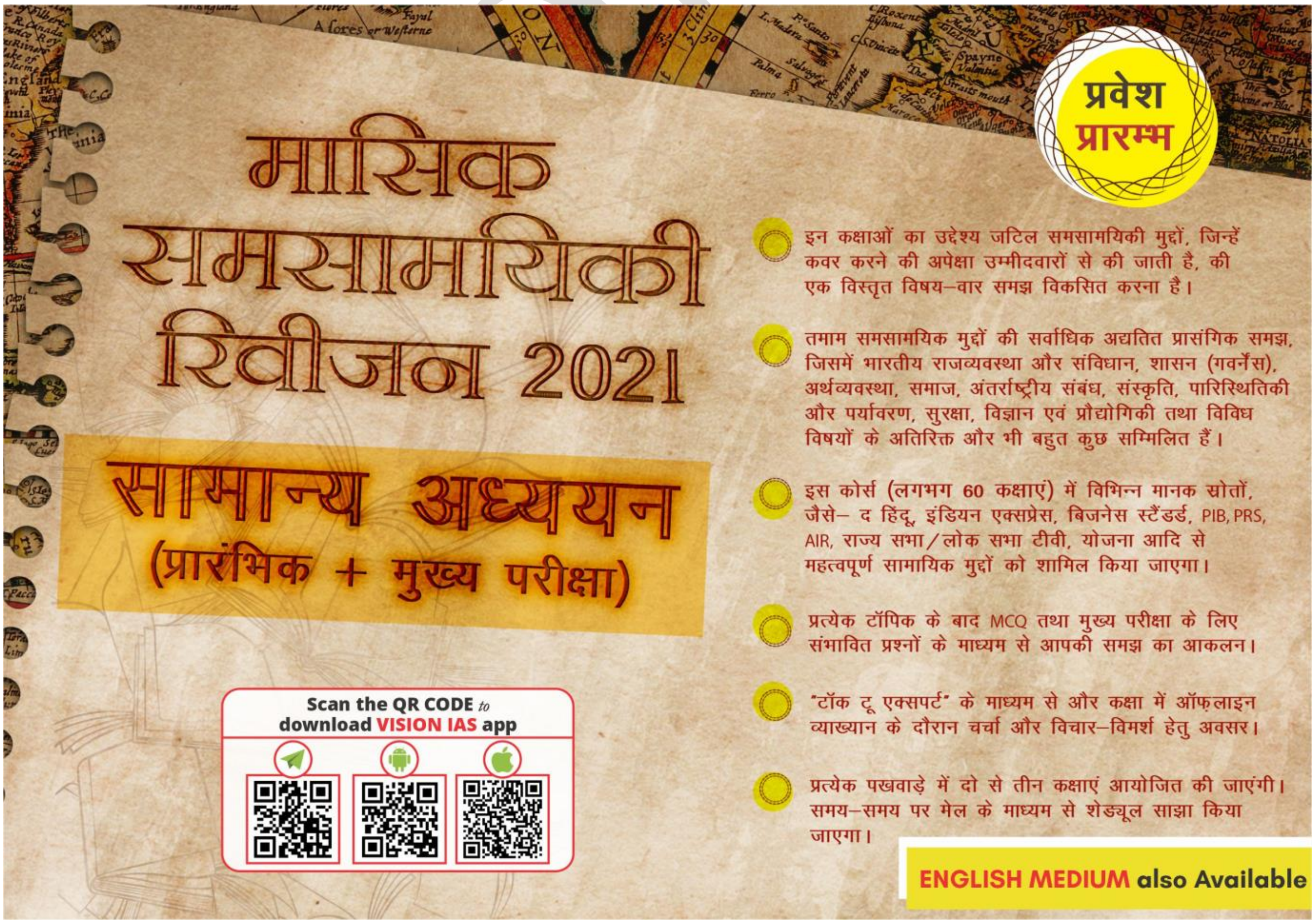

अध्याय 5

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोर मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति का मापन करती है जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति ईंधन एवं खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि को छोड़ देती है।

2. आवास की कीमतों में वृद्धि शहरी और ग्रामीण दोनों CPI सूचकांकों की गणना में एक महत्वपूर्ण भाग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाईयां मुद्रास्फीति दर को कम करने में सहायता करती है/हैं?

1. खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना

2. स्टॉक सीमा आरोपित करना

3. आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 2

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 2 और 3

Q3. आवश्यक वस्तु (EC) अधिनियम, 1955 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. पटसन टेक्सटाइल और पेट्रोलियम उत्पाद आवश्यक वस्तु (EC) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल हैं।

2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लागू करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

VISION IAS

Q4. निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तैयार करता है?

(a) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

(b) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(c) श्रम ब्यूरो

(d) भारतीय रिजर्व बैंक

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए, विवेचना कीजिए कि केवल CPI-संयुक्त (C) मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करना उचित क्यों नहीं हो सकता है।

Q.2. यद्यपि सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति के मुद्दे का समाधान करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों में निवेश करने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 6: सतत विकास और जलवायु परिवर्तन (Sustainable Development and Climate Change)

परिचय

- कोविड-19 के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात ने मानवीय और आर्थिक लागतों को अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिसने देशों को उनके विकासात्मक लक्ष्यों से पीछे धकेल दिया और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) की प्राप्ति के दिशा में गंभीर बाधाएं उत्पन्न की हैं।
- भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने, आजीविका की क्षतिपूर्ति करने, व्यापक आर्थिक सुधार आरंभ करने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि, देश की विकास रणनीति के मूल में सतत विकास निहित है।
- यह अध्याय सतत विकास और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए एजेंडा 2030 के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता, प्रगति और चुनौतियों का अध्ययन करता है।

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs)

17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और 169 संबद्ध लक्ष्यों के साथ **सतत विकास के लिए एजेंडा 2030**, एक व्यापक विकासात्मक एजेंडा के निर्माण पर जोर देता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को भी शामिल किया गया है।

भारत और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- भारत ने SDGs को सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में लाने के लिए राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई कदम उठाए हैं।
- वर्ष 2020 में, नीति आयोग ने **"सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF)"** के समक्ष **स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review: VNR)** प्रस्तुत की है।
    - ये समीक्षाएं स्वैच्छिक एवं देश-आधारित हैं, और इनका उद्देश्य सफलताओं, चुनौतियों एवं सीखे गए सबक सहित अनुभवों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।
- **स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review: VNR) रिपोर्ट में SDG स्थानीयकरण** के भारतीय प्रारूप, विभिन्न हितधारकों के परामर्श पर आधारित दृष्टिकोणों, व्यवसायों को SDGs के कार्यान्वयन के साथ एकीकृत करने की रणनीति और कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करने के तरीकों को भी प्रस्तुत किया गया है।
    - 1,000 से अधिक सिविल सोसायटी संगठनों (CSOs) के साथ परामर्श,

Figure 2: SDG Localisation

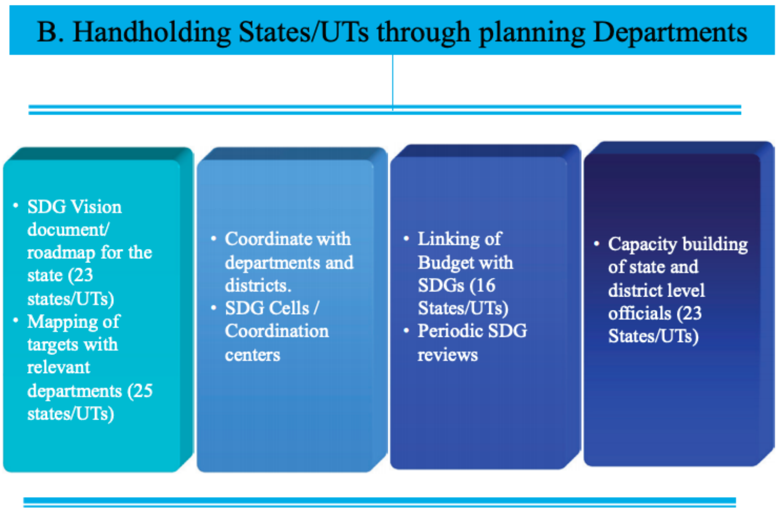

VNR रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की आधारशिला रही है।

- VNR की तैयारी ने SDGs पर निजी क्षेत्रक के साथ जुड़ाव को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान किया है, जिसने **व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के ढांचों** को अपनाने की तीव्रता में वृद्धि और अग्रणी उद्यमियों के मध्य इसके लिए अधिक चेतना उत्पन्न की है।

SDGs का स्थानीयकरण (Localization of the SDGs)

- SDGs के स्थानीयकरण में प्रासंगिक संस्थाओं और हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर SDGs के अनुपालन, नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया शामिल है।
- SDG की उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए, देश ने **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो राष्ट्र निर्माण में केंद्र-राज्य सहयोग** एवं विभिन्न विकास परिणामों में राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।
- राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर SDG प्रदर्शन की निगरानी को नीति आयोग द्वारा अभिकल्पित और विकसित किए गए **SDG इंडिया इंडेक्स** एवं डैशबोर्ड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
- **SDGs के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में रही है,** और केंद्र सरकार एवं संबद्ध संस्थानों के सहयोग से SDGs को प्राप्त करने के लिए इन्हें संस्थागत रूप से सशक्त बनाया और नियोजित किया गया है।
- SDGs के स्थानीयकरण हेतु संस्थागत स्थापनाओं को चित्र A और चित्र B में दर्शाया गया है।

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution: NDC): अपने NDC की प्राप्ति की दिशा में भारत निम्नलिखित हेतु प्रयासरत रहा है:

- वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 % तक कम करना;
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% संचयी विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता प्राप्त करना; तथा
- वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण के लिए वन और वृक्ष आवरण बढ़ाना।

वैश्विक महामारी के दौरान केंद्र सरकार के SDG से संबंधित हस्तक्षेप

- वैश्विक महामारी की अवधि में आजीविका का संरक्षण और सृजन, भोजन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा रोग के संचार से उत्पन्न दबाव से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का संवर्धन सुनिश्चित करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के द्वारा समन्वित प्रयास किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, जैसे कि कृषि श्रमबल और MSME क्षेत्रक सुधार, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से SDGs को प्रभावित करेंगे।

जलवायु परिवर्तन

राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा अनेक अग्रसक्रिय जलवायु कार्यवाहियों को लागू किया गया है। शमन और अनुकूलन कार्यवाहियों एवं उनकी प्रगति पर प्रमुख सरकारी पहलें निम्नानुसार हैं:

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC):** इस कार्य योजना को वर्ष 2008 में 8 राष्ट्रीय मिशनों के साथ आरंभ किया गया था और इसे पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत NDC के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया था। NAPCC के अंतर्गत प्रमुख घटनाक्रम तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

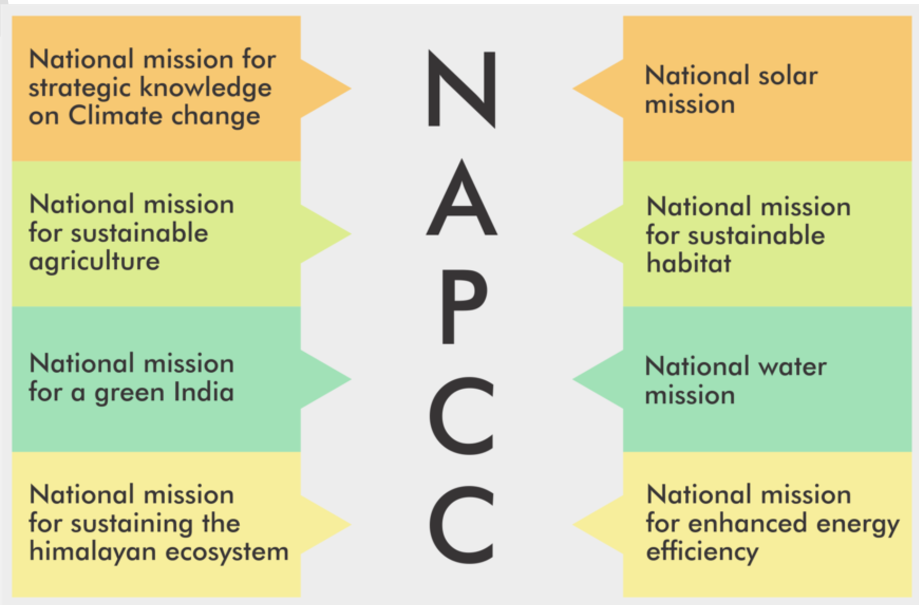

मिशन	प्रमुख उद्देश्य / लक्ष्य	प्रगति
राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission: NSM)	• वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत से लेकर सात वर्षों के भीतर 100 GW सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना।	• नवंबर 2020 तक 36.9 GW की संचयी क्षमता को प्राप्त कर लिया गया है।
संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)	• अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों में ऊर्जा खपत की कमी को अनिवार्य बनाना। • नगरपालिका, भवनों और कृषि क्षेत्रकों में ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु मांग-प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का वित्तपोषण करना। • ऊर्जा-प्रोत्साहन, जिसमें ऊर्जा-कुशल उपकरणों पर करों को घटाना शामिल है।	• कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (Perform Achieve and Trade: PAT), NMEEE योजना के तहत संचालित पहलों में से एक है। वर्तमान में PAT के चौथे चक्र को कार्यान्वित किया जा रहा है। • PAT चक्र-I (वर्ष 2012-2015) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है, जिससे लगभग 31 मिलियन टन CO_2 (Mt CO_2) की बचत हुई है। • PAT चक्र-II (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19) - के तहत CO_2 के उत्सर्जन में 61.34 मिलियन टन की कमी प्राप्त की गई है।
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (National Mission for a Green India : GIM)	• 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन/वृक्ष आच्छादन बढ़ाकर और अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन आच्छादन की गुणवत्ता में सुधार करके (कुल 10 मिलियन हेक्टेयर) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना।	• वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 13 राज्यों को 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण गतिविधियों के लिए 343.08 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

राष्ट्रीय संधारणीय पर्यावास मिशन (National Mission on Sustainable Habitat: NMSH)	• संधारणीय पर्यावास मानकों का विकास।
	• मौजूदा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code: ECBC) का विस्तार करके शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
	• मोटर वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना, और
	• ऊर्जा कुशल वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण उपायों का प्रयोग करना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन देना।
		• इस मिशन को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जैसे:
		• **स्मार्ट सिटीज मिशन:** इसके अंतर्गत शहरों में कम से कम 10% ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, और कम से कम 80% इमारतें ऊर्जा कुशल एवं हरित होनी चाहिए।
		  ○ स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अब तक 1987 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
		  ○ मिशन के तहत स्मार्ट सडकें, स्मार्ट सोलर, स्मार्ट वाटर, PPPs और आकर्षक सार्वजनिक स्थल संबद्ध परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।
		• **स्वच्छ भारत मिशन:** मिशन के तहत, 83 हजार से अधिक वार्डों में घर-घर जाकर 100 % कचरा एकत्र करने का लक्ष्य

VISION IAS

		हासिल किया जा चुका है। ○ देश के कुल शहरों में से 99% को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free: ODF) घोषित किया जा चुका है।
राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission: NWM)	• भौम जल, जलभृत मानचित्रण, क्षमता निर्माण, जल गुणवत्ता निगरानी और अन्य आधारभूत अध्ययनों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना। • जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना। • अतिदोहित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। • बेसिन-स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।	• राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (National Institute of Hydrology: NIH), 16 चयनित राज्यों में जल उपलब्धता हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan: SSAP) के कार्यान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी है। • पांच राज्यों ने SSAP के पहले चरण की कार्य योजनाओं को पूरा कर लिया है। • 6,376 नए भूजल निगरानी कूपों (wells) का निर्माण किया गया है।
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture)	• कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य बनाकर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना।	• फसल अवशेष का दहन कम करने के लिए वर्ष 2018-19 में अनेक कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। • वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Rainfed Area Development Programme: RADP) के अंतर्गत, लगभग 74,175.41 हेक्टेयर और 55,902.92 हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्न एकीकृत कृषि प्रणालियों के तहत शामिल किया गया है। • वर्तमान में, 25.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कार्बनिक कृषि के अधीन लाया गया है।
राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र मिशन (National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystems)	• हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का सतत आकलन करना। • नीति निकायों को उनके नीति निर्माण कार्यों में सक्षम बनाना। • हिमालयी राज्यों में मौजूदा संस्थानों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नए केंद्रों की स्थापना करना। • ग्लेशियोलॉजी (हिमनद विज्ञान) में पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।	इसकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं- • वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में हिमनद विज्ञान (ग्लेशियोलॉजी) केंद्र की स्थापना। • हिमालयी हिमांकमंडल (क्रायोस्फीयर) पर राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम का आरंभ। • वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए **मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण (Human and Institutional Capacity Building: HICAB) कार्यक्रम** का आरंभ। • कश्मीर विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय में से प्रत्येक में एक-एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय	• जलवायु विज्ञान की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, अनुसंधान	• इसकी मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं: ○ 12 उत्कृष्टता केंद्रों और 10 राज्य

मिशन (National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change: NMSKCC)	और विकास में संलग्न मौजूदा ज्ञान संस्थानों के मध्य ज्ञान नेटवर्क का गठन करना। • देश के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभाव के प्रतिरूपण के लिए राष्ट्रीय क्षमता का विकास करना।	जलवायु परिवर्तन केंद्रों की स्थापना। ○ अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, उन्नत कोयला प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में 8 वैश्विक प्रौद्योगिकी निगरानी समूहों (GTWGs) की स्थापना।

- **जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (Climate Change Action Plan: CCAP):** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण एवं समर्थन करना है।
  - CCAP योजना के दो महत्वपूर्ण घटक **राष्ट्रीय कार्बोनेशियस एयरोसोल कार्यक्रम (National Carbonaceous Aerosols Program: NCAP)** और **दीर्घकालिक पारिस्थितिक वेधशालाएँ (Long-Term Ecological Observatories: LTEO)** हैं।
  - NCAP एक बहु-संस्थागत कार्यक्रम है, जिसे IIT बॉम्बे के नेतृत्व में 17 संस्थानों के संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में इसे पांच वर्ष की अवधि हेतु प्रारंभ किया गया था।
- **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund on Climate Change: NAFCC):** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है, जिसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** (नाबार्ड/ NABARD) है। सितंबर 2020 तक, 847.5 करोड़ रुपये की लागत वाली 30 परियोजनाओं (दो बहुराज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित) को NAFCC द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन (2015):** सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 तक ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट कर दिया है।
- **भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अंगीकृत और विनिर्मित करने की (FAME India) योजना:** सरकार ने वर्ष 2019 में **'फेम इंडिया'** योजना के द्वितीय चरण को 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ अधिसूचित किया है।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान और इसकी आगामी चुनौतियां (India's NDC and Its Forthcoming Challenges)

- **अंतरा-पीढ़ीगत समता (intra-generational equity)** की अनिवार्यता, अर्थात् गरीबी उन्मूलन और समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **भारत में अनुकूलन लागत और अनुकूलन के प्रयासों में वृद्धि होगी** क्योंकि यह चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है तथा समय के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और अधिक गंभीर होने की संभावना है।
- मिशन मोड स्तर पर अनुकूलन और शमन कार्रवाई को लागू करने के लिए देश, घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। **इसलिए, व्यापक NDC लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।**
  - NDC द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2030 तक भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2014-15 की कीमतों पर) के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें 206 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2015 से वर्ष 2030 के मध्य प्रमुख क्षेत्रकों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, अवसंरचना, जल संसाधन और पारिस्थितिक तंत्र आदि में अनुकूलन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
- अपने NDC को समय पर पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, भारत को, विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों से, **परिवर्धित नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण** की आवश्यकता है।
  - पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की प्रतिबद्धता प्रकट की गई थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है तथा यह राशि अपर्याप्त है।

VISION IAS

जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता (Multilateral Negotiations on Climate Change):

- **पक्षकारों का 25वां सम्मेलन (COP 25):** इस सम्मेलन में **'चिली मैड्रिड टाइम फ़ॉर एक्शन'** नामक एक दस्तावेज जारी किया गया था, जो एक संतुलित और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए प्रयास शामिल हैं, बल्कि अनुकूलन के लिए और 'कार्यान्वयन के साधनों' हेतु पक्षकार विकसित देशों द्वारा पक्षकार विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करने हेतु भी प्रयासों पर जोर दिया गया है।
- **पक्षकारों का 26वां सम्मेलन (COP 26) और वर्ष 2020 के बाद के मुद्दे:** कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण, COP 26 और UNFCCC के सहायक निकायों के पूर्ववर्ती सत्रों को अब वर्ष 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। COP 26, वार्ताओं को आगे बढ़ाने और निम्नलिखित मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करने की दिशा में मदद कर सकती है:

Figure 6: Rio Summit 1992 to the 24th Session of the Conference of Parties (COP 24)- A brief history of the decisions taken

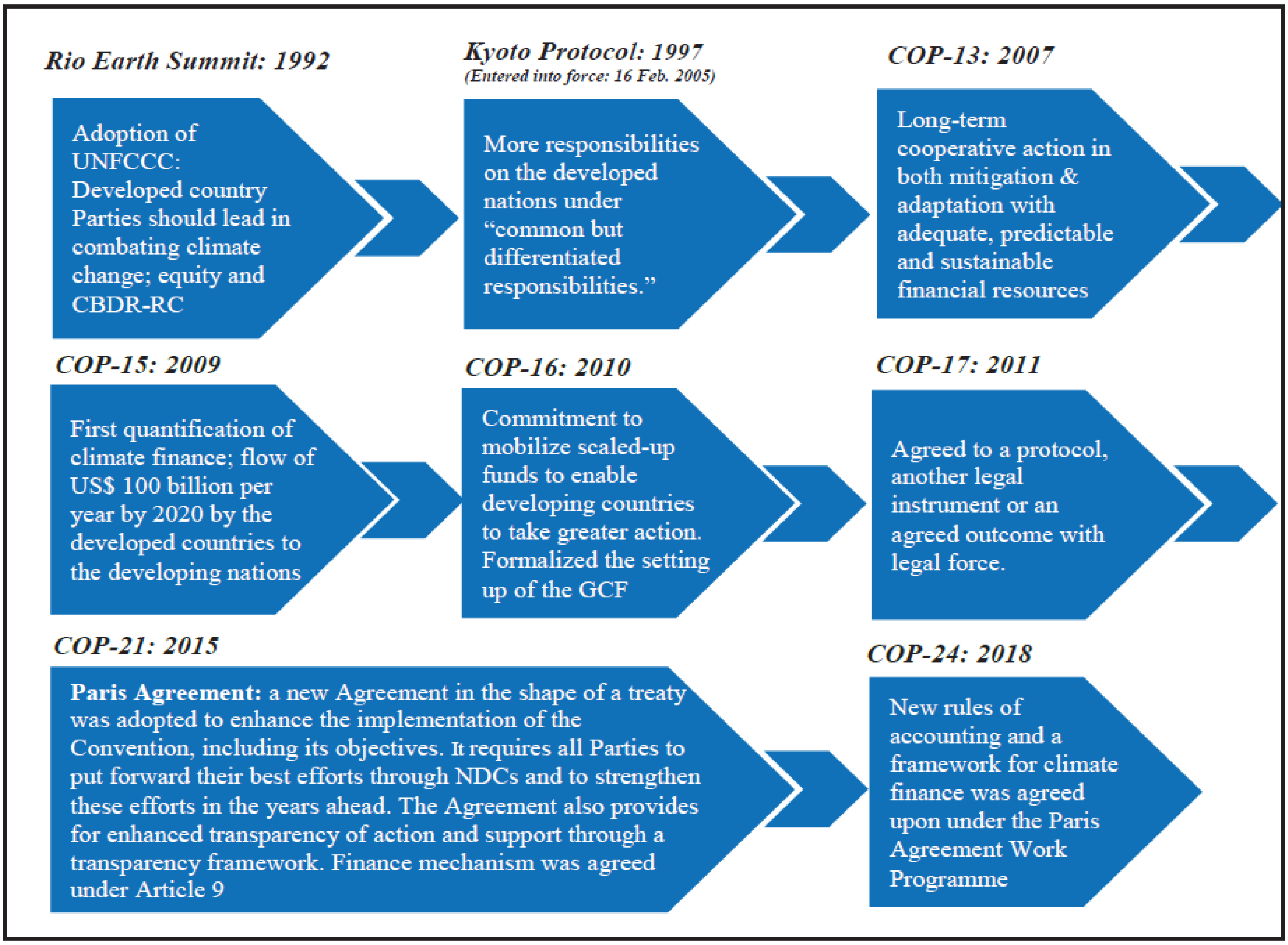

- बाजार तंत्र;
- राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के लिए साझा समय सीमा;
- दीर्घकालिक जलवायु वित्तीयन;
- नुकसान और क्षति के लिए **वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र** का अभिशासन;
- वर्ष 2020 से पहले के कार्यान्वयन पर निरंतर कार्य जारी रखना;
- कन्वेंशन के तहत दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य की दूसरी आवधिक समीक्षा का शुभारंभ;
- जलवायु वित्तीयन की परिभाषा; और
- जलवायु वित्तीयन के आकलन और मूल्यांकन के लिए साझा लेखांकन पद्धति।

वित्त को संधारणीयता के साथ संरेखित करना (Aligning Finance with Sustainability)

Past and ongoing steps taken to augment financing for sustainable development	
By the Government of India	● National Voluntary Guidelines for Responsible Financing, which lay down principles covering different aspects of environmental, social and governance (ESG) responsibilities to inform business action, was finalized in 2015.
	● The 'Voluntary Guidelines on Corporate Social Responsibility' were issued in 2009 to mainstream the concept of business responsibility. ● Also, revised guidelines were released as the National Guidelines on Responsible Business Conduct were released in March 2019.
	● A Committee was constituted to review and update the Business Responsibility Reporting (BRR) framework formats for listed as well as unlisted companies. ● The Committee recommended a new reporting framework called the 'Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)'.
	● India joined European Commission-led International Platform on Sustainable Finance (IPSF) in October 2019. ● The platform accounts for 50 per cent of the world population, almost 50 per cent of global GDP and about 55 per cent of global GHG emissions.
	● Bilateral Sustainable Finance Forum between India and UK was established.
By Reserve Bank of India (RBI)	● In 2015, the RBI included lending to social infrastructure and small renewable energy projects within the priority sector targets. In September 2020, the loan limits for renewable energy were doubled to Rs. 30 crores (Rs. 10 lakh for individual households).
By Securities and Exchange Board of India (SEBI)	● *Business Responsible Report (BRR):* The SEBI through its 'Listing Regulations' in 2012 mandated the top 100 listed entities by market capitalization to disclose their performance against the NVGs using a BRR format from an environmental, social and governance perspective. ● In December 2019, SEBI extended the BRR requirement to top 1000 listed companies by market capitalization from 2019-20.
	● India is moving in the direction of creating a Social Stock Exchange (SSE), under the regulator ambit of SEBI.
	● *Green Bonds:* In 2017, to give push to Green Bonds issuances in India, SEBI issued guidelines on green bonds including listing of green bonds on the Indian stock exchanges.. ● Green bonds are debt instrument issued by an entity for raising funds from investors and the proceeds of a green bond offering are used towards financing 'green' projects. ● Various green indices such as S&P BSE CARBONEX, MSCI ESG India, and S&P BSE 100 ESG Index allows passive and retail investors to invest in 'green' companies.

सतत विकास के लिए सुनम्यता में निवेश करना (Investing in Resilience for Sustainable Development)

- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक (Global Climate Risk Index) के अनुसार, वर्ष 2018 में, चक्रवात जैसी जलवायु घटनाओं के कारण भारत को 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। वर्ष 1998-2017 के दौरान इस प्रकार की घटनाओं के कारण लगभग 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई है।
- भारत में हीट स्ट्रेस के कारण वर्ष 2030 में निरपेक्ष रूप से 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के समाप्त होने के समतुल्य क्षति होने की संभावना है।

- हालांकि हीट स्ट्रेस के कारण, भारत में कृषि क्षेत्रक के सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही निर्माण-क्षेत्रक में काम के घंटों में अत्यधिक कमी होने की संभावना है।

जलवायु जोखिम बीमा (Climate Risk Insurance)

- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रक के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए **भारत में फसल बीमा एक आवश्यकता है।**
    - बड़ी संख्या में छोटी एवं बिखरी हुई जोतों, विभिन्न जलवायविक और मृदा दशाओं, आधारभूत आंकड़ों की कमी, कृषि पद्धतियों की विविधता, किसानों के मध्य फसल बीमा के स्वरूप और कार्यों के विषय में जानकारी की व्यापक कमी आदि के कारण भारत में इसे लागू कर पाना एक अत्यंत कठिन कार्य होगा।
- अध्ययन में **पैरामीट्रिक बीमा** (parametric insurance) की ओर बढ़ने का सुझाव दिया गया है, जिसमें महज एक जलवायवीय घटना के घटित होने पर भुगतान किया जाता है, और जिसके लिए डेटा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, **जलवायु सूचना सेवाओं** का प्रयोग भी उपयोगी हो सकता है।
    - कर्नाटक स्थित राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र **'वरुण मित्र'** ने अपने मौसम आधारित दिशा-निर्देशों के माध्यम से 3.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया है।
- **जलवायु जोखिम बीमा के अंतर्गत अब वैश्विक महामारी बीमा को भी शामिल करने की आवश्यकता है,** क्योंकि कृषि और विकास गतिविधियों के कारण प्राकृतिक/प्राथमिक वनों की द्वितीयक वनों में रूपांतरण की बढ़ती प्रवृत्ति नए संक्रामक रोगों के जोखिमों में भी वृद्धि कर रही है।

विकासात्मक योजनाएँ और पर्यावरण संरक्षण: अभिसरण की आवश्यकता

- अनेक केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रोत्साहन योजनाएं (विशेष रूप से 'कुसुम' और राज्य सौर नीतियां) **निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों, जैसे कि सामुदायिक पैमाने पर जल की आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए विकेंद्रीकृत सौर प्रणालियों, को अपनाने को प्रोत्साहित कर रही हैं,** और शुष्क अवधि के दौरान उत्पादन घाटे को कम करने में इन योजनाओं का व्यापक प्रभाव रहा है।
- हालांकि ये योजनाएं **भौमजल के असंधारणीय निष्कर्षण** का भी कारण बन सकती हैं, इसलिए इन्हें फसल प्रतिरूप, स्थानीय पर्यावरण और जलवायु अनुमानों पर विचार करके तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के तहत किसानों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

India's Initiatives at the International Stage		
International Solar Alliance (ISA) It has recently launched following initiatives –	**World Solar Bank**	Dedicated financing window for solar energy projects across the members of ISA.
	One Sun One World One Grid Initiative	To create an inter connected green grid that will enable solar energy generation in regions with high potential and facilitate its evacuation to demand centers.
	Coalition for Sustainable Climate Action	Comprises of global public and private corporate and has been launched to institutionalize ISA's partnership with the corporate sector.
	World Solar Technology Summit (WSTS)	Platform for increasing access to new technologies at an affordable cost.
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure	• The CDRI is co-chaired by India and the United Kingdom (UK) • As of December 2020, 19 countries and 4 multilateral organizations have become members of the Coalition. • The Coalition functions as an inclusive multi-stakeholder platform led and managed by national governments, where knowledge is generated and exchanged on different aspects of disaster resilience of infrastructure. • It has initiated the process to carry out the national level risk and resilience assessment of infrastructure such as power sector in the state of Odisha, airports etc.	

आगे की राह

- सतत व्यापक आर्थिक विकास के लिए जलवायु और आर्थिक नीतियों दोनों के संरेखण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- भारत GHG उत्सर्जन और अपनी आर्थिक संवृद्धि को सफलतापूर्वक पृथक करने की दिशा में अग्रसर है।

- भारत की GDP की उत्सर्जन दर वर्ष 2014 में वर्ष 2005 के स्तर से 21% कम हो गई।
- अपेक्षाकृत स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने 1 अप्रैल, 2020 को BS-IV से सीधे BS-VI उत्सर्जन मानदंड को अपना लिया। इस प्रकार, वर्ष 2024 में इसके अंगीकरण की प्रारंभिक तिथि से पहले ही इसे लागू कर दिया गया है।

- साझेदार विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु वित्तीयन के रूप में वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना अभी भी शेष है।
  - विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तीयन के दायरे, पैमाने और गति में अपेक्षित तीव्रता की कमी का समाधान करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक अनुकूलन आयोग (Global Commission on Adaptation: GCA)** ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट में यह संभावना जताई है कि वर्ष 2020 से वर्ष 2030 तक पांच क्षेत्रों में वैश्विक रूप से 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने से कुल 7.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है। ये पांच क्षेत्र हैं - पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना, नए बुनियादी ढांचे को सुनम्य (resilient) बनाना, शुष्क भूमि कृषि फसल उत्पादन में सुधार करना, मैंग्रोव का संरक्षण करना और जल संसाधन प्रबंधन को अधिक सुनम्य बनाना।
- क्षतियों से बचने के अतिरिक्त, भविष्य के लिए किया गया निवेश, पर्यावरण में निरंतर सुधार के साथ जोखिम को कम करके, उत्पादकता में वृद्धि करके और नवाचार को संचालित करके वर्तमान में भी आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि, ऐसा करने में असफल रहने पर यह संभावित संवृद्धि और समृद्धि को कमजोर करेगा।

अध्याय एक नज़र में
वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के कारण कई चुनौतियां सामने आने के बावजूद भी भारत की विकास रणनीति का मूल सतत विकास में ही निहित है।
नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) के समक्ष स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) सौंप दी है, **जिसमें SDGs के स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल को भी प्रस्तुत किया गया था।**
भारत ने सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों (common but differentiated responsibilities) तथा संबंधित क्षमताओं और इक्विटी के सिद्धांतों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्यवाहियों को लागू किया है, जैसे- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (CCAP) आदि।
भारत के लिए पहली प्राथमिकता **अनुकूलन** है, क्योंकि देश चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
मिशन मोड पर **अनुकूलन और शमन** कार्रवाई को लागू करने के लिए देश, घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए, व्यापक NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।
वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले COP 26 में पारदर्शिता तंत्र जैसे कई मुद्दों पर वार्ता और आम सहमति प्राप्त होने की संभावना है; जिसमें COP 26 के **अनुच्छेद 6 (बाजार और गैर-बाजार तंत्र); राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए साझा समय सीमा; दीर्घकालीन जलवायु वित्त, जलवायु वित्त की परिभाषा** आदि शामिल हैं।
भारत ने सतत विकास हेतु वित्तपोषण बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि उत्तरदायी वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश, हरित बॉण्ड को प्रोत्साहन आदि।
भारत को सतत विकास के लिए लचीलेपन/सुनम्यता जैसे कि **जलवायु जोखिम बीमा (Climate risk insurance)** में निवेश करने की आवश्यकता है।
सामुदायिक पैमाने पर जल की आपूर्ति के लिए **विकेंद्रीकृत सौर प्रणाली और सिंचाई** जैसी विकास योजनाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ अभिसरित करने की आवश्यकता है।
भारत GHG उत्सर्जन और अपनी आर्थिक संवृद्धि को सफलतापूर्वक पृथक करने की दिशा में अग्रसर है।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पहलों को आरम्भ किया है, जैसे- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) और आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)।

अध्याय 6

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. पेरिस समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत का/के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) है/हैं?

1. वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 40% तक कम करना।

2. वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल विद्युत शक्ति का 33 से 35% प्राप्त करना।

3. वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 1 और 2

Q2. वार्ताओं के संदर्भ में, कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाला 'चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन' (Chile Madrid Time for Action) संबंधित है

(a) विश्व व्यापार संगठन से

(b) जलवायु परिवर्तन से

(c) प्रवासन संकट से

(d) आतंकवाद के वित्तपोषण से

Q3. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी पहलें आरंभ की गई हैं?

1. विश्व सौर बैंक

2. संधारणीय जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन

3. एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल

4. जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 3

(d) केवल 2, 3 और 4

Q4. SDG भारत सूचकांक को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(b) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(c) ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI)

(d) नीति आयोग

Q5. सतत वित्त पर अंतरराष्ट्रीय मंच (International Platform on Sustainable Finance) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे यूरोपीय आयोग द्वारा सतत वित्त में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
2. भारत इस मंच का सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q6. निम्नलिखित में से कौन-से मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अम्ब्रेला (छत्रक) के अंतर्गत हैं?

1. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
2. स्थायी निवास राष्ट्रीय मिशन
3. राष्ट्रीय जल मिशन
4. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 2 और 3

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) की राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है।
2. राष्ट्रीय कार्बोनेशियस एयरोसोल कार्यक्रम (NCAP) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत की गई शमन और अनुकूलन पहलों पर सरकारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए।

Q.2. संधारणीय विकास के लिए वित्त का अभिवर्धन करने हेतु किए गए विभिन्न सरकारी उपायों को सूचीबद्ध कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 7: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन (Agriculture & Food Management)

परिचय (Introduction)

- देश में कुल कार्यबल का **लगभग 54.6 प्रतिशत** अभी भी कृषि और संबद्ध क्षेत्रक की गतिविधियों (जनगणना 2011) में संलग्न है।
- कोविड-19 महामारी ने कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है, क्योंकि कोविड जनित लॉकडाउन के कारण कृषि मशीनरी सहित कृषि आदानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय लॉकडाउन की शुरुआत रबी की फसलों की कटाई का मौसम आरंभ होने के साथ हुई थी और लॉकडाउन के दौरान कृषि श्रमिकों के अपने मूल क्षेत्रों की ओर पलायन से कृषि श्रमिकों के अभाव का सामना करना पड़ा था।
- हालांकि, भारत की कृषि प्रणाली ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने लचीलेपन का प्रदर्शन किया है।
- कृषि क्षेत्रक को और मजबूत करने और समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई पहलें की गई हैं।

कृषि क्षेत्रक का विहंगावलोकन (Overview of Agricultural Sector)

- **सकल मूल्य वर्धन (GVA) में हिस्सेदारी:** देश के GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों की हिस्सेदारी वर्ष **2014-15** के **18.2** प्रतिशत से घटकर वर्ष **2019-20** में **17.8** प्रतिशत रह गई है।
    - कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत फसलों एवं वानिकी की हिस्सेदारी वर्ष **2014-15** के **11.2 प्रतिशत** से कम होकर वर्ष **2018-19** में **9.4 प्रतिशत** हो गई है। परन्तु पशुधन और मत्स्यपालन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी बढ़ी है।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में वृद्धि:** वर्ष **2020-21** के दौरान, जहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का **GVA** संकुचित होकर **7.2 प्रतिशत** पर पहुंच गया था; वहीं कृषि के लिए **GVA** में **3.4 प्रतिशत** की सकारात्मक वृद्धि बनी रही थी।
- **सकल पूंजी निर्माण (GCF) में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति:** **GVA** के अनुपात के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के सकल पूँजी निर्माण (**GCF**) में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित होती रही है। यह वर्ष **2013-14** में **17.7 प्रतिशत** तथा **वर्ष 2015-16** में गिरकर **16.4 प्रतिशत,** जबकि वर्ष **2015-16** में और अधिक घटकर **14.7 प्रतिशत** हो गई थी।
- **फसलों का उत्पादन:** देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष **2018-19** के **285.21** मिलियन टन की तुलना में वर्ष **2019-20** में, अत्यधिक उच्च (लगभग **296.65** मिलियन टन) रहने का अनुमान है।
- **कृषि साख:** वर्ष **2020-21** के लिए कृषि हेतु साख प्रवाह का लक्ष्य **15,00,000** करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था तथा **30** नवंबर, **2020** तक **9,73,517.80** करोड़ रुपये की राशि संवितरित कर दी गई थी।
    - हालांकि, इस कुल संवितरण में, कृषि साख में दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) की यह हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत से भी कम थी।**

कृषि अवसंरचना निधि

- केंद्रीय क्षेत्रक की इस योजना को वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक की अवधि के लिए कार्यान्वयित किया जाएगा।
- यह योजना कटाई पश्चात फसल प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम से लेकर दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG) आदि को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में **1 लाख करोड़ रुपये** उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर (2 करोड़ रुपये की सीमा तक) **प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान/सहायता प्रदान की जाएगी**। यह अनुदान **अधिकतम 7 वर्ष की अवधि** के लिए देय होगा।
- इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के अधीन पात्र उधारकर्ताओं के लिए **क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध** करवाया जाएगा।
- जनवरी, 2021 तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) द्वारा 3055 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को इस योजना के अंतर्गत 2991 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

- इसका कारण यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कम कृषि योग्य क्षेत्रफल (GCA) का देश के कुल GCA में लगभग 2.74 प्रतिशत का योगदान है। इसके अतिरिक्त, भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के कारण उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NER) में रहने वाले लोग किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋणों का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में घोषित **कृषि अवसंरचना निधि** से कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को और बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।

- **कृषि जिंसों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:** वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात होने के उपरांत से, भारत कृषि उत्पादों का एक शुद्ध निर्यातक देश रहा है, जिसमें कृषि निर्यात, वर्ष 2019-20 में 2.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
  - प्रमुख निर्यात गंतव्य देशों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश** शामिल रहे हैं।
  - भारत से निर्यातित शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्ची कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल रहे हैं।
  - वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल कृषि निर्यात मूल्य में बासमती चावल, समुद्री उत्पादों, गैर-बासमती चावल, मसालों और चीनी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि भैंस के मांस और कच्चे कपास जैसी जिंसों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
  - भारत के कुल कृषि निर्यात की हिस्सेदारी विश्व कृषि व्यापार के 2.5 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

आर्थिक सहायिकी और बीमा (Subsidies and Insurance)

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य** (**MSP**): वर्ष **2018-19** के केंद्रीय बजट में **MSP** को उत्पादन लागत के **1.5** गुना स्तर पर लाने की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने हाल ही में वर्ष **2020-21** के लिए सभी अधिदिष्ट खरीफ और रबी फसलों के लिए **MSP** में वृद्धि की है।
  - **खरीफ फसलों** की MSP के तहत घोषित MSP में सर्वाधिक वृद्धि **नाइजर सीड** के लिए रही है।
  - **रबी फसलों** की MSP के तहत घोषित MSP में सर्वाधिक वृद्धि **मसूर** के लिए रही है।

Figure 8: Cost, MSP & Returns of Kharif Crops of year 2020-21

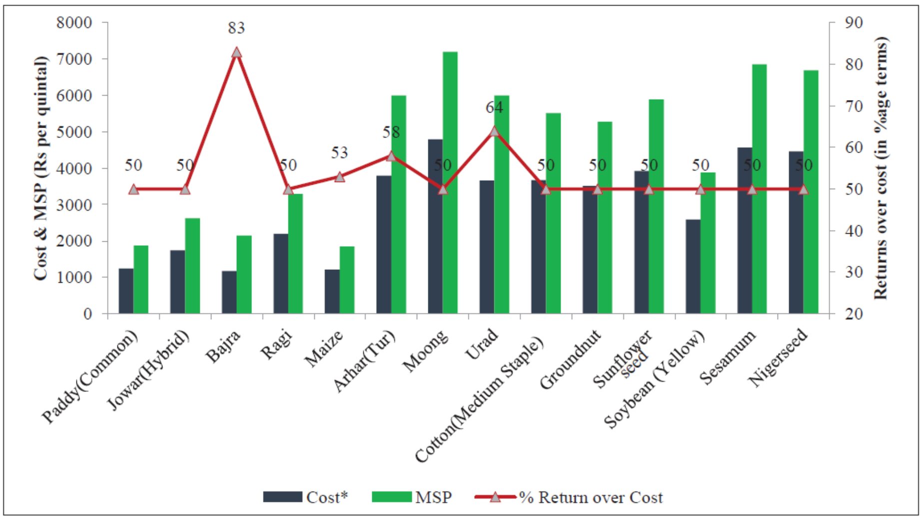

- **फसल बीमा:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने 13 जनवरी, 2021 को अपने कार्यान्वयन के पाँच सफल वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
  - PMFBY के तहत बुवाई रुकने से होने वाली हानि और मध्य मौसम में उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों से होने वाली क्षतियों के लिए कवरेज सहित बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई के पश्चात तक संपूर्ण फसल चक्र के लिए कवरेज का विस्तार किया गया है।
    - व्यक्तिगत खेत स्तर पर जलप्लावन, मेघ प्रस्फुटन और प्राकृतिक दहन जैसी स्थानीय आपदाओं के कारण होने वाली हानियों तथा कटाई उपरांत होने वाले नुकसानों को भी सम्मिलित किया गया है।
  - **बीमाकृत राशि में वृद्धि: PMFBY** से पहले की योजनाओं के माध्यम से प्रदत्त **15,100** रुपये की प्रति हेक्टेयर औसत बीमाकृत राशि को बढ़ाकर **PMFBY** के अंतर्गत **40,700** रुपये कर दिया गया है।
    - जनवरी **2021** तक, इस योजना के अंतर्गत **90,000** करोड़ रुपये के दावों का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
  - **योजना में सुधार:**
    - फरवरी 2020 से इस योजना में सभी किसान स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकते हैं।

- बीमाकृत राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्यों को भी छूट प्रदान की गई है, ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ उठाया जा सके।
- आधार को जोड़ने से दावों के निपटान में तीव्रता आई है और दावों का भुगतान प्रत्यक्ष किसानों के खातों में किया जा रहा है।

Figure 9: Cost, MSP & Returns of Rabi Crops of year 2020-21

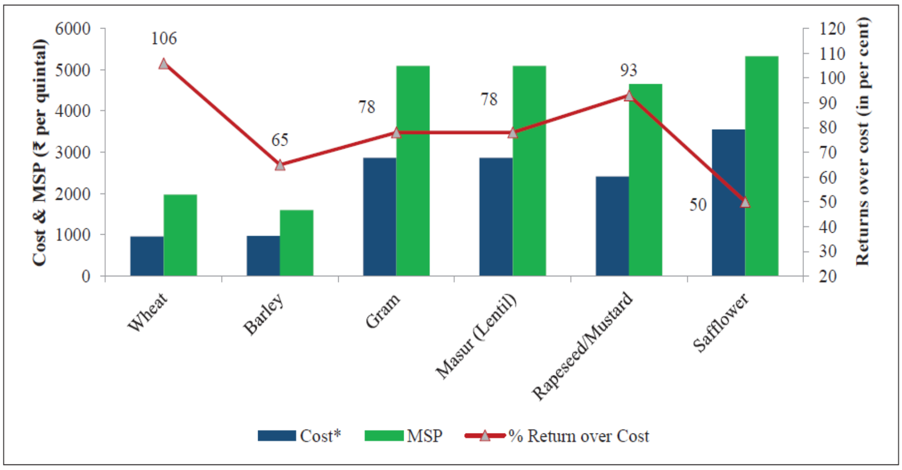

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान/PM-KISAN):** इस योजना को वर्ष 2019 में कुछ अपवर्जनों के साथ, देशभर में कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व रखने वाले सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। दिसंबर 2020 तक, 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि किसानों के खातों में आवंटित की जा चुकी हैं।

संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (Allied Sectors: Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)

- **पशुधन क्षेत्रक:** पशुधन क्षेत्रक का वर्ष 2018-19 के दौरान कुल GVA में 4.2 प्रतिशत योगदान रहा है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के GVA में पशुधन का योगदान (स्थिर कीमतों पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है।
  - **दुग्ध उत्पादन:** भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। देश में दुग्ध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 1463 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1984 मिलियन टन हो गया है।
  - **अंडा उत्पादन:** विश्व स्तर पर अंडा उत्पादन में भारत का स्थान **तीसरा** है। देश में अंडा उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 114.38 बिलियन हो गया है।
  - **मांस उत्पादन:** विश्व स्तर पर मांस उत्पादन में भारत का स्थान **5वां** है। देश में मांस का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 6.7 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 8.6 मिलियन टन हो गया है।

पशुधन क्षेत्रक में सरकार द्वारा की गई नवीन पहलें

- **कोविड-19 का प्रभाव:** पशुधन उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों के बंद (कोविड-19 लॉकडाउन के तहत) होने के कारण इन उत्पादों की मांग में बहुत गिरावट आई थी।
  - कई निजी डेयरी संचालकों को अपना दुग्ध सहकारी समितियों को विक्रय करना पड़ा था, क्योंकि बंदी (कोविड-19 लॉकडाउन) के कारण मिठाई और चाय की दुकानों द्वारा दुग्ध की खरीद रोक दी गई थी। चूँकि, सहकारी समितियां किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए दुग्ध को अस्वीकार नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें दुग्ध की अधिक खरीद तथा इसके मिल्क पाउडर और वहाइट बटर में अधिक रूपांतरण के कारण नकदी की समस्या का सामना करना पड़ा था।
- **आर्थिक रूप से तनावग्रस्त दुग्ध संघों के लिए एकबारगी सहायता:** वित्तीय रूप से तनावग्रस्त दुग्ध संघों के लिए संचालित योजनाओं यथा **राज्य डेयरी सहकारी एवं कृषक उत्पादक संगठन** (State Dairy Cooperative & Farmers Producers Organization: SDCFPO) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्यशील पूँजीगत ऋणों पर ब्याज अनुदान (2 प्रतिशत प्रतिवर्ष, त्वरित और समय पर पुनर्भुगतान करने पर 2 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ) प्रदान करने के लिए एक उप-योजना तैयार की गई है।
- **पशुधन क्षेत्रक का किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत समावेशन:** प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund: AHIDF):** नीचे

वर्णित निम्न घटकों को स्थापित करने के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और धारा 8 की कंपनियों सहित व्यक्तिगत उद्यमियों व निजी कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का AHIDF स्थापित किया गया है-
  - डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना
  - मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना तथा
  - पशु चारा संयंत्र।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NSDP):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और शूकर आबादी तथा 4-8 माह की आयु की सभी गोजातीय बछियों का खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) एवं ब्रूसेलोसिस के विरूद्ध टीकाकरण करना है। इस कार्यक्रम में पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के लिए कुल 13,343 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

- **मत्स्य पालन:** भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक** देश है और इसकी वैश्विक उत्पादन में 7.58 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
  - **मत्स्य उत्पादन:** वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में 14.16 मिलियन मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ था, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है।
  - **GVA में योगदान:** मत्स्य पालन क्षेत्रक का GVA में 1.24 प्रतिशत और कृषि आधारित GVA में 7.28 प्रतिशत का योगदान रहा है।
  - **समुद्री उत्पादों का निर्यात:** वर्ष 2019-20 के दौरान 46,662 करोड़ रुपये मूल्य के साथ 12.9 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया है।
  - **मत्स्य पालन क्षेत्रक में सरकारी पहलें:**
    - 'मत्स्य पालन क्षेत्रक के एकीकृत, उत्तरदायी और समग्र विकास और प्रबंधन' को उत्प्रेरित करने के लिए **केंद्र प्रायोजित योजना– नीली क्रांति (CSS-BR)** मार्च 2020 में समाप्त हो गई है। यह योजना वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई थी।
    - भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में 7522 करोड़ रुपये वाले एक **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF)** की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी थी।
    - भारत सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को** आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर मई, 2020 में आरंभ किया गया था। इसमें वित्त वर्ष 2024 की कुल पांच वर्षों की अवधि हेतु 20,050 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
- इसके उद्देश्यों में शामिल हैं-
  - वर्ष 2024-25 तक लगभग 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना।
  - जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना (राष्ट्रीय औसत 3 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक)।
  - मछली की घरेलू खपत को बढ़ाना और अन्य स्रोतों से मत्स्य पालन क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करना।
  - PMMSY के अंतर्गत पहली बार मत्स्यन पोतों के लिए बीमा कवर आरंभ किया जा रहा है

कृषि अनुसंधान और शिक्षा: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) संपूर्ण देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन व प्रबंधन हेतु संचालित एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है।
- **उच्च उपज वाली किस्में और प्रजनक बीज-** अक्टूबर, 2020 तक खेत की फसलों की कुल 172 नई किस्मों और 75 बागवानी फसलों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एकीकृत कृषि:** ICAR ने किसान सहभागिता विधा से 60 स्थान विशिष्ट, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य बहु-उद्यम **एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System:IFS)** मॉडल विकसित किया है।

- विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उच्च उत्पादक क्षमता वाली **जैव-गहन फसल प्रणालियों** को, संबंधित राज्यों के फसल उत्पादन मार्गदर्शिका/अभ्यास प्रणाली में शामिल किया गया है।
- ICAR ने फसलों के बीच के स्थान का उपयोग कर **विद्युत उत्पन्न करने** और फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल की शीर्ष सतह से वर्षा जल संचयन करने के लिए **कृषि वोल्टीय प्रणाली** विकसित की है।

- **जलवायु प्रत्यास्थ प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और उन्नयन:** देश के लगभग 446 गाँवों में जलवायु प्रत्यास्थ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है और 300 गांवों के समूहों में उन्नयन किया गया है।
- **मशीनीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन:** लघु और सीमांत किसानों के लिए भाड़े पर उपकरणों/मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर आरंभ किए गए हैं। इन राज्यों में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिससे फसल दहन की घटनाएं वर्ष 2016 की 127774 से घटकर वर्ष 2019 में 61332 हो गई थीं। इनमें शामिल हैं:
  - किसानों को मशीनों का वितरण।
  - जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसान मेलों का आयोजन करके यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूकता का सृजन।
  - अल्पावधिक धान की किस्म से लंबी अवधि की किस्म का प्रतिस्थापन।
  - फसल विविधीकरण से धान के अधीन क्षेत्रफल में कमी आई है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ किसानों और युवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करना:** 721 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के साथ 3.37 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों को जोड़ने से, KVK की पहुँच में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और किसानों को मांग आधारित सेवाएं व जानकारी प्रदान की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector)

वर्ष 2018-19 में समाप्त हुए विगत 5 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) ने लगभग 9.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से विकास किया है। इस क्षेत्रक की, वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2018-19 के दौरान विनिर्माण आधारित सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 8.98 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक हेतु नई पहलें

- **प्रधानमंत्री-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण {Prime Minister-Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME)}:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ होने की अपेक्षा है।
  - इस योजना में आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में व्यापक लाभ अर्जित करने के लिए **एक जिला एक उत्पाद (ODOP)** दृष्टिकोण को अपनाया गया है। 34 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 650 जिलों के ODOP को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
  - इस योजना में अपशिष्ट से बेहतरीन उत्पादों, गौण वनोत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स:** आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, इस योजना को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की फसलों के अतिरिक्त अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों (कुल) के लिए 6 माह हेतु बढ़ाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की गई किसी भी रेल सेवा के माध्यम से किसी भी फल और सब्जी पर परिवहन सब्सिडी की अनुमति दी गई है।
- **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के लिए 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ **नवंबर 2020** में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना से विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता प्राप्त होगी।
- **प्रधानमंत्री किसान संपदा (SAMPADA) योजना (PMKSY):** इस एकछत्र योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार तथा ऑपरेशन ग्रीन्स आदि विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है।

VISION IAS

खाद्य प्रबंधन (Food Management)

- खाद्यान्न भंडार के विवेकपूर्ण प्रबंधन और गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-
  - किसानों के हितों की रक्षा हेतु गेहूं और धान के MSP को बढ़ाया गया है।
  - राज्य सरकारों, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (Decentralized Procurement: DCP) करने वाले राज्यों को राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की खरीद अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  - वर्तमान बफर मानदंडों के अतिरिक्त 5 मिलियन टन खाद्यान्न के रणनीतिक भंडार को विषम परिस्थितियों में उपयोग किए जाने के लिए बनाए रखा गया है।
  - बाजार में खाद्य की मुद्रास्फीति प्रवृत्ति रोकने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (Open Market Sale Scheme: OMSS) के माध्यम से गेहूं और चावल की बिक्री की जाती है।

Break up of Allocation under Various Schemes (share in per cent and quantity in lakh tons)

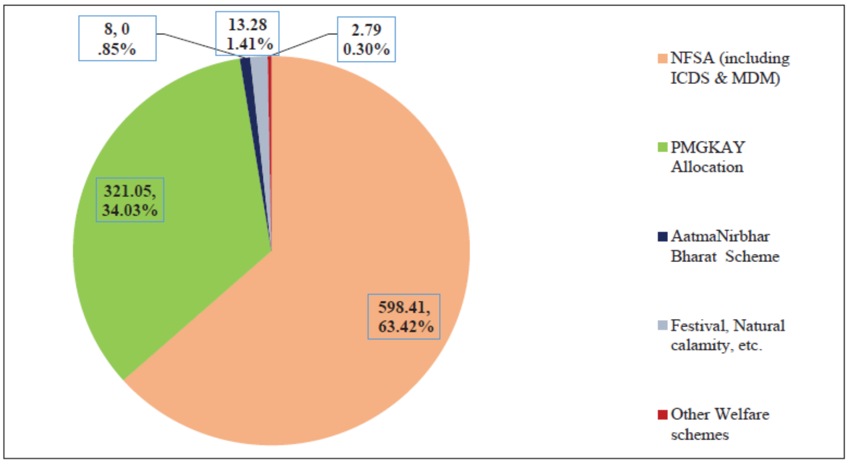

- **खाद्यान्नों का आवंटन:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दो माध्यमों यथा- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** (NFSA) और **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (PM-GKY) के माध्यम से खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के अंतर्गत, भारत सरकार ने NFSA या राज्य राशन कार्ड के दायरे में नहीं आने वाले लगभग 8 करोड़ प्रवासियों/फंसे प्रवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) का आवंटन किया।
- **फोर्टिफाइड चावल और इसका वितरण:** रक्ताल्पता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या का समाधान करने और देश में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, **"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड (और अधिक पोषक युक्त बनाना) चावल की खरीद और इसका वितरण"** नामक केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना को वर्ष 2019-20 से आरंभ होने वाली 3 वर्षीय अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" (IM-PDS) नाम की एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" प्रणाली के माध्यम से देश भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी आरंभ करना है। IM-PDS योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
- **खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू):** इसके तहत सरकार के निर्देशों पर भारतीय खाद्य निगम (FCI), पूर्व निर्धारित कीमतों पर समय-समय पर खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक का विक्रय करता है।
  - लॉकडाउन के दौरान राहत प्रदान करने या प्रवासी मजदूरों और कमजोर समूहों के लिए सामुदायिक रसोई घर के संचालन में संलग्न सभी परोपकारी/गैर-सरकारी संगठनों आदि को खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए अप्रैल, 2020 में एक विशेष व्यवस्था आरंभ की गई थी।
- **खाद्य सब्सिडी:** प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के मध्य अंतर खाद्य सब्सिडी की मात्रा को प्रदर्शित करता है।

- केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) में संशोधन न करने और भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों के लिए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, NFSA पूर्ववर्ती **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)** की तुलना में व्यापक कवरेज प्रदान करता है।

- **भंडारण:** खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास **819.19 लाख मीट्रिक टन (LMT)** की कुल भंडारण क्षमता मौजूद है, जिसमें **669.10 LMT** के कवर्ड (ढके हुए) गोदाम और **150.09 LMT** की कवर्ड और प्लिंथ (CAP) सुविधाएं शामिल हैं। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं-
  - निजी क्षेत्रक के साथ-साथ केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC) के सहयोग से निजी उद्यमी गारंटी (Private Entrepreneurs Guarantee: PEG) योजना के अंतर्गत **24** राज्यों में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** आधार पर गोदामों का निर्माण आरंभ किया गया है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के माध्यम से भी गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।
- **एथेनॉल:** सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के लिए 10 प्रतिशत सम्मिश्रण और वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - इन सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सरकार विभिन्न वित्तीय सहायता के माध्यम से **चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंड अलोन आसवनियों** को अपनी एथेनॉल आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही, **भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध चावल और मक्का के अधिशेष भंडार को एथनॉल में बदलने की भी अनुमति दी गई है।**

हालिया कृषि सुधार: एक उपचार एक व्याधि नहीं (Recent Agricultural Reforms: A Remedy, Not A Malady)

वर्ष 2020 में राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्रक से संबद्ध तीन अधिनियमों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इन अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों और अभीष्ट लाभों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

कानून और उनके उद्देश्य	**अपेक्षित लाभ**
किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 • यह एक ऐसे पारितंत्र के निर्माण हेतु प्रयासरत है, जिसमें किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता हो। • यह सुधार किसानों और खरीदारों को अधिसूचित APMC मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार कुशल, पारदर्शी और बाधा मुक्त अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यम को बनाए रखने में मदद करता है।	• **किसानों को अधिसूचित APMC मंडियों के बाहर कृषि उपज बेचने** और APMC कानूनों से संबंधित अक्षमताओं से संरक्षण का अवसर प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि इन अक्षमताओं के कारण किसानों को कम प्राप्ति और फसल कटाई के पश्चात नुकसान उठाना पड़ा है। • APMC मंडियों के साथ व्याप्त मुद्दों में अनेक बिचौलियों की उपस्थिति, अधिरोपित करों और उपकरों की वृहद श्रृंखला, निम्नस्तरीय अवसंरचना, तौल संबंधित मुद्दे (हाथ वाली तराजू से तौलना न कि मशीनों से), एकल खिड़की प्रणाली, आधुनिक श्रेणीकरण और छंटाई प्रक्रियाओं की कमी, लंबी कतारें आदि शामिल हैं। • **किसानों पर आरोपित केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंसधारियों को उपज बेचने की अनिवार्यता को समाप्त करता है।**
मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 • इसका उद्देश्य अनुबंध कृषि के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करना है। यह अधिनियम किसानों की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें कृषि व्यवसाय से संबद्ध कंपनियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने	• प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, एकत्रणकर्ताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं व निर्यातकों के साथ किसान भागीदारी को सशक्त बनाकर **समान अवसर का निर्माण करता है।** • **बाजार अनिश्चितता संबंधी जोखिम को किसान से प्रायोजक पर स्थानांतरित करता है।** • **किसान को आधुनिक तकनीक और उपयुक्त सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।** • **पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है,** क्योंकि किसानों की भूमि की बिक्री, पट्टा लेना या बंधक रखना पूर्णतया से निषिद्ध है और किसानों की

में सक्षम बनाता है।	भूमि को किसी भी प्रकार की वसूली हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। • **मूल्य निर्धारित करने की शक्ति:** अनुबंध में किसानों के पास उपज के लिए अपनी पसंद का बिक्री मूल्य तय करने की पूर्ण छूट होगी और उन्हें अधिकतम 3 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। • **FPO का गठन:** इस कानून के अंतर्गत, संपूर्ण देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है। ○ ये FPOs लघु किसानों को एक साथ लाने में मदद करेंगे और कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारण को सुनिश्चित करने में भी सहयोग करेंगे। • **किसानों को व्यापारियों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है,** क्योंकि खरीदने वाले उपभोक्ता को सीधे खेत से उपज उठानी होगी।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 • इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया जा सकता है। • यह सुधार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बार-बार स्टॉक रखने की सीमा लागू करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।	• **निजी निवेशकों की उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक विनियामकीय हस्तक्षेप की आशंका/संदेह का निवारण करता है।** • उत्पादन करने, भंडारण करने , लाने-ले जाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से **आकारिक मितव्ययता** को बढ़ावा मिलेगा तथा **कृषि क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित** होगा। • शीत भंडारण में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी।

आगे की राह

उत्पादकता बढ़ाने, फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए किए जा सकने वाले उपाय निम्नानुसार हैं-

- **कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता:** कृषि को ग्रामीण आजीविका क्षेत्रक की बजाये आधुनिक व्यावसायिक उद्यम के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **उत्पादन के उपरांत उपयोग किए जाने वाले घटकों के संबंध में उपाय किए जाएं-** जैसे कि ग्राम स्तरीय खरीद केंद्र, उत्पादन और प्रसंस्करण के मध्य संबंध, ग्रामीण बाजारों का विकास, APMC बाजारों के बाहर विक्रय का विकल्प – गोदाम उन्नयन और रेलवे माल ढुलाई परिचालनों को मजबूत करना, समर्पित मालभाड़ा गलियारा आदि।
- अल्प उत्पादकता से संबद्ध चिंताओं के निवारणार्थ **सिंचाई के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, संकर और उन्नत बीजों को अपनाने, किस्म प्रतिस्थापन अनुपात बढ़ाने तथा बीज परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने की दिशा में बल दिया जाना चाहिए।**

कृषि संबंधी बाजार सुधारों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा करने वाली रिपोर्टों के कुछ उदाहरण

- **कृषि विपणन पर आदर्श अधिनियम (सितंबर 2003):** आदर्श अधिनियम के अंतर्गत, केवल राज्य सरकारों की पहल पर बाजारों की स्थापना की अनुमति देने वाले वर्तमान प्रावधानों के विपरीत कानूनी व्यक्तियों, उत्पादकों और स्थानीय प्राधिकरणों को किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए नए बाजारों की स्थापना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
    - परिणामस्वरूप, एक बाजार क्षेत्र में, निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा एक से अधिक बाजार स्थापित किए जा सकते थे।
    - उत्पादकों के लिए APMC द्वारा प्रशासित वर्तमान बाजारों के माध्यम से अपनी उपज बेचने की कोई बाध्यता नहीं होनी थी।
- **अध्यक्ष डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तुत 'सर्विंग फार्मिंग एंड सेविंग फार्मिंग' रिपोर्ट श्रृंखला:** इन रिपोर्टों में कृषि क्षेत्रक में विशेष रूप से APMC और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संदर्भ में सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- **राज्य कृषि विपणन (विकास और विनियमन) नियम, 2007 का प्रारूप:** यह अन्य तथ्यों के साथ-साथ, बाजार समितियों के कार्य संचालन के भी संबंध में विवरण प्रदान करता है।
- **कृषि पर स्थायी समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) (2018-19):** समिति का विचार था कि उत्पादन केंद्र के निकट कृषि उपज के विपणन के लिए वैकल्पिक मंच के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिल सके।

- मुख्य खाद्यान्नों के फोर्टिफिकेशन के माध्यम से **पोषणात्मक परिणामों के साथ कृषि को एकीकृत करना चाहिए।**

- किसानों को उत्पादक से उद्यमी भूमिका की ओर स्थानांतरित करने के लिए **उन्हें बुनियादी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।**
- उन्नत कृषि पद्धतियों, आदानों के उपयोग पर मार्गदर्शन और उनके उत्पादन के समर्थन में अन्य सेवाओं के संबंध में किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए **कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना चाहिए।**
- बढ़ते खाद्य सब्सिडी के बिल को कम करने के लिए **केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) में संशोधन पर विचार करना अपरिहार्य प्रतीत होता है।**

अध्याय एक नजर में
वर्ष 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर **3.4 प्रतिशत** की वृद्धि दर (प्रथम अग्रिम अनुमान) प्राप्त करते हुए, भारत के कृषि क्षेत्रक ने कोविड लॉकडाउन जनित विपरीत परिस्थितियों के मध्य अपने लचीलेपन/सुनम्यता को प्रदर्शित किया है।
वर्ष 2019-20 के लिए देश के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों की हिस्सेदारी **17.8** प्रतिशत रही है।
आत्मनिर्भर भारत घोषणाओं के अंतर्गत ऋण, बाजार सुधार और खाद्य प्रसंस्करण पर विभिन्न उपायों के कारण इस क्षेत्रक को नए सिरे से बल मिला है।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रकों के विकास के लिए सरकार के विभिन्न हस्तक्षेप कृषि कल्याण को आगे बढ़ाने हेतु संबद्ध क्षेत्रकों की क्षमता का दोहन करने की दिशा में सरकार का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हैं।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों एवं प्रजनक बीजों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व एकीकृत खेती, जलवायु प्रत्यास्थ प्रौद्योगिकियों तथा मशीनीकरण एवं फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति की गई है।
उत्पादकता बढ़ाने और कृषि उपज के विपणन में सुधार की दिशा में लक्षित विभिन्न उपायों के अतिरिक्त, सरकार खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के साथ एक व्यापक खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम भी संचालित कर रही है।
पारित किए गए नए कृषि कानूनों से बाजार स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत को बल मिलेगा तथा भारत में किसान कल्याण के सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

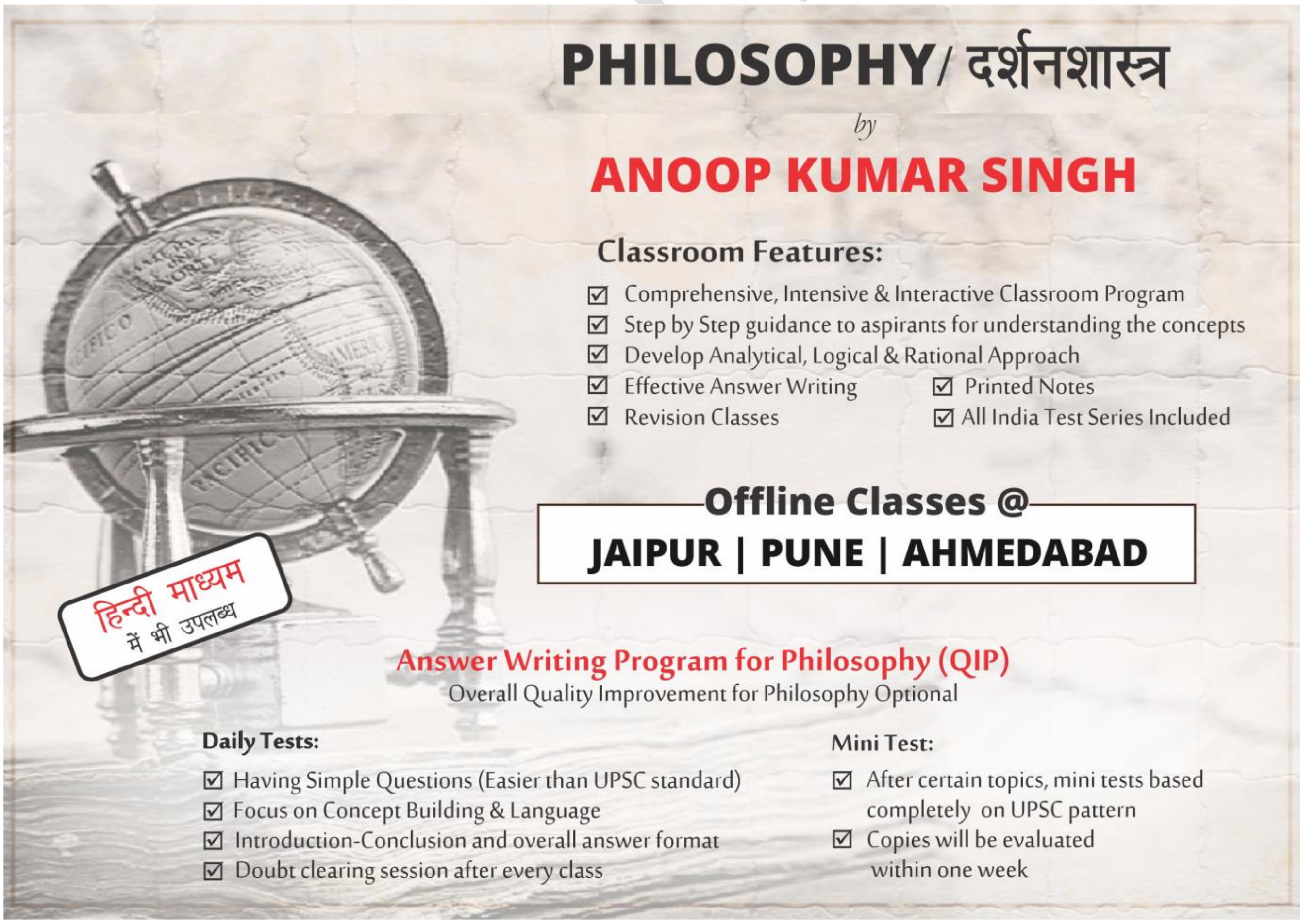

अध्याय 7

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. भारत में कृषि क्षेत्रक में आर्थिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% से अधिक है।

2. अर्थव्यवस्था में समग्र संकुचन के बावजूद, कृषि क्षेत्रक में 2020-21 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

3. विगत पांच वर्षों से कृषि क्षेत्रक में सकल पूंजी निर्माण (GCF) निरंतर बढ़ रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2 और 3

Q2. कृषि अवसंरचना कोष योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कृषि आदानों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

2. इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को ऋण प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में यह पता चला कि कृषि ऋण प्रवाह में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 2% थी। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारण उत्तरदायी हो सकता है/सकते हैं?

1. कम कृषि योग्य क्षेत्रफल

2. भूमि के सामुदायिक स्वामित्व का प्रचलन

3. निम्न साक्षरता दर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2 और 3

VISION IAS

Q4. भारत के कृषि व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही *नहीं* है?

(a) भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है।

(b) भारत के निर्यातों के प्रमुख गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब शामिल हैं।

(c) भारत की कृषि निर्यात टोकरी, विश्व कृषि व्यापार के 10% से थोड़ा अधिक है।

(d) समुद्री उत्पाद और बासमती चावल भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख पण्य-वस्तुओं में से एक हैं।

Q5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पूर्व-बुवाई से लेकर फसलोपरांत तक संपूर्ण फसल चक्र के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

2. बादल फटने जैसी स्थानीयकृत आपदाओं से होने वाले वैयक्तिक खेत स्तर के नुकसान भी इस योजना के अंतर्गत बीमारक्षित है।

3. फसलोपरांत नुकसान को कम करने के लिए यह योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q6. भारत निम्नलिखित में से किस/किन कृषि वस्तु/वस्तुओं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है?

1. दूध

2. मांस

3. अंडे

4. मत्स्य पालन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 3 और 4

(d) केवल 1, 2 और 3

Q7. हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण हेतु 10 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से किन फसलों के अधिशेष स्टॉक को एथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है।

1. चावल

2. गेहूं

3. मक्का

4. गन्ना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 1, 3 और 4

Q8. 'सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मर्स' (Serving Farmers and Saving Farming) किसानों पर आठ सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी अध्यक्षता की गई थी:

(a) एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा

(b) अमिताभ कांत द्वारा

(c) त्रिलोचन महापात्र द्वारा

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. आप इस दृष्टिकोण से कहां तक सहमत हैं कि हाल के कृषि सुधार किसानों के लिए कष्ट-निवारक हैं न कि व्याधि हैं? उचित प्रमाण के साथ अपने विचार को सिद्ध कीजिए।

Q.2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में वृद्धि से कृषि-मूल्य शृंखला में अवसर खुलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के महत्व की विवेचना कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 8: उद्योग और आधारभूत संरचना (Industry and Infrastructure)

परिचय (Introduction)

- **महामारी का आघात:** वैश्विक महामारी के मध्य वित्तीय वर्ष 2021 की शुरुआत हुई। महामारी के प्रकोप से बचने के लिए विश्व के लगभग सभी देश अभूतपूर्व उपाय अपना रहे थे, जिससे अर्थव्यवस्था अकस्मात रुक सी गई थी।
- **किए गए उपाय:** भारत ने ऐसी नीतियां लागू की, जिनका उद्देश्य लेन-देन की लागतों को कम करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (MSMEs) उद्यमों का समर्थन करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से भरण-पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
- **मजबूत औद्योगिक क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अनिवार्यता है:** अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ अपने गहन पूर्वापार संबंधों (backward and forward linkages) को देखते हुए महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रकों का कार्य निष्पादन महत्वपूर्ण होता है।
    - 29.87 लाख करोड़ रुपये या भारत के सकल घरेलू उत्पाद के **15 प्रतिशत** के समतुल्य उपायों का राहत-पैकेज अर्थव्यवस्था को राहत और समर्थन के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत घोषणाएं तीन अलग-अलग चरणों में की गई थी।

- **आत्मनिर्भर भारत 1.0**
    - **कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत तथा ऋण की सहायता**
        - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित विभिन्न व्यवसायों को जमानत के बिना स्वचालित ऋण प्रदान करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
        - तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपये का गौण ऋण (Subordinated Debt)।
        - 'एम.एस.एम.ई. फंड ऑफ फंड' के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन।
        - निवेश की सीमा को बढ़ाकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को नई परिभाषा दी गई है तथा पण्यावर्त (turnover) का एक अतिरिक्त मापदंड आरंभ किया गया है।
        - 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।
        - मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की राहत।
    - **ऊर्जा क्षेत्रक (विद्युत क्षेत्रक) के लिए पैकेज-** विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 90,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **स्थावर संपदा (रियल एस्टेट):** भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) {Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA)} के अंतर्गत अचल संपत्ति परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
    - **सरकार द्वारा नई सुसंगत नीति की घोषणा की गई है:** जहां सभी क्षेत्रक निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम (PSEs) निश्चित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- **आत्मनिर्भर भारत 2.0** ने अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** तथा **रक्षा मंत्रालय** को 25,000 करोड़ रुपये प्रदान किए।
- **औद्योगिक क्षेत्रक को प्रभावित करने वाली आत्मनिर्भर भारत 3.0 पहलों में शामिल हैं:**
    - 10 चैंपियन क्षेत्रकों के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन हेतु 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
    - **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-शहरी** के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय निर्धारित किया गया

VISION IAS

है।

- आधारभूत संरचना ऋण वित्तपोषण (infra debt financing) के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्लेटफॉर्म सृजित किया गया है। **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष** (National Investment and Infrastructure Fund: NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्युजन किया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र पर विहंगम दृष्टि (Overview of Industrial sector)

- **ऋणात्मक विकास:** वित्त वर्ष 2021 में सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 25.8% के सकल समग्र योगदान के साथ औद्योगिक क्षेत्रक में -9.6% की वृद्धि दर्ज होने की अपेक्षा है। वित्त वर्ष 2011-12 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है।

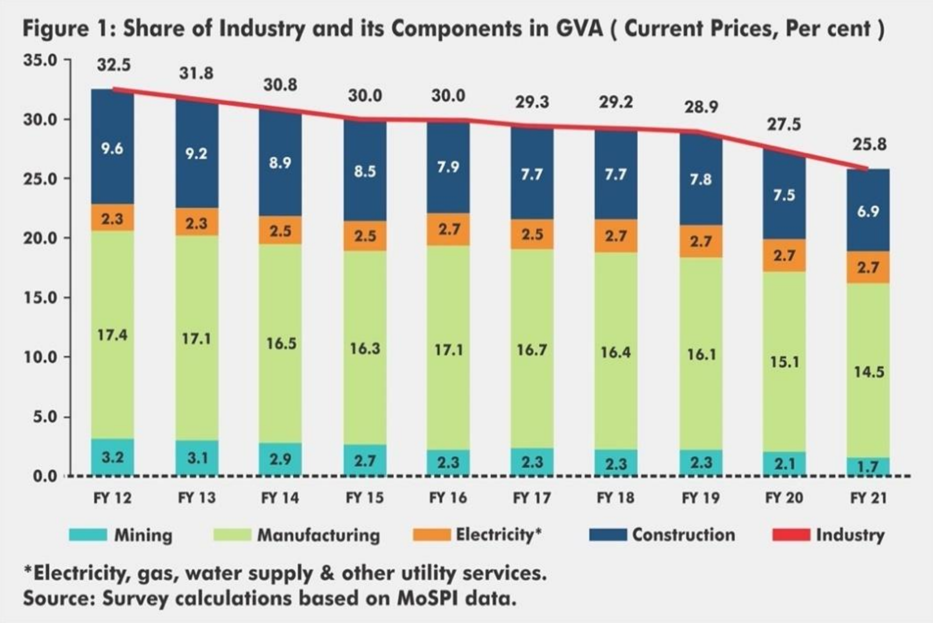

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP):** लॉकडाउन के उपरांत IIP में तेजी से कमी आई और यह अप्रैल-2020 में अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया। आगे सितंबर 2020 में IIP पहली बार धनात्मक हुआ।
- **आठ-प्रमुख उद्योगों का सूचकांक:** कोविड-19 जनित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (अप्रैल-2020) के कारण इसमें (-) 37.9 की सर्वकालिक न्यून वृद्धि दर्ज की गई।
  - अवसंरचना के निर्धारक आठ कोर उद्योग, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, और विद्युत का **IIP में लगभग 40 प्रतिशत का कुल भारांश** है।
- **औद्योगिक क्षेत्रक में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF):** उद्योग में GCF की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 1.2 प्रतिशत थी, जो अत्यधिक तेज वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2019 में 17.5 प्रतिशत हो गई।
- **औद्योगिक क्षेत्रक में ऋण प्रवाह में वृद्धि:** अक्टूबर-2020 में सकल बैंक ऋण में (-) 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर-2019 में इसमें 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) का कार्य निष्पादन**
  - **लाभदायक 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम' (CPSEs):** मार्च 2020 तक 366 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs) थे। इनमें से 256 परिचालन में हैं, परन्तु वित्त वर्ष 20 के दौरान केवल 171 CPSE ने ही लाभ अर्जित किया है।
    - वित्त वर्ष 2012 में लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) का कुल लाभ 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि घाटे में चल रहे उद्यमों का समेकित घाटा 44,816 करोड़ रुपये रहा।
  - **आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत CPSE का युक्तियुक्तकरण**
    - सामरिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को आदर्श रूप से चार तक सीमित किया जाएगा– अन्यों का या तो विलय या उनका निजीकरण कर दिया जाएगा या होल्डिंग कंपनियों के अंतर्गत लाया जाएगा।
    - मौजूद CPSE को मजबूत करने के लिए इनके बोर्डों को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी संरचना को पुनर्गठित किया जाए, उनकी परिचालन स्वायत्तता को बढ़ाया जाए तथा अधिक पारदर्शिता के लिए

VISION

स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता सहित मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के लिए उनकी परिचालन स्वायत्तता को बढ़ाया जाए।

- **कॉर्पोरेट क्षेत्रक का प्रदर्शन :** विनिर्माण क्षेत्रक के लिए शुद्ध लाभ 2020-21 की दूसरी तिमाही में **7.8 प्रतिशत** तक कम हो गया।
- **व्यवसाय करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस):** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020, के अनुसार वर्ष 2019 के लिए व्यवसाय करने की सुगमता सूचकांक (EoDB Index) में भारत का रैंक 190 देशों के बीच वर्ष 2018 के 77 से बढ़कर ऊपर की ओर 63वां हो गया था।

Figure 15: Leads and Laggards in Ease of Doing Business in overall ranking and score (EoDB 2019)

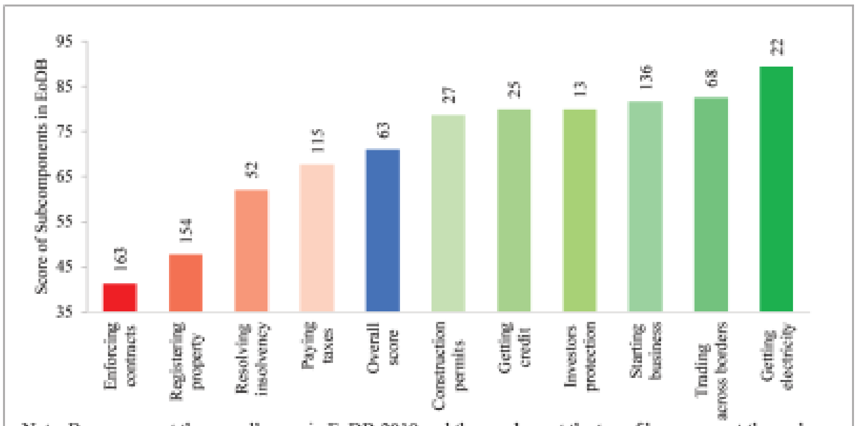

Note: Bars represent the overall score in EoDB-2019 and the numbers at the top of bar represent the rank in EoDB-2019.

Source: Survey calculations based on EoDB data.

- **स्टार्ट-अप इंडिया:**
  - **स्टार्टअप्स के विकास के लिए सुविधा प्रदान करना:** भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया पहल की घोषणा की थी। यह कार्य योजना तीन स्तंभों यथा **"सरलीकरण और सहयोग, निधीयन सहायता तथा प्रोत्साहन**, और **उद्योग-शिक्षा साझेदारी एवं इनक्यूबेशन** पर आधारित है।
  - **संख्याओं में पर्याप्त वृद्धि:** 23 दिसंबर, 2020 तक भारत सरकार ने कुल 41061 स्टार्टअप्स को मान्यता दी थी और 39,000 से अधिक स्टार्टअप्स द्वारा 4,70,000 रोजगार सृजित होने की रिपोर्ट मिली है।
  - **स्टार्टअप्स के लिए हाल ही में की गई पहलें**

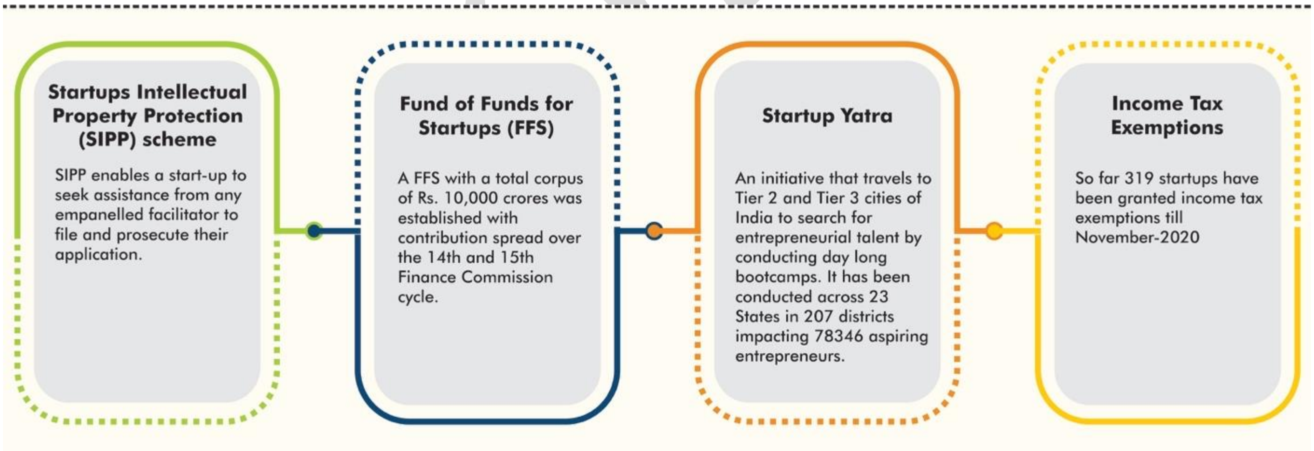

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**
  - **कुल अंतर्वाह:** वित्त वर्ष 2020 के दौरान, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह 49.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वित्त वर्ष 2019 के दौरान यह 44.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - **अग्रणी उद्योग:** विनिर्माण क्षेत्रक में, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातुकर्म, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त), खाद्य प्रसंस्करण एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाहों की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है।

कोयला क्षेत्रक के लिए किए गए उपाय

- **कार्बन सिंक निर्मित करना:** 132 मिलियन वृक्ष लगाकर लगभग 54500 हेक्टेयर भूमि को हरित आच्छादन के अंतर्गत लाया गया है। इससे अनुमानित रूप से 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य /प्रति वर्ष कार्बन सिंक का निर्माण होगा।

- **सतही कोयला गैसीकरण परियोजनाएं (वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन):** इससे कार्बन फुटप्रिंट अपेक्षाकृत कम होगा।
- **खान और खनिज (विनियमन और विकास) (MMDR) अधिनियम** के तहत कुल 11 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

क्षेत्रकवार मुद्दे और पहलें (Sector wise issues and initiatives)

- **इस्पात:** चीन के पश्चात **भारत ही अपरिष्कृत इस्पात (क्रूड स्टील) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है। भारत इस्पात का **दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** भी है।
  - **इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहलें:** उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive: PLI) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 'विशिष्ट इस्पात' का समावेश करना, सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर उत्पादित लोहा एवं इस्पात को वरीयता देना, उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना आदि।
- **कोयला:** यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के **55 प्रतिशत** हिस्से की पूर्ती करता है।
  - वित्त वर्ष 2020 में, विगत वर्ष की तुलना में 0.05 प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि के साथ भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन 729.1 मिलियन टन था।
  - भारत कोयले का आयातक भी है, और इसने वित्त वर्ष 2020 में 248.54 मीट्रिक टन कोयले का आयात किया था, जो वित्त वर्ष 2019 की तुलना में **5.7 प्रतिशत** अधिक था।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम** (MSME) **और वस्त्र तथा परिधान**

	MSME	Textile and Apparels
GDP Contribution	• Roughly 30%	• 2%
Employment Generation	• More than 11 crore people employed.	• Direct and indirect employment of about 10.5 crore people. • Sector is the second-largest employment generator in the country, next only to agriculture.
Exports	• Contributes half of the country's exports.	• India is the sixth-largest exporter of textile and apparel products after China, Germany,Bangladesh, Vietnam, and Italy.
Measures taken/ Schemes launched	• Revision of the investment criteria in the MSME definition • Udyam registration portal. • Launch of Champions Portal ○ CHAMPIONS' stands for Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength. ○ It is an ICT based technology system aimed at making the smaller units big by solving their grievances, encouraging, supporting, helping and handholding them throughout the business lifecycle	• Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) • Scheme for Integrated textiles park (SITP). • Samarth Scheme

Definition of MSME sector

Earlier MSME classification

Criteria: Investment in plant & machinery or equipment			
Classfication	**Micro**	**Small**	**Medium**
Manufacturing	Investment less than ₹25 lakhs	Investment greater than ₹25 lakhs & less than ₹5 crores	Investment greater than ₹5 crores & less than ₹10 crores
Service	Investment less than ₹10 lakhs	Investment greater than ₹10 lakhs & less than ₹2 crores	Investment greater than ₹2 crores & less than ₹5 crores

Revised MSME classification

Composite criteria: Investment and annual turnover			
Classfication	**Micro**	**Small**	**Medium**
Manufacturing & Service	Investment less than ₹1 crores and turnover less than ₹5 crores	Investment greater than ₹1 crores & less than ₹10 crores and turnover greater than ₹5 crores & less than ₹50 crores	Investment greater than ₹10 crores & less than ₹20 crores and turnover greater than ₹50 crores & less than ₹100 crores

अवसंरचना: अवसंरचना में निवेश अधिक **त्वरित और समावेशी आर्थिक विकास** के लिए सर्वोत्कृष्ट होता है।

- विश्व स्तरीय अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए वित्त वर्ष 2020-2025 के लिए **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** आरंभ की गई।
- वित्त वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने **नई संशोधित अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना** (Revamped Infrastructure Viability Gap Funding scheme) को वर्ष 2024-25 तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्षेत्रीय विकास (Sectoral Development)

- **सड़क क्षेत्रक:** सकल मूल्य वर्धित में परिवहन क्षेत्रक का भाग लगभग **4.6%** था, जिसमें से सड़क परिवहन ने सामान्यतया **67 प्रतिशत** का योगदान किया।
    - **सड़क नेटवर्क:** 63.86 लाख किलोमीटर लंबाई की **ग्रामीण-शहरी सड़कें** और **राष्ट्रीय-राज्य राजमार्ग** होने से सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का **संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है।**
    - **निर्माण की गति:** सड़कों के निर्माण की गति में वर्ष **2014-15 के 12 किलोमीटर प्रतिदिन** से वित्त वर्ष **2019 में 30 किलोमीटर प्रतिदिन** तक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण यह गति धीमी हो गई थी।
    - **निवेश:** सड़क और राजमार्ग क्षेत्रक में कुल निवेश वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 तक की छह वर्षों की अवधि में **तीन गुना से अधिक** हो गया है।
- **नागर विमानन:** भारत का घरेलू यातायात **वित्त वर्ष 2014 में लगभग 61 मिलियन** की तुलना में दोगुने से अधिक होकर **वित्त वर्ष 2020 में लगभग 137 मिलियन** हो गया है। इस प्रकार प्रति वर्ष **14 प्रतिशत** से अधिक की वृद्धि हुई है।
    - **तीव्र विकास:** तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार से आगे बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक इसके समग्र रूप से (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यातायात सहित) तीसरा सबसे बड़े विमानन बाजार बनने की प्रत्याशा है।
    - **कोविड-19 के दौरान सबसे आगे:** वंदे भारत मिशन (विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए) और **लाइफलाइन उड़ान पहल** (देश के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जीवन हेतु महत्वपूर्ण आपूर्तियों का परिवहन) नागर विमानन क्षेत्रक की प्रमुख पहलें हैं।

- **एयर बबल:** सरकार ने संबंधित देशों और भारत के मध्य यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 23 देशों के साथ **एयर लिंक या एयर बबल व्यवस्था** संपन्न की है।
- **पत्तन और पोत परिवहन:** भारत में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा का लगभग 95% (मूल्य का 68%) समुद्र मार्ग से परिवहन किया जाता है।
    - **पत्तनों की क्षमता:** भारत में **प्रमुख पत्तनों** की स्थापित क्षमता मार्च-2014 के 871.52 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) से बढ़कर मार्च-2020 में 1534.91 MTPA हो गई है।
    - **प्रतिवर्तन काल:** वित्त वर्ष 2020 में औसत प्रतिवर्तन काल में सुधार हुआ है और यह 61.75 घंटे हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 126.96 घंटे एवं वित्त वर्ष 2015 में यह 96 घंटे था।
- **रेलवे:** भारतीय रेलवे (IR) 67,580 किलोमीटर से अधिक के मार्ग के साथ, एकल प्रबंधन के अंतर्गत **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क** है।
    - **यातायात:** वित्त वर्ष 2020 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 1.2 बिलियन टन माल ढुलाई की और 8.1 बिलियन यात्रियों को परिवहन सेवा प्रदान की। इस प्रकार यह **विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और चौथा सबसे बड़ा मालवाहक** बना।
    - **बेहतर सुरक्षा:** भारतीय रेलवे द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के कारण, रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। वित्त वर्ष 2017 में इनकी संख्या 104 थी, जो वित्त वर्ष 2020 में 55 ही रही।
    - **रेलवे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** भारत सरकार ने **"न्यू इंडिया न्यू रेलवे" पहल** के अंतर्गत निजी प्रतिभागियों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे क्षेत्रक में कार्य करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
        - रेल मंत्रालय ने निजी भागीदारी के माध्यम से 151 आधुनिक ट्रेन सेट या रेक की शुरुआत करने के लिए 150 जोड़ी से अधिक रेल सेवाओं की पहचान की है।
        - निजी इकाई ट्रेनों के वित्तपोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी, और उन्हें अपने यात्रियों से वसूले जाने वाले **किराए के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता** होगी।
    - **किसान रेल:** केंद्रीय बजट 2020-21 ने दुग्ध, मांस और मछली जैसे खराब होने वाले और कृषि उत्पादों का परिवहन करके बेहतर बाजार अवसर प्रदान करने के लिए **किसान रेल सेवा** आरंभ करने की घोषणा की है।
    - **पार्सल ट्रेन:** कोविड-19 के दौरान संपूर्ण देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने समय-सारणी में सम्मिलित **पार्सल-स्पेशल ट्रेनों** सहित **पार्सल विशेष ट्रेन** सेवाएं आरम्भ की है।
    - **राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan- NRP):** इसका उद्देश्य वर्ष 2050 तक की अनुमानित यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना का विकास करना है।
        - राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य **माल-ढुलाई में रेलवे की आदर्श भागीदारी** को वर्तमान 27% से बढ़ाकर 45% करना है।
- **दूरसंचार क्षेत्रक**
    - **वायरलेस का प्रभुत्व:** सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर वायरलेस टेलीफोन की भागीदारी 98.3% है, जबकि लैंडलाइन टेलीफोन की भागीदारी अब केवल 1.71% रह गई है।
    - **इंटरनेट ग्राहकों** की संख्या **सितंबर-2020** के अंत में **776.45** मिलियन थी, जो **मार्च-2019** में **636.73** मिलियन थी।
    - **डेटा उपभोग:** प्रति ग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपभोग मार्च-2019 में 9.1 जीबी से बढ़कर जून-2020 में 12.2 जीबी हो गया।
    - **कम डेटा लागत:** जून-2020 तक, वायरलेस डेटा की लागत 10.55 रुपये प्रति जीबी थी।
    - **भारतनेट के अंतर्गत,** 15.01.2021 तक लगभग 4.87 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। यह 1.63 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) को समाहित करती है और लगभग 1.51 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) में इनकी सेवा का उपयोग करने की तैयारियां हो चुकी है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उपरांत भारत** (विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत का 5.8 प्रतिशत अंश का उपभोग करते हुए) विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता** है।
- **ऊर्जा:** कुल संस्थापित क्षमता मार्च-2019 में 3,56,100 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2020 में 3,70,106 मेगावाट हो गई है।

VISION IAS

- ○ **बेहतर उत्पादन क्षमता:** उत्पादन क्षमता बढ़कर अक्टूबर-2020 में 3,73,436 मेगावाट हो गई थी और इसमें 2,31,321 मेगावाट तापीय ऊर्जा, 45,699 मेगावाट जलविद्युत, 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा तथा 89,636 मेगावाट नवीकरणीय एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा शामिल है।
- ○ **भारत की ऊर्जा तीव्रता** (2011-12 के मूल्यों पर) वित्त वर्ष 2012 में प्रति करोड़ रुपये 65.6 टन तेल समतुल्य (tonne of oil equivalent: toe) थी, जो कम होकर वित्त वर्ष 2019 में प्रति करोड़ रुपये 55.43 टन तेल समतुल्य (toe) हो गई।
- ○ **प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि** हुई है और यह **वित्त वर्ष 2012** में **0.47 toe** थी, जो वित्त वर्ष **2019** में से **0.58 toe** हो गई है।
- ○ **ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में दो प्रमुख उपलब्धियों को प्राप्त किया गया:**
    - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण।
    - 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) के अंतर्गत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण।
- ○ **उच्च पारेषण तथा वितरण हानि:** समकक्ष देशों की पारेषण तथा वितरण हानियों की तुलना में भारत की पारेषण तथा वितरण हानियां बहुत अधिक हैं।

- **खनन क्षेत्रक:** भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है जिनमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस), 5 परमाणु खनिज (इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, यूरेनियम एवं मोनाजाइट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक तथा 55 लघु खनिज शामिल हैं।
    - ○ **योगदान:** वित्त वर्ष 2020 के दौरान सकल मूल्य वर्धित (GVA) में खनन और उत्खनन क्षेत्रक ने **2.1 प्रतिशत** का योगदान दिया।
    - ○ **प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वित्त वर्ष 2019 में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि** की तुलना में **वित्त वर्ष 2020 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।**
- **आवास और शहरी अवसंरचना:** जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है।
    - ○ **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):** 31 अक्टूबर 2020 तक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 3,378 करोड़ रुपये जारी हो चुके थे, और 9.9 लाख लाभार्थियों को उनकी रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए कौशल-प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण-पत्र दिए गए हैं।
    - ○ **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के तहत अभी तक 109 लाख से अधिक मकानों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 70 लाख से अधिक मकानों के निर्माण हेतु नींव डाली जा चुकी है। 41 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और उन्हें उनके लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।
- **इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी** (PMAY-U) के अंतर्गत, प्रवासी कामगारों को अपने कार्यस्थलों के निकट वहनीय दर पर किराये के आवास प्रदान करने की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए **'किफायती किराया आवासीय परिसर'** नाम से एक **उप-योजना** आरंभ की गई है।
    - ○ पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात अपने व्यवसायों को पुनः आरंभ करने के लिए सूक्ष्म-वित्त (microcredit) की सुविधा प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) (PM SVANidhi)** आरंभ की गई थी।
    - ○ आवास निर्माण के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के लिए 1 जनवरी, 2021 को **लाइट हाउस परियोजनाएँ** (LHPs) **आरंभ की गई थीं।**
- **लाइट हाउस परियोजनाएँ (LHPs)** छह स्थानों– लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची और अगरतला- में लागू की जा रही हैं। इन्हें संचालित करने के लिए **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया** के माध्यम से पहचानी गई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।

VISION IAS

आगे की राह (Way forward)

- **कोविड-19 की संकट प्रबंधन रणनीति** में सभी हितधारकों विशेष रूप से कमजोर और सुभेद्य वर्गों को शामिल करना था।
- **संकट के पश्चात के वर्ष (वित्त वर्ष 2022) के लिए आर्थिक सुधार** की प्रक्रिया को सुगम बनाने और अर्थव्यवस्था को इसके दीर्घकालिक विकास पथ पर वापस लाने में सक्षम बनाने हेतु निरंतर एवं सुसमायोजित उपायों की आवश्यकता होगी।
- **औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रक का पुनरुद्धार** समग्र आर्थिक विकास एवं वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अध्याय से प्राप्त मुख्य डेटा (Key data from chapter)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	• वित्त वर्ष 2020 के दौरान, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 49.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019 के दौरान यह 44.37 अरब अमेरिकी डॉलर का था।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	• सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार यह सकल घरेलू उत्पाद में सामान्यतया 30 प्रतिशत योगदान देता है और देश के निर्यात में 50% योगदान देता है।
वस्त्र और परिधान	• इस क्षेत्रक ने समग्र सकल घरेलू उत्पाद में **2 प्रतिशत** और कुल विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित (GVA) में **11 प्रतिशत** का योगदान किया तथा लगभग 10.5 करोड़ लोगों को कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है।
सड़क	• सड़कों के निर्माण की गति 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में **30 किलोमीटर** प्रतिदिन गई है। • भारत में ग्रामीण-शहरी सड़कों और राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों की कुल लम्बाई 63.86 लाख किलोमीटर है, इस प्रकार इसका **संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान** है।
रेलवे	• भारतीय रेलवे के मार्ग की कुल लम्बाई 67,580 किलोमीटर से अधिक की है, और इस प्रकार यह एकल प्रबंधन के अंतर्गत **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क** है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 1.2 बिलियन टन माल ढुलाई की और 8.1 बिलियन यात्रियों का परिवहन किया। इस प्रकार यह **विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक तथा चौथा सबसे बड़ा मालवाहक है।**
नागर विमानन	• भारत वर्तमान में **तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** है, अपेक्षा है कि यह वित्त वर्ष 2025 तक समग्र रूप से (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात सहित) **तीसरा** सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा।
पत्तन और पोत परिवहन	• वित्त वर्ष 2020 में औसत प्रतिवर्तन काल में सुधार हुआ है और यह 61.75 घंटे हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2011 में यह 126.96 घंटे एवं वित्त वर्ष 2015 में यह 96 घंटे था।
दूरसंचार	• **इंटरनेट ग्राहकों** की संख्या **सितंबर-2020** के अंत में **776.45** मिलियन थी, जो **मार्च-2019** में **636.73** मिलियन थी। • **डेटा उपभोग:** प्रति ग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपभोग मार्च-2019 में 9.1 जीबी से बढ़कर जून-2020 में 12.2 जीबी हो गया।

VISION IAS

अध्याय 8

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे?

1. MSMEs के लिए संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋण
2. DISCOMs में तरलता का आधान
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त परिव्यय
4. दस चैंपियन क्षेत्रकों के लिए उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q2. निम्नलिखित में से कौन-से आठ-कोर उद्योगों के सूचकांक का भाग हैं?

1. विद्युत
2. उर्वरक
3. सीमेंट
4. वस्त्र
5. भारी उद्योग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q3. भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान में भारत में 500 से अधिक CPSEs परिचालित हैं।
2. चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकांश CPSEs घाटे में चल रहे थे।
3. केंद्र सरकार का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत CPSEs की संख्या को युक्तिसंगत बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

Q4. स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना का उद्देश्य है:

(a) ऑनलाइन सामग्री निर्माण क्षेत्रक में संलग्न स्टार्टअप को कॉपीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) उपलब्ध कराना।

(b) नवप्रवर्तनशील फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन विकास में संलग्न स्टार्टअप को पेटेंट अधिकार की गारंटी प्रदान करना।

(c) अपना आवेदन दाखिल करने और और उसे उसके उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए सुविधा प्रदाता से समर्थन को सक्षम (enable) करना।

(d) TRIPS समझौते के प्रावधानों के साथ स्टार्टअप का अनुपालन सुनिश्चित करना।

Q5. हाल ही में सरकार ने MSME के वर्गीकरण में परिवर्तन किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं

उद्योग		*परिभाषा*
1. विनिर्माण में सूक्ष्म-उद्यम	:	**1 करोड़ रुपये से कम निवेश**
2. सेवा में लघु-उद्यम	:	**10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच निवेश**
3. मध्यम में मध्यम-उद्यम	:	**50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच टर्नओवर**

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की सफलता के लिए सशक्त औद्योगिक क्षेत्रक अनिवार्य शर्त है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

Q.2. भारत के औद्योगिक क्षेत्रक का संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हुए, इसके लिए कष्टकारी प्रमुख मुद्दों का उप-क्षेत्रकीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

VISION IAS

अध्याय 9: सेवा क्षेत्रक (Services Sector)

परिचय (Introduction)

- **भारत के सकल मूल्यवर्धन (GVA) में हिस्सा: वर्तमान में** सेवा क्षेत्रक की **अर्थव्यवस्था में 54% से अधिक हिस्सेदारी है और** देश में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 4/5 हिस्सा है।

सेवा क्षेत्रक पर कोविड-19 का प्रभाव

- कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 के प्रथम छमाही में सेवा क्षेत्रक अपनी संपर्क-गहन प्रकृति के कारण 16 प्रतिशत तक संकुचित हो गया।
- यह गिरावट सभी उप-क्षेत्रकों, विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण (ब्रॉडकास्टिंग) से संबंधित संचार एवं सेवाओं में तीव्र संकुचन के कारण हुई। इन क्षेत्रकों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम छमाही में 31.5% की गिरावट दर्ज की गई।
- प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्रक के GVA में वर्ष 2020-21 में 8.8% तक के संकुचन का अनुमान लगाया गया है। जबकि वर्ष 2019-20 में इसमें 5.5% की दर से वृद्धि हुई थी।

- **सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान:** 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से 15 में सेवा क्षेत्रक का योगदान GSVA में 50% से अधिक रहा है। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह योगदान सर्वाधिक 85% रहा है, जबकि सिक्किम का योगदान सबसे कम 27.02% रहा है।
- **सेवा क्षेत्रक में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** सेवा क्षेत्रक में अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान वार्षिक आधार पर सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 34% वृद्धि के साथ 23.61 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। यह इस अवधि के दौरान भारत के कुल सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह का लगभग ⅘ भाग था।

सकल मूल्य वर्धन (Gross value added: GVA)

- संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के अनुसार, GVA उत्पाद मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग मूल्य को घटाने पर प्राप्त हुए मूल्य को संदर्भित करता है। यह किसी उत्पादक, उद्योग या क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान की माप है।
- सरल शब्दों में कहा जाए, तो यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में से आगत (inputs) और कच्ची सामग्री की लागत को घटाने पर प्राप्त रुपये मूल्य को दर्शाता है।

  - जिन उप क्षेत्रकों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ उनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, खुदरा व्यापार (रिटेल ट्रेडिंग), कृषि सेवा और शिक्षा शामिल थे।
  - व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की हालिया विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 (World Investment Report 2020) के अनुसार, सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में इस सूची में **भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2018 में 12वें स्थान पर था।**
- **सेवा क्षेत्र में व्यापार: निर्यात**
  - भारत **वर्ष 2019 में वाणिज्यिक सेवाओं में व्यापार करने वाले शीर्ष दस देशों में शामिल था।** विश्व सेवा निर्यात क्षेत्र में भारत की भागीदारी **3.5%** थी।
  - भारत के सेवा निर्यात में अत्यल्प गिरावट हुई है। वर्ष 2018-19 में यह 6.6% थी, जो वर्ष 2019-20 में 2.5% हो गई। इसका प्रमुख कारण परिवहन, बीमा एवं संचार सेवाओं से प्राप्त आय में होने वाली कमी थी।
  - **सॉफ्टवेयर निर्यात की कुल सेवा निर्यात में 49.3% हिस्सेदारी है। सॉफ्टवेयर निर्यात** महामारी से उत्पन्न नई चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल सहायता, क्लाउड सेवाओं और अवसंरचना के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण इस कठिन परिस्थिति से उभरने में सक्षम रहा।

VISION IAS

- **सेवा क्षेत्र में: आयात**
  - वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में, सेवा निर्यातों की तुलना में सेवा आयातों में 13.95% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई।
  - विदेशी यात्रा व परिवहन सेवाओं के लिए आयात के भुगतान में गिरावट आई, जबकि व्यापारिक सेवाओं के आयात के लिए भुगतान में वृद्धि हुई।
- **निवल निर्यात**
  - सेवाओं के निर्यात की तुलना में आयात में तीव्र गिरावट होने के कारण वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में विगत वर्ष की तुलना में निवल सेवा प्राप्ति में **2.1%** की बढ़ोतरी हुई।
  - वाणिज्यिक वस्तु व्यापार घाटे में तीव्र संकुचन और स्थिर निवल सेवा प्राप्ति के कारण वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में **चालू खाता अधिशेष GDP का 3.9% था।**

उप क्षेत्रकवार प्रदर्शन और नवीन नीतियां (Sub-sector wise performance and recent policies)

- कोविड-19 महामारी के कारण, सेवा क्षेत्रक के अधिकांश उप क्षेत्रकों में वर्ष 2020-21 के दौरान अत्यल्प वृद्धि दर्ज की गई है।

वंदे भारत मिशन

- कोविड-19 महामारी के विस्तार और उसके कारण विश्व भर में लगे लॉकडाउन के पश्चात **विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने** के उद्देश्य से इस मिशन को मई की शुरुआत में प्रारंभ किया गया था।
- इस मिशन के तहत (जो अभी अपने नौवें चरण में है) **सरकार ने अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु अन्य देशों के साथ ट्रांसपोर्ट बबल्स (Transport Bubbles) की स्थापना की है।**
- वर्तमान में, भारत 24 देशों के साथ 'एयर बबल' (air bubble)' की स्थापना की दिशा में सक्रिय है।
- 5 जनवरी, 2021 तक, 44.9 लाख से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

- **पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector)**
  - **विदेशी मुद्रा में होने वाली आय में गिरावट:** पर्यटन क्षेत्र से होने वाली विदेशी मुद्रा आय (Foreign exchange Earning) में गिरावट आई है। वर्ष 2019 की प्रथम छमाही के दौरान इस उप क्षेत्रक से 14.19 अरब डॉलर की आय हुई थी, जो वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के दौरान घटकर 6.16 अरब डॉलर हो गई थी।
  - **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत की भागीदारी:** विदेशी पर्यटक आगमन (Foreign Tourist Arrivals: FTA) के वर्ष 2018 के 10.56 मिलियन की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटक आगमन (FTA) 10.93 मिलियन था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (International Tourist Arrivals) के मामले में, भारत वर्ष 2019 में 23वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2018 में यह 22वें स्थान पर था।

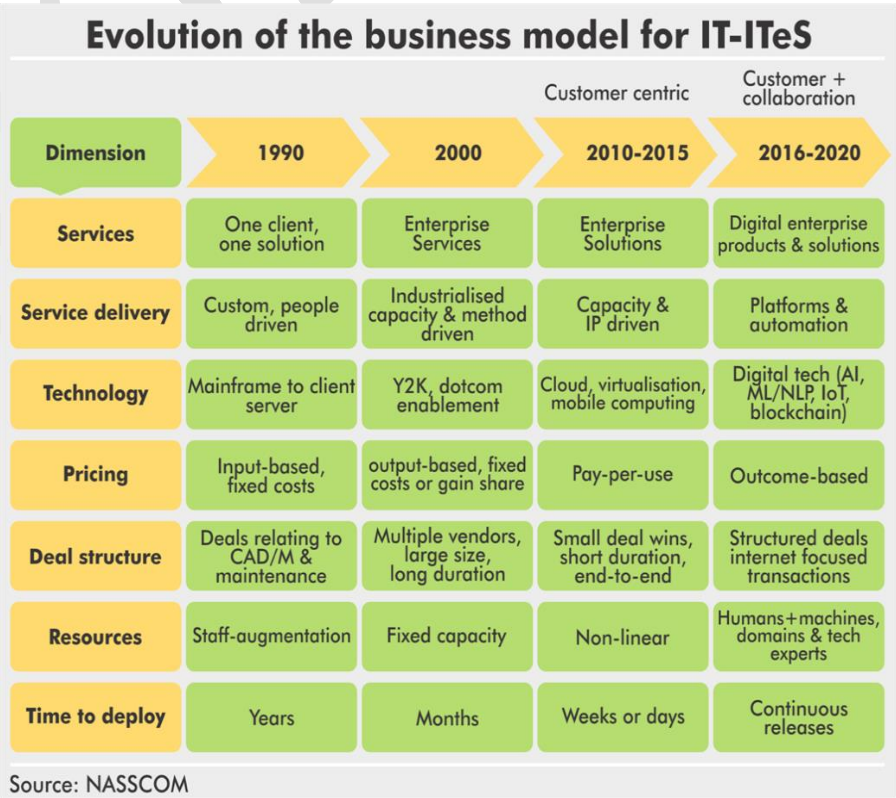
Evolution of the business model for IT-ITeS

Dimension	1990	2000	2010-2015 (Customer centric)	2016-2020 (Customer + collaboration)
Services	One client, one solution	Enterprise Services	Enterprise Solutions	Digital enterprise products & solutions
Service delivery	Custom, people driven	Industrialised capacity & method driven	Capacity & IP driven	Platforms & automation
Technology	Mainframe to client server	Y2K, dotcom enablement	Cloud, virtualisation, mobile computing	Digital tech (AI, ML/NLP, IoT, blockchain)
Pricing	Input-based, fixed costs	output-based, fixed costs or gain share	Pay-per-use	Outcome-based
Deal structure	Deals relating to CAD/M & maintenance	Multiple vendors, large size, long duration	Small deal wins, short duration, end-to-end	Structured deals internet focused transactions
Resources	Staff-augmentation	Fixed capacity	Non-linear	Humans+machines, domains & tech experts
Time to deploy	Years	Months	Weeks or days	Continuous releases

Source: NASSCOM

- **देश जहां से विदेशी पर्यटक आते हैं:** जिन देशों से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, उन शीर्ष 10 देशों में **बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस** शामिल हैं। वर्ष 2019 में भारत में कुल जितने विदेशी पर्यटक आए थे उनमें से 67% इन देशों के पर्यटक थे।
- **विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थान:** विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में **तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल** शामिल हैं। वर्ष 2019 में देश में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में 69.4 फीसदी इन राज्यों में आए थे।
- **विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा योजना:** सरकार ने वर्ष 2016 में वीजा व्यवस्था को उदार बनाया और इसका नाम परिवर्तित कर ई-वीजा योजना कर दिया। इस योजना में पांच उप श्रेणियां शामिल हैं। वे हैं, 'ई-पर्यटन वीजा', 'ई-व्यापार वीजा', 'ई-चिकित्सा वीजा', 'ई-सम्मेलन वीजा' और 'ई-चिकित्सा परिचारक वीजा'। ई-वीजा योजना अब 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए, 28 निर्दिष्ट विमान पत्तनों और 5 निर्दिष्ट समुद्री पत्तनों के माध्यम से वैध प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके कारण, ई-वीजा पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 4.45 लाख थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 29.28 लाख हो गई और जनवरी-मार्च 2020 में यह घटकर 8.37 लाख ही रह गई थी।

- **सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सेवाएं (IT-BPM Services)**
  - **IT सेवाओं का वर्चस्व: विगत छह वर्षों में, IT सेवाओं का IT-BPM क्षेत्रक में एक प्रमुख योगदान (50% से ज्यादा) रहा है। वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र से लगभग 97 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था।**
  - **निर्यात प्रेरित सेवाएं: IT-BPM उद्योग का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 84%) (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर) निर्यात से प्रभावित रहा। वर्ष 2019-20 में निर्यात से प्राप्त होने वाला राजस्व 146 अरब डॉलर से अधिक था।**
  - **आय वृद्धि में बढ़ोतरी: वर्ष** 2019-20 के दौरान, IT-BPM क्षेत्रक (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर) की आय वृद्धि में सुधार हुआ और यह वर्ष 2018-19 के 6.8% से बढ़कर 7.9% हो गई। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण घरेलू राजस्व आय वृद्धि में आया उछाल था।
  - **IT-BPM निर्यात संरचना:** वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक निर्यात (91 अरब डॉलर) **संयुक्त राज्य अमेरिका** को प्राप्त हुआ, जो कुल IT-BPM निर्यात (हार्डवेयर को छोड़कर) का **62 प्रतिशत** था। इसके उपरांत 24.7 अरब डॉलर के साथ IT-BPM सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार **यूनाइटेड किंगडम** था, परन्तु यहां कुल निर्यात का केवल **17 प्रतिशत** ही निर्यात हुआ। इन सेवाओं के निर्यात से भारत को, **यूरोप** (यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर) से 11.4% और **एशिया-प्रशांत** के देशों से 7.6% की आय हुई।
  - **सरकार की नीतिगत पहल:** वर्ष 2021 में IT-BPM क्षेत्रक में कई संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य IT-BPM क्षेत्रक में नवाचार, तकनीक को अपनाने और कुशलता को बढ़ावा देना था। इन सुधारों में, अन्य सेवा प्रदाता से संबंधित नियमों और शर्तों एवं उपभोक्ता सुरक्षा (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में छूट प्रदान करना शामिल है।
  - **भारत के स्टार्टअप पारितंत्र में प्रगति:** महामारी के आरंभिक चरण में स्टार्टअप्स को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, परन्तु स्टार्टअप पारितंत्र ने विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया है। इस दौरान **12 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न** का दर्जा प्राप्त किया है। नैसकॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वर्तमान में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 38 हो गई है। हालांकि, **अमेरिका** में यूनिकॉर्न की संख्या 243 और **चीन** में 227 है।

VISION IAS

Major policy initiatives and reforms in IT-BPM sector

Relaxation of OSP Terms & Conditions

- With an aim to improve the Ease of Doing Business of the IT Industry particularly Business Process Outsourcing (BPO) and IT Enabled Services, the Government, in November 2020, simplified the Other Service Provider (OSP) guidelines of the Department of Telecom.
- The new guidelines reduce the compliance burden of the BPO industry and enable to Work from Home.

Consumer Protection Act, 2019

- The Act came in to force in July 2020 empowering consumers and to protect their rights through its various notified rules and provisions such as Consumer Protection Councils, Consumer Disputes Redressal Commissions, Mediation, Product Liability and punishment for manufacture or sale of products containing adulterant / spurious goods.
- Act includes establishment of the Central Consumer Protection Authority to promote, protect and enforce the rights of consumers.
- Moreover, every e-commerce entity is required to provide information relating to return, refund, exchange, warranty/guarantee, delivery, modes of payment, grievance redressal, payments, charge-back options, etc. including country of origin.
- Act introduces the concept of product liability and brings within its scope, the product manufacturer, product service provider and product seller, for any claim for compensation.

- **बंदरगाह और पोत-परिवहन सेवाएं:** भारत में पत्तन, मात्रा के आधार पर 90 प्रतिशत और मुल्यानुसार 70 प्रतिशत आयात-निर्यात कार्गो को नियंत्रित करते हैं। जनवरी 2020 तक विश्व के पोत परिवहन (fleet) में भारत की भागीदारी 1% थी।
    - **पत्तन क्षमता:** प्रमुख पत्तनों की कुल कार्गो क्षमता मार्च 2014 के अंत में 871.52 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Million Tonnes Per Annum: MTPA) थी, जो मार्च 2020 के अंत तक बढ़कर 1,534.91 MTPA हो गई और वर्ष 2019-20 के दौरान 704.92 मिलियन टन कार्गो यातायात का विनियमन किया गया।
    - **प्रमुख पत्तन:** मार्च 2020 तक के अनुसार, दीनदयाल (कांडला), पारादीप, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT), विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे पत्तनों में सर्वाधिक कार्गो क्षमता विद्यमान थी।
    - **प्रतिवर्तन काल (turnaround time) में कटौती:** पोतों के प्रतिवर्तन काल में कमी आई है। वर्ष 2014-15 में पोतों का प्रतिवर्तन काल 4 दिवस था, जो वर्ष 2020-21 (अप्रैल-सितंबर) में कम होकर **2.62 दिवस** हो गया है। प्रतिवर्तन काल वस्तुतः किसी पत्तन क्षेत्रक की क्षमता का एक मुख्य संकेतक होता है। वर्तमान में पोत-परिवहन का प्रतिवर्तन काल सभी प्रमुख पत्तनों पर कम हुआ है और सबसे कम प्रतिवर्तन काल **कोचीन पत्तन** पर लगता है, जबकि सबसे अधिक **मोरमुगाओ पत्तन** पर लगता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) के नवीनतम डेटा के अनुसार, विश्व में पोत का औसत प्रतिवर्तन काल **0.97 दिवस** है।

- **अंतरिक्ष क्षेत्रक (Space Sector)**
    - **विविध सेवाएं:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक में काफी वृद्धि हुई है। 1960 के दशक में सामान्य स्पेस-मैपिंग सेवाओं से लेकर अब तक अनेक प्रकार की विविध गतिविधियों का निष्पादन किया जा रहा है। उनमें प्रेक्षण यानों और संबंधित प्रौद्योगिकियों, भू-प्रेक्षण के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन तथा विकास शामिल है। इसके

अतिरिक्त, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड, नौ-परिवहन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियां भी की जा रही हैं। हाल ही में कई ग्रहों पर अंतरिक्ष मिशन प्रेषित किए गए हैं।

- **वैश्विक प्रतिभागियों की तुलना में निम्न व्यय:** भारत ने वर्ष 2019-20 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय किया। हालांकि, भारत अभी भी इस मामले में विश्व के बड़े प्रतिभागियों जैसे **अमेरिका, चीन और रूस** से काफी पीछे है।
- **उपग्रहों का प्रक्षेपण:** भारत ने हाल के वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 5 से 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। दूसरी ओर, वर्ष 2019 में अमेरिका ने 19, रूस ने 25 और चीन ने 34 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है तथा वे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्रक के वाणिज्यीकरण और इस क्षेत्रक में निजी निवेश आकर्षित करने की संभावना

- जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी निवेश को स्वीकृति प्रदान की थी, ताकि भारतीय निजी कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भाग ले सकें।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL),** यह अंतरिक्ष विभाग (Department of Space) के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निर्गत प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने और भारतीय उद्योग जगत के उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार को सक्षम करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रक में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE)** की स्थापना की है।
- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपनी स्पिन-ऑफ (अनपेक्षित लाभ) नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत-संरचना को साझा करेगा और साथ ही प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करेगा।**
- उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में अंतरिक्ष और उपग्रह परियोजनाओं में पूँजी, कार्मिक दल तथा आधारभूत संरचना तीनों के साथ 40 से अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं, जो सरकार के प्रयासों में योगदान कर रहे हैं।
- सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट (2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 366 अरब डॉलर आंकी गई थी।
- PwC के अनुसार, **भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है**, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 प्रतिशत है।
- वाणिज्यिक उपग्रह उद्योग, वैश्विक अंतरिक्ष व्यवसाय का लगभग 75 प्रतिशत है।

अध्याय एक नजर में
• संपर्क गहन क्षेत्रक होने के कारण, भारत के सेवा क्षेत्रक में कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही के दौरान लगभग 16% संकुचन हुआ। अधिकांश उप क्षेत्रकों में गिरावट दर्ज की गई।
• 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से 15 में सेवा क्षेत्रक का योगदान GSVA में 50% से अधिक है।
• सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में इस सूची में भारत **9वें** स्थान पर पहुंच गया जबकि **वर्ष 2018 में 12वें स्थान पर था।**
• सेवाओं के निर्यातों की तुलना में आयातों में तीव्र गिरावट के कारण निवल सेवा प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई।
• सरकार ने कुछ क्षेत्रकों के लिए प्रमुख नीतिगत पहलें प्रारंभ की हैं। उदाहरण के लिए, IT-BPM क्षेत्रक में अन्य सेवा प्रदाता से जुड़े नियमों और शर्तों तथा उपभोक्ता सुरक्षा (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में छूट दी गई है। साथ ही, अंतरिक्ष क्षेत्रक में NSIL और IN-SPACE की स्थापना की गई है।

अध्याय 9

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. **भारत में सेवा क्षेत्रक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।**
2. **इसकी भारत के सभी राज्यों के सकल राज्य मूल्य वर्धन(GSVA) में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।**
3. **इसकी भारत में FDI अंतर्वाह में बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q2. **सेवा क्षेत्रक में भारत के निर्यात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **विश्व सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 10% से अधिक है।**
2. **सभी सेवाओं के निर्यात में, सॉफ्टवेयर निर्यात की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q3. **हाल ही में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हुआ। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. **यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।**
2. **इस अधिनियम के अंतर्गत, सभी e-कॉमर्स इकाइयों को उत्पाद की मूलोत्पत्ति के देश से संबंधित सूचना प्रदान करना आवश्यक है।**
3. **यह उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है जो उत्पाद की गुणवत्ता हेतु विक्रेता को भी जवाबदेह ठहराता है।**

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

VISION IAS

Q4. भारत में व्यापार संभार-तंत्र (Trade logistics) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) विगत पाँच वर्षों में जहाजों के औसत प्रतिवर्तन काल में वृद्धि हुई है।

(b) विश्व के जहाजी बेड़े में भारत की 10% हिस्सेदारी है।

(c) परिमाण के अनुसार निर्यात-आयात कार्गो का लगभग 90 प्रतिशत भारतीय पत्तनों से संचालित होता है।

(d) मूल्य के अनुसार निर्यात-आयात कार्गो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रेलवे की है।

Q5. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्यम है।

2. यह भारतीय उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार का उन्नयन करने में सक्षम बनाने के लिए अधिदेशित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि भारत एक सेवा क्षेत्रक आधारित अर्थव्यवस्था है, भारत में सेवा क्षेत्रक पर कोविड-19 के प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Q.2. वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान सेवा क्षेत्रक में गिरावट को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए।

अध्याय 10: सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास (Social Infrastructure, Employment and Human Development)

परिचय

- कोविड-19 ने महामारी का सामना करने वाले **समाजों, राज्यों और देशों की सुभेद्यताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।**
- यद्यपि, **लॉकडाउन ने कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम करने में मदद की है,** परन्तु इसने संवेदनशील एवं अनौपचारिक क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।
- सरकार ने **'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत राहत पैकजों** और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, ताकि कोविड-19 के प्रभाव को सहन करने में सक्षम हुआ जा सके और V-आकार अर्थव्यवस्था की पुनर्प्राप्ति की जा सके।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियां (Trends in Social Sector Expenditure)

- संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा **सामाजिक सेवाओं** (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्र) पर **सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में किए जाने वाला** व्यय वर्ष 2014-15 से 2020-21 (BE) की अवधि के दौरान **6.2 प्रतिशत से बढ़कर 8.8 प्रतिशत** हो गया है।
- **कुल बजट व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय का हिस्सा वर्ष** 2014-15 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 (BE) में 26.5 प्रतिशत हो गया है।
- अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए **आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ के एक विशेष आर्थिक एवं सर्वसमावेशी पैकेज की घोषणा की गई थी। यह राशि** भारत के सकल घरेलू उत्पाद के **10 प्रतिशत** के बराबर है। पश्चात्वर्ती घोषणाओं में **29.88 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा** की गई है।
- इनमें से, **4.31 लाख करोड़ रुपये सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए थे,** जिसमें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) और PMGKY अन्न योजना, कामगारों एवं कर्मचारियों को सहायता, मनरेगा कामगार इत्यादि सम्मिलित हैं।

मानव विकास (Human Development)

- वर्ष 2019 में मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंक 131वीं थी, जबकि वर्ष 2018 में यह रैंक 129वीं थी।
- भारत के लिए HDI का मूल्य वर्ष **2010 में 0.579 से बढ़कर वर्ष 2019 में 0.645 हो गया है।**
- **वर्ष 2010-2019 के दौरान औसत वार्षिक HDI वृद्धि 1.21 प्रतिशत रही है** और देशों की औसत वार्षिक HDI की तुलना करें तो भारत, ब्रिक्स देशों से आगे है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education for All)

- **शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education: U-DISE)** के अनुसार 90.2 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय, 93.7 प्रतिशत में बालकों के लिए शौचालय, 95.9 प्रतिशत में पेयजल सुविधा का प्रावधान, 88.1 प्रतिशत में हाथ धोने अर्थात हैंड वाश की सुविधा, 84.2 प्रतिशत में स्वास्थ्य या चिकित्सा जांच सुविधा, 20.7 प्रतिशत में कम्प्यूटर, 67.4 प्रतिशत में विद्युत् कनेक्शन और 69.3 प्रतिशत में खेल का मैदान उपलब्ध है।
- **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey:NSS)** के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों की साक्षरता दर **लगभग 77.7 प्रतिशत** है, जबकि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यह साक्षरता दर **96 प्रतिशत** के निकट है।

VISION IAS

वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूल शिक्षा के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं

समग्र शिक्षा, जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक विस्तारित एक अति-महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, को वर्ष **2018-19 में लॉन्च किया गया था। इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:**

- **शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण:** प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की निरंतर स्कूली शिक्षा को समग्र शिक्षा के रूप में स्थापित करती है।
- दो **T– टीचर** (शिक्षक) एवं **टेक्नोलॉजी** (प्रोद्योगिकी) – पर फोकस कर **शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है।** इसमें शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता का निर्माण; पुस्तकालयों के विस्तार हेतु स्कूलों को अनुदान; विज्ञान एवं गणित को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्ड तथा स्कूलों में डीटीएच चैनल एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना के माध्यम से **डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना तथा** शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों को शिक्षा सामग्री प्रदान करने वाले **"दीक्षा"("DIKSHA")** एप को बढ़ावा देना।
- **बालिका शिक्षा पर फोकस:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली शिक्षा को कक्षा 6-8 से बढ़ाकर कक्षा 6-12 तक करना; बालिकाओं के लिए आत्म-सुरक्षा प्रशिक्षण; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना इत्यादि।
- **समावेशन, कौशल विकास, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन इत्यादि** पर ध्यान केन्द्रित करना।
- **समग्र शिक्षा के अंतर्गत** अधिगम के परिणाम में सुधार तथा **कोविड-19 महामारी के दौरान 100 प्रतिशत शिक्षा को ऑनलाइन** उपलब्ध कराने के लिए निष्ठा (NISHTHA) (शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल) नामक एक पहल को आरम्भ किया गया है।
- **पढ़ना-लिखना अभियान:** वित्त वर्ष 2020-21 में एक वयस्क शिक्षा योजना आरंभ की गई है।
- वर्ष 2019-20 की दौरान, स्कूलों में **मध्यान्ह-भोजन या मिड-डे मील (MDM)** कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित 11.59 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

34 वर्ष पुरानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 को प्रतिस्थापित करते हुए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की घोषणा की गई है। नई नीति का लक्ष्य देश की स्कूली एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक की **शिक्षा का सार्वभौमीकरण।**
- वर्तमान 10+2 प्रणाली को **नए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना से प्रतिस्थापित किया जाना है।**
- तथ्यों को याद/रटने के स्थान पर **मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाया जाना** है।
- ऑनलाइन स्व-घोषणा पर आधारित एक नए मानक कार्यढांचे के साथ **स्कूल प्रशासन में परिवर्तन करना।**
- **आधारभूत साक्षरता एवं गणना** पर बल देना तथा **स्कूलों में शैक्षणिक वर्गों, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक वर्गों** के मध्य पृथक्करण नहीं किया जाएगा।
- जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा **मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा** में देना।
- **मूल्यांकन सुधार**, छात्र प्रगति पर पर ध्यान केन्द्रित करना।
- स्कूल शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए नया और **विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्यढांचा सुनिश्चित करना।**

स्कूल शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव (Impact of COVID-19 pandemic on School Education)

- कोविड-19 के दौरान आरोपित प्रतिबंधों के कारण मार्च 2020 से अधिकतर स्कूल बंद हैं और बच्चों को उनके घरों में ही ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है।

VISION IAS

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट या एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, ग्रामीण भारत में **सरकारी और निजी स्कूलों में स्मार्टफोन रखने वाले नामांकित बच्चों का प्रतिशत** महत्वपूर्ण रूप से वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 61.8 प्रतिशत हो गया (अक्टूबर 2020 में) है।

कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालयी छात्रों के लिए पहलें

- आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल एवं उच्च शिक्षा के लिए घोषित **पीएम ई विद्या (PM eVIDYA)** एक व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य शिक्षा की बहुविध एवं समान उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को समेकित करना है। **इसके निम्नलिखित चार घटक हैं:**
    - **एक देश, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना:** इस घटक के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तक एकल डिजिटल अवसंरचना जैसे दीक्षा (DIKSHA) तक निशुल्क पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'दीक्षा' पर शैक्षिक निकायों, निजी निकायों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों द्वारा ई-शिक्षा संसाधनों के योगदान के लिए **'विद्यादान'** पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
    - **स्वयं प्रभा टीवी चैनलों के माध्यम से एक कक्षा, एक टीवी चैनल:** उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए 12 समर्पित चैनल आरंभ किए गए हैं।
    - **रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग**, जैसे शिक्षा वाणी पॉडकास्ट, ज्ञान वाणी एफएम रेडियो स्टेशन इत्यादि के माध्यम से।
    - **दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए:** सांकेतिक भाषा (sign language) में डीटीएच चैनल; डिजिटली एक्सेसिबल इनफॉरमेशन सिस्टम (DAISY) में विकसित अध्ययन सामग्री और सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर **स्वयं MOOC (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स)** को आरंभ किया गया है। स्वयं MOOC के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ छात्रों को नामांकित किया गया है।
- **डिजिटल पहल के वित्तीय सहायता:** डिजिटल पहलों, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्त आवंटित किया गया है।
- ई-सामग्री के एक मुक्त भंडार के रूप में **मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (NROER)** नामक एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञाता दिशा-निर्देश (PRAGYATA guidelines)** को ऑनलाइन/मिश्रित/डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकसित किया गया है।
- **मनोदर्पण (MANODARPAN)** नामक एक पहल को प्रारंभ किया गया है। यह मानव पूंजी को सुदृढ़ एवं सशक्त करने हेतु मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करती है, ताकि शिक्षा क्षेत्र में सुधारों और पहलों के माध्यम से उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाया जा सके।

कौशल विकास (Skill Development)

- यद्यपि **कुशल लोगों के अनुपात में वृद्धि हुई है,** तथापि कौशल प्राप्ति का स्तर निम्न बना हुआ है। **15-59 वर्ष आयु-वर्ग के श्रमबल के केवल 2.4 प्रतिशत ने ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है** और अन्य **8.9 प्रतिशत** ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **कौशल विकास पहलों के अंतर्गत नीतिगत सुधार**
    - **एकीकृत कौशल विनियामक-राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET):** इसके अंतर्गत, विभिन्न मानकीकरण प्रक्रियाओं, विनियामक प्रणालियों और मानव संसाधनों के माध्यम से विनियामक क्षमता को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
    - **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (PMKVY 3.0):** इसके प्रथम चरण के लक्ष्य के तहत प्रवासियों समेत 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करना है। इसकी अन्य विशेषताओं में रोजगार दायित्वों के निर्धारण एवं मानचित्रीकरण में ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण (bottom-up approach) और स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। जिला कौशल समितियां कार्यान्वयन की केंद्र बिंदु होंगी।

VISION IAS

- **गुणवत्ता संवर्धन:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए उन्हें ग्रेड व्यवस्था के अधीन लाया जाएगा।
- **स्कूल एवं उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर व्यावसायिक एवं औपचारिक शिक्षा का एकीकरण:** स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करना तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समान वरीयता देना। इसके अतिरिक्त 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल को ITI में प्रायोगिक पहल के रूप में लागू किया जा रहा है, जो व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक हब या केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

रोजगार की स्थिति (Status of Employment)

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार,**
  - **वर्ष 2018-19 में श्रम बल के आकार के अंतर्गत लगभग 51.8 करोड़ लोग शामिल होने की संभावना प्रकट की गई थी**, जिसमें 3.0 करोड़ लोग बेरोजगार थे।
  - श्रमबल के 42.5 प्रतिशत के साथ **कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता रहा है**, उसके पश्चात "अन्य सेवाओं" का स्थान है (श्रमबल का 13.8 प्रतिशत)।
  - **स्व-रोजगार, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है**, श्रमबल का लगभग **52 प्रतिशत** स्व-नियोजित है। उसके पश्चात नियमित वेतनभोगी कर्मचारी और अस्थायी कामगारों का स्थान रहा है।

औपचारिक रोजगार (Formal Employment)

- **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए अभिदाताओं में वर्ष** 2018-19 में 61.1 लाख की तुलना में वर्ष 2019-20 में 78.58 लाख की **शुद्ध वृद्धि** हुई है।
- **स्टार्ट-अप द्वारा उपलब्ध रोजगार में** जनवरी-दिसंबर, 2019 में 1.52 लाख की तुलना में जनवरी-दिसंबर, 2020 में 1.75 लाख की **वृद्धि दर्ज** की गई है। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त सक्रिय स्टार्ट-अप की संख्या में (11,694 से बढ़कर 14,784) बढ़ोतरी होने के कारण रही है।

बेरोजगारी (Unemployment)

- **अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर** वर्ष 2017-18 के **6.1 प्रतिशत** से **आंशिक रूप से कम** होकर वर्ष 2018-19 में **5.8 प्रतिशत** हो गई है।
- **बेरोजगारी दर में सर्वाधिक गिरावट** उन लोगों के मध्य दृष्टिगत हुई है, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है।

श्रमिक सुधार (Labour Reforms)

- विगत वर्ष, **29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समामेलित, तर्कसंगत और सरलीकृत किया गया है**:
  - मजदूरी संहिता (Code on Wages, 2019),
  - औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code, 2020) ,
  - उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security, 2020)
- ये संहिताएं **बदलते श्रम बाजार रुझानों के साथ कानूनों के समन्वयन पर केन्द्रित हैं।** साथ ही, स्वरोजगार एवं प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को भी समायोजित करते हैं।

वर्ष 1991 के पश्चात श्रम सुधारों का कालक्रम:

विभिन्न वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा की गई अनुशंसाएं:

- **ग्रामीण श्रमिकों पर राष्ट्रीय आयोग (1991)** ने कामगारों की विशिष्ट श्रेणियों तथा सभी प्रवासियों को समाहित करने के लिए प्रवासी कामगारों की परिभाषा में बदलाव हेतु संस्तुति की थी।
- **रोजगार अवसरों पर कार्य बल की रिपोर्ट** (अध्यक्ष: डॉ मोंटेक सिंह अहलूवालिया- वर्ष 2001) ने अल्पकालिक रोजगार अनुबंधों इत्यादि के संबंध में सिफारिश की थी।
- **योजना आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसर के लक्ष्य पर गठित एक विशेष समूह ने** सुझाव **दिया था कि राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रम कानूनों में संशोधन, इकाइयों द्वारा स्व-प्रमाणपत्र**

और यादृच्छिक निरीक्षण इत्यादि की अनुमति दी जा सकती है।
- **श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग** (अध्यक्ष – श्री रविंद्र वर्मा- वर्ष 2002) ने केंद्रीय श्रम कानूनों को चार या पांच व्यापक समूहों में एकत्रित करने की सिफारिश की थी।
- **असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग** (अध्यक्ष – डॉ अर्जुन सेनगुप्ता- वर्ष 2009) ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथक कानून बनाने की अनुशंसा की थी।

कार्य की प्रकृति में बदलाव: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक (Changing Nature of Work: Gig and Platform Workers)

- प्रौद्योगिकी में बदलाव, नई आर्थिक गतिविधियों के विकास, संगठन संरचना में नवीनीकरण और विकसित हो रहे व्यवसाय मॉडल के साथ **कार्य की प्रकृति परिवर्तनशील रही है।**
- नवाचार साधनों के माध्यम से उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए **डिजिटल प्लेटफॉर्म वृहद पैमाने पर अवसरों को सृजित करते हैं।** ई-कॉमर्स और ऑनलाइन खुदरा प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर आदि के उद्भव के साथ भारत **विश्व में फ्लेक्सी-स्टाफ (अस्थायी कामगारों को रोजगार) प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा देश** बनकर उभरा है।
- कोविड-19 के कारण आरोपित लॉकडाउन में **गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका में वृद्धि हुई है**, जिसमें नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य), फ्रीलांसर को नियोजित करने या कार्य की आउटसोर्सिंग को प्राथमिकता दी है, ताकि अतिरिक्त लागत इत्यादि को कम किया जा सके।
- **एक गिग कामगार के लिए रोजगार अनुबंध की प्रकृति,** नियमित नियोक्ता-कर्मचारी अनुबंध से **भिन्न होती है,** क्योंकि यह सामान्यत: अल्पकालिक और अधिक कार्य विशिष्ट होते हैं; रोजगार का प्रकार अस्थायी या संविदात्मक हो सकता है; भुगतान की प्रकृति कार्य के अनुपात में और मोल-भाव वाली होती है; कामगारों को यह प्राप्त होती है कि कब कार्य करना है, कहां कार्य करना है इत्यादि।
- पहली बार, **गिग या प्लेटफॉर्म कामगारों** को विशिष्ट रूप से असंगठित कामगारों की श्रेणी में परिभाषित कर, **उन्हें नव विधान सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के दायरे अंतर्गत लाया गया है।**

श्रम बाजार पर कोविड-19 का प्रभाव (Impact of COVID-19 on the Labour Market)

- कोविड-19 ने **शहरी अस्थायी कामगारों से संबंधित सुभेद्यताओं को प्रकट किया है,** जिनकी शहरी श्रमबल में हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत है, और **उनमें एक बहुत बड़ा अनुपात प्रवासियों का है।**
- **अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर-राज्यीय प्रवास और रोजगार पर सीमित आंकड़ों** से उन प्रवासियों की संख्या का पता लगाना कठिन रहा है, जिनकी महामारी के दौरान उनके रोजगार और आवास की क्षति हुई थी और अपने घर वापस चले गए थे।
- भारत सरकार ने लॉकडाउन-पूर्व और लॉकडाउन की अवधि के दौरान कामगारों के कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए थे:
  - **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY):** यह आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एक घटक है, जिसके तहत निम्नलिखित के भुगतान को लक्षित किया गया है:
    - एक निश्चित अवधि के लिए 1000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली संस्था में नए कर्मचारियों के संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अंतर्गत शामिल **संपूर्ण कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान** (प्रत्येक के लिए 12 प्रतिशत अर्थात वेतन का 24 प्रतिशत) का भुगतान।
    - 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली संस्था के नए कर्मचारियों के संबंध में, **केवल कर्मचारी के हिस्से के EPF योगदान** का भुगतान तथा कोविड-19 के कारण रोजगार क्षति वाले लोगों को पुन:रोजगार प्रदान करना।
- **प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY):** वर्ष 2016 में आरंभ हुई इस योजना के अंतर्गत सरकार, नए कर्मचारियों के संबंध में सभी क्षेत्रों के लिए नियोक्ता के EPF योगदान के 8.33 प्रतिशत (बढ़कर 12%) का भुगतान कर रही थी तथा आंकड़े दर्शाते हैं कि PMRPY योजना के अंतर्गत मिले प्रोत्साहन के साथ पात्र उद्यमों में कामगारों के औपचारिकीकरण में वृद्धि हुई है।
- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के अंतर्गत इमारत एवं अन्य निर्माण कामगारों (BOCW) को** BOCW के उपकर के अंतर्गत एकत्रित किए गए फंड से वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

VISION IAS

- **श्रमिक स्पेशल ट्रेन:** भारतीय रेलवे द्वारा प्रवासी मजदूरों/फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। इन ट्रेनों ने 1 मई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच लगभग 63.19 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान की है।

रोजगार का लैंगिक आयाम (Gender Dimension Of Employment)

- वर्ष 2018-19 में उत्पादक आयु वर्ग (15-59 वर्ष) में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR) **26.5 प्रतिशत** रही है, जबकि पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर **80.3 प्रतिशत** थी।
- **54.7 प्रतिशत शहरी महिलाएं नियमित वेतन श्रेणी में नियोजित थीं**, जबकि **59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं स्व-नियोजित थी** और इनमें से 37.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्यम में सहायक के तौर पर नियोजित थीं।
- **घरेलू कार्यों में महिलाओं की उच्च भागीदारी** मुख्यतः निम्न महिला LFPR हेतु उत्तरदायी रही है, जो वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 59.1 प्रतिशत रही है।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के टाइम यूज सर्वे** के अनुसार,
  - महिला सदस्यों द्वारा रोजगार-संबंधी गतिविधियों पर व्यय किया गया समय पुरुषों की तुलना में 127 मिनट कम है।
  - पुरुषों की तुलना में **महिलाएं** बच्चों की देखभाल और शिक्षा, खाद्य पदार्थ, भोजन प्रबंधन पर **असंगत रूप से अधिक समय व्यय करती हैं।**
  - बिना भुगतान के महिलाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू एवं देखभाल सेवाएं **उनके शिक्षा के स्तर से प्रभावित नहीं होती हैं।**
  - श्रमबल में मौजूद महिलाएं **घरेलू गतिविधियों के साथ-साथ भुगतान किए जाने वाले कार्यों-दायित्वों का भी** वहन करती हैं, जिससे उन्हें रोजगार संबंधी गतिविधियों में व्यय करने के लिए कम समय मिलता है।
  - श्रम बल में मौजूद महिलाओं का **बिना-भुगतान वाली घरेलू एवं देखभाल प्रदान करने वाली सेवाओं** पर व्यय होने वाला समय अपेक्षाकृत उन महिलाओं से कम है, जो श्रम बल में मौजूद नहीं हैं।
- **श्रम बल में सम्मिलित होने के लिए अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना।** इसके लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं हेतु संस्थागत सहयोग में निवेश, भुगतान युक्त पैतृक अवकाश, परिवार-अनुकूल कार्य परिवेश और बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्थन आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कार्य स्थल पर गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं को प्रोत्साहित किए जाने की भी आवश्यकता है, जैसे वेतन एवं व्यवसाय की प्रगति, कार्य प्रोत्साहन में वृद्धि सहित महिलाओं के लिए अन्य चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ।

कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में उपलब्धियां

- सरकार ने **आवश्यक दवाओं,** हैंड सैनिटाइजर और मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट सहित सुरक्षात्मक उपकरण **की उपलब्धता का आकलन तथा उसे सुनिश्चित** करने का प्रयास किया है।
- कोविड-19 की वैक्सीन सहित नई दवाओं के नैदानिक या क्लिनिकल परीक्षण के लिए **अनुप्रयोगों या एप्लीकेशन्स को तीव्रता से निर्मित किया है।**
- अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों में गैर-संचारी रोगों की जांच और शुरुआती पहचान के लिए **फिट हेल्थ वर्कर अभियान** को आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर आरंभ किया गया है।
- **'कोविड-19 से संघर्षरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) बीमा योजना'** की घोषणा की गई है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 रोगियों के प्रत्यक्ष संपर्क और देखभाल में संलग्न रहने के कारण इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है।
- **कोविड-19 वैक्सीन: विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को दो स्वदेश निर्मित वैक्सीनों –कोवीशील्ड और कोवैक्सीन –** के माध्यम से 1 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया था।
  - **मानवीय सिद्धांतों के आधार पर** लगभग 3 करोड़ लोगों, मुख्य रूप से अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, को पहले दौर में वैक्सीन दी जाएगी, जबकि दूसरे दौर में लगभग 30 करोड़ लोगों, जिनमें बुजुर्ग व गंभीर सह-रुग्णता वाले लोग सम्मिलित हैं, को वैक्सीन दी जाएगी।
  - टीकाकरण अभ्यास **लोगों की भागीदारी (जन भागीदारी) के सिद्धांत पर** टिका हुआ है, जिसमें चुनावों (बूथ रणनीति) और सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव का उपयोग किया गया है।
  - **को-विन(Co-WIN) सॉफ्टवेयर को** वैक्सीन की वास्तविक समय जानकारी, उसके भंडारण तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत निगरानी हेतु **विकसित किया गया है।**

स्वास्थ्य (Health)

- कोविड-19 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश और उसे मजबूत करने की आवश्यकता को प्रकट किया है।
- भारत ने **विगत दो दशकों में** पोलियो, गिनिया कृमि रोग, याज तथा मातृ एवं नवजात टिटनेस का उन्मूलन कर **अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति** की है।
- भारत के उन्नत स्वास्थ्य संकेतक,
    - कुल प्रजनन दर वर्ष 1991 में 3.6 से घटकर वर्ष 2018 में **2.2** रह गई है।
    - मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर **113 रही** है (2016- 2018) और
    - वर्ष 2018 में पांच वर्ष से कम आयु में होने वाली मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म पर) **36** रही है।
- कोविड-19 महामारी ने **भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना की वास्तविक स्थिति को प्रकट** किया है। भारत में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक ठीक हो गए हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1.52 करोड़ लोगों (वैश्विक) की मृत्यु हुई है।
- **मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा/ASHA):** महामारी के दौरान कोविड-19 से जुड़े कार्यों का निष्पादन करने के अतिरिक्त, इन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे प्रसव-पश्चात देखभाल, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव और पुरानी बीमारियों के उपचार अनुपालन में सहयोग दिया है व इनका सहयोग जारी है। हालांकि सभी आशा (ASHA) और आशा सहायकों को PMGKP बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था और उनकी प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2000 रुपये तक बढ़ा दी गई थी।

बाल स्वास्थ्य परिणाम (Child health outcomes)

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20)(NFHS-5) के अंतर्गत शामिल राज्यों ने संस्थागत प्रसव में महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित किया है।
- अधिकांश चयनित राज्यों में NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 में **शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु में होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आई है।** हालांकि, **मृत्यु दर में अंतरराज्यीय असमानता काफी अधिक बनी हुई है।**
- **देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए** आंगनवाड़ी सेवा, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना और किशोर बालिकाओं के लिए एकछत्र समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत योजनाएं तथा पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन (POSHAN) अभियान को आरंभ किया गया है।
- **आयुष (AYUSH):** राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत लगभग 12,500 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs) स्थापित किए जाने हैं।

जल एवं स्वच्छता (Water And Sanitation)

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G)

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता का विस्तार वर्ष 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019 में 100 प्रतिशत हो गया है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं।

- यूनिसेफ (UNICEF) के अध्ययन (2020) दर्शाते हैं कि **91 प्रतिशत महिलाएं एक घंटे तक समय बचाने में सक्षम रही हैं** और शौचालय बनने के बाद उन्हें **अब शौच आदि के लिए एक किलोमीटर तक नहीं चलना पड़ता है।**
- **SBM-G** की सफलता के आधार पर, SBM(G) के द्वितीय चरण को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही, इसके तहत खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Management :SLWM) आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, स्वच्छता अवसंरचना निर्माण के लिए **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को आरंभ किया गया है,** ताकि कोविड-19 के दौरान बेहतर, सुरक्षित स्वास्थ्य स्वच्छता एवं सैनिटरी अभ्यास को लागू किया जा सके।

जल जीवन मिशन (JJM)

- अगस्त, 2019 में, लगभग 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पाइप आधारित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध थी। **JJM का उद्देश्य वर्ष 2024 तक शेष 83 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक पाइप आधारित पेयजल कनेक्शन (FTWC) उपलब्ध कराना है।**

VISION IAS

- JJM का लक्ष्य दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd) पाइप आधारित पेयजल कनेक्शन के संचालन को सुनिश्चित कर **प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए** पोर्टेबल पाइप आधारित पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति को उपलब्ध कराना है।
- यह एक **विकेंद्रीकृत, मांग-प्रेरित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम** है, जिसकी योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मिशन आरंभ होने के पश्चात लगभग **3.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक पाइप आधारित पेयजल कनेक्शन (FTWC) उपलब्ध कराया गया है।**

ग्रामीण विकास

- पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के घर लौटने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में **विपरीत प्रवासन की घटना परिलक्षित हुई है।**
- आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत, ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मनरेगा इत्यादि को फंड आवंटित किए गए थे।**

मनरेगा के प्रमुख तत्व एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां

- **मनरेगा को मजबूत करने के लिए उठाये गये कदम:** इनमें इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (eFMS), आधार का उपयोग, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग एवं सामाजिक लेखा-परीक्षण प्रणाली को मजबूत करना, सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट (SECURE) का कार्यान्वयन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित योजना, मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम-JanMANREGA, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म- e Saksham और महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नति आदि शामिल हैं।
- **वित्त वर्ष 2020-21 में 311.92 करोड़ श्रम-दिवस सृजित किए गए हैं** जो अब तक का सर्वाधिक है। कुल मानव-दिवसों में महिलाओं के लिए उपलब्ध श्रम-दिवस 52.69 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 19.9 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 17.8 प्रतिशत रहा है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान **99 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मनरेगा कामगारों के खातों में** किया गया है, जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान यह 37.17 प्रतिशत रहा है।
- **वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कार्यों का लगभग 61 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं से संबंधित रहा है,** तथा कुल व्यय का 68.37 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्यों पर व्यय किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए अन्य पहलें (Other Initiatives for Rural Development)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)**	**गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA)**
• इसका उद्देश्य **लगभग 9-10 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) के अंतर्गत शामिल करना है** और उन्हें सतत आजीविका अवसरों से जोड़ना है। इसके लिए उनमें क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना अनिवार्य है, तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, अधिकार और सेवाओं के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना है।	• वर्ष 2000 में आरंभ की गई **इस योजना का लक्ष्य** देश के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्दिष्ट जनसंख्या आकार वाली **पात्र और संपर्क-विहीन बस्तियों को सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करने वाली एक सड़क से जोड़ना** है।	• **इस योजना को वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं**–वापस लौटे रहे प्रवासियों और ऐसे ही प्रभावित ग्रामीण नागरिकों के लिए आजीविका अवसरों का प्रावधान करना, गांवों को सड़क, आवास, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका परिसंपत्तियों और सामुदायिक परिसरों इत्यादि से परिपूर्ण करना।

• मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक **लगभग 7.26 करोड़ परिवारों को 66.03 लाख SHGs से जोड़ा गया है**, तथा SHGs को संचयी रूप से 12,195 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। • **बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी के रूप में SHG महिलाओं के परिनियोजन** के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में **अंतिम छोर तक वित्त सेवाओं को प्रदान करने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही** है।	• योजना के अंतर्गत अब-तक **6.44 लाख किमी से अधिक लंबी सड़कों** का निर्माण किया जा चुका है।	• इसके अंतर्गत, 1.5 लाख जल संरक्षण अवसंरचनाएं, 4.5 लाख ग्रामीण आवास, 3500 आंगनवाड़ी केंद्र तथा 70,000 वाटिकाएं बनाई गई हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक अवसंरचना में निवेश ने भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद, वर्ष 2020-21 में सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, तथा सामाजिक पूंजी निवेश की बात करें तो जीवंत अर्थव्यवस्था की ओर भारत की प्रगति उल्लेखनीय रही है।

अध्याय एक नजर में
• वर्ष 2020-21 में GDP के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का संयुक्त (केंद्र एवं राज्य) व्यय विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है।
• ऑनलाइन स्कूलिंग को कोविड-19 के दौरान बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। ऑनलाइन/डिजिटल स्कूलिंग को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए नवीन उपायों को भी अंगीकृत किया गया है।
• औपचारिक कौशल प्रशिक्षण से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के वार्षिक चक्रण में सुधार हुआ है।
• वर्ष 2018-19 को रोजगार सृजन के लिए एक बेहतर वर्ष के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अवधि के दौरान लगभग 1.64 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं।
• सरकार ने रोजगार को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। वर्तमान केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में युक्तिसंगत और सरलीकृत किया गया है।
• कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में, भारत ने आवश्यक दवाओं, हैंड सैनिटाइजर व सुरक्षात्मक उपकरणों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्वदेशी रूप से निर्मित दो वैक्सीनों के माध्यम से आरंभ किया गया है।
• मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत कुल 311.92 करोड़ श्रम-दिवस सृजित किए गए हैं।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अध्याय 10

प्रश्नोत्तरी: आपके स्मरण रखने और समझने के कौशल का परीक्षण

Q1. समग्र शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही *नहीं* है?

(a) यह स्कूल शिक्षा क्षेत्रक के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो स्कूल-पूर्व से लेकर 10वीं कक्षा तक विस्तारित है।

(b) इसका उद्देश्य स्मार्ट कक्षाओं और ICT अवसंरचना के माध्यम से शिक्षा का डिजिटलीकरण करना है।

(c) इसके उद्देश्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 में उन्नयन करना है।

(d) यह शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के प्रमुख प्रावधान हैं?

1. वर्ष 2030 तक स्कूल-पूर्व से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना।

2. जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए।

3. वर्तमान 10 + 2 प्रणाली को नई 7 + 3 + 4 पाठ्यक्रम संबंधी संरचना से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Q3. सरकार की निम्नलिखित में से कौन-सी पहल/पहलों ने वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की?

1. मनोदर्पण (MANODARPAN)

2. पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA)

3. स्वयं MOOC

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

VISIONIAS

Q4. भारत में कौशल विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 2.4 प्रतिशत कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है।
2. सेवा क्षेत्रक 42.5 प्रतिशत कार्यबल के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है।
3. अधिकांश कार्यबल में वेतनभोगी कर्मचारी और पेशेवर शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

स्व-मूल्यांकन: उत्तर लेखन कौशल के लिए अभ्यास प्रश्न

Q.1. भारत में स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की विवेचना कीजिए और महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए आरंभ किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।

Q.2. तीव्रता से परिवर्तित होते कार्य संरचना और संगठन के युग में, विवेचना कीजिए कि कैसे गिग कर्मकार (Gig worker) की नौकरी के अनुबंध की प्रकृति नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध से भिन्न है। इस संदर्भ में, गिग कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के संबंध में चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

Q.3. कोविड-19 के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा कीजिए।

Q.4. जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताओं और इसकी प्रगति की विवेचना कीजिए। यह महिलाओं के सशक्तीकरण में कैसे भूमिका निभा रहा है?

VISION IAS

ANSWER KEY

Chapter 1

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
d	c	b	d	b

Chapter 2

Q1	Q2	Q3	Q4
a	c	b	c

Chapter 3

Q1	Q2	Q3	Q4
a	a	d	b

Chapter 4

Q1	Q2	Q3	Q4
a	d	c	d

Chapter 5

Q1	Q2	Q3	Q4
d	a	a	c

Chapter 6

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
a	b	c	d	a	d	a

Chapter 7

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
b	b	c	c	b	a	c	a

Chapter 8

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
d	a	c	c	a

Chapter 9

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	b	d	c	c

Chapter 10

Q1	Q2	Q3	Q4
a	a	d	a

Heartiest Congratulations to all successful candidates
7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019
FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS
2 AIR JATIN KISHORE
3 AIR PRATIBHA VERMA
6 AIR VISHAKHA YADAV
7 AIR GANESH KUMAR BASKAR
YOU CAN BE NEXT
9 IN TOP 10 SELECTION IN CSE 2018
1 AIR KANISHAK KATARIA
2 AIR AKSHAT JAIN
3 AIR JUNAID AHMAD
4 AIR SHREYANS KUMAT
5 AIR SRUSHTI JAYANT DESHMUKH
7 AIR KARNATI VARUNREDDY
8468022022
WWW.VISIONIAS.IN
DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI